मंगलवार, 27 जुलाई 1982

5 श्रावण, 1904 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

नौवाँ सत्र

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 12. मंगलवार, 27 जुलाई, 1982/5 श्रावण, 1904 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—21
*तारांकित प्रश्न संख्या : 244, 245, 247 से 249, 251, 252 और 254	1—21
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	22—205
तारांकित प्रश्न संख्या : 246, 250, 253, 255 से 258 और 260 से 263	22—205
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2654 से 2708, 2710 से 2715, 2717 से 2761, 2763 से 2794, 2796 से 2801 और 2803 से 2884	32—197
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	205—223
विचाराधीन कैदियों को अनिश्चित काल तक जेलों में बन्द रखे जाने का समाचार	205
श्री एडुआर्डो फैलीरो	205
श्री निहार रंजन लास्कर	209
श्री राम विलास पासवान	213
श्री के० लकप्पा	221
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1982-83	224
नियम 377 के अधीन मामले	224—231
(एक) बैंकों द्वारा जवाहरात और स्वर्ण आभूषणों पर धन उधार देने की प्रथा — श्री एन० डेनिस	224

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह + इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

(दो) लद्दाख के लोगों की मांगें स्वीकार करने की आवश्यकता 225
श्री पी० नामग्याल

(तीन) उत्तर प्रदेश के सूखा पीड़ित 8 पर्वतीय जिलों को सहायता देने की आवश्यकता 225
श्री हरीश रावत

(चार) छात्रों द्वारा नशीली औषधों के सेवन को रोकने की आवश्यकता 226
श्री मूलचन्द डागा

(पांच) सूखा, देर से वर्षा आदि को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को केन्द्रीय सहायता 227
श्री सत्यगोपाल मिश्र

(छः) पटना में गुलजार बाग के निकट गंगा नदी पर पुल बनाने के लिए बिहार सरकार को सहायता 228
श्री रामावतार शास्त्री

(सात) रामेश्वरम और कोलम्बो के बीच अतिरिक्त स्टीमरों तथा तूतीकोरिन और कोलम्बो के बीच नयी स्टीमर सेवा की आवश्यकता 228
श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम

(आठ) जौनपुर में केन्द्र द्वारा उद्योग स्थापित किये जाने की मांग 229
डा० ए० यू० आजमी

(नौ) मध्य प्रदेश में नारू रोग को रोकने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता 230
डा० बसन्त कुमार पंडित

(दस) भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की खरीद न करना 230
श्री राजेश पाइलट

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक 231—258

विचार करने का प्रस्ताव 231

श्री मूल चन्द डागा 231

श्री सी० पलानी अप्पन 236

श्री जगन्नाथ राव 237

विषय	पृष्ठ

श्री राम विलास पासवान	239
श्रीमती गुरब्रिन्दर कौर ब्रार	240
श्री बाबूराव परांजपे	242
श्री बापूसाहिब परुलेकर	244
श्री रामेश्वर नीखरा	247
श्री रामावतार शास्त्री	248
श्री जेवियर अराकल	249
श्री सवाई सिंह सिसोदिया	251
खंड 2 से 6 और 1	
पास करने का प्रस्ताव	254
श्री सवाई सिंह सिसोदिया	258
राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) विधेयक	259—280
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री निहार रंजन लास्कर	259
श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती	260
श्री मूलचन्द डागा	264
प्रो० अजित कुमार मेहता	270
श्री राम सिंह यादव	275
श्री० जी० एम० बनातवाला	277
कार्य-मंत्रणा समिति	280—280
33वां प्रतिवेदन	

लोक सभा

मंगलवार, 27 जुलाई 1982/5 श्रावण, 1904 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली के कोलोनिस्टों के पुनर्वास सम्बन्धी विचाराधीन मामले

*244, श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के कोलोनिस्टों के पुनर्वास सम्बन्धी 53 मामलों पर निर्णय करने और आजादी के 35 वर्षों के बाद भी उनको कब्जा दिलाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इन मामलों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो से निष्पक्ष जांच कराने के आदेश देने का है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) । (क) दिल्ली के कोलोनिस्टों को कब्जा दिलाने के संबंध में केवल 21 मामले निलम्बित हैं जिसके कारण नीचे दिए गए हैं :—

(1) सिविल न्यायालयों/विभागीय अधिकरणों के अधीन मामले............14

(2) वे मामले जिनमें अलाटी कब्जा नहीं ले रहे हैं ।......................4

(3) वे मामले जिनमें अनधिकृत कब्जेदारों आदि के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही चल रही हैं...............3

(ख) उक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, जांच कराने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष जी, यह पुनर्वास विभाग का मामला बड़ा विचित्र है । मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं यह 3 बार जवाब दे चुके हैं सदन में और तीनों बार का

जवाब तीन तरह का है, तीनों में एक दूसरे का विरोधाभास है।... अतारांकित प्रश्न सं० 5058 दिनांक 22 दिसम्बर, 1981 और अतारांकित प्रश्न संख्या 2757 दिनांक 9 मार्च, 1982, इन तीनों को अगर मंत्री जी देखेंगे तो लगेगा। कि इनके पुनर्वास विभाग के अधिकारी शायद हर बार इनको गलत कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं या हम लोगों को गलत जवाब दे रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि 21 केसेज अदालतों में पेंडिंग है, लेकिन उस केस के बारे में मैं बढ़ रहा हूं जो 9 मार्च को इन्होंने जवाब दिया था—

"दिल्ली से सम्बन्धित 24 मामले विभिन्न न्यायालयों और विभागीय न्यायाधिकरणों में विचाराधीन हैं। डी०पी० (सी एण्ड आर) अधिनियम 1954 की धारा 12 के अधीन जुलाई 1955 में अधिग्रहीत की गई लगभग 142 स्टैण्डर्ड एकड़ निष्क्रांत कृषि भूमि इन वादों को पूरा करने के लिए दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध है।"

जब 1955 के जुलाई में इनको 142 एकड़ लैंड मिल गई तो इसके बाद भी केसेज पेंडिंग कैसे हैं। वह 142 एकड़ जमीन किस के पास है? अगर सरकार ने एक्वायर कर ली है तो उसके बाद भी क्या अन-अथोराइज्ड लोग उसको काबू किये हुये हैं या अधिकारी लोग 35 वर्षों से कुछ अनुचित लाभ उठाकर इल-लीगल ओकूपैंट्स को दिये हुए हैं। यह मामला गंभीर है। कभी 21 केसेज बताते हैं, कभी 24 बताते हैं। मंत्री महोदय बतायें कि यह जमीन कहां है, क्या गवर्नमेंट के पास है? क्या वह इस पर कोई जांच करायेंगे?

श्री बूटा सिंह: अध्यक्ष जी, विरोधाभास तो माननीय सदस्य के ही प्रश्न में है। इन्होंने पहले 53 रिसैटिलमेंट केसेज कहे थे, इससे पहले जो प्रश्न किया था, उसमें संख्या कुछ और थी। फिर भी इन्होंने जो प्रश्न पूछा है कि दिल्ली में जो हमारे पास रूरल लैंड थी, वह इन कोलोनिस्टों को एलाट करने में विलम्ब क्यों हुआ है, इसका कारण हमने मुख्य प्रश्न के उत्तर में दे दिया है। हम इसमें क्या कर सकते हैं जब कि 14 केसेज विभिन्न कचेहरियों में हों, 3 अन-औथाराइज्ड ओकुपेशन में हैं, उनको निकालने का काम दिल्ली प्रशासन द्वारा कराना पड़ता है। यह केसेज जो कोर्टस में हैं, उनको हम तो भुगत ही रहे हैं, यदि सदस्य चाहें तो वह हमारी कुछ मदद कर सकते हैं तो यह कार्य शीघ्रातिशीघ्र हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय: विरोधाभास का समाधान हो रहा है।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा: आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि अगर कोर्ट में 30-35 बरस तक लोग लड़ते रहेंगे तो क्या वह दर-दर की ठोकरें ही नहीं खाते रहेंगे? अधिकारी लोग जानबूझकर एक बार अलौट कर देते हैं और फिर ओकुपेंट लोग उसमें इन्टरेस्टेड रहते हैं। हमको इन्फर्मेशन मिली है कि वही लोग कहते हैं कि कस्टोडियन प्लस जिसके पास जमीन है, के नाम से अपील कर दो, इस तरह से मामला लटका रहता है। जानबूझकर अधिकारी लोग वहां बिजनेस कर रहे हैं। अगर इस पर जांच-पड़ताल नहीं हुई तो यह भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा। जो लोग विस्थापित हो गये हैं, क्या वह दर-दर की ठोकरें खाते ही रहेंगे? इस तरह का जवाब अगर मंत्री जी दें तो यह तो चलता ही रहेगा और लोग मर जायेंगे, तो भी उनको जमीन नहीं मिलेगी। मैं इसका एक उदाहरण दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : उदाहरण नहीं, सवाल पूछिये ।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : मेरे पास किसी का नाम है, कुछ कागजात ऐसे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह आप मंत्री जी को भेज दें ।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : मंत्री जी बैठे हैं और आजकल बाहर घूम रहे हैं । अधिकारी लोग इन्हीं पर शासन करते हैं । हम सवाल क्या पूछें, जब जवाब ही देना नहीं चाहते हैं ।

ईश्वर चन्द, रणवीर सिंह, जगदीश सिंह, इन लोगों को जमीन बारबार एलाट करते हैं और उनको अधिकार कब्जे का क्यों नहीं दिलाते हैं ? मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस तरह के जो 120 केसेज बाकी हैं, उनकी जो हरयाणा और पंजाब से जमीन एक्वायर कर रहे हैं, कब तक उनके बारे में फाइनल करेंगे, कोई लास्ट डेट क्या वह बतायेंगे और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या वह उच्च स्तरीय जांच करायेंगे ?

श्री बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न तो उत्पन्न होता है उन कालोनिस्ट्स से, जिनको 1911 और 1912 में उठाया गया था और जिन्हें उसके बदले में पश्चिमी पंजाब में मिन्टगुमरी जिले में जमीन दी गई थी । ये वही गांव हैं, जिनमें आप लोग बसे हुए हैं : रायसीना नगर, तालकटोरा नगर, रकाबगंज, जिसमें संसद-भवन भी आ जाता है । उनसे जमीन ली गई थी और उनको पश्चिमी पाकिस्तान में आबाद किया गया था । फिर जब वे रेफयूजी हो कर यहां आये, तो उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के वासी हैं, इसलिए हमें दिल्ली में ही जमीन देनी चाहिये । उन 76 विस्थापितों में से 55 आबाद हो चुके हैं । खाली 21 बाकी हैं। अधिकार मामले कचहरी में फंसे हुए हैं । मैं माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि ये सब के सब मामले रेफयूजीज ही कोर्ट में ले गए हैं । हम तो चाहते हैं कि कोर्ट के बाहर ही उनका फैसला कर दिया जाए । अगर माननीय सदस्यगण हमारी सहायता करें, तो हम उनके आभारी होंगे ।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : मंत्री महोदय बतायें कि क्या वह बात की जाच करायेंगे कि इस बारे में भ्रष्टाचार है या नहीं ।

श्री बूटा सिंह : यहां तो कोई भ्रष्टाचार नहीं है, क्योंकि मामले कचहरी के सामने हैं ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : पुनर्वास विभाग ने शरणार्थियों के लिये 56 मार्केट बनाये थे और उन्हें शरणार्थियों को दे दिया गया था । परन्तु 9 मार्केट ऐसे हैं जो शरणार्थियों को नहीं दिये गए हैं, और उन्हें नई दिल्ली नगर निगम ने अपने अधिकार में ले लिया है और इसके विरोध में एक अभ्यावेदन दिया गया है । उनका कहना है कि क्योंकि शरणार्थियों की आय काफी है इसलिए उन्हें मार्केट नहीं दिये जा सकते । जब ये मार्केट शरणार्थियों के लिए बनाये गए थे और उनके दावे अभी तक भी नहीं निपट पाये हैं तो उन्हें ये मार्केट क्यों नहीं दिये गए हैं ?

श्री बूटा सिंह : यह एक अलग सवाल है । इस प्रश्न में माननीय सदस्य द्वारा कोलोनिस्टों

के बारे में सूचना मांगी गई थी। यदि सदस्य महोदय शरणार्थियों के लिए बनाई गई मार्केटों के बारे में कुछ सूचना प्राप्त करना चाहते हों तो वह मुझे अलग से नोटिस दे सकते हैं। यदि उनके पास कोई ऐसा मामला है तो वह मुझे लिख सकते हैं। मैं इसकी जांच कराऊंगा।

युरान टर्मिनल पर तेल की गाद का निपटान

*245. श्री ई० बालानन्दन : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उरर्वक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युरान टर्मिनल पर तेल की गाद के निपटान की कोई समुचित व्यवस्था है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

पेट्रोलियम, रसायन और उरर्वक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) उरान टर्मिनल पर दो गाद समुद्रतल (लैगून)/तालाबों की व्यवस्था की गई है जहां गाद एकत्र किया जाता है। एकत्र किये गाद का निपटान टैंडरों को आमंत्रित करके किया जाता है, विगत में बिक्री 3500 मी० टन की करों और उत्पादन शुल्क सहित 555.55 रुपये प्रति मी० टन की दर से हुई थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री ई० बालानन्दन : तेल और प्राकृतिक गैस आयोग एक प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है। परन्तु साथ ही साथ हमें इसकी कमियों की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें उनका पता लगाकर उन्हें सुधारने की कार्यवाही भी करनी चाहिए।

1925 के ब्लिटज में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि गाद इकट्ठा करने के लिए बनाये गये तालाब या सुविधाएं बहुत ही कम हैं और भारी मात्रा में फालतू गाद समुद्र में जमा होती रहती है। यदि ऐसा है तो कुछ उपचारात्मक उपाय अविलम्ब किए जाने चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है।

ब्लिटज की उसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गत दो वर्षों के दौरान इस उराम टर्मिनल में 4 दुर्घटनायें हो चुकी हैं। वे हैं :—5000 टन टैंक का फटना, 6000 टन क्षमता वाले स्टोरेज टैंक का टेढ़ा होना, एक एयर कम्प्रेशर में विस्फोट और कुछ खामियों के कारण टरबाइन का ठीक से काम न करना। कुल मिलाकर तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को 7 करोड़ रुपये की हानि हुई है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या यह सच है और है। यदि हां, तो क्या इन दुर्घटनाओं

का पता लगाने के लिए कोई विभागीय जांच की गई है ? क्या गाद निकालने के लिए पर्याप्त सुविधायें भी हैं ?

श्री पी० शिवशंकर : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ ब्लिटज में छपा है उसके अलावा आज तक इस बारे में कोई सूचना नहीं है, जैसा कि मेरे मित्र महोदय ने आरोप लगाया है कि कुछ गाद समुद्र में इकठ्ठा हो गई है। विभागीय सूचना इस समाचार की पुष्टि नहीं करती।

दुर्घटनाओं से सम्बन्धित दूसरे प्रश्न का जहां तक सम्बन्ध है वह इस प्रश्न का भाग नहीं बन पाता क्योंकि यह गाद समुद्रतल (लागून) के संदर्भ में हैं।

उस टर्मिनल के 'फेज' एक के बारे में यदि आप अलग से प्रश्न पूछें तो मैं इसकी जानकारी दे सकूंगा।

श्री ई० बालानन्दन : समुद्रतल (लागून) के संबंध में ही यह बात है कि वहां स्टोरेज सुविधा पर्याप्त नहीं है।

श्री पी० शिवशंकर : सुविधा है, और हम वहां एक और लागून बनाने जा रहे हैं।

श्री ई० बालानन्दन : यह उरान टर्मिनल मूल बम्बई हाई प्रधान कार्यालय से काफी दूर है। इसलिए वहां पर कार्यरत कर्मचारियों को अपने दैनिक मसलों को निपटाने में काफी कठिनाई महसूस होती है। यदि उन्हें छुट्टी लेनी होती है तो उन्हें 20 दिन तक इन्तजार करना पड़ता है। इस प्रकार की कठिनाई का सामना कर्मचारियों को करना पड़ रहा है। क्या मंत्री महोदय इसकी जांच करेंगे और कुछ उपचारात्मक कदम उठायेंगे ?

श्री पी० शिवशंकर : मैंने माननीय सदस्य के सुझाव को नोट कर लिया है।

डा० वसन्त कुमार पंडित : प्रश्न के प्रथम भाग के उत्तर में मंत्री महोदय ने वहां विद्यमान व्यवस्था के बारे में बता दिया है जिसमें ठेकदार लोग गाद को हटाते हैं। क्या अनेकों मछुआरों से—तट के समीप मछली पकड़ने वालों तथा तट से दूर मछली पकड़ने वालों से—यह शिकायत मिली है कि गाद एक ऐसी जगह जमा हो गई है जो ठीक नहीं हैं ? ठेकेदार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। वह गाद हटाता है और कहीं भी उसे इकठ्ठा कर देता है जिससे समुद्र में भारी मात्रा में प्रदूषण होता है। यदि हां तो इस गाद की सफाई करने के लिए क्या समुचित उपाय किए गए हैं ?

श्री पी० शिवशंकर : यह गाद ईंटों से तैयार किए गए गाद-तालाब में जमा की जाती है। यह ऐसी नहीं है कि इसे कहीं भी ले जाया जा सके। ऐसे दो तालाब हैं और हम तीसरा तालाब भी बनाने पर विचार कर रहे हैं।

डा० वसन्त कुमार पंडित : दोनों ही तालाब लीक कर रहे हैं और गाद वापस समुद्र में बह रही है।

श्री पी० शिवशंकर : यह मेरे लिए नई बात है। इसलिए, गाद जमा करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। अभी तक तो लागूनों के लीक होने का भी कोई सभा समाचार नहीं है। जिसकी जांच करने की आवश्यकता है। पर्यावरण सम्बन्धी पहलू और प्रदूषण नियत्रण के सम्बन्ध में अनेकों उपाय किए गये हैं और किए जा रहे हैं। इसके लिए एक सलाहकार समिति है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग भी जल एवं वायु प्रदूसक रोकने के लिए आवश्यक सावधानी बरत रहा है। जहां तक तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का सम्बन्ध है वह सभी सम्भव उपाय कर रहा है।

गुजरात में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के तेल के कुओं से तेल की चोरी

*247. श्री नरसिंह मकवाना : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के तेल के कुओं में से गत एक वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में तेल चुराये जाने का पता लगा है, और पुलिस ने कितना चुराया हुआ तेल वरामद किया है ;

(ख) गैर-कानूनी रूप से कुओं की सील तोड़कर की जाने वाली तेल की चोरी की रोक-थाम के लिए क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या स्थानीय पुलिस तेल की चोरी रोकने के लिए सहयोग दे रही है और यदि हां, तो इस चोरी के न रोके जाने के क्या कारण हैं और पुलिस में कितनी शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। और

(घ) तेल की चोरी रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) वर्ष 1981 के दौरान, गुजरात में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के तेल कूपों से चुराए गए तेल की मात्रा करीब 186 मी० टन बताई गई है जिसमें से करीब 154 मी० टन तेल बरामद कर लिया गया।

(ख) कच्चे तेल की चोरियों की रोकथाम करना तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग और राज्य सरकार जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने, जिसमें चोरियों, का रोका जाना शामिल है, के लिए जिम्मेदार हैं, द्वारा निरन्तर निरीक्षण के अधीन रखा जाता है।

(ग) स्थानीय पुलिस तेल की चोरी की रोकथाम में अपना सहयोग दे रही है और इससे तेल की चोरियों उठाये जाने के मामलों के कम हो जाने की आशा है। वर्ष 1981 के दौरान राज्य पुलिस के पास चोरियों/उठाए जाने के 145 मामले दर्ज कराए गए।

(घ) मोबाइल पुलिस पार्टियों द्वारा गश्त को तेज किया गया है और तेल एवं प्राकृतिक

गैस आयोग ने उन्हें गाड़ियां देकर सहायता प्रदान की है। महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को भी लिया जा रहा है।

श्री नरसिंह मकवाना : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस वर्ष चोरी के जो 145 मामले रजिस्टर किए गए उस में से कितने में चोर लोग पकड़े गए और कितने ऐसे मामले हैं जिन के अंदर चोर नहीं पकड़े गए और जो लोग पकड़े गए उस के अंदर ओ. एन. जी. सी. के कर्मचारी कितने हैं ?

श्री पी० शिव शंकर : जैसा कि मैंने बताया है कि हमने 145 मामले रजिस्टर किए हैं। कितने लोग पकड़े गये हैं और उनमें से कितने ओ. एन. जी. सी. के हैं, इस बारे में सूचना उपलब्ध हो जाने पर मैं सदन में रख दूंगा।

श्री नरसिंह मकवाना : हमारे पास शिकायत है कि कर्मचारी लोग ही सब कर रहे हैं।

श्री पी० शिव शंकर : ऐसी बात नहीं है। 145 केसेज जो रजिस्टर किए गए हैं उनके बारे में पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना है कि कौन मुलजिम है और उनको वे पकड़ेंगे। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हमने केसेज रजिस्टर कर दिए हैं। अगर पुलिस ने कुछ लोगों को मुलजिम बनाया है और जैसा कि आप फर्माते हैं कि उसमें ओ. एन. जी. सी. के कर्मचारी भी हैं, तो मैं यह इंफार्मेशन हाउस की टेबल पर रख दूंगा।

श्री नरसिंह मकवाना : मन्त्रीजी ने अपने जवाब में कहा है कि 146 मीटरीक टन चुराया हुआ तेल पकड़ा गया है, मैं जानना चाहता हूं कि मन्त्रीजी ने किस तरह से इस बात का पता लगा लिया कि इतना ही तेल चोरी गया है, उससे ज्यादा तेल चोरी नहीं गया है ?

दूसरी बात यह है कि कुओं में सील लगी होती है और कुयें से तेल निकालना एक टेक्निकल काम है फिर चोरी करने वाले किस प्रकार से सील तोड़ सकते हैं या खोल सकते हैं और कैसे तेल निकाल सकते हैं ?

श्री पी० शिव शंकर : जहां तक कुओं की सुरक्षा आदि का सम्बन्ध है, मैं तो केवल यही बता सकता हूं कि मानव चतुरता की कोई सीमा नहीं है और यह कहना मुश्किल है कि इस चतुरता का उपयोग किस रूप में किया जाता है। फिर मैं यह कैसे कह सकता हूं कि केवल इतना ही तेल चुराया गया है। मैं तो यह कह सकता हूं कि यह जानकारी तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों द्वारा की गई जांच पड़ताल के आधार पर दी गई है। वे अपने रिकार्डों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या इस तेल की फाइल भी खो गई है।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : अध्यक्ष महोदय, मन्त्रीजी ने कहा है कि ऐसे 145 केसेज उनके ध्यान में आये हैं। मैं मन्त्री जी से जानना चाहती हूं क्या इसमें कोई बड़े लोग भी शामिल

हैं ? इसका कारण यह है कि यह एक टेक्निकल काम है, सील निकालने के लिए एक्सपर्ट की जरूरत होती है इसलिए जब मन्त्री जी इस सम्बन्ध में पूरी जांच-पड़ताल करने की कोशिश करेंगे तभी पता लग सकेगा कि इसमें कुछ हाई प्लेस के पर्सन्स भी इन्वाल्व्ड हैं ।

श्री पी० शिव शंकर : मैंने पहले ही निवेदन कर दिया है कि हम तो पुलिस को ही केस रजिस्टर कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेशन का काम ओ. एन. जी. सी. नहीं कर सकता है । इसलिए मैं पुलिस से इत्तला लेकर टेबल पर रख दूंगा कि इसमें कौन-कौन से लोग इन्वाल्व्ड हैं । अगर पुलिस की जांच में आया कि ये लोग इंवाल्व्ड हैं तो वह पूरी इत्तला टेबल पर रख दूंगा ।

श्री हीरा लाल आर० परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, आयल ऐण्ड नेचुरल गैस कमीशन तेल निकालने के लिए करोडों रुपए खर्च करता है । मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं क्या वे हर तेल से पूरा तेल प्राप्त करने के लिए फुल टाइम गार्ड्स रखने तथा बेकार लोगों को रोजी देने पर विचार करेंगे ?

श्री पी० शिव शंकर : हम काफी स्टेप्स ले रहे हैं ।

वास्तव में कई उपाय किये गये हैं । मुझे उन उपायों का यहां उल्लेख करने में कोई संकोच नहीं है, वे उपाय हैं :—तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के सुरक्षा कर्मचारियों में वृद्धि । डी०एस० पी० रैंक के एक उपयुक्त पुलिस अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करके और उसे सहायक कर्मचारी देकर तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के सुरक्षा संगठन की सुरक्षा का भार सौंपना राज्य पुलिस के जांच एवं असूचना ढंग को सुढ़ृढ़ बनाना ताकि वह केवल तेल और प्राकृतिक गैस आयोग कुओं से सम्बन्धित अधिकारियों पर निगरानी रख सकें । सरकारी वकील से कह कर न्यायलयों में विचाराधीन पड़े मामलों को जल्दी निपटाना आई० जी० पी० द्वारा सुरक्षा दल की एक या दो कम्पनियों को केवल उन्हीं इलाकों में पेट्रोलिंग के लिए तैनात करना जहां चोरियां और तोड़-फोड़ की घटनाएं होती रहती हैं । मेरा ख्याल है कि मेरे मित्र महोदय इन सभी बातों से परिचित होंगे ।

दूरदर्शन में विज्ञापन चैनल शुरू करना

*248 श्री बाला साहिब विखे पाटिल :

श्री अनन्त रामुलु मल्लु : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन में एक स्वतंत्र विज्ञापन चैनल शुरू करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उन केन्द्रों के नाम क्या हैं जहां यह प्रणाली शुरू की जाएगी ; और

(ग) चैनल की अवधि कितनी होगी और इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

दूरदर्शन पर प्रायोजित कार्यक्रम चालू करने की योजना तैयार करने तथा दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई में उपलब्ध सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अल्पकालिक योजना तथा दूरदर्शन पर विज्ञापनों के लिए स्वतन्त्र स्टूडियो सुविधाओं तथा अलग चैनल स्थापित करने की आवश्यकता को कवर करते हुए दीर्घकालिक योजना दोनों के लिए सिफारिशें देने के लिए एक कृतिक दल गठित किया गया था । कृतिक दल ने अब तक केवल अल्पकालिक योजना के लिए ही अपनी सिफारिशें दी हैं । प्रायोजित कार्यक्रमों, जिन्हें बम्बई-पुणे, दिल्ली-मसूरी और जलंधर-अमृतसर केन्द्रों से टैलीकास्ट किया जाएगा, को चालू करने की योजना को स्वीकृति दे दी गई है । इस योजना के अन्तर्गत ये कार्यक्रम अन्य दूरदर्शन केन्द्रों से भी टैलीकास्ट किए जा सकते हैं । अलग विज्ञापन चैनल के लिए दीर्घकालिक योजना के बारे में रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : अध्यक्ष महोदय, यह जो स्टेटमेंट दिया है, उस में एक टास्क फोर्स की बात कही गई है । मैं जानना चाहता हूँ कि उन की शार्ट-टर्म रिकमेंडेशन्स क्या हैं और उन पर कितना अमल हुआ है और (बी) प्रश्न यह है कि 1981-82 की जो रिपोर्ट है मिनिस्ट्री आफ इन्फार्मेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग की, उसमें हम यह देखते हैं कि, 1976-77 में जहां पहले आमदनी खाली 77 लाख रुपये थी, वह अब 1981-82 में बढ़ कर 11 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है इस को देखते हुए क्या मंत्री महोदय एक कमर्शियल चेनल शुरू कर रहे हैं या नहीं और इस समय जो टी०वी० का समय है, उसको और ज्यादा बढ़ाने और इस में ज्यादा समय देने के बारे में कुछ सोच रहे हैं या नहीं ?

श्री वसंत साठे : अध्यक्ष जी, यह जो कमर्शियल चैनल की बात है, तो कमर्शियल स्पोंसर्ड प्रोग्राम्स तो आज भी रहते हैं कमर्शियल स्लोट्स न रूप में लेकिन स्पोंसर्ड प्रोग्राम की जो कल्पना है, वह यह है कि निजी उत्पादक, प्रोड्यूसर ये जो प्रोग्राम बनाएं वे अपने खर्चे से बनाएं और हमारे जो नियम हैं, उन के अन्तर्गत वे प्रोग्राम बनाएं और जो प्रोग्राम हमारे दूरदर्शन के माध्यम से हों, वे अच्छे प्रोग्राम हों जैसे रेडियो से बिनाका गीत-माला के प्रोग्राम होते थे या दूसरे इसी ढंग के प्रोग्राम होते हैं दूरदर्शन के लिए जो प्रोग्राम बने, वे अच्छे हों और उनसे ज्यादा आमदनी होगी जैसाकि आपने कहा है कि आमदनी बढ़ी है और बढ़ेगी कमर्शियल कल्पना यह है कि इस से जो आमदनी आएगी, उससे एक स्वतन्त्र कमर्शियल चेनल 8 घंटे का शुरू किया जाए, जिस में सारे स्पोंसर्ड प्रोग्राम हों । उस से जो आय होगी, उस से हम चाहते हैं कि रूरल प्रोग्राम का एक अलग से चेनल हो लेकिन हमारे महकमे को इतनी लो प्रायरटी मिलती है कि कोई पैसा फाइनेन्स से या दूसरे हाथों से ज्यादा नहीं मिलता है और जब उनसे पैसे के लिए कहते हैं तो वे कहते हैं

कि तुम कमाओं और बढाओ। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यह है कि स्पोंसर्ड प्रोग्राम से लेकर रूरल चेनल हो, उस तरफ हमें जाना है और उस के लिए यह स्पोंसर्ड प्रोग्राम्स के चेनल की कल्पना है।

श्रीबाला साहिब विखे पाटिल : दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि अभी भारत में आप मल्टी-चैनल टी०वी० शुरू करने वाले हैं और उसमें रूरल एरियाज के लिए जो सेपरेट चैनल रखने की बात है, उस का तो हम स्वागत करते हैं और मिनिस्टर साहब को धन्वाद देते हैं लेकिन देहात के लोगों को फायदा पहुंचाने के किए कितने देहातों में आप टी० वी० सेन्टर खोलने जा रहे हैं और कहां ?

श्री वसन्त साठे : आज भी जितना दूरदर्शन का प्रसार है, सारे केन्दों से 60 टका रूरल एरियाज में पहुंचता है लेकिन दिक्कत यह है कि रूरल एरियाज के लोगों के पास उतने टेलीवीजन सेट्स नहीं हैं जितने कि होने चाहिए। अब वे टेलीविजन सेट्स जब तक सस्ते नहीं होगें तब तक गांवों के लोग ले नहीं सकते। हम वहां पर कम्युनिटी सेट्स देने जा रहे हैं। इसलिए यह सारा एक बड़ा सवाल है। जैसे जैसे देश में दूरदर्शन का प्रसारण बढ़ेगा, वैसे वैसे गांवों के लोगों के पास ज्यादा दूरदर्शन के प्रोग्राम देखने की क्षमता होगी और उसके मुताबिक उनके लिए ज्यादा प्रोग्राम बनाए जा सकेंगें।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : उनके पास भर पेट खाने के लिए तो है नहीं। आप टेलीविजन की बात करते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन्हें टेलीविजन खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अपने उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है :

"(कृतिक दल) ने अपनी सिफारिशों में दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई में उपलब्ध सुविधा को ध्यान में रखते हुए अल्पावधि योजना की सिफारिश की है...... पृथक वाणिज्यिक चैनल के लिए दीर्घावधि योजना के बारे में रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।"

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हे यह ज्ञात है कि निर्णय करने में टाल-मटोल और विलम्ब के कारण बम्बई में, जिसका उन्होंने जिक्र किया है, कफ परेड और कोलाबा जैसे स्थानों पर लोग अब केबल टी०वी० तथा क्लोज्ड सर्किट टी०वी० का उपयोग करने लगे हैं और इससे सरकारी टी० वी० असंगत तथा अनावश्यक हो जाएगा। क्या मंत्री महोदय केवल टी० वी० और क्लोज सर्किट टी० वी० को वर्तमान व्यवस्था में वैध समझते हैं ?

श्री बसन्त साठे : क्लोज सर्किट टी० वी० कोई भी रख सकता है। मेरे विचार में हम इसे वास्तव में कानूनी तौर पर नहीं रोक सकते। जहां तक केवल टी० वी० का सम्बन्ध है यह दूसरी बात है केवल टी० वी० रखना संभव नहीं होगा। कुछ लोग वी० सी० आर० के माध्यम से कोई प्रोग्राम शुरू करके दूसरे केन्द्रों से जोड़ सकते हैं। लेकिन भारत में, कम से कम आज की स्थिति में बड़े पैमाने पर केबल टी० वी० की व्यवस्था संभव नहीं है। जैसा कि मैं बार-बार कहता हूं हमारा मुख्य लक्ष्य अधिकाधिक ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचना है।

मेरे मित्र प्रश्न पूछ रहे थे और बार-बार मेरे मित्र—और वे भी मार्क्सवादी—टिप्पणी करते हैं कि हमारी जनता के पास भरपेट खाने को भी नहीं है। तब आप टेलीविजन के बारे में क्यों सोचते हैं ? मैं अपने मित्र को बता दूं कि जिस देश का आप सर्वाधिक आदर करते हैं, पिछले वर्ष उस देश—चीन—में 48 लाख टी० वी० सेट बनाए गए थे।

इस वर्ष वे 50 लाख टी० वी० सैट बना रहे हैं। ये प्रति वर्ष 20 लाख रंगीन टी० वी० सैट बनाने जा रहे हैं। वे जानते हैं कि ग्रामीण जनता के लाभ के लिए इस माध्यम का कितना महत्व है। आप ग्रामीण जनता को इस माध्यम के लाभ से वंचित क्यों रखना चाहते हैं ? क्या शहरी क्षेत्रों का ही इस माध्यम पर अधिकार होना चाहिए ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : माननीय मंत्री को यह पता होना चाहिए कि जिस देश का मैं सर्वाधिक आदर करता हूं वह भारत है। चीन में खाद्य तथा अन्य वस्तुओं की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है।

श्री अध्यक्ष महोदय : यह इस समर्थ वाद-विवाद का विषय नहीं है।

श्री आर०एन० राकेश : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि इलाहाबाद में टी० वी० स्टेशन कब तक स्थापित हो जाएगा ? मंत्री महोदय, जब कमलापति जी की ओर चेहरा करके जवाब देते हैं तो कहते हैं कि बनारस में टी० वी० स्टेशन लगेगा लेकिन मेरे सवाल के जवाब में उन्होंने बताया था कि छठी पंचवर्षीय योजना में इलाहाबाद में टी० वी० स्टेशन लग रहा है। अत: वे यह बताने का कष्ट करें जबकि अभी तक वह न तो वाराणसी में स्थापित हुआ है और न ही इलाहाबाद में, यह टी० वी० स्टेशन इलाहाबाद में कब तक स्थापित हो जाएगा और कब तक वह काम करना शुरू कर देगा ?

श्री वसन्त साठे : अध्यक्ष जी, मैं तो चाहता हूं कि टी० वी० का प्रसारण सारे देश में होने लगे और टी० वी० सब जगह पहुंच जाएं। आपने एक जगह की बात पूछी है, अगर माननीय सदस्य इसके बारे में अलग से पूछें तो मैं इस की जानकारी लेकर उनको दे दूंगा।

आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों को सरकारी कर्मचारी बनाने की योजना

*249. **प्रो० मधु दन्डवते** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी की स्टाफ आर्टिस्ट यूनियन ने आकाशवाणी स्टाफ आर्टिस्टों को सरकारी कर्मचारी बनाने सम्बन्धी योजना पर असन्तोष व्यक्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या स्टाफ आर्टिस्टों के असन्तोष को देखते हुए सरकार का विचार इस योजना में परिवर्तन करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं। यूनियनों ने योजना

का समान्यातया स्वागत किया है। तथापि, उन्होंने कार्यान्वयन के पहलुओं के बारे में कुछ टिप्पणियां और सुझाव दिए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रश्न काल के दौरान हम व्यस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते। इसलिए मैं व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा रहा हूं। लेकिन मैं आपका ध्यान उन नियमों की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं जिनका पालन किसी सदस्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए करना होता है। एक नियम यह है कि उत्तर अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। वह सीधा और सही होना चाहिए। यहां प्रश्न है :

"क्या यह सच है कि आकाशवाणी की स्टाफ आर्टिस्ट यूनियन ने आकाशवाणी स्टाफ आर्टिस्टों को सरकारी कर्मचारी बनाने सम्बन्धी योजना पर असन्तोष व्यक्त किया है ?"

इसका उत्तर देते हुए पहले उन्होंने कहा "नहीं, श्रीमान। यूनियनों ने सामान्यतः इस योजना का स्वागत किया है।"

इसके बाद "तथापि, शब्द आ जाना है।"

"तथापि, उन्होंने कार्यान्वयन के पहलुओं के बारे में कुछ टिप्पणियां और सुझाव दिए हैं।"

जिन योजनाओं को वे शुरू कर रहे हैं उनके बारे में विभिन्न यूनियनों द्वारा की गई टिप्पणियां और सुझाव क्या हैं ? जब आप हमें इन टिप्पणियों और सुझावों का ब्यौरा देंगे तब आपका उत्तर यह देखने के लिए सही होगा कि उससे सन्तुष्टि होती है या नहीं।

अपना दूसरा प्रश्न पूछने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इन टिप्पणियों और सुझावों का ब्योरा दें।

श्री वसन्त साठे : श्रीमन्, मेरे विचार में उत्तर में कोई अस्पष्टता नहीं है। यदि भ्रम है तो माननीय सदस्य के मन में है तथा उनके समझने में है हालांकि वे विद्वान हैं।

जब आप 'असंतुष्टि' की बात करते हैं, यह सामान्य बात बात है। वे क्यों इसका विरोध करते हैं या इससे असंतुष्ट हैं ? उत्तर 'नहीं' में था, क्योंकि उन्होंने इस योजना का स्वागत किया है। अब यह स्वाभाविक है कि, किसी भी योजना में— यूनियनें तथा स्टाफ के लोग— जब वे सरकारी कर्मचारी बनते जा रहे हैं, वे कुछ स्पष्टीकरण तथा कुछ और जानकारी चाहते हैं। हमारा कर्तव्य है कि उन्हें ऐसी जानकारी दें। इसका अर्थ यह भी है कि वे असंष्तुट हैं। उन्होंने कुछ सुझाव दिये हैं। उन्हें सुझाव देने का अधिकार है। कुछ बातों पर उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है :

(क) यदि जांच (स्क्रीनिंग) समिति द्वारा किसी स्टाफ आर्टिस्ट को उपयुक्त नहीं पाया जाता— क्यों कि नई योजना के अन्तर्गत जब वे सब सरकारी कर्मचारी बन जायेंगे की तब किन्ही श्रेणियों के लिए ऐसी परिस्थियों में जो यह सामान्य नियम लागू होते हैं कि कर्मचारियों कि जांच उपयुक्तता देखी जायेगी। तथा उनका परीक्षण आदि किया जाएगा तो क्या उसे पेंशन नहीं दी जाएगी ? क्योंकि सरकारी सेवा के अन्तर्गत वह पेंशन पाने का हकदार होगा।

(ख) यदि जांच समिति द्वारा निर्णय किये जाने से पूर्व किसी स्टाफ आर्टिस्ट की मृत्यु हो जाती है। या वह सेवा निवृत हो जाता है तो उसका क्या होगा ?

(ग) क्या सी० पी० एफ० अंशदयी भविष्य योजना में जाने वाला सरकार का अंशदान जी० पी० एफ० (सामान्य भविष्य योजना) में मिलाया जाएगा या नहीं ?

(घ) सरकारी कर्मचारियों जैसे प्रोग्राम एज्जीक्यूटिव सहायक केन्द्र निर्देश आदि की तुलना में स्टाफ आर्टिस्टों का स्थापन (प्लेट-मेंट) किस प्रकार किया जाएगा।

(ङ) क्या नियमित सरकारी कर्मचारियों की तुलना में स्टाफ आर्टिस्टों की वरिष्ठ सुरक्षित रखी जाएगी ?

(च) क्या जांच के बाद स्टाफ को ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, सहायक केन्द्र निदेशक, केन्द्र दिनेशक आदि के पदों पर रखा जाएगा ?

(छ) 58 वर्ष की आयु तक सेवा के बाद सेवा काल बढ़ाने के सम्बन्ध में क्या नीति अपनायी जाएगी ?

(ज) क्या स्टाफ आर्टिस्टों के इस परिवर्तन के बाद उन्हें केन्द्र से बाहर स्थानांतरित किया जाएगा जैसा कि अन्य कार्यक्रम अधिकारियों के मामले में होता है ?

ये बातें भी जिनके बारे में उन्होंने स्पष्टीकरण मांगे थे। वे हम से मिल चुके हैं और हमने उन्हें स्पष्टीकरण दे दिये हैं।

श्री मधु दंडवते : उनके सुझाव क्या हैं ?

श्री वसंत साठे : उनके चार सुझाव हैं। मैं इन्हें पढ़कर सुना देता हूं। (व्यवधान)

(1) जिन स्टाफ आर्टिस्टों की आयु पहले ही 58 वर्ष हो चुकी है उन्हें पेंशन देने से इन्कार नहीं किया जाना चाहिए।

(2) पेंशन मार्च, 1982, जब निर्णय लिया गया था, के बजाय 1-1-1980 से दी जाए।

(3) स्टाफ आर्टिस्टों के रूप में की गई सारी सेवा पेंशन के लिए हिसाब में ली जानी चाहिए।

(4) स्टाफ आर्टिस्टों के बारे में काडर समीक्षा समिति की सभी सिफारिशें मानी जायें और सरकारी सेवा के परिवर्तन कि पूर्ण इन्हें लागू किया जाए ।

(5) स्टाफ आर्टिस्टों के सरकारी कर्मचारियों में परिवर्तन के लिए उनकी जांच (स्क्रीनिंग) नहीं की जानी चाहिये ।

अब हमने उन्हें बताया है कि वे सभी सामान्य नियम जो ऐसे परिवर्तन पर लागू होते हैं उन पर भी लागू होंगे । कोई विशेष मान दण्ड नहीं होगा ।

श्री मधु दंडवते : श्रीमन्, शुरू की जाने वाली योजना के अनुसार स्टाफ आर्टिस्ट नियमित सरकारी कर्मचारी होंगे । इस संदर्भ में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच ही है कि जहां तक उन नियमित कर्मचारियों तथा सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उनके मामले में, इतने वर्षों वीत जाने के बाद भी, वे अस्थायी कर्मचारी है और वास्तव में उन्हें स्थायी नहीं किया किया जाता, हालांकि इस समय ऐसे लोग अक्सर नियुक्त किये जाते हैं ? क्या यह सच नहीं है कि यदि वे लम्बे समय तक सेवा करते हैं तो उनकी सेवा एक या दो दिन के लिए व्यवधान की जाती है ताकि वे स्थानीय बन जाए और इस प्रकार उन्हें मिलने वाले लाभों जैसे भविष्य निधि, उपदान तथा स्थायी कर्मचारी को प्राप्त अन्य सभी सुविधाएं से वंचित रखा जाता है । यदि यही हालत रही, तो क्या वे अश्वासन देंगे कि जिस योजना की इन्होंने जिक्र किया है इसके कार्यान्वियन के सम्बन्ध स्टाफ को स्थायी न बनने देने के लिए उनकी सेवा में इस प्रकार का व्यवधान नहीं डाला जाएगा ?

वसंते साठे : क्या वह स्टाफ आर्टिस्टों का उल्लेख कर रहे है अथवा स्थाई सरकारी कर्मचारियों का ? स्टाफ आर्टिस्टों पर ये नियम लागू नहीं होते ।

प्रो० मधु दंडवते : आदरणीय मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न को नहीं सुना है । मैंने यह कहा कि इन आर्टिस्टों को सरकारी कर्मचारी के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है और चूंकि उन्हें स्थाई सरकारी कर्मचारी बनाया जा रहा है इसलिए उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा जैसा आकाशवाणी के अन्य कर्मचारियों के साथ होता है ? कि उनकी शिकायत यह है कि उनके अस्थाई सत्तर को स्थाई में परिवर्तित नहीं किया जा रहा है क्योंकि उनकी सेवा में अस्थाई व्यवधान होता है, इन कर्मचारियों के मामले में, जब वे भी नियमित कर्मचारी बन जाते हैं तो क्या वे इस प्रकार की स्थिति से बच पयेंगे ?

श्री वसंत साठे : जहां तक स्टाफ आर्टिस्टों का सम्बन्ध दें, सेवा में व्यवधान का प्रश्न ही नहीं है ।

डा० सुब्रह्मणयम स्वामी : नैमित्तिक स्टाफ आर्टिस्रों की क्या स्थिति है ?

श्री वसंत साठे : नैमित्तिक आर्टिस्टों को नियमित किया गया है । जब स्टाफ आर्टिस्टों को सरकारी कर्मचारी बनाया जाएगा तभी यह प्रश्न उठेगा । वे सभी व्यक्ति जो सरकारी कर्मचारी

बनते हैं उन पर भी वही नियम लागू होंगे जो सरकारी कर्मचारियों पर होते हैं। स्टाफ आर्टिस्टों को कोई जोखिम नहीं है क्योंकि उनके मामले में सेवा में कभी भी व्यवधान नहीं हुआ है। इसलिए, सेवा में व्यवधान का ही प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्याक्ष महोदय, यह बड़ी खुशी की बात है कि मंत्री जी हजारों-हजार स्टाफ-आर्टिस्टों को सरकारी कर्मचारी बनाने जा रहे हैं।

श्री आर०एन० राकेश : आपकी खुशी गलत है।

श्री रामावतार शास्त्री : कहां जा रहे हैं ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अच्छा होता, यदि आप बना देते, तो आपको बधांई देता। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि ट्रांसफर, प्रोमोशन और अन्य कार्यक्रमों में सहयोग, पेंशन और कनफरमेशन—इन चीजों में सूचना मिली है कि बहुत से शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो स्टाफ आर्टिस्ट हैं, उनके साथ भारी भेदभाव किया जाता है—मैं क्या कुछ शिकायतें आपको प्राप्त हुई हैं ? यदि ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई है, तो उन पर आपने क्या कार्यवाही की है ?

श्री वसंत साठे : अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। यदि मेरी नजर में ऐसा कोई मामला आता है, तो मैं स्वयं उसमें दखल देता हूं। ऐसी कोई शिकायत नहीं और ऐसा भेदभाव नहीं।

राजनाथ सोनकर शास्त्री : मान्यवर, आप स्पष्ट बतायें कि आया है या नहीं आया है ? कोई एक शिकायत आई है या नहीं आई है ?

श्री वसंत साठे : अस्पष्ट तो मैं नहीं बता सकता हूं, स्पष्ट बता सकता हूं। स्पष्ट यह है कि मेरे पास ऐसा मामला नहीं आया है।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दे दीजिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैंने स्वयं एक नहीं दो मामले इनके पास भेजे हैं।

श्री वसंत साठे : किसके पास भेजे हैं ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आपका एक्नालिज—मेंट मेरे पास है मैंने आपके पास दो मामले भेजे हैं और श्री राकेश जी ने एक भेजा है और भी चार-पांच मामले ऐसे हैं।

श्री वसंत साठे : उसका आपको संतोषजनक जवाब भी दे दिया है।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आपको संतोषजप्रद जवाब दे दिया है। आप बाद में बात कर लीजिएगा।

अगला प्रश्न। श्री अगर राय प्रधान... अनुपस्थित ; श्री चित्त बसु।

सोवियत सहायता से वृहत कोयला खान में काम आरम्भ करना

*251 श्री चित्त बसु : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रूस की सहायता से पांच करोड़ टन की वार्षिक क्षमता वाली बड़ी कोयला खान में काम शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां तो प्रस्ताव का ब्योरा क्या है; और

(ग) यह प्रस्ताव इस समय किस चरण में है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

श्री चित्त बसु : क्या मैं आदरणीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूँ कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष श्री बी० एल० वदेहरा ने 16 जून को एक सार्वजनिक वक्तव्य दिया था ? उस वक्तव्य का सार यह है :

कर्णपुरा क्षेत्र के उत्त में 500 लाख टन वाली परियोजना आरम्भ करने की सम्भावनाओं का विस्तृत अध्ययन करने के लिए सोवियत रूस से विशेषज्ञों का एक दल भेजने के लिए कहा गया है।

मैं यह समझता हूँ कि सी० आई० एल० के अध्यक्ष ने यह वक्तव्य सरकार की उचित मंजूरी और अनुमति के नहीं दिया होगा। मैं जानना चाहता हूं कि सोवियत विशेषज्ञों की क्या प्रक्रिया रही, क्या उन्होंने स्थल का पहले ही दौरा किया है अथवा उन्हें परियोजना की व्यवहारिकता के सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्य आरम्भ कर दिया है।

श्री विक्रम महाजन : अप्रैल 1981 में जब सोवियत मंत्री भारत की यात्रा पर आए तो सी० सी० एल० के अध्यक्ष जो इस समय सी० आई० एल० के अध्यक्ष हैं, ने मंत्री महोदय से इसकी व्यवहारिकता के सम्बन्ध अनौपचारिक रूप से पूछा था।

किन्तु औपचारिक रूप से इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव न तो सोवियत संघ को भेजा गया था और न ही सोवियत संघ द्वारा इस प्रकार की कोई पेशकश की गई थी।

श्री चित्त बसु : सी० सी० आई० के अध्यक्ष उस समय सहायक कम्पनियों में से एक के अध्यक्ष थे। उससे वास्तविक स्थिति में कोई अन्तर नहीं पड़ता।

अध्यक्ष महोदय : उस अर्थ में नहीं पड़ता जिसमें चित्तबसु सोंप रहे हैं।

श्री चित्त बसु : मंत्री महोदय ने कहा कि कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं था।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई अनौपचारिक प्रस्ताव था ।

श्री विक्रम महाजन : दोनों के बीच में मात्र साधारण बातचीत हुई । मुझे बस यही कहना है । इस विषय पर न तो उनकी ओर से और न ही हमारी ओर से कोई औपचारिक प्रस्ताव किया गया है ।

श्री चित्त बसु : मैंने यह नहीं कहा कि आपने पहले से ही प्रस्ताव भेज रखा है । मेरे प्रश्न में मुख्य बल इस बात पर दिया गया है कि क्या इस प्रयोजन के लिए आपने सोवियत दल को बुलाया है अथवा बुलाने के संबंध में विचार किया है और सोवियत दल की प्रक्रिया क्या रही

विक्रम महाजन : मैंने कहा "नहीं"

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यदि "नहीं" तो क्यों नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : यदि 'हां' तो हां क्यों ?

श्री चित्त बसु : आदरणीय मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्होंने इस प्रकार की परियोजना के सम्बन्ध में सोवियत रूस से औपचारिक रूप से नहीं कहा है ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि खुली खानों की लागत कम है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का खुली खानों की वर्तमान 30 लाख टन करने की क्षमता को बढ़ाकर 100 लाख टन करने का प्रस्ताव है, और यदि है, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में विशेष रूप से कौन से कदम उठाए हैं ।

श्री विक्रम महाजन : यह सत्य है कि खुली खानों में कम लागत आती है, काम जल्द आरम्भ होता है और भारत सरकार बड़ी बड़ी खुली खाने आरम्भ करने की योजना बना रही है और वास्तव में हमने 100 लाख टन से भी अधिक क्षमता वाली कुछ खानों, दुधिछुआ में 100 लाख टन, जयन्ती में 90 लाख टन मुकन्द में 120 लाख टन और निगाही में 140 लाख टन की पहले से ही योजना बनाई है । हम अधिक क्षमता वाली खुली खानों की योजना तैयार कर रहे है ।

फर्रुखाबाद जिले को सीधी ट्रंक डायलिंग से जोड़ना

*252. श्री दयाराम शाक्य : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फर्रुखाबाद जिला (उत्तर प्रदेश) को सीधे ट्रंक डायलिंग से जोड़ने का है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं जब कि फर्रुखाबाद आलू निर्यात करने का एक बड़ा केन्द्र है और इस क्षेत्र के व्यापारी सीधी ट्रंक डायलिंग सेवा न होने से बड़ी कठिनाई का सामना कर रहे हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि कभी-कभी व्यापारियों को अपना ट्रंक काल बुक कराने के बाद लगभग 24 घंटे ही तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है लेकिन ट्रंक काल नहीं मिल पाते ; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां। सातवीं योजना में मौजूदा मैनुअल एक्सचेंज का स्वचलीकरण करने के पश्चात फर्रुखाबाद जिले (उत्तर प्रदेश) से सीधी उपभोक्ता ट्रंक डाईलिंग सेवा प्रदान करने की योजना है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) : इस स्थान से ट्रंक काल मिलाने में सामान्यतः उतना ही विलंब होता है जितना अन्य स्थानों से। तथापि, फर्रुखाबाद एक्सचेंज का स्वचलीकरण करने और इसे कानपुर ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज के साथ जोड़ने के पश्चात् ट्रंक सेवाओं में पर्याप्त सुधार होने की संभावना है। फर्रुखाबाद-कन्नोज और फर्रुखाबाद-कैमगंज सेक्शनों के बीच अतिरिक्त 8 चैनल/3 चैनल कैरियर प्रणाली स्थापित करने की भी योजना है। शीघ्र ही अतिरिक्त ट्रंक बोर्ड भी चालू किए जा रहे हैं।

श्री दया राम शाक्य : मंत्री महोदय ने उत्तर में कहा है कि फर्रुखाबाद से ट्रंक काल मिलाने में सामान्यतः उतना ही बिलम्ब होता है जितना अन्य स्थानों से। पिछले महीने मैंने अनेक स्थानों से ट्रंककाल मिलाया है और मुझे कहीं एक घंटे में, कहीं दो या तीन घंटे में मिल जाता था परन्तु दिल्ली से फर्रुखाबाद मिलाने और फर्रुखाबाद और फर्रुखाबाद से दिल्ली मिलाने के लिए मैंने तीन महीने से लगातार कोशिश की है लेकिन एक बार भी ट्रंककाल नहीं मिला जबकि मंत्री जी कहते हैं कि उतना समय लगता है जितना अन्य स्थानों से। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह कोई ऐसा व्यवस्था करेंगे कि कम से कम जिला केन्द्रों से दिल्ली और दिल्ली से जिला केन्द्रों तक ट्रंकाल पर बात करने की व्यवस्था हो सके जबकि आज देखने में में आता है कि इस प्रकार की सुविधा नहीं है ?

तो जो सांसदों को अधिकतम सीमा स्थानीय काल्स की 15,000 की दी गई है वह भी पूरी नहीं होती है और ट्रंक काल्स भी नहीं मिलती हैं, मिलती भी है तो मुश्किल से मिलती हैं। तो क्या मंत्री जी व्यवस्था करेंगे कि स्थानीय काल्स पूरी न होने पर 15,000 ट्रंक काल्स जो होती हैं उनका 15,000 लोकल काल्स में एडजस्ट करने की कृपा करेंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का संबंध है, वह इस प्रणाली में सुधार करना चहते हैं। यह फर्रुखाबाद के टेलीफोन केन्द्र के स्वाचालीकरण के पश्चात् ही किया जा सकता है और इसे छठी योजना में पूरा किया जाना है। 1983-84 के लिए उपस्करों का आवंटन किया गया है। जहां तक दूसरे भाग का संबंध है, वह एक सुझाव है। और मैंने इसे नोट कर लिया है।

श्री दया राम शाक्य : मंत्री जी ने स्वाचालित एक्सचेंज के बारे में कहा कि उसको चालू करना स्वीकृत कर दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि कब से और किस वर्ष तक यह एक्सचेंज वहां चालू हो जाएगा ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने यही जवाब दिया है। यह निर्णय पहले ही लिया जा चुका है और 1983-84 के लिए प्राणात्मक रूप में उपस्कर आवटित किए जा चुके हैं।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, जब टेलीफोन काम करेगा तभी तो ट्रंक काल होगी, अन्यथा नहीं। सबका टेलीफोन खराब रहता है, और कल राज्य सभा में मंत्री जी ने कहा कि मेरा भी टेलीफोन खराब रहा। तो मंत्री जी ला-जवाब हैं, अगर खराब हो तो कहते हैं तुम वापस कर दो क्योंकि कांट्रैक्ट पर दिया गया है। जब इनका भी टेलीफोन खराब है फिर इस विभाग की क्या आवश्यकता है ? आप लोगों से पैसे लेते हैं, रोज गलत डायलिंग होती है, तो क्या मंत्री जी इस पोजीशन में हैं कि वह बतायें कि देश में किसी का टेलीफोन काम करता है ? यदि हां, तो किसका ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : दिल्ली के जितने टेलीफोन हैं उनमें से 1 लाख 90 हजार टेली-फोन लाइन्स काम कर रही हैं।

संचार मंत्री (श्री सी० एम स्टीफन) : सवाल यह है कि भारत में कोई ऐसा टेलीफोन भी है जो बिना किसी दोष के काम कर रहा है। मेरा जवाब है 'नहीं', ऐसा कोई फोन नहीं है क्योंकि वर्ष के दौरान भारत के प्रत्येक टेलीफोन में कभी न कभी कोई खराबी अवश्य आएगी। इसका अर्थ यह नहीं कि टेलीफोन प्रणाली ही दोष पूर्ण है।

श्री रामवतार शास्त्री : दो दो तीन तीन दिन डेड रहते हैं।

श्री सी० एम० स्टीफन : मुझे केवल यही कहना है। मुझे मालूम है कि हमारी प्रणाली दोषपूर्ण है।

मेरे माननीय मित्र गल्त नम्बर मिलने के बारे में पूछ रहे थे। दूसरे सदन में जब मैं इस मामले पर विचार कर रहा था तो मैंने एक पत्रिका में से अमेरिका में हुई एक घटना के सम्बन्ध में पढ़ कर सुनाया। अमेरिका के कोई व्यक्ति लांड्री में फोन करना चाहता था और उसका फोन अमेरिका के राष्ट्रपति के गुप्त फोन से मिल गया। इसका अर्थ यह हुआ कि वहां पर भी गल्त नम्बर, मिलते हैं। यह सब प्रणाली के अन्दर ही होता है। सर्वोत्तम प्रणाली में भी यह बात होती है। (व्यवधान) यदि प्रश्न यह है कि इसमें सुधार हो रहा है अथवा नहीं तो मैं एक तुलना कर सकता हूं। पिछले वर्ष भी मानसून आया था और इस वर्ष भी आया है। पिछले वर्ष केन्द्रीय क्षेत्र में, जहां संसद सदस्य, हम सभी, रहते हैं, कुल 174 केबल खराब हुए और इस वर्ष 23 हुए है। मैं कुल केबल्स की बात कर रहा हूं। यह एक महत्वपूर्ण बात है। कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि सभी फोन बिल्कुल ठीक हैं। प्रश्न तुलना का है... (व्यवधान) लोगों का प्रतिनिधि होने के नाते आपको मेरी बात सुननी होगी।

पिछले वर्ष जब मानसून शुरू हुआ, तो दक्षिणी क्षेत्र में 493 केबल लाइने खराब हुई थी, इस वर्ष यह संख्या 65 है। उत्तरी क्षेत्र में पिछले वर्ष यह 157 थी, इस वर्ष 21 है। पश्चिमी क्षेत्र में पिछले वर्ष कुल 458 केवल लाइने खराब हुई इस वर्ष 96 थी। मेरा यह निवेदन है कि पिछले वर्ष भी मैं ही मंत्री था और मेरे महाप्रबन्धक भी थे। मैं यह कहता हूँ कि पिछले वर्ष जब मानसून प्रारम्भ हुआ तो एक ही दिन में कुल 18,000 फोन खराब हो गए। आज कुल मिला कर यह संख्या 4000 से कम है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मानसून देर से आया है

श्री सी०एम० स्टीफन : मेरे मित्र ने जो प्रश्न पूछा... (व्यवधान) एशियाड क्षेत्र में पिछले वर्ष यह 493 था और इस वर्ष 65 है। इस वर्ष खराब होने वाली यह सर्वाधिक संख्या है।

मेरा अनुरोध यह है कि इस मामले पर बार-बार विचार किया गया है। यह एक ऐसा मामला है जिस पर इस सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं हो सकता कि चाहे जो भी हो जाए टेलीफोन प्रणाली के कुछ सीमा तक खराब होने की आशंका बनी रहेगी। विश्व में ऐसी कोई भी टेलीफोन प्रणाली नहीं है— यह संभव ही नहीं— जो प्रत्येक प्रकार की खराबी से बिल्कुल प्रतिरक्षित हो। किंतु आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी और जो मेरे आदरणीय सहयोग ने भी कही है कि दिल्ली में 2 लाख टेलीफोन है। प्रतिदिन औसत लगभग 4000 टेलीफोन खराब होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि बाकी सभी बिल्कुल ठीक होते हैं। किन्तु आज यह मेरा फोन है, कल आपका हो सकता है और परसों किसी अन्य व्यक्ति का। इसका अर्थ यह हुआ कि टेलीफोन का खराब होना हम सभी— को समान रून से बर्दाश्त करना होगा।

इसलिए, जहां तक इस वर्ष का सम्बन्ध है, केवल संसद सदस्यों पर ही इसका प्रभाव नहीं पड़ा है बल्कि संचार मंत्री भी कष्ट भोगी है। उसके फोन भी परसों खराब थे और एक फोन अभी तक खराब है।

यह एक ऐसी सीधी स्थिति है जिसे हमें समझना चाहिए। दिल्ली या कलकत्ता जैसे नगर में जहां काम चल रहा है केवल्स में व्यवधान हो सकता है अथवा पानी इसके अन्दर जा सकता है और टेलीफोन खराब हो सकते हैं। मैं इस बात से अत्यंत सन्तुष्ट हूं कि इस एक वर्ष के दौरान किए गए काम के परिणाम स्वरूप, मानसून के बावजूद, केबल प्रणाली प्रभावी ढंग से मानसून का मुकाबला कर सकी। हम धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं और आज संचार मंत्री के रूप में मैं एक अत्यंत संतुष्ट व्यक्ति हूं कि काफी सुधार हुआ है और आप सब इस बात से सहमत होंगे।...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न, श्री विजय राघवन

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, आप कहें, आपकी बात मैं मान लूंगा, लेकिन आपका टेलीफोन खराब रहे, मेरा टेलीफोन खराब रहे...

अध्यक्ष महोदय : सवाल का टाइम हो गया।

श्री मनी राम बागड़ी : लेकिन इसको जरा संजीदगी से देखना चाहिए। मंत्री जी के बस की बात नहीं है, तब भी कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए कि इस तकलीफ को कैसे दूर किया जाये।

को होने वाली सदन की बैठक के लिए प्रश्न औषध नीति का पुनरीक्षण

*254. श्री रेणु पद दास : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधियों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता, अच्छी किस्म की औषधियों के उत्पादन तथा प्रौद्योगिक आत्म निर्भरता प्राप्त करने में औषध सम्बन्धी नई नीति के असफल रहने को ध्यान में रखकर उसका पुनरीक्षण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) 1978 की औषध नीति के दो उद्देश्य इस प्रकार हैं : औषध प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और आयात की मात्रा को करने की दृष्टि से औषधों के उत्पादन में शीघ्र आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखना। 1978 की औषध नीति का कार्यान्वियन किया जा रहा है। देश फार्मुलिशनों के मामले में लगभग आत्मनिर्भर है, आयात मामूली है। देश में प्रयुक्त बल्क औषधों के कुल मूल्य की प्रतिशतता के रूप में बल्क औषधों के आयात का मूल्य (सी० आई० एफ०) वर्ष 1978-79 में 28.46% से घटकर वर्ष 198081 में 26.6% रह गया और बाद के वर्षों में इसके और घटने की आशा है। सल्फामेथोक्साजोल, ट्राइमेथोप्रिम, मेट्रोनिडाजोल आदि जैसे महत्वपूर्ण बल्क औषधों के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त की गई। स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास किया गया और उसे उपरोक्त अनेक औषधों के मामले में कार्यान्वित किया गया। औषधों और भेषजों के निर्यात में भी 1978-79 में 69.02 करोड़ रुपये से वर्ष 1980-81 में 95.41 करोड़ रुपये तक की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। निर्यात के लाभ से औषधों और भेषजों के आयात बिल के बढ़ते अंश को पूरा किया जाता है और यह आशा की जाती है कि आने वाले वर्षों में निर्यात लाभ से आयात बिल पूर्णतया पूर्ति हो जायगी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

औषधियों के मूल्यों में वृद्धि

*246 श्री ए० नीला लोहिथावसन नाडार : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के अनुसार गत दो वर्षों के दौरान औषधि के मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ;

(ख) औषधियों के मूल्य में यह वृद्धि किन कारणों से हुई, और

(ग) मूल्य कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ;

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान औषधों और दवाईयों के थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि की दर तथा उसकी तुलना में सभी वस्तुओं को मिलाकर उन में हुई वृद्धि निम्न प्रकार है :—

1970-71 = 100 = आधारवर्ष

वर्ष	औषध और दवाईयां	सभी वस्तुओं को मिला कर
1979-80	135.2	217.6
1980-81	137.5	257.1
1981-82	151.6	280.4

(ख) ये वृद्धियां इन्पुट्स की लागत में वृद्धि के कारण हुई । इसका एक मुख्य पहलु अगस्त, 1979 और जून, 1980 में पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करता था ।

सरकार ने मार्च, 1978 में जब वर्तमान औषध नीति की घोषणा की, इसने औषधों के मूल्यों में भी आरंभ में एक वर्ष के लिए रोक लगा दी । मार्च, 1979 में एक नया मूल्य घोषित किया गया । इसके कार्यान्वियन के लिए विस्तृत नीति तथा पद्धति के सम्बन्ध में सरकार अन्तिम निर्णय केवल अगस्त, 1980 में ही ले सकी । तब तक मूल्यों पर रोक लगी रही ।

औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1979 में लागत के अध्ययनों के आधार पर मल्य पुनरीक्षित करने की व्यवस्था है । चूंकि रोक की अवधि के दौरान इन्पुट्स के मूल्य में वृद्धि हुई थी, इसलिए उनका इकट्ठा प्रभाव बाद के मूल्य सन्शोधनों में प्रकट हुआ ।

(ग) चूंकि औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1979 के अधीन लागत, अध्ययनों के आधार पर मूल्य निर्धारित किए जा रहे हैं, अतः पुनरीक्षण के फलस्वरूप पहले विद्यमान मूल्यों में कमी तथा वृद्धि हुई है।

सरकार ने उत्पादन लागत को कमकरने तथा उसके परिणाम स्वरूप औषधों के मूल्यों को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) डैपसोन, इनसुलिन, थियासेटजोन, एथमबुटोल रिफेमपिसिन, टैट्रासाइक्लिन, हाइड्रोक्लोराइड की तरह की तीस आवश्यकता तथा जीवन रक्षक औषधों पर आधारित दवाईयों को उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

(2) टैलोथेन, सी० सी० एन० यू० रिफेमापिसिन, विनाक्रिस्टाइन सल्फेट की तरह की 32 (बत्तीस) आवश्यक तथा जीवन-रक्षक प्रपुंज औषधों को देश में आयात करने के मामले में सीमाकर शुल्क से छूट दी गई है।

(3) आवश्यक औषधों के स्वदेशी उत्पादन के लिए अपेक्षित-नोवल डियामाइन, डी. एल. 2 अमीनोबुटानोल, गुयामिडीन नाइट्रेड 6-एपीए की तरह के वे इस औषध इण्टरमीडिएट्स के आयात पर सीमा-शुल्क के रियायती दर प्रदान किए गए हैं।

(4) वित्त मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 22 सितम्बर, 1981 द्वारा 129 जीवन रक्षक औषधों तथा दवाइयों के आयात पर सीमा शुल्क से छूट स्वीकृत की गई है।

कोयले की उत्पादन और वितरण व्यवस्था पर पुनर्विचार

*250 श्री अमर राय प्रधान : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले की वर्तमान उत्पादन और वितरण व्यवस्था की क्रियान्विति उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में गंभीर संकट के लिए जिम्मेदार हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार तुरन्त उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए इस मामले की जांच करने हेतु संसद सदस्यों की एक समिति बनाने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो बहुत से क्षेत्रों को भारी नुकसान क्यों उठाना पड़ रहा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

वर्तमान सरकार के सत्ता में आ जाने के बाद जो कदम उठाए गए उनके फलस्वरूप कोयले के उत्पादन में विशेष रूप से वृद्धि हुई है। वर्ष 1980-81 में 114 मिलियन टन का रिकार्ड उत्पादन हुआ था जबकि इसकी तुलना में 1979-80 में 104 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था और इस प्रकार वृद्धि की दर 9.7% रही थी। वृद्धि की यह प्रवृत्ति 1981-82 में कायम रखते हुए उस वर्ष लगभग 125 मिलियन टन उत्पादन का नया रिकार्ड स्थापित किया गया। यह उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 9.6% अधिक था। चालू वर्ष की पहली तिमाही में भी उत्पादन पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में 8% अधिक रहा है।

कोयले के उत्पादन में वृद्धि के अनुरूप ही उपभोक्ताओं को कोयले के प्रेषण में भी सुधार हुआ क्योंकि 1980-81 की तुलना में 1981-82 में 11.5% अधिक कोयला भेजा गया। इस वर्ष बिजली घरें, इस्पात कारखानों और सीमेंन्ट कारखानों को पिछले वर्ष की तुलना में क्रमश 21%, 3.2% और 20.5% अधिक कोयला प्राप्त हुआ रेलवे द्वारा कोयले के लदान 1980-81 के 780.75 वैगन प्रतिदिन की तुलना में 1981-82 में बढ़कर 18041267 वैगन प्रतिदिन हो गया। फिर भी, कुछ ऐसे उपभोक्ताओं को जिन्हें रेलवे वैगनों के आवंटन में अग्रता क्रम में नीचे रखती हैं, अपनी जरूरत का पूरा कोयला रेल द्वारा नहीं मिला जिसका कारण आवश्यता के अनुरूप वैगनों का उपलब्ध न होना था। कोयले के लदान में और भी सुधार सुनिश्चित करने की दृष्टि से रेलवे के साथ सभी स्तरों पर लगातार सम्पर्क रखा जा रहा है। निर्दिष्ट खानों में उपभोक्ताओं के लाभ के लिए भारी मात्रा में कोयले की बिना किसी प्रतिबन्ध के खुली बिक्री शुरू कर दी गई है। कोल इन्डिया लि० ने देश के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में कोयले के टाल भी खोलें हैं ताकि उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर अधिक कोयला उपलब्ध हो सके।

एम० आर० टी० पी० कम्पनियों की अधिकतम सीमा का बढ़ाया जाना

*253 श्री वी० एस० विजय राघवन : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, एम० आर० टी० पी० कम्पनियों की परिसम्पत्तियों की अधिकतम स्वीकार्य सीमा में वृद्धि करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) तथा (ख) वर्तमान में, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कम्पनियों की परिसम्पत्तियों की कोई विहित, अधिकतम अनुज्ञेय सीमा नहीं है। तथापि, यह धारण करतें हुये कि यदि माननीय सदस्य के ध्यान में एकाधिकार तथा अवरोध व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 20 (क) के अन्तर्गत वर्णित 20

करोड़ रु० की उच्चतम सीमा हो, तो यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान में, सरकार के पास एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरणता के उद्देश्य के लिए परिसम्पत्तियों की विद्यमान रौपिक उच्चतम सीमा में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बिजली घरों की कोयला की मांग में कटौती

*255. श्री सुनील मैत्रा :

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में योजना आयोग को सुझाव दिया है कि वर्ष 1983-84 के लिए बिजली घरों की कोयले की मांग में कटौती न की जाए ;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) बिजली घरों की कोयले की मांग में कटौती करके बिजली के उत्पादन में कैसे वृद्धि की जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) देश में विभिन्न विद्युत केन्द्रों की कोयले की आवश्यकता के बारे में सम्बन्धित एजेंसियों के साथ समय-समय पर समुचित परामर्श करके आवश्यकता निर्धारित की जाती है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विद्युत केन्द्रों को कोयले की आवश्यकता पूरी की जा रही है।

अखबारी कागज की आवश्यकता

*256. प्रो० रूप चन्द पाल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के दौरान हमारे देश में अखबारी कागज की कुल आवश्यकता कितनी थी ;

(ख) अखबारी कागज कितनी मात्रा में आयात किया गया ; और

(ग) आगामी तीन वर्षों के दौरान अखबारी कागज की संभावित आवश्यकता पूरी करने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) 3.65 लाख टन।

(ख) 3.16 लाख टन।

(ग) आगामी वर्षों के दौरान देश में अखबारी कागज की संभावित आवश्यकता अन्शतः आयातों के माध्यम से और अन्शतः स्वदेशी उत्पादन के माध्यम से पूरी करने की सरकार की योजना है। यह उल्लेखनीय है कि नेपा मिलों के अलावा, दो और मिलों, कर्नाटक और केरल में एक-एक, ने देश में अखबारी कागज बनाना शुरू कर दिया है।

दिल्ली टेलीफोन केन्द्रों को इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन केन्द्रों में बदलना

*257. श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या संचार मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार दिल्ली के कुछ वर्तमान टेलीफोन केन्द्रों को इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन केन्द्रों में बदलने का है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) इलैक्ट्रिनिक टेलीफोन केन्द्र वर्तमान टेलीफोन केन्द्रों की तुलना में किस प्रकार बेहतर होंगे;

(ग) इस प्रकार के एककों के लिए कितनी धनराशि का निवेश किया जाएगा और क्या इसके लिए आवश्यक उपकरणों का देश में ही निर्माण किया जाएगा अथवा उनका आयात किया जाएगा; और

(घ) क्या इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों के खुलने से विभाग उन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा जिनके नाम अब नए टेलीफोनों के लिए प्रतीक्षा सूची में हैं?

संचार मंत्री (श्री सी०एम० स्टीफन) (क) जी, हां। तीस हजारी, कनाट-प्लेस तथा केन्द्रीय सचिवालय एक्सचेंजों को 10,000 लाइनों के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रतिस्थापित करने का कार्यक्रम है।

(ख) वर्तमान एक्सचेंज इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज निम्नलिखित कारणों से इलेक्ट्रो-मेकेनिकल की तुलना में बेहतर माने जाते हैं:—

(1) बेहतर विश्वसनीयता तथा निष्पादन।

(2) नेटवर्क बचत।

(3) कम आवास स्थान की जरूरत।

(4) बेहतर संटिंग योग्यता।

(5) अनुरक्षण तथा संस्थापन प्रयासों में कमी।

(6) विशेष उपभोक्ता सुविधाओं की (स्थानीय एक्सचेंजों से) क्षमता।

(ग) तीस हजारी एक्सचेंज के प्रतिस्थापन कार्य की अनुमानित लागत लगभग 5 करोड़ रुपए हैं।

कनाट-प्लेस तथा केन्द्रीय सचिवालय एक्सचेंजों के प्रतिस्थापन कार्य की लागत का अनुमान लगाया जा रहा है।

अपेक्षित उपकरण का आयात किया जाएगा।

(घ) प्रतिस्थापन उपकरण से नए कनेक्शनों के लिए अतिरिक्त क्षमता नहीं उपलब्ध हो सकेगी। फिर भी, प्रतिस्थापन अपेक्षा के अतिरिक्त उपस्कर की योजना बनाई गई है जिससे उपरोक्त क्षेत्रों में प्रतीक्षासूची के आवेदकों को उत्तरोत्तर नए कनेक्शन देने में मदद मिलेगी।

सिन्दरी में कोयले पर आधारित पुराने उर्वरक संयंत्र का उपयोग

*258. श्री ए० के० राय : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय सिन्दरी उर्वरक संयंत्र में 50 कोक भट्टियों में से केवल 30 भट्टियों का नवीकरण किया जा रहा है, यदि हां, तो इस आंशिक नवीकरण के क्या कारण हैं,

(ख) क्या उन्हें मालूम है कि कोयले पर आधारित पुराने उर्वरक संयंत्र में वे सभी आधारभूत सुविधाएं हैं जिनके आधार पर वह कोयला क्षेत्र में कोयले पर आधारित एक स्वतः पूर्ण रसायन कारखाना बन सकता है जिससे राष्ट्रीय जरूरत को पूरा किया जा सकता है और इस समय फालतू जनशक्ति को लाभप्रद रूप से खपाया जा सकता है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे वार तथ्य क्या हैं और क्या कार्यवाही की गई है;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां। कोयला भट्टियों में आंशिक नवीकरण का प्रमुख कारण यह है कि कोयला और कोक गैस की सप्लाई और उप-उत्पाद खंड के रख-रखाव के लिए वर्तमान उपकरण और सेवाएं निर्धारित क्षमता पर संचालन के लिए काफी पुराने हो गए हैं। इस समय सहायक उपकरण और सेवाओं का उपयोग 50 प्रतिशत क्षमता तक किया जा सकता।

(ख) और (ग) सिन्दरी के पुराने उर्वरक संयंत्र ने सेमी-वाटर गैस प्रौद्योगिकी अपनाई है जो कोक के गैसफिकरण पर आधारित है। यह प्रौद्योगिकी अधिक व्यवहार्य नहीं है इसलिए कोयले के प्रत्यक्ष गैसफिकरण की आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित रसायन संयंत्र की स्थापना के लिए पुराने संयंत्र के उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा सकता।

टेलीफोनों के दुरुपयोग और बिल अधिक बनाने को रोकने के लिए उपकरण

*260. श्री एच०एन० नन्जे गौडा :

श्री डी०एम० पुत्ते गौडा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या टेलीफोनों के दुरुपयोग और बिल अधिक बनाने को रोकने के लिए टेलीफोन प्रयोक्ताओं की अलग-अलग लाइनों में स्वचालित मीटर प्रक्षेप उपकरण लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें टेलीफोन प्रयोक्ताओं के आवासों में नहीं बल्कि टेलीफोन केन्द्रों में लगाया जाएगा ;

(ग) यदि हां, तो ये उपकरण किन कारणों से टेलीफोनों प्रयोक्ताओं के आवास पर नहीं लगाया जाएगा ;

(घ) क्या एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर टेलीफोन प्रणाली के एक्सटर्नल प्लांट नेटवर्क को मजबूत बनाने, विभिन्न उपाय करने हेतु कोई "टास्क फोर्स" गठित किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और टेलीफोन सेवाओं को सुधारने में यह कहां तक कारगर होगा ?

संचार मंत्री (श्री सी०एम० स्टीफन) : (क) डाक तार विभाग ने बिलों से सम्बन्धित शिकायतें प्राप्त होने पर उपभोक्ताओं की लाइनों का प्रेक्षण करने के लिए कुछ आटोमैटिक मीटर आबजरवेशन उपस्कर प्राप्त किए हैं जिससे बिलों के निपटान में सहायता मिलेगी ।

(ख) जी हां ।

(ग) तकनीकी और आर्थिक कारणों से इस उपकरण को उपभोक्ता के अहाते में संस्थापित न करने का निर्णय लिया गया है ।

(घ) दिल्ली और कलकत्ता में बाहरी संयंत्रों को उन्नत बनाने के लिए कार्य बल स्थापित किए गए हैं ।

(ङ) विवरण 1 और 2 के अनुसार कलकत्ता और दिल्ली के कार्य बलों के कार्यक्रम के ब्योरे सभा पटल पर रखे जा रहे हैं ।

इन उपायों से केबलों की क्षति और चोरी के कारण सेवा में होने वाली खराबियों में कमी आएगी । अन्य शहरों में भी इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है ।

विवरण-1

दिल्ली कार्य बल के कार्यक्रम के ब्यौरे

क्रम संख्या	कार्य का नाम
1.	भूमिगत केबिलों का दाबीकरण
	(क) जंकशन केबिल
	(ख) मुख्य केबिल
	(ग) गौण केबिल
	(घ) मौजूदा दाबीकरण केबिलों में लीक करने वाले केबिलों की संख्या कम करना
2.	केबिलों की डक्टिंग
3.	आधा डक्ट्स
4.	नीचे के क्षेत्रों में कैबिनेटों और खम्भों को ऊंचा करना
5.	केबिल प्रतिस्थापन/और बढ़ोतरी
6.	डीपी और उपभोक्ता फिटिंग की पुनः संस्थापन
7.	कैबिनेटों और खम्भों में जम्परों को संवारना
8.	बहु-मंजिल इमारतों की ब्लाक वायरिंग

विवरण-2

कलकत्ता कार्य बल के कार्यक्रम के ब्यौरे

क्रम संख्या	कार्य की मद
1.	भूमिगत केबिलों का दाबीकरण
2.	केबिलों के लिए डक्टिंग
3.	केबिल क्रीफिंग
4.	पाइपों में पिछली गहराई
5.	कैबिनेटों और खम्भों का संस्थापन
6.	मैट्रो रेलवे के लिए केबिलों का विपथन
7.	केबिलों को सीधा करना तथा उसकी पुनः व्यवस्था
8.	बुरी तरह क्षतिग्रस्त केबलों का प्रतिस्थापन
9.	मुख्य मार्ग के साथ-साथ पाइप बिछाना

"गांधी" फिल्म का अनुमोदन

*261. श्री राम विलास पासवान : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेंसर बोर्ड ने "गांधी" फिल्म को अन्तिम रूप से अनुमोदित कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे देश भर में कब दिखाया जा सकेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) (क) जी, नहीं। फिल्म को अभी केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना है।

(ख) फिल्म के भारत में चालू वर्ष के अन्त तक प्रदर्शित किए जाने की संभावना है।

दोष युक्त गैस सिलेंडरों का निर्माण

*262. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 26 जून, 1982 के साप्ताहिक ब्लिट्ज के मुख पृष्ठ पर "यह गैस का सिलेंडर-कातिल आपके घर छुपा हुआ है" शीर्षक के समाचार की ओर दिलाया गया है।

(ख) यदि हां, तो दोषयुक्त गैस सिलेंडर सप्लाई करने के लिये उत्तरदायी गैस सिलेंडर निर्माण करने वाली कम्पनी के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) क्या सरकार इस आशय के आदेश जारी कर रही है कि दोषयुक्त सिलेंडरों द्वारा हुई दुर्घटनाओं के कारण हुई हानि का मुआवजा सम्बन्धित कम्पनी द्वारा अदा किया जायेगा।

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) (क) जी, हां,

(ख) लेख में उद्धृत कोई भी दुर्घटना तेल कम्पनियों द्वारा सप्लाई किये गये दोषपूर्ण सिलेंडरो में खाना पकाने की गैस सप्लाई किये जाने के कारण नहीं हुई है। एल० पी० जी० सिलेंडरों का निर्माण और भरण गैस सिलेंडर नियम, 1981 के द्वारा विनियमित किया जाता है। इन नियमों के अंतर्गत हर सिलेंडर निर्माता के लिये अनिवार्य है कि वह एल० पी० जी० सिलेंडरों के निर्माण के लिये मुख्य विस्फोटक नियंत्रक से पूर्व अनुमति प्राप्त करे। सभी एल० पी० जी० सिलेंडरों का निर्माण भारतीय मानक संस्थान (आई० एस० आई०) द्वारा निर्धारित विनिर्देशनों के अनुसार किया जाना होता है। तेल कम्पनियों द्वारा अनुमोदित निर्माताओं से केवल वही एल० पी० जी० सिलेंडर प्राप्त किये जाते हैं जोकि आई० एस० आई० द्वारा विधिवत प्रमाणित किये जाते हैं।

(ग) सभी एल० पी० जी० वितरकों के लिये यह आवश्यक है कि वह प्रसिद्ध बीमा कम्पनियों से सभी जोखिमों के लिये जिसमें व्यक्ति तथा सम्पत्ति को तिसरैत जोखिम (थर्ड पार्टी रिस्क), आग तथा विस्फोट शामिल हैं, तिसरैत बीमा (थर्ड पार्टी इंशोरेंस) करायें।

टेलीफोन सेवा को कुशल तथा दोषरहित बनाने का कार्यक्रम

*263 डा० कृपासिन्धु भाई : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन सेवा को कुशल तथा दोषरहित बनाने तथा शिकायतों की तुरन्त सुनवाई करने के लिए कोई व्यापक तथा समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है और राज्य की राजधानियों और महानगरों में ट्रांसमिशन प्रणाली का दर्जा बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है और यह कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ; और

(ग) टेलीफोन सेवा खराब होने और गलत टेलीफोन मिलने का बाहरी एजेंसियों द्वारा सर्वेक्षण कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और प्राप्त आंकड़े क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन : (क) जी, हां।

(ख) कलकत्ता और दिल्ली में बाह्य संयंत्रों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए कार्य बलों का गठन किया जा चुका है। इन ग्रुपों द्वारा यह कार्य प्रारंभ किया जा चुका है और इस कार्य को 1984 में पूरा करने का कार्यक्रम है।

अहमदाबाद में भी असंतोषजनक सेवा के कारणों का पता लगाने और सेवा को बेहतर बनाने का कार्यक्रम तैयार करने के लिए कार्यबल का गठन किया गया है। शिकायतों की संख्या में वृद्धि के कारणों का अध्ययन करने और सेवा सुधारने के लिए समयबद्ध कार्यवाही की योजनाएं बनाने के लिए सभा पटल पर रखे गए विवरण के अनुसार 21 शहरों में कार्य बलों का गठन करने लिए कर्यवाई आरंभ की जा चुकी है।

(ग) विभाग टेलीफोन जिलों में दक्षता कक्षों के माध्यम से सर्वेक्षण कर रहा है जो महाप्रबंधकों/जिला प्रबंधकों को अपनी रिपोर्ट सीधे देते हैं। बाहरी एजेंसियों के माध्यम से सैंपल सर्वे करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

छोटे टेलीफोन जिलों की सूची जहां कार्य बलों का गठन किया गया है/किया जा रहा है :—

1. आगरा

2. अमृतसर
3. बड़ौदा
4. कोयम्बतूर
5. चंडीगढ़
6. एर्नाकुलम
7. गोहाटी
8. इंदौर
9. जयपुर
10. जालंधर
11. लुधियाना
12. लखनऊ
13. मदुरै
14. नागपुर
15. पटना
16. राजकोट
17. सूरत
18. त्रिवेन्द्रम
19. वाराणसी
20. विजयवाड़ा
21. कालीकट

प्राइवेट कम्पनियों में काम कर रहे सेवानिवृत अधिकारी

*2654. श्री दिगम्बर सिंह : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें सम्पर्क अधिकारियों/एक्जीक्यूटिवों अथवा ऐसे व्यक्तियों जो उनके मंत्रालय से सेवानिवृत के बाद उद्योग में चले गये थे, के माध्यम से अपने मंत्रालय में औषधियों और मानव निर्मित वस्त्रों से संबधित अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा स्थापित किए गए बहुत नजदीकी सम्पर्कों की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय के प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के ऐसे अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने वर्ष 1978, 1979, 1980 के दौरान स्वैच्छिक सेवा निवृत मांगी थी और अधिवर्षता पर सेवानिवृत हुए थे और जिन्हें ऊंची परिलब्धियों और वेतन पर विभिन्न

औषध अथवा सिंथेटिक कम्पनियों में आकर्षक रोजगार मिल गया था; इनकी सेवानिवृति की तारीख क्या है, सेवानिवृति के समय उनकी आयु क्या थी और वे किस पद पर थे और उनका वेतन क्या था; और

(ग) अपने पुराने सम्पर्कों के माध्यम से उनके मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की साठ-गांठ से इन सेवानिवृत अधिकारियों के सम्पर्कों पर विशेष नियंत्रण करने के लिए उनका विचार क्या कार्यवाही करने का है।

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) एक शिकायत की जांच-पड़ताल की जा रही है।

(ख) रसायन और उर्वरक विभाग में कार्य कर रहे एक उप-सचिव को दिनांक 13 अप्रैल, 1978 से एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में खपाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जहां उन्होंने भेषजों के उत्पादकों के संघ में जाने से पूर्व दो वर्ष सेवा की। अप्रैल, 1978 में उनकी आयु 52 वर्ष की थी ; उनका मूल वेतन 2,000 रुपये प्रतिमाह था।

पेट्रोलियम विभाग में कार्य कर रहे एक सहायक को जुलाई, 1978 में स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उस समय उनकी आयु 49 वर्ष की थी ; उनका मूल वेतन 620 रुपये प्रतिमाह था। ऐसा पता चला है कि उन्होंने संश्लिष्ट फाइबर उत्पादन करने वाली एक कम्पनी में रोजगार प्राप्त कर लिया है।

इन दोनों मामलों में प्राइवेट रोजगार प्राप्त करने में सरकार की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं था।

(ग) अनुदेश जारी कर दिये गये हैं कि समय तय करके आगुन्तकों से केवल अवर सचिव और उनसे ऊपर के दर्जे के अधिकारी ही मिल सकते हैं।

सातल कत्था एन्ड कैमिकल (प्राइवेट) लिमिटेड उज्जैन; सूर्य कार्पोरेशन, बम्बई, और आर० के० ददिया कम्पनी, बम्बई

2655. श्री राम सिंह शाक्य : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातल कत्था एण्ड कैमिकल (प्राइवेट) लिमिटेड, उज्जैन, सूर्य कार्पोरेशन, बम्बई और आर० के० ददिया कम्पनी बम्बई का एक ही मालिक है, जिसका मुख्यालय उज्जैन दौलतगंज में स्थित है;

(ख) इन कम्पनियों की स्थापना और पंजीकरण कब कब हुआ था तथा उनमें कितनी-कितनी पूंजी लगाई गई थी ;

(ग) इनमें से प्रत्येक कम्पनी के भागीदारों/मालिकों और निदेशकों के नाम क्या हैं तथा उपरोक्त कम्पनियों में इनमें से प्रत्येक ने तारीख-बार कितनी कितनी पूंजी लगाई है ;

(घ) क्या उपरोक्त फर्मों और कम्पनियों की पूंजी में इक्विटी शेयर पूंजी की कुछ प्रतिशतता भी शामिल है ; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षबार इन कम्पनियों की प्रमुख व्यापारिक गतिविधियां क्या रहीं तथा उनका कितने मूल्य का व्यापारिक लेन देन रहा ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ङ) : प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित तीन कम्पनियों में से, केवल मै० सातल कत्था एण्ड केमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड ही अपने दौलतगंज उज्जैन, स्थिति पंजीकृत कार्यालय सहित कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत 28 नवम्बर, 1979 को पंजीकृत की गई थी। तथापि, अन्य दो कम्पनियां अर्थात् सूर्य कारपोरेशन, बम्बई और और आर० के० ददिया कम्पनी बम्बई, कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है और इसके परिणामस्वरूप इस विभाग में उनके सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

मै० सातल कत्था एण्ड केमिकल्स (प्राइवेट) लिमिटेड के 31 दिसम्बर, 1980 तक के तुलन-पत्र के अनुसार, कुल लगाई पूंजी जो उसकी आंकी गई 8.59 लाख रु० की परिसम्पत्तियों के कुल मूल्य का वर्णन करती है, उसमें से 7.62 लाख रु० की राशि के इक्विटी शेयर का 88.7 प्रतिशत निर्धारण करती है।

कम्पनी में चार निदेशक हैं और कम्पनी रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश, को प्रस्तुत उसके अन्तिम तुलन–पत्र के अनुसार उसके निदेशकों में से प्रत्येक के द्वारा लगाई गई पूंजी निम्न प्रकार है :—

1.	श्री कृष्ण गोपाल राठी	1,47,000 रु०
2,	श्री जमना प्रसाद राठी	1,47,410 रु०
3,	श्री हुकम चन्द राठी	1,60,000 रु०
4.	श्री पुरषोत्तमदास राठी	1,65,000 रु०

कम्पनी का मुख्य व्यापार कत्था बनाना और वन उपज है। तथापि, कम्पनी ने 31 दिसम्बर, 1980 तक अपने व्यापार की कोई गतिविधि प्रारम्भ नहीं की थी और उसका उस तारीख को कारोबार कुछ नहीं था।

पोटाशियम क्लोराइड तथा रेड फासफोरस का वार्षिक उत्पादन

*2656 श्री के राममूर्ति : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में पोटाशियम क्लोराइड तथा रेड फासफोरस का वार्षिक उत्पालन कितना हुआ ; और

(ख) क्या मांग की पूर्ति स्वदेशी उत्पादन द्वारा की जा रही है;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पोटाशियम क्लोरेट और लाल फास्फोरस का उत्पादन नीचे दिया गया है :—

(मात्रा टनों में)

वर्ष	पोटाशियम क्लोरेट	लाल फास्फोरस
1979-80	8706	921
1980-81	9011	988
1981-82	9324	954

(ख) जी, हां।

लारेंस रोड क्षेत्र में तेल मिलों के लिए 2 किलोवाट लोड के लाइसेंस

*2657 श्री निहाल सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डेसू दिल्ली नगर निगम ने लारेंस रोड में 2 किलोवाट लोड का प्रयोग करने वाले तेल मिलों को अब तक कितने विद्युत लाइसेंस जारी किए ;

(ख) डेसू ने अब तक किन लाइसेंस शुदा 2 किलोवाट लोड का प्रयोग करने वाले तेल मिलों को कनेक्शन दिए हैं ;

(ग) उनमें से उन लाइसेंसधारियों के नाम क्या हैं जो उन कनेक्शनों का उपयोग तेल मिलों से इतर प्रयोजनों के लिए कर रहे हैं।

(घ) क्या नियमों के अधीन डेसू ने कनेक्शन के दुरुपयोग के लिए उनसे 25 प्रतिशत अधिभार लगाया है ;

(ङ) इस सबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(च) क्या इस मामले में पूरी जांच की जायेगी; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी किए गए लाइसेंसों के आधार पर आयल मिलों के लिए 2-2 के डब्ल्यू के 240 विद्युत कनेक्शनों को स्वीकृत जारी कर दिया गया है।

(ख) उपाबंध के रूप में एक सूची संलग्न है। [ग्रंथालय में राखी गयी। देखिए संख्या एल टी-4325/82]

(ग) उपाबंध की 240 की सूची में से क्रम संख्या 1-216 पर दर्शाए गए लाइसेंसधारी

इन कनेक्शनों को आयल मिलों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी के 24 मामलों में कार्यस्थलों का निरीक्षण किया जा रहा है।

(घ) जी, हां। 216 मामलों के संबंध में कनेक्शनों के दुरुपयोग के लिए डेसू ने 25% अधिभार का प्रभार वसूल किया है।

(ङ) से (छ) : दुरुपयोग/अधिक भार सम्बद्ध करने के मामलों में डी. ई. सी. ओ., 1959 के प्रावधानों के अनुसार धारा 7 (2) तथा 7 (6) के अन्तर्गत 48 घंटे का नोटिस देने के पश्चात् विद्युत सप्लाई काटी जा सकती है, लेकिन बड़े पैमानों पर श्रमिकों के बेरोजगार हो जाने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए उप राज्यपाल के आदेशों के अनुसार इस प्रकार की कठोर कार्यवाही नहीं की जा रही है। अनाधिकृत भार/ कनेक्शनों को नियमित करने के सारे मामले और/या इन पर कार्रवाई करने के लिए सचिव (एल. एस.) जी. की अध्यक्षता में समिति के विचाराधीन है, जिसमें डेसू, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा उद्योग विभाग का प्रतिनिधित्व है। इस बीच दिल्ली नगर निगम द्वारा अनुमोदित टैरिफ सूची के अनुसार अन्य जुर्माना यथा अधिक सम्बद्ध भार के कारण 25% अधिभार कर के रूप में तथा दुरुपयोग पर 50 पैसे प्रति यूनिट का प्रभार जुर्माना के रूप में ऐसे मामलों में अन्य कार्यवाई/जुर्माने के प्रभाव का पूर्वाग्रह न करते हुए प्रभार लिए जा रहे हैं।

गैस पर आधारित ताल

2658. **श्री आर० पी० गायकवाड** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार बम्बई तटदूर क्षेत्र से उपलब्ध सप्लाई के भण्डारण के लिए विभिन्न राज्यों में गैस पर आधारित संचय तालों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां ये संचय ताल स्थापित किए जायेंगे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के गैर-सरकारी/अंशकालिक निदेशक के बतौर नामित करना

2659. **श्री भीखाभाई** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों तथा उनके सहायक कार्यालयों की कुल संख्या कितनी है और उनके नाम क्या हैं जिनके निदेशक मण्डलों में गैर-शासकीय/अंशकालिक निदेशक नामित किए जाते हैं;

(ख) किस तारीख से ये मंडल गठित किए गए हैं और उनकी वर्तमान कार्य-अवधि कब समाप्त होगी तथा उक्त मंडलों में नामित किए गए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के गैर-सरकारी/अंशकालिक निदेशकों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार को नीति में इन मंडलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए कोई आरक्षण करने का प्रावधान है ; यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ; और

(घ) जिन संविधियों और अधिनियमों के अधीन इन उपक्रमों का गठन किया गया है यदि उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के गैर-सरकारी/अंशकालिक निदेशक नामित करने का कोई उपबन्ध नहीं है, क्या सरकार का विचार इन मन्डलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए जैसा कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में किया गया है ; संगत अधिनियमों में संशोधन करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) इस मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय फिल्म विकास नियम लि०, बम्बई और उसकी सहायक कम्पनी इंडिया इंटरनेशनल सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रम हैं।

(ख) फिल्म इंडिया इंटरनेशनल का निदेशक मंडल अभी तक गठित किया गया है क्योंकि इस संगठन को अभी सक्रिया नहीं बनाया गया है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का निदेशक मंडल 19-8-80 को गठित किया गया था तथा इसका वर्तमान कार्यकाल 18-8-1983 को समाप्त होगा। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का कोई निदेशक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित नहीं है।

(ग) और (घ) निदेशक मंडल के स्तर पर नियुक्तियां उम्मीदवार की जाति, पन्थ, धर्म या समुदाय का विचार किए बिना उसकी अर्हताओं, अनुभव तथा उपयुक्ता के आधार पर की जाती हैं। इसलिए, इस प्रयोजन के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसुचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं है और न ही इस प्रकार का आरक्षण करने का प्रस्ताव है।

कलकत्ता जी०पी०ओ० के लिए 20 मंजिले भवन का निर्माण

2660. श्री सुशील भट्टाचार्य : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता जी०पी०ओ० के लिए 20 मंजिले भवन को निर्माण की मंजूरी दे दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त भवन लगभग कितने समय में बन जाएगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कलकत्ता में प्रधान डाकघर भवन के पुनर्निर्माण हेतु मंजूरी दी गई है। इस उद्देश्य से दो कार्यालयों तथा प्रधान डाकघर कलकत्ता तथा रेल-डाक छंटाई डिवीजन कलकत्ता

जो कि मौजूदा भवन में कार्य कर रहे हैं, के लिए 1,57,717 वर्ग फुट अतिरिक्त आवास के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई है। कलकत्ता के पोस्टमास्टर जनरल ने पुनर्निर्माण किए जाने वाले भवन में कुछ अन्य कार्यालयों को भी स्थान दिए जाने का प्रस्ताव किया है। इस पर अभी भी विचार किया जा रहा है। भवन की मंजिलों की संख्या का निर्धारण स्थान की आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। 31-3-85 तक भवन का कार्य पूरा करने का प्रस्ताव है।

महानगरों में पाइपलाइन के माध्यम से रसोई गैस की सप्लाई

2661. श्री मोहन लाल पटेल : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महानगरों में पाइपलाइनों के माध्यम से रसोई गैस सप्लाई करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रयोग किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(घ) महानगरों में पाइपलाइन के माध्यम से रसोई गैस सप्लाई करने के प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) (क) इस मंत्रालय में ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

नरसापुर में तेल की खोज

2662. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नरसापुर में दो तेल अन्वेषक कुओं का छिद्रण करने में कितने वर्ष लगे ;

(ख) क्या गोदावरी बेसिन में नरसापुर और राजगोला कुओं से भूविज्ञान सम्बन्धी सर्वेक्षण के लक्ष्य पूरे होते हैं ; और

(ग) तेल और गैस क्षमताओं के रूप में यहां क्या परिणाम रहे हैं ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) (क) नरसापुर कूप नं० 1 में 4035 मीटर की गहराई में गैस मिली और इसे 4035 मीटर की गहराई तक पहुंचने में करीब एक वर्ष और आठ महीने लगे थे, जबकि लक्ष्य 5000 मीटर का था।

नरसापुर कूप नं० 2 को 3401 मीटर की गहराई, जबकि लक्ष्य 5000 मीटर का था, तक पहुंचने में एक वर्ष लगा और इस गहराई में इसमें जटिल समस्याएं उत्पन्न हो गई। कुएं को ठीक करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) धमाके के साथ गैस के निकलने के कारण नरसापुर कूप नं० 1 से भूगर्भीय उद्देश्यों की प्राप्ति न हो सकी जबकि नरसापुर कूप नं० 2 में खुदाई की जटिलताएं सामने आई। राजोल कूप नं० 1 का काम प्रायोजित गहराई तक पूरा कर लिया गया है और परीक्षणाधीन है।

(ग) सभी तीन कूपों में खुदाई के दौरान केवल गैस के संकेत पाये गए हैं। अतिरिक्त कूपों की खुदाई/परीक्षण किया जाता है, ताकि उस क्षेत्र में हाइड्रोकार्बनों की संभावित मात्रा निश्चित की जा सकें।

पटना के गांवों का विद्युतीकरण

2663. श्री रामावतार शास्त्री : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के पटना जिले के सभी गांवों का विद्युतीकरण नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे गांवों की संख्या क्या है और इन गांवों का विद्युतीकरण न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इन गांवों का विद्युतीकरण 1982-83 में करने का निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां। बिहार के पटना जिले में मार्च, 1982 के अन्त तक 1311 गांवों में से 1164 गांवों को विद्युतीकृत कर दिया गया था।

(ख) 31-3-1982 की स्थिति के अनुसार पटना जिले में 147 गांवों को अभी विद्युतीकृत किया जाना था। ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों में इन गांवों को विद्युतीकरण के लिए शामिल कर लिया गया है।

(ग) और (घ) परियोजनाओं के अन्तर्गत परिकल्पित निर्माण कार्यक्रम के अनुसार ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के अन्तर्गत शेष 147 गांवों को विद्युतीकरण के लिए शामिल किया गया है तथा इन गांवों के मार्च, 1985 तक विद्युतीकृत किए जाने की संभावना है।

सिन्दरी स्थित छात्रावास से स्कूल का अन्यत्र ले जाया जाना

2664. श्री रूद्र प्रताप षाडंगी : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या डिनोबली स्कूल जिसे एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा चलाया जाता है, को सिन्दरी में स्थायी छात्रावास से कहीं और ले जाने का विचार है और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) फर्टिलाइज़र कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के सिन्दरी यूनिट द्वारा अभी डिनोबिलि स्कूल को किराए पर दिए गए भवन से स्थानान्तरित करने का कोई विचार नहीं है। विद्यालय में एफ० सी० आई० और बी० डी० आई० एस० के कर्मचारियों के बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं दी जाती हैं।

दक्षिण भारतीय फिल्मों में सेक्स, नग्नता और अश्लीलता

2665. डा० ए० यू० आजमी : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण भारत के फिल्म निर्माताओं के मास्तिष्क में स्पष्ट धारणा है कि सेक्स बिकती है और इसके परिणमस्वरूप दक्षिण भारतीय फिल्मों का प्रमुख उद्देश्य सेक्स, नग्नता और अश्लीलता दिखाना है ;

(ख) क्या मद्रास सेंसर बोर्ड ने दक्षिण भारतीय फिल्मों में दर्शाई जा रही बढ़ती हुई नग्नता और अश्लीलता पर आपत्ति की है और वे इन फिल्मों में काट-छाँट करना चाहते हैं जिसके परिणमस्वरूप फिल्म निर्माताओं ने मद्रास सेंसर का बहिष्कार किया है और नई दिल्ली में आकर पैरवी की है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है और भारतीय फिल्मों विशेषकर दक्षिण भारतीय फिल्मों में नग्नता, हिंसा, मदिरापान और अश्लीलत रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे : (क) से (घ) : कोई व्यक्ति यह सामान्यकरण नहीं कर सकता और यह नहीं कह सकता कि दक्षिण भारत के सभी फिल्म निर्माता यह महसूस करते हैं कि सेक्स बिकती है तथा दक्षिण भारतीय फिल्मों का प्रमुख उद्देश्य सेक्स, नग्नता और अशिष्टता है। प्रभारीकरण के लिए फिल्म सेंसर बोर्ड को प्रस्तुत की जाने वाली फिल्मों में, अन्य दृश्यों के साथ साथ, सेक्स और नग्नता के दृश्य भी अवश्य होते हैं। तथापि, फिल्मों को प्रणालीकृत करने से पहले, बोर्ड उन दृश्यों को निकाल देता है जो मार्गदर्शी सिद्धातों के अनुसार आपत्तिजनक समझे जाते है। हाल ही में मद्रास सेंसर बोर्ड के कार्यकरण के बारे में शिकायतें हुई हैं, मुख्य आलोचना यह है कि बोर्ड के विभिन्न कार्यालयों द्वारा सेंसर शिप के विभिन्न मानक अपनाए जा रहे हैं और यह भी कि विभिन्न भाषाओं की फिल्मों के संबंध में अपनाए जाने वालें मनकों में भिन्नता है। भारत सरकार के उन अधिकारियों जिन्होंने 11-6-82 को मद्रास का दौरा किया था, को प्रस्तुत एक ज्ञापन में साऊथ इंडियन फिल्म चेम्बर आफ कामर्स (दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग के लिए कार्यरत) ने इस बात का उल्लेख किया कि "दक्षिण के फिल्म उद्योग को इस बात का खेद है कि स्थानीय क्षेत्रीय कार्यालय का 10 जून, 1982 से बहिष्कार करने का उग्र कदम उठाना आवश्यक हो गया।

तमिलनाडु के सूचना मंत्री श्री आर० एम० वीरप्पन की अध्यक्षता में 11-6-82 को एक बैठक हुई थी जिसमें अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सेंसर बोर्ड, तमिल नाडु सरकार के अधिकारी तथा फिल्म उद्योग के प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे। इस बैठक के परिणामस्वरूप, मामले को सौहार्दपूर्ण ढ़ंग से सुलझा लिया गया। भारतीय फिल्मों में नग्नता, हिंसा, मद्यपान तथा अशिष्टता की रोकथाम करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त बोर्ड को पहले ही जारी किए हुए हैं। मार्गदर्शी सिद्धान्तों की प्रति संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल टी -4326/82]

बस्ती जिले में दूत डाक सेवा

2666. श्री कृष्ण चन्द्र पांड़े: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) बस्ती जिले में कितने स्थानों पर दूत डाक सेवा उपलब्ध नहीं है ; और

(ख) सरकार ने बस्ती जिले में दूत डाक सेवा उपलब्ध कराने के लिए क्या व्यवस्था करने का विचार किया है। तथा वहां यह व्यवस्था कब तक हो जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना (क) : तुरन्त डाक सेवा केवल बस्ती नगर के लिए ही उपलब्ध है जो राज्य की राजधानी से जुड़ा हुआ है।

(ख) फिलहाल जिले के अन्य स्थानों पर तुरन्त डाक सेवा सुविधाओं के विस्तार की कोई योजना नहीं हैं।

उत्तर-प्रदेश में डाकघर भवनों की कमी

2667. श्री कृष्ण चन्द्र पांड़े : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर-प्रदेश में, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में डाकघर भवनों की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1982-83 के दौरान उत्तर-प्रदेश में कितने डाकघर भवनों का निर्माण करने का विचार है ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां। उत्तर-प्रदेश के उत्तरपूर्वी इलाकों सहित जिसमें देवरिया, गोरखपुर बस्ती, गोंडा तथा बहराइच जिले शामिल हैं ; सभी स्थानों पर विभागीय डाकघर इमारतों की कमी है।

(ख) उत्तर-प्रदेश में फिलहाल 5 डाकघर इमारतों का निर्माण कार्य चल रहा है। 12 और डाकघर इमारतों का निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष के दौरान करने पर विचार किया जा रहा है।

(ग) बजट प्राक्कलन 1982-83 तैयार करते समय उत्तर-प्रदेश में डाकघर इमारतें के निर्माण के लिए 49,32,000 रुपए का आवंटन किया गया है।

"ग्लास इंस्यूलेटर" का आयात

2668. श्री के० टी० कोसल राम : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य विद्युत बोर्ड को "ग्लास इंस्यूलेटर" आयात करने का परामर्श देने के क्या कारण हैं जब कि देश में बन रहे पोर्सिलोन इंस्यूलेटर से मांग पूरी की जा सकती है ; और

(ख) क्या पोर्सिलेन इंस्यूलेटर किसी के वैकल्पिक प्रयोग का पता लगाया गया है ताकि इसका उत्पादन करने वाली यूनिटें रुग्ण न होने पाएं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) राज्य बिजली बोर्डों को देश में उत्पादित पोसिलन इंसुलेटरों के स्थान पर आयातित ग्लास इंसुलेटरों की सलाह नहीं दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में भारतीय विधि संस्थान द्वारा किया गया अध्ययन

2669. श्री एन० डेनिस : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने आजकल संसदीय विशेषाधिकारों, उनके प्रेस तथा नागरिकों पर लागू होने के बारे में अध्ययन करने के लिए भारतीय विधि संस्थान से कहा है ; और

यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन नाथ कौशल) : (क) और (ख) भारतीय विधि संस्थान ने विधि आयोग की प्रेरणा पर संसदीय विशेषाधिकारों के विषय में कोई अध्ययन आरंभ नहीं किया।

केन्द्रीय अस्पताल, धनबाद, में उपचारिक रोगी

2670. श्री ए० के० राय : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनबाद स्थित केन्द्रीय अस्पताल में वर्ष 1980 व 1981 के दौरान तथा वर्ष 1982 के पहले छः महीनों में कितने अंतरंग रोगियों का उपचार किया गया तथा इन अवधियों में कितने रोगियों की मृत्यु हुई ;

(ख) क्या इस केन्द्रीय अस्पताल में अचानक ही इलाज का स्तर बहुत गिर गया है जिसके कारण कोयला खानों के श्रमिकों में जिनके इलाज के लिए यह अस्पताल बना था, भय तथा रोष पैदा हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाए गए है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस मामले की पूरी जांच कराने का है ?

कोयला ऊर्जा मंत्रालय के विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) उन रोगियों की संख्या नीचे दी गई है जिनकी केन्द्रीय अस्पताल, धनबाद में चिकित्सा हुई और जिनकी मृत्यु हुई :—

वर्ष	उन रोगियों की संख्या जिनकी चिकित्सा की गई	मृतकों की संख्या
1980	13967	634
1981	12800	454
1-1-82 से 30-6-82 तक	6296	253

(ख) चिकित्सा के स्तर में किसी प्रकार की भी गिरावट नहीं है। बल्कि, यह सब सुविधायें देकर सुधार ही किया गया है— नए बिस्तर, डनलपिल्लों बिछौने, स्टेनलेस स्टील की थालियां, गर्म भोजन की ट्रालियां, औषधियों के अनुदान में वृद्धि, भोजन शुल्क की अदायगी, जनरेटर, 24 घन्टे पानी की सप्लाई तथा अधिक विशेषज्ञों की तैनाती आदि।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सी० पी० सी० द्वारा आयातित सोडा-ऐश का निर्धारण मूल्य

2671. श्री वासुदेव आचार्य : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रीं यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने राज्य सभा में दिनांक 18 दिसम्बर, 1981 को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में यह बताया था कि सी०पी०सी० आयातित सोडा-ऐश की 10,000 टन मात्रा में से 8,000 टन मात्रा को 2000 रुपये प्रति टन से भी कम मूल्य पर नहीं आदि बेच सका ;

(ख) यदि हां, तो सी०पी०सी० ने आल इंडिया सिलिकेट मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन को यह कैसे सूचित किया कि सरकार ने कर, लैवी के अतिरिक्त 'एक्स-कांडला" मूल्य 2250 रुपये प्रति टन निर्धारित किया है ,

(ग) क्या सरकार मूल्य-निर्धारण में इस विसंगति को स्पष्ट करेगी,

(घ) क्या यह सच है कि सी०पी०सी० द्वारा सूचित प्रति टन के "एक्स-कांडला मूल्य" टाटा कैमिकल्स, सौराष्ट्र कैमिकल्स और घरंगधरा कैमिकल्स के 'एक्स-फैक्ट्री" मूल्य से अधिक है, और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का बचे हुए आयातित भण्डार का कैसे निपटान करने का विचार है ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) उस समय कांडला गोदाम के बाहर का मूल्य 2250 रुपये प्रति टन निर्धारित किया गया था। दि स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन (अब स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया का प्रभाग) ने अखिल भारयीय सिलिकेट निर्माता संघ को तदनुसार सूचित किया था।

(ग) मूल्य निर्धारण में कोई अनियमितता नहीं हुई।

(घ) जुलाई, 1981 में मैसर्स टाटा कैमिकल्स, मैसर्स सौराष्ट्र कैमिकल्स एवं मैसर्स धरंगधरा कैमिकल्स द्वारा निर्मित हल्के सोडा ऐश का कारखाने के बाहर का मूल्य 2142.76 रुपये से 2207.32 रुपये प्रति टन के बीच था। सी.पी.सी. (एस.टी.सी.) द्वारा आयातित सोडा ऐश का मूल्य, वास्तविक लागत जमा सी-पी.सी. के लाभ और गोदाम प्रभार के आधार पर काण्डला गोदाम के बाहर 2250 रुपये प्रति टन निर्धारित किया गया था।

(ङ) सी.पी.सी. (एस.टी.सी.) द्वारा आयातित सोडा ऐश की शेष मात्रा का प्रति टन मूल्य अब काण्डला और अंजर, गुजरात गोदामों के बाहर संशोधित करके 1,800/-रुपये प्रति टन कर दिया गया है। सी.पी.सी. (एस.टी.सी.) ने सभी वास्तविक उपभोक्ताओं से निविदा आमंत्रित करते हुए प्रेस विज्ञापन जारी किया है।

एम०आर०टी०पी० आयोग द्वारा वोल्टाज, गेस्ट कीन विलियम्स और पीको इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की जांच

2672. श्री बी० वी० देसाई : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीन और बड़ी कम्पनियों— वोल्टाज, गेस्ट कीन विलियम्स और पीको इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लि० के प्रार्थना पत्रों की जांच तथा रिपोर्ट के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग को भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त आयोग को मंत्रालय द्वारा और क्या-क्या मुद्दे भेजे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन बड़ी फर्मों की जांच करने के बाद आयोग ने क्या सिफारिशें की हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) आगे जांच करने तथा रिपोर्ट देने के लिए आयोग को विनिर्दिष्ट किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा, संलग्न विवरण में दिया जाता है।

(ग) उपरोक्त तीन प्रस्तावों पर आयोग को अभी अपने सुझाव देने हैं।

विवरण

आगे जाँच करने और रिपोर्ट देने के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को विनिर्दिष्ट प्रस्तावों के ब्यौरे

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	जिस धारा के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किया गया था और आयोग की विनिर्देश की तारीख	प्रस्ताव का रूप
1.	मै० वोल्टाज लि०,	22 (3) (ख) 21-5-1982	अर्थ मूविंग इक्यूपमैंट अर्थात (1) रबड़टायर्ड (व्हील्ड) लोडर्स- 1-साई-याड और/अधिक 100संख्या प्रतिवर्ष (2) क्रावलर (ट्रेक) डोजर्स 300एच०पी० और अधिक 100 संख्या प्रतिवर्ष के विनिर्माण के लिए महाराष्ट्र में नए उपक्रम की स्थापनार्थ।
2.	मैसर्स गेस्ट कीन विलियम्स लि०,	21 (3) (ख) 24-5-1982	नये मद नामश: स्टील वैल्डेड लिंक चैन/एसेम्बलीज के 3,400 टन प्रतिवर्ष के विनिर्माण के लिए हावड़ा पश्चिमी बंगाल में कंपनी के विद्यमान उपक्रम के भारी विस्तार को लागू करने के लिए।
3.	मैसर्स पीइको इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इलेक्ट्रीकल्स लि०,	21 (3) (ख) 25-5-1982	नये मद नामश: मिनी कम्पूटर/माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित प्रक्रिया के विनिर्माण के लिए, उपक्रम द्वारा पिम्परी जिला पुणे महाराष्ट्र में कम्पनी द्वारा विद्यमान उपक्रम का भारी विस्तार करने के लिए।

पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशकों के लिए अखबारी कागज का कोटा

2673. श्री एम० डेनिस : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि अखबारी कागज का कोटा ऐसी पत्र-पत्रिकाओं

के प्रकाशकों को दिया जाता है जो इन पत्रिकाओं को प्रकाशित तथा परिचालित नहीं करते ; और

(ख) इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) उन समाचार पत्रों और नियतकालिक पत्रों को अखबारी कागज आबंटित नहीं किया जाता जिनके प्रकाशन की नियमितता 50% से कम है।

सी०पी०सी० द्वारा सोडा-ऐश का आयात और उसका मूल्य

2674. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या पेट्रोशियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 में सी.पी.सी. द्वारा कितनी मात्रा में सोडा ऐश का आयात किया गया था और आयात कब किया गया,

(ख) सी.पी.सी. द्वारा आयातित सोडा ऐश की में उतरने की प्रति टन लागत क्या थी,

(ग) क्या यह सच है कि जबकि सी.पी.सी., जिसने 10,000 टन सोडा ऐश आयात किया था, उसमें से 2,000 टन से अधिक नहीं बेच सकी है, अन्य आयातकों ने इस बीच 3 लाख टन से अधिक मात्रा में सोडा ऐश बेचा,

(घ) सी.पी.सी. ने आयातित सोडा ऐश किस मूल्य पर बेचने के लिए पेशकश की थी,

(ङ) क्या यह सच है कि सी.पी.सी. द्वारा आयातित सोडा ऐश के कांडला बंदरगाह मूल्य में शुल्क, कर आदि जोड़े जाने के बाद इसका मूल्य स्वदेशी सोडा ऐश के मूल्य से अधिक हो जाता है,

(च) यदि हां, तो सरकार का विचार किस प्रकार अनबिके स्टाक को बेचने का है, और

(छ) क्या सरकार ने स्टाक के निपटान के लिए कोई अग्रेतर योजना बनाई है;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) नवम्बर, 1980 में सम्पन्न करार के अन्तर्गत जनवरी/फरवरी, 1981 में 9716 टन की मात्रा पहुँची।

(ख) दि स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन (अब स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया का रसायन प्रभाग) द्वारा आयातित सोडा ऐश का अवतरित मूल्य सी.पी.सी. के लाभ और गोदाम प्रभारों को छोड़कर :071 रुपये प्रति टन था।

(ग) सोडा ऐश का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत है। आयात सांख्यिकी का संकलन और प्रकाशन महानिदेशक, वाणिज्य आसूचना और सांख्यिकी कलकत्ता द्वारा किया जाता है। सामान्य आंकड़ों के संकलन और प्रकाशन में विलम्ब हो जाता है। दिसम्बर, 1980 के बाद की अवधि से सम्बन्धित आयात सांख्यिकी का अभी संकलन और प्रकाशन नहीं हुआ है।

वर्ष 1980-81 (दिसम्बर 1980 तक) में 0.84 लाख टन का आयात हुआ। अन्य आयातकों द्वारा 3 लाख टन सोडा ऐश की बिक्री की सूचना सरकार को नहीं है।

(घ) दि स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन (अब स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया का रसायन प्रभाग) द्वारा प्रस्तावित संशोधित मूल्य काण्डला और अंजर, गुजरात के गोदामों से बाहर 1,800/-रुपये प्रति टन है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) दि स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन (अब स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया का रसायन प्रभाग) ने काण्डला और अंजर, गुजरात गोदामों के बाहर 1,800 रुपये प्रति टन संशोधित मूल्य दर्शाते हुए सभी वास्तविक उपभोक्ताओं से निविदा आमंत्रित करने हेतु प्रेस विज्ञापन जारी किया है।

आयातित सोडा ऐश के बिना बिके स्टाक का मूल्य

2675. **श्री हन्नान मौल्लाह :**

श्री वासुदेव आचार्य : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी.पी सी. के पास इस समय कितने मूल्य का बिना बिका सोडा ऐश जमा है,

(ख) यह बिना बिकी मात्रा कितने समय से गोदामों में जमा है,

(ग) इसके लिए गोदाम-किराया, बीमा, ब्याज-राशि तथा प्रशासनिक अधिकारियों पर कितनी राशि अब तक खर्च की जा चुकी है,

(घ) क्या लम्बी अवधि तक माल को जमा रखने से वह खराब नहीं हो जाएगा, और

(ङ) इसे पूरी हानि दिखाकर बट्टे-खाते में डालने के बजाए सरकार का विचार इस सोडा ऐश का किस प्रकार निपटान करने का है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) 1.86 करोड़ रुपए

(ख) मार्च, 1981 से।

(ग) 31 मार्च, 1982 तक 51.31 लाख रुपये।

(घ) नवीनतम विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के अनुसार, इसकी क्वालिटी का स्तर गिरा नहीं है।

(ङ) सोडा ऐश की शेष मात्रा की कीमत कम करके एक्स-भंडार कांडला और अंजर, गुजरात पर 1,800/-रुपये प्रति टन कर दिया गया है। दि स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन (अब भारतीय राज्य व्यापार निगम का रसायन प्रभाग) ने वास्तविक उपभोक्ताओं से संविदा आमंत्रित करने के लिए समाचार-पत्रोंमें विज्ञापन दिए हैं।

जनपथ टेलीफोन केन्द्र का विस्तार

2676. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या जनपथ टेलीफोन केन्द्र की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विस्तार कार्यक्रम किस सीमा तक और कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ;

(ग) जनपथ टेलीफोन केन्द्र से नए टेलीफोन कनेक्शन कब तक दिए जाने का विचार है ; और

(घ) इस टेलीफोन केन्द्र में प्रत्येक श्रेणी में प्रतीक्षा सूची के किस तारीख तक के आवेदकों को फोन कनेक्शन दिए जाने की संभावना है ।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां ।

(ख) विस्तार योजनाए और इनका पूरा करने के लिए निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार हैं :-

(1) जनपथ-11 (32) 1000 लाइन (3000-4000) 13,7,82 को पूरा हो गया हैं ।

(2) जनपथ-11 (32) 2000 लाइन (4000-6000) 1983-84 के दौरान पूरा हो जाएगा ।

(ग) जनपथ एक्सचेंज के 1000 लाइनों के विस्तार का कार्य हाल ही में पूरा हुआ है; परंतु 1000 लाइनों की क्षमता को 31-12-82 तक एशियाई खेलों के लिए अपेक्षित टेलीफोन कनेक्शनों के लिए सुरक्षित रखा जाना है । अतः ऐसी संभावना है कि नए कनेक्शन दिसंबर, 82 के पश्चात् ही दिए जाएंगे ।

(घ) 1000 लाईनों में से जिनका हाल ही में विस्तार किया गया है, अगली बार जब कभी भी नए कनेक्शन दिए जाएगे, जनपथ एक्सचेंज में निम्नलिखित तारीखों (जो कि अस्थायी हैं) तक प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों को टेलीफोन दिए जाने की संभावना है ।

श्रेणी	निपटान की संभावित तारीख
ओ वाई टी-विशेष	30- 6-82
ओ० वाईटी-सामान्य	31-12-79
गैर-ओ वाई टी-एस एस	30- 6-82
गैर ओ वाई टी-विशेष	30- 6-82
गैर ओ वाई टी-सामान्य	31-12-79

ग्रामीण क्षेत्रों को दूर दर्शन सेवा

2677. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों को दूर दर्शन सेवा उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें यह सेवा उपलब्ध कराई जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) (क) और (ख) : छठी योजना के शुरू में; दूरदर्शन देश सेवा की 16.2 प्रतिशत जनसंख्या को उपलब्ध थी जिसमें 9·8% जनसंख्या ग्रामीण थी। छठी योजना के अन्त में, यह सेवा देश की 33% जनसंख्या को उपलब्ध होगी जिसमें 20% जनसंख्या ग्रामीण होगी।

इन्सैट दूरदर्शन उपयोग योजना के अन्तर्गत, 6 राज्यों अर्थात् आंध्रा प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के तीन-तीन जिलों के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध की जाएगी।

इसके अलावा, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में दूरदर्शन सेवा प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना तैयार की गई है तथा इस योजना का एक भाग छठी योजना के दौरान कार्यान्वित किया जायेगा। इससे दूरदर्शन सेवा प्राप्त करने वाली ग्रामीण जनसंख्या में और वृद्धि होगी।

आयातित सोडा ऐश का बिना बिका भंडार

2678. श्री नीरेन घोष : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उरर्वक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन द्वारा आयातित सोडा ऐश के बिना बिके भंडार का वर्तमान मूल्य क्या है,

(ख) क्या सरकार ने इस भंडार की बिक्री के लिए टेंडर आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन जारी किये थे,

(ग) कब और कितनी बार में विज्ञापन जारी किये गये थे,

(घ) कितने टेंडर प्राप्त हुये थे तथा प्रतिटन के लिए कितने मूल्य की पेशकश की गई थी,

(ङ) इन टेंडरों में से हरेक टेंडर पर सी० पी० सी० ने क्या कार्यवाही की थी,

(च) क्या किसी सौदे को अंतिम रूप दिया गया, और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) 1.86 करोड़ रुपये

(ख) दि स्टेट कैमिकल्स एन्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया (अब स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया का रसायन प्रभाग) ने अपने द्वारा आयातित सोडा ऐश की बिक्री के लिए निविदा आमन्त्रित करते हुए प्रेस विज्ञापन जारी किया है।

(ग) दो विज्ञापन जारी किए गए थे। एक, नवम्बर, 1981 में और दूसरा जुलाई, 1982 के दूसरे सप्ताह में।

(घ) नवम्बर, 1981 में जारी विज्ञापन के जवाब में नौ प्रस्ताव प्राप्त हुए हो। प्रस्तावित मूल्य 1500 रु० से 2,000 रु० प्रति टन के बीच में थे। 2000 रुपये प्रति टन का प्रस्ताव सिर्फ 30 टन की मात्रा के लिए ही था।

(ङ) चूंकि प्रस्तावित मूल्य स्वीकार्य नहीं थे, अतः कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रस्तावित मूल्य स्वीकार्य नहीं थे।

गुजरात में गैस कनेक्शन

2679. श्री नवीन रवाणी : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में 31 दिसम्बर, 1980 को गैस कनेक्शनों के लिये कितने आवेदकों के नाम दर्ज किये गये थे ;

(ख) गुजरात में वर्ष 1981 के दौरान कितने गैस कनेक्शन दिये गये ;

(ग) वर्ष 1981 में कितने गैस कनेक्सन दर्ज किये गये ;

(घ) 31 दिसम्बर, 1981 को कितने मामले विचाराधीन थे ; और

(ङ) प्रतीक्षा सूची वाले आवेदकों को गैस कनेक्शन देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) 31.12.1980 को गुजरात राज्य में कुकिंग गैस (एल० पी० जी०) कनेक्शनों के लिए आवेदकों की कुल संख्या करीब 1.36.827 थी।

(ख) 1981 के दौरान राज्य में करीब 28.764 एल० पी० जी० (कुकिंग गैस) कनेक्शन दिये गये थे।

(ग) वर्ष 1981 के दौरान पंजीकृत किये गये आवेदकों की संख्या लगभग 2,29,200 है।

(घ) 31.12.1981 को कुल 3,43,262 आवेदक राज्य में प्रतीक्षा सूची पर थे।

(ङ) ए० पी० जी० कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूचियों का निपटान क्रमिक तरीके से किया जा रहा है। उद्योग पंजीकरण योजना के अनुसार राज्य में 1982-83 के दौरान 1.32,000 एल० पी० जी० कनेक्शन दिये जाने है।

सरोन समिति की रिपोर्ट

2680. श्री चिन्तामणि जैना : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरीन समिति की रिपोर्ट पर कोई निर्णय लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और निर्णय कब तक लिया जायेगा ;

(ग) क्या निर्णय लेने से पहले विभिन्न वर्गों के विचार जान लिये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो विचार भेजने वाले व्यक्तियों और संगठनों के नाम क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना : (क) और (ख) दूर संचार समिति ने कुल 434 (तथा 3 उप भाग=437) सिफारिशें की हैं। इनमें से 219 सिफारशों पर अमल की कार्यवाई की जा चुकी हैं ; 25 सिफारिशें मंजूर नहीं की जा सकीं, 28 सिफारशें अभी सरकार के विचाराधीन हैं। अन्य मामलों में अमल के लिए कार्यवाई चल रही है।

(ग) और (घ) इन सिफारिशों पर कर्मचारी संघों के दो महासंघों और संचार मंत्रालय से सम्बद्ध संसदीय सलाहकार समिति के विचार और दृष्टिकोण की जानकारी मिल गई है।

धनबाद और झरिया कोयला खानों में कोयले की उपलब्धता में कमी

2681. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद और झरिया (बिहार) कोयला क्षेत्रों में कोयले की उपलब्धता काफी कम हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इन खानों में भविष्य में कितनी अवधि के लिए कोयला उपलब्ध होगा और इन खानों में कोयले की कम उपलब्धता के कारण कोयले की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कोयला ऊर्जा मंत्रालय के विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सिंथैटिक रबर का ढेर लगना

2682. श्री के०टी० कोसलराम : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि विदेशों से आयातित बड़े पैमाने पर सिन्थैटिक रबर का ढेर लगाने से देश की एक मात्रा सिन्थैटिक रबर निर्माता कंपनी मैं० सिंथैटिक कैमिकल्स लिमिटेड लगभग रूग्ण बन गई है ; और

(ख) यदि हां, तो विदेश से आयातित सिन्थैटिक रबर के ढेर को आधा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) देश में सिन्थैटिक रबड़ के दो निर्माताओं में से एक मैसर्स सिन्थैटिक्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड ने यह अभ्यावेदन दिया है कि विदेशी निर्यातक उन भारतीय उपभोक्ताओं को आयातित एस० बी० आर० का प्रयोग करना आरम्भ कर रहे हैं स्टाइरीन बूटाडीन रबड़ (एस० बी० आर०) वस्तुतः बहुत ही सस्ते मूल्यों पर दे रहे हैं ; और इससे उनकी एस० बी० आर० की बिक्री पर बुरा प्रभाव पड़ा है ।

(ख) अभ्यावेदन की जांच प्रारम्भ कर दी गई है ।

राज्य बिजली बोर्डों का सुधार करना

2683. श्री डी०एस०ए० शिव प्रकाशम : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी राज्य बिजली बोर्डों को अपने कार्यकरण का सुधार करने के निदेश दिए गए हैं जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त मजबूत हो सके ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दिए निदेशों का ब्योरा क्या है ;

(ग) इस बात की क्या गारन्टी है कि राज्य बिजली बोर्डों द्वारा निदेशों का पालन किया जाएगा ;

(घ) क्या सरकार को पता है कि अनेक राज्य बिजली बोर्डों में कोई सुदृढ़ प्रबन्ध पद्धति नहीं है जिससे अतिरिक्त भंडार जमा हो रहा है ; और

(ङ) क्या सरकार राज्य बिजली बोर्डों, खास तौर पर तमिलनाडु बिजली बोर्ड को इस बात के निदेश देगी कि वे अपने ढांचे को पुनर्गठित करने के लिए भारतीय प्रबन्ध संस्थान (इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट) से परामर्श करें ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ङ) राज्य बिजली बोर्डों के समग्र कार्य-निष्पादन की मूलभूत जिम्मेदारी राज्यों की है । राज्य बिजली बोर्डों के वित्तीय कार्य निष्पादन तथा उनकी समस्यायें केन्द्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की चिन्ता का विषय है । विद्युत विभाग उनके वित्तीय तथा प्रबन्ध के पहलुओं में सुधार लाने के लिए समय-समय पर राज्य बिजली बोर्डों को उपयुक्त मार्गदर्शी सिद्धांत जारी कर रहा है । राज्य बिजली बोर्डों द्वारा नई परियोजनाओं के निर्माण की प्रगति तथा उनके वित्तीय और प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और राज्य विद्युत मंत्रियों के वार्षिक सम्मेलनों में तथा अन्य अवसरों पर उपचारात्मक कदम उठाये जाते हैं ।

बहुत से राज्य विद्युत बोर्डों की प्रबन्ध प्रक्रिया में सुधार की गुंजाइश है । राज्य बिजली बोर्डों के सामग्री प्रबन्ध प्रक्रियाओं सहित समग्र प्रबन्ध के लिए राज्य उपयुक्त उपचारी कार्रवाई करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है ।

विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए मार्केट का निर्माण

2684. श्री हीरा लाल परमार :

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को अवसेमिक के लिए पुनर्वास मंत्रालय द्वारा कनाट सर्कस, नई दिल्ली में न्यू सेन्ट्रल मार्केट (शंकर मार्किट) निर्मित किया गया था और इस प्रयोजन के लिए क्षतिपूर्ति पूल की राशि उपयोग की गई थी; और

(ख) क्या पुनर्वास मन्त्रालय के पास विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए मार्केटों आदि का निर्माण करने के लिए क्षतिपूर्ति पूल के अतिरिक्त भी कोई धनराशि थी ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए शंकर मार्किट का निर्माण सामान्य निधि से किया गया था न कि मुआवजा पूल की निधि से।

(ख) जी, हां।

तटदूर सप्लाई पोतों को चलाने के लिए नया उद्यम

2685. श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत सी नौवहन कम्पनियों ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए तटदूर सप्लाई पोतों को चलाने के लिए नये उद्यम में रुचि दर्शाई है ; बशर्ते कि सरकार इन एककों को वित्तीय सहायता प्रदान करे ;

(ख) भविष्य में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कितने जहाज/पोत किराये (चार्टर) पर लिए जायेंगे ; और

(ग) नौवहन कम्पनियों को उपलब्ध की जाने वाली सहायता का स्वरूप और ब्योरा क्या है और इस बारे में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बनाई गई योजना का ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा वर्ष 1985 तक किराये पर लिए जाने वाले ओ० एस० वी० संभावित संख्या विभिन्न तिमाहियों में 46 और 10 के बीच भिन्न-भिन्न हो सकती हैं, यह तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा स्वामित्वा में लिए जाने वाले जलपोतों को हिसाब में लगाकर जिनमें से लगभग 36 के लिए शीघ्र आर्डर दिए जाने की संभावना है, अपत-

टीय कार्य-संचालनों के लिए किसी भी समय में अपेक्षित ओ० एस० की संख्याओं पर निर्भर करेगा।

(ग) उपलब्ध करायी जाने वाली वित्तीय सहायता की प्रकृति और ब्यौरों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

वालासाना सहकारी दुग्ध सोसायटी को टेलीफोन कनेक्शन

2686. श्री मोती भाई आर. चौधरी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वालासाना (खेराल, तालुक) सहकारी दुग्ध सोसाइटी ने टेलीफोन कनेक्शन के लिए 30 सितम्बर, 1977 को 1000 रुपये और 1 अगस्त, 1977 को 800 रुपये जमा कराये थे और यदि हां, तो पांच वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी उन्हें टेलीफोन कनेक्शन न देने के क्या कारण हैं, और क्या उन्हें अब टेलीफोन कनेक्शन शीघ्र दे दिया जाएगा ;

(ख) क्या इस गांव तथा निकटतम टेलीफोन केन्द्र के बीच लम्बी दूरी होने के कारण, 15 व्यक्तियों ने टेलीफोन कनेक्शन के लिये आवेदन किया है और यह मांग की थी कि उस गांव में ही टेलीफोन केन्द्र खोला जाए ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस 15 व्यक्तियों तथा उक्त सहकारी सोसाइटी की मांग को स्वीकार कर लिया जाएगा और उन्हें शीघ्र ही टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वालासाना (खेरालू तालुक) सहकारी दुग्ध सोसाइटी का नाम प्रतीक्षा सूची से अगस्त 1978 में निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने लम्बी दूरी के कनेक्शन हेतु किराए तथा गारन्टी की शर्तें स्वीकार नहीं की थी।

(ख) विभाग के पास इस गांव में (वालासाना) टेलीफोन कनेक्शन से सम्बन्धित कोई मांग नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत के राजपत्र का प्रकाशन

2687. श्री भीकू राम जैन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के राजपत्र का प्रकाशन कितने भागों, अनुभागों तथा उप-अनुभागों में किया जाता है और पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान प्रत्येक के कितने अंक प्रकाशित किए गए ;

(ख) क्या भारत के राजपत्र के इन विभिन्न भागों के प्रकाशन की समयावलि अर्थात पाक्षिक, सप्ताहिक अथवा दैनिक के प्रकाशन के लिए निर्धारित समय के बारे में कोई नियम है।

(ग) उपरोक्त तीन वर्षों में भारत के राजपत्र के प्रत्येक भाग के कितने असाधारण अंक प्रकाशित किये गए ;

(घ) क्या सरकार को पता है कि राजपत्र के सामान्य प्रकाशन के अतिरिक्त असाधारण राजपत्रों के अंकों की संख्या भी बहुत अधिक है और प्रायः रूपान्तरण एवं संशोधन बहुत जल्द जारी किये जाते हैं जिसके कारण जनता को बहुत असुविधा होती है ; और

(ङ) क्या सरकार भारत के राजपत्र का प्रकाशन निर्धारित अंकों के अनुसार करने के प्रश्न की जांच करेगी और उनका प्रकाशन उसी के अनुसार करेगी तथा असाधारण अंकों के प्रकाशन को बन्द करेगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

हिन्दी आशुलिपिकों की पदोन्नति

2688* **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के समाचार प्रभाग में कार्यरत हिन्दी आशुलिपकों की पदोन्नति के लिए कोई चैनल है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस चैनल के अन्तर्गत अब तक कितने व्यक्तियों को पदोन्नति दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उनकी पदोन्नति के अवसर क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) (क) जी, हां।

(ख) समाचार सेवा प्रभाग में कार्यरत हिन्दी आशुलिपिक आकाशवाणी के कार्यालयों में प्रधान लिपिकों/लेखाकारों/वरिष्ठ स्टोर कीपरों के लिए विभागीय परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हैं। विभागीय परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेने पर तथा प्रधान/लिपिक/लेखाकार/वरिष्ठ स्टोर कीपर के रूप में तैनाती हो जाने पर, उनको अपनी बारी पर प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, के उच्च पदों पर पदोन्नति के और अवसर प्राप्त हैं। तथापि, उनमें से कोई भी प्रधान लिपिक/लेखाकार/वरिष्ठ स्टोर कीपर के पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा में अभी तक नहीं बैठा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली और नई दिल्ली में टेलीफोन

2689 : श्रीमती ऊषा वर्मा क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में गत छः महीनों के दौरान कितने टेलीफोन दिवस-वार खराब रहे ;

(ख) उस अवधि के दौरान टेलीफोन प्रयोक्ताओं ने टेलीफोन विभाग के पास टेलीफोनों की खराबियों के बारे में रोजाना औसतन कितनी शिकायते दर्ज करायी और औसतन कितने टेलीफोन हर रोज ठीक किए गए ;

(ग) इस अवधि के दौरान प्रत्येक टेलीफोन की खराबी को दूर करने में कितना समय लगा ;

(घ) टेलीफोनों में हुई खराबियां दूर करने के लिए दिल्ली टेलीफोन विभाग के पास पर्याप्त कर्मचारी हैं, और

(ङ) प्रत्येक टेलीफोन की खराबी को दूर करने में औसतन कितना समय लगता है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री योगेन्द्र मकवाना : (क) विस्तत ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) दिल्ली तथा नई दिल्ली के कुल करीब तीन लाख उपयोक्ताओं में से अप्रैल से जून, 1982 की अवधि के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा टेलीफोनों की खराबी के संबंध में दर्ज कराई गई शिकायतों की संख्या 5168 है।

(ग) अपेक्षित सूचना बहुत विस्तार में है तथा इसमें चार लाख डाकेटों पर कार्रवाई करनी होगी। फिर भी, टेलीफोन ठीक करने में लिए गए समय का अनुमान दोष दूर करने की औसत अवधि से जो लगभग 4.5 घंटे है, लगाया जा सकता है।

(घ) जी हां।

(ङ) टेलीफोनों का दोष दूर करने में लिया गया औसत समय 5 घंटे है।

विवरण

तारीखवार कुल दोष

अप्रैल 82		मई 82		जून 82	
तारीख	24 घंटे में कुल दोष	तारीख	24 घंटे में कुल दोष	तारीख	24 घंटे में कुल दोष
1-4-82	5341	1-5-82	5489	1-6-82	5626
2-4-82	4806	2-5-82	1604	2-6-82	5793

3-4-82	4925	3-5-82	2657	3-6-82	5800
4-4-82	2283	4-5-82	5623	4-6-82	5695
5-4-82	2291	5-5-82	5769	5-6-82	5823
6-4-82	2156	6-5-82	5835	6-6-82	740
7-4-82	4155	7-5-82	1786	7-6-82	2784
8-4-82	5173	8-5-82	1802	8-6-82	5577
9-4-82	1937	9-5-82	1798	9-6-82	5880
10-4-92	2345	10-5-82	1955	10-6-82	5197
11-4-82	2261	11-5-82	4939	11-6-82	5156
12-4-82	1817	12-5-82	5204	12-6-82	815
13-4-82	5261	13-5-82	5869	13-6-82	855
14-4-82	4967	14-5-82	6075	146-82	2415
15-4-82	4920	15-5-82	5924	15-6-82	5490
16-4-82	4258	16-5-82	1700	16-6-82	6341
17-4-82	5373	17-5-82	3395.	17-6-82	6152
18-4-82	2616	18-5-82	5594	18-6-82	6506
19-4-82	3319	19-5-82	5794	19-6-82	7011
20-4-82	5583	20-5-82	5292	20-6-82	990
21-4-82	6069	21-5-82	5627	21-6-82	3214
22-4-82	5591	22-5-82	5377	22-6-82	5814
23-4-82	5402	23-5-82	1694	23-6-82	6466
24-4-82	5619	24-5-82	1744	24-6-82	6203
25-4-82	2462	25-5-82	5509	25-6-82	5819
26-1-82	2907	26-5-82	5652	26-6-82	6007
27-4-82	5340	27-5-82	5454	27-6-82	805
28-4-82	5744	28-5-82	5828	28-6-82	1839
29-4-82	5943	29-5-82	5903	29-6-82	6820
30-4-82	5812	30-5-82	1844	30-6-82	6250
		31-5-82	2616		
योग :	126676		131360		140833

दिल्ली सर्किल में इंजीनियरिंग सुपरवाईजरों के रूप में चयन किये गये टेलीफोन इंस्पेक्टर

2690 प्रो॰ अजित कुमार मेहता : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978 में दिल्ली सर्किल के टेलीफोन इंस्पेक्टरों में से कितने इंजीनियरिंग सुपरवाइजर चुने गये थे और उन्हें राजपुर ट्रेनिंग स्कूल में प्रशिक्षण के लिए प्रवेश दिया गया था ;

(ख) वर्ष 1879 में कितने और कौन से इंजीनियरी सुपरवाइजर प्रशिक्षणार्थियों ने त्याग पत्र दिया था और उसके क्या कारण हैं ।

(ग) क्या इन प्रशिक्षणार्थियों को, जिन्होंने राजपुर ट्रेनिंग स्कूल में वर्ष 1979 में त्याग पत्र दिया था, वेतन, यात्रा भत्ता दैनिक भत्ता, सामान्य हुए भविष्य निधि, बोनस और अन्य भत्ते दिये गये हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और उन्हें उनकी देय राशि कब तक दी जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय तेल निगम के मार्केटिंग डिवीजन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

श्री चन्द्रपाल शैलानी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम के उत्तरी क्षेत्र के मार्केटिंग डिवीजन में तथा क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली में, पदवार और ग्रेडवार कुल कितने-कितने कर्मचारी हैं,

(ख) उनमें से कितने कितने कर्मचारी पदवार, और ग्रेडवार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के वर्ग से सम्बन्धित है ;

(ग) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों तथा गैर-अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के मामले में पद-वार और ग्रेड वार अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता- अवधि क्या है ;

(घ) क्या प्रत्येक ग्रेड में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों से सम्बन्धित पदोन्नति का आराक्षित कोटा भर लिया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा पदोन्नति सम्बन्धी रोस्टर को भरने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

सिन्दरी में कोयले पर आधारित नया संयंत्र

2692. श्री रूद्रप्रताप षाडंगी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम लि० का विचार सिन्दरी कारखाने के निलाम हुए संयंत्र के स्थान पर कोयले पर आधारित एक नया संयंत्र स्थापित करने का है, और

(ख) क्या एफ० सी० आई० और पी० डी० आई० लि० का सिन्दरी कारखाने में ठेका प्रणाली को पूर्णतः समाप्त करने का विचार है ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(क) फर्टिलाइर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड में सामान्य कार्य के लिए कोई ठेका पद्धति नहीं है। कभी-कभी होने वाले कार्य के लिए ठेका पद्धति को समाप्त करना सम्भव नहीं है।

दिल्ली में जाली गैस सिलिन्डर

2693. डा० ए० यू० आजमी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली/ नई दिल्ली में भारी संख्या में जाली गैस सिलेन्डर हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी संख्या का पता लगाने के लिए तथा बचाव के रास्ते को बन्द करने के लिए किसी जांच के आदेश दिए गए ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे तथा तत्सम्बन्ध ब्यौरा क्या है ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) से (ग) : अनाधिकृत एल० पी० जी० (खाना पकाने की गैस) के कनेक्शनों की विद्यमानता के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर, ऐसे कनेक्शन जिनकी सही-सही संख्या नहीं आंकी जा सकती हैं की दिल्ली/नई दिल्ली सहित उनके द्वारा विपणन किये जा रहे विभिन्न स्थानों में नियमित करने के लिए तेल कंपनियों द्वारा एक योजना प्रारम्भ की गई थी। ये अनाधिकृत कनेक्शन मुख्य रूप से एल० पी० जी० की समिति उपलब्धता के फलस्वरूप अस्तित्व में आये हैं। एल० पी० जी० की उपलब्धता में वृद्धि होने और बड़े पमाने पर नए कनेक्शन जारी होने के साथ ऐसी आशा हैं कि ऐसे कनेक्शनों की की संख्या बहुत कम हो जाएगी। तेल कंपनियों ने अपने एल० पी०जी० डीलरों को केवल वास्तविक ग्राहकों को सप्लाई करने के लिए स्पष्ट अनुदेश जारी किए हैं।

लखनऊ में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

2694. श्री कृष्ण चन्द्र पांड़े : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून 1982 तक लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में नए टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज थे ;

(ख) इन लोगों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक मिल जायेंगे ; और

(ग) सरकार द्वारा नये टेलीफोन कनेक्शन शीघ्र देने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1-7-1982 तक लखनऊ में नये टेलीफोन कनेक्शन चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या 2335 है ।

(ख) टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची में अधिकांश आवेदकों को छठी पंच वर्षीय योजना के अंत तक उत्तरोत्तर कनेक्शन प्रदान कर दिए जायेंगे ।

(ग) मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता बढाई जा रही है तथा नए टेलीफोन एक्सचेंज खोले जा रहे हैं ।

सिन्थेटिक रबड़ की मांग

2695. श्री एस० ए० दोराई से बस्तियन : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में टायर के कारखनों तथा जूते, चप्पल और चमड़ा उद्योग की सिंथैटिक रबड़ सम्बन्धी कुल वार्षिक मांग क्या है ;

(ख) देश में दो कारखाने सिन्थैटिक रबड़ की कुल कितनी मात्रा का उत्पादन कर रहे हैं ; और

(ग) सिंथैटिक रबड़ की मांग और पूर्ति में यदि कोई अन्तर है तो उसे पूरा करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

(ख) वर्ष 1979/80, 1980/81 और 1981/82 के दौरान देश सिंथैटिक रबड़ का उत्पादन क्रमशः लगभग 30,308 मी० टन, 25,437 मी० टन और 28,872 मी० टन था ।

(ग) सिंथैटिक रबड़ के उत्पादन के लिए अतिरिक्त क्षमता के सृजन करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

गुजरात में गैस एजेंसियों का आबंटन

2696. श्री रामजी भाई भवानी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजकोट, बलसाड़, भावनगर तथा गुजरात के अन्य जिलों में 1-4-1977 से 31-12-1979 तक और 1-1-1980 से 30-6-82 तक के दौरान गैस कनेक्शन के लिए विभिन्न एजेंसियों के यहां कितने लोगों को पंजीकृत किया गया ;

(ख) उनमें से कितनों को गैस कनेक्शन दे दिए गए हैं और कितने बाकी हैं ;

(ग) अब तक उन्हें गैस कनेक्शन न दिए जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) शेष लोगों को कब तक गैस कनेक्शन दे दिये जाने की सम्भावना है ;

(ङ) क्या सरकार ने गैस कनेक्शनों के आवंटन तथा पंजीकरण तथा गैस एजेंसियों के आवंटन के लिए कोई नई नीति अथवा मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(च) राजकोट, भावनगर, बालसाड़ और गुजरात के अन्य जिलों में 1-4-1977 से 30-6-82 तक के दौरान उन व्यक्तियों और समितियों को, जो (एक) आदिवासियों (दो) महिलाओं (तीन) भूतपूर्व सैनिकों (चार) अल्प संख्यक समुदायों (पांच) अनुसूचित जातियों और जनजातियों (छः) समाज के कमजोर वर्गों तथा (सात) अन्य से सम्बन्धित हैं, गैस एजेंसियां दी गई ; उनके नाम तथा संख्या कितनी है ; और

(छ) 1-8-1982 से 31-12-83 के दौरान इसका आवंटन करने की क्या योजनायें हैं और इसके लिए क्या मानदंड होगा ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति

2697. श्री राजेश कुमार सिंह :

श्री राम विलास पासवान : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि पटना उच्च न्यायालय में न्यायधीशों की नियुक्ति के विषय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों और अन्य कमजोर वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या सरकार इस बारे में आवश्यक कार्यवाही करेगी कि इन वर्गों के व्यक्ति पटना उच्च न्यायालय में रिक्त पदों पर नियुक्त किए जाए ;

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) (क) से (ग) उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियां संविधान के सुसंगत उपबन्धों के अनुसार

की जाती हैं जिनमें किसी जाति या समुदाय के लिए आरक्षण का उपबंध नहीं हैं। फिर भी सरकार ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों (जिनमें बिहार के मुख्य मंत्री और पटना उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपति भी हैं) को पत्र लिख कर यह कहा है कि उच्च न्यायालयों में यथासंभव इन वर्गों को बेहतर प्रतिनिधित्व दिया जाए।

संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से पोलिएस्टर रेशा संयंत्र स्थापित करना

2698. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से कोई पोलिएस्टर रेशा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र को स्थापित करने संबंधी शर्तें क्या है तथा इसे कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) इस संयंत्र की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता क्या है और यह किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) जी, हां। अमेरिका की मैसर्स ड्यू पोंट के तकनीकी सहयोग से एक पोलिएस्टर स्टेपिल फाइबर संयंत्र स्थापित किया जा रहा है, जो प्रयोजन के लिए तकनीकी जानकारी, मूल इंजीनियरिंग और स्वामित्व वाले उपकरण की व्यवस्था करेगा। ऐसी आशा है कि इस प्रयोजना को बोंगाई गांव (असम) में स्थापित किया जाएगा और इसकी वार्षिक क्षमता 30,000 मी० टन की होगी।

नाइट्रोजन युक्त और फास्फेट उर्वरकों की फैक्ट्रियों की क्षमता का उपयोग

2699. **श्री राघवराव सिंधिया** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि।

(क) वर्ष 1977-78 से 1981-82 तक नाइट्रोजन युक्त और फास्फेट उर्वरकों की फैक्ट्रियों की अधिष्ठपित क्षमता का वर्ष-वार कितना उपयोग किया गया ; और

(ख) इन उर्वरकी फैक्ट्रियों की अधिष्ठापित क्षमता का कम उपयोग किए जाने के क्या कारण हैं ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 1977-78 से 1981-82 वर्षों के दौरान नाइट्रोजन तथा फोस्फेटिक उर्वरक कारखानों का समग्र क्षमता उपयोग निम्न प्रकार था :—

वर्ष		क्षमता उपयोग (%)
	नाइट्रोजन युक्त उर्वरक (नाइट्रोजन)	फास्फेटिक उर्वरक (पी2 ओ5)
1977-78	69.0	79.1
1978-79	71.2	80.5
1979-80	62.8	65-5
1980-81	52.8	65.9
1981-82	66.9	70.1

(ख) क्षमता से कम उपयोग करने के कई कारण हैं जैसे कि संयंत्रों और उपस्करों का पुराना हो जाना, डिजायन और उपस्करों में खराबी, बिजली की कटौती/समस्याएं, फीड-स्टाक तथा कच्चे माल की कमी आदि।

उड़ीसा में प्रमुख उद्योगों पर लागू की गई बिजली की नई कटौतियां

2700. **श्री सुधीर कुमार गिरि :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि उड़ीसा में राऊरकेला इस्पात संयंत्र, भारतीय उर्वरक निगम के तालचर उर्वरक संयंत्र, फैरो-सिलिकन, फैरो-क्रोम, फैरो-मेगनीज, कास्टिक सोडा ओर पेपरइंडस्ट्रीज सहित प्रमुख कारखानों पर। जून, 1982 से बिजली को नई कटौतियों लागू की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए अथवा उठाने का विचार है?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उड़ीसा में काफी समय से वर्षा नहीं हुई है और विभिन्न जलविद्युत जलाशयों में पानी का स्तर कम हो गया है। चूंकि उड़ीसा में जलविद्युत की प्रधानता वाली प्रणाली है, इसलिए वर्षा की कमी के कारण विद्युत उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा है। तथापि, तलचेर तापविद्युत केन्द्र में तापविद्युत उत्पादन में सुधार लाने के लिए तथा तलचेर में विस्तार परियोजना को शीघ्र आरम्भ करने के लिए एक कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। पड़ोसी राज्यों से उपलब्ध सीमा के आधार पर ऊर्जा सहायता प्राप्त की गयी है तथा उद्योगों को दी गई है। जैसे ही राज्य में विद्युत उत्पादन में सुधार हो जाएगा, विभिन्न उद्योगों के लिए विद्युत सप्लाई में बढ़ोतरी की जाएगी।

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में औषधि निर्माण कारखाने

2701. श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में अलग-अलग औषधि निर्माण कारखानों के नाम क्या हैं,

(ख) गत दो वर्षों के दौरान उनके द्वारा कितनी औषधि का निर्माण किया गया और उस अवधि में उनको कितना व्यय हुआ तथा कितना लाभ हुआ, और

(ग) प्रत्येक राज्य को सहायता के रूप में कौन-कौन सी और कितने मूल्य की औषधियाँ दी गई ;

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) सार्वजनिक क्षेत्र में इंडियन एण्ड (फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड) आई.डी.पी.एल.), हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एच.ए.एल.), स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (एस.एस.पी.एल.) और बंगाल कमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (बी.सी.पी.एल.) केन्द्रीय सरकार के पूर्णस्वामित्व वाले उपक्रम हैं। औषधों और भेषजों के निर्माण के लिए संगठित क्षेत्र में कुल मिलाकर लगभग 170 यूनिटें तकनीकी विकास महानिदेशालय के पास पंजीकृत हैं।

(ख) गत दो वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की चार कम्पनियों और निजी क्षेत्र द्वारा किए गए बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के उत्पादन का मूल्य निम्न प्रकार था :—

(करोड़ रुपये)

	1980-81		1980-82 (अनुमानित)	
	सार्वजनिक	निजी	सार्वजनिक	निजी
बल्क औषधों	63	177	73	202
फार्मूलेशन्स	80	1120	104	1196

सार्वजनिक क्षेत्र की चार कम्पनियों का कुल व्यय और लाभ/हानि निम्न प्रकार हैं :—

(लाख रुपये)

कम्पनी का नाम	1979-80		1980-81	
	व्यय	लाभ/हानि	व्यय	लाभ/हानि
इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि॰	9400	(—) 720	11649	(—) 1682

स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि०	577 (+)	7.27	705 (—) 42.17
बंगाल कैमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स लि०	1098 (—)	146	1568 (—) 256

निजी क्षेत्र की कम्पनियों के बारे में इस प्रकार के ब्यौरे उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1981-82 से सम्बन्धित वार्षिक खातों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

गोरखपुर उर्वरक कारखाने को हुआ घाटा और उसकी मशीनों को बदलना

2702. **श्री अशफाक हुसैन : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि गोरखपुर उर्वरक कारखाने के प्रबन्ध निदेशक ने संवाददाताओं के सामने इस बात का उल्लेख किया है कि यदि कारखानों की मशीनों को बदला नहीं गया तो पांच साल के बाद कारखाने में उत्पादन नहीं हो सकेगा,

(ख) क्या इस कारखाने की एक यूनिट वर्ष 1961-62 में तथा दूसरी यूनिट 1975 में स्थापित की गई थी,

(ग) इतने कम समय में इन मशीनों के बेकार होने के मुख्य कारण क्या हैं,

(घ) मशीन सप्लाई करने वाली कम्पनी ने कितने साल तक इन मशीनों के काम करने का उल्लेख किया था,

(ङ) कारखाने को अब तक वर्ष-वार कुल कितना घाटा हुआ है,

(च) क्या प्रबन्ध निदेशक के वक्तव्य के अनुसार कारखाने को प्रतिवर्ष 6.50 करोड़ का घाटा हो रहा है,

(छ) सरकार इस घाटे को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है, और

(ज) कारखाने के अधिकारी इस घाटे के लिए कहां तक उत्तरदाई है ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) गोरखपुर संयंत्र के महाप्रबन्धक ने संवाददाताओं से बात-चीत करते हुये यह उल्लेख किया था कि पुराने संयंत्र (दो स्ट्रीम्स) के उपकरण, जिनसे 1968 में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया गया था, सामान्य संचालन के लिये काफी पुराने हो गये हैं और कुछ वर्षों में उनका नवीकरण/प्रतिस्थापन करने की आवश्यकता होगी।

(ख) संयंत्र की दो स्ट्रीमों द्वारा 1968 में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया गया था

और समस्या निवारण योजना के अन्तर्गत स्ट्रीम द्वारा अप्रैल 1976 से वाणिज्यक उत्पादन प्रारम्भ किया गया था।

(ग) किसी भी रसायन संयंत्र में उपकरण की अनुमानित मियाद सामान्यत: 12 से 15 वर्ष है, जो सेवाओं के प्रयोग पर निर्भर करता है। पुरानी दो स्ट्रीमों को 14 वर्ष से भी अधिक समय तक चलाया जा चुका है किन्तु वे कुछ ही कम क्षमता पर अभी भी कार्य कर रही हैं।

(घ) मशीन सप्लाईकर्ता कंपन ने मशीनों की कोई जीवन अवधि निर्दिष्ट नहीं की है।

(ङ) गत 5 वर्षों के दौरान उठाई गई हानि निम्न प्रकार हैं :—

1977-78	रु० 607 लाख
1978-79	रु० 202 लाख
1979-80	रु० 1275 लाख
1980-81	रु० 534 लाख
1981-82	रु० 641 लाख

(च) 6.41 करोड़ रुपये की हानि केवल वर्ष 1981-82 में हुई है जिसमें ब्याज और मूल्यह्रास सम्मिलित है।

(छ) विद्युत समस्याएं, कोयला और नैफथा जैसे कच्चे मालों की अपर्याप्त उपलब्धता और संयंत्र का पुरानापन हानि के मुख्य कारण हैं। कार्य कुशलता और क्षमता उपयोग में सुधार करने के लिये पुराने उपकरण का नवीकरण/प्रतिस्थापन किया जायेगा।

(ज) वाह्य बाधाओं और संयंत्र के उपकरण के पुरानेपन के कारण उत्पन्न हुई बाधाओं के लिये कारखाने के अधिकारियों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

आकाशवाणी के स्पाटलाइट के लिए आलेख

2703. श्री अटलबिहारी वाजपेयी :

श्री सूरजभान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन शीर्षस्थ 30 व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्होंने वर्ष 1981 और 1982 में आकाशवाणी के "स्पाटलाइट" और दूरदर्शन के इसी प्रकार के कार्यक्रम के लिए प्राय : आलेख लिखा था, और उक्त अवधि में उनमें से प्रत्येक ने कितना पारिश्रमिक प्राप्त किया था ;

(ख) वर्ष 1980-81 के लिए इसी प्रकार की जानकारी के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) इस संबंध में मार्ग निर्देश क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) : आकाशवाणी के बारे में इन दो वर्षों की अपेक्षित सूचना परिशिष्ट-1 और 2 में दी गई है। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए

संख्या एल टी-432182] दूरदर्शन में, दैनिक स्पाटलाइट कार्यक्रम के तुलनीय कार्यक्रम हिन्दी में साप्ताहिक "आजकल" और अंग्रेजी में "वीक एण्ड रिव्यू" हैं। अपेक्षित सूचना परिशिष्ट-3 और 4 पर है।

(ग) इन कार्यक्रमों के लिए स्क्रिप्ट लेखक या वार्ताकार के चयन के लिए मानदंड भाग लेने वाले व्यक्तियों का संबंधित विषय में विशेषता और उनकी उपलब्धता है। आकाशवाणी/दूरदर्शन यह सुनिश्चित करते हैं कि इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्ति विशेषज्ञों के प्रतिनिधायी निकाय के हों।

सेण्ट्रल कोलफील्ड्यस लिमिटेड, रांची के कर्मचारियों को खपाने के लिए पंचाट का कार्यान्वयन

2704. **श्री आर०एन० राकेश :**

श्री धर्मवीर सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कोयला विभाग को आदेश दिया था कि वह वर्ष 1973 में सरकार द्वारा सेण्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रांची को अपने अधिकार में लिये जाने पर इस उपक्रम में कार्य कर रहे कर्मचारियों को खपाने के बारे में केन्द्रीय सरकारी औद्योगिक न्यायाधिकरण संख्या 2, धनबाद द्वारा दिये गये पंचाट को स्वीकार करे और उसे कार्यान्वित करे ;

(ख) यदि हां, तो फाइल संख्या 49026/708/पी०आई० आर०/80 और फाइल संख्या 49026/729/पी०आई०आर०/82 के बारे में प्राधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उनके द्वारा दिये गये अनुदेशों के बावजूद कि इस पंचाट को कार्यान्वित किया जाये, प्राधिकारियों द्वारा यह मामला रांची स्थित उच्च न्यायालय पीठ में ले जाया गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या मंत्री महोदय इस मामले पर आगे विचार करेंगे और पहले दिये गये अनुदेशों को कार्यान्वित करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करेंगे ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) (क) से (घ) : इस मामले में न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध सरकार ने सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० को उच्च न्यायालय में एक प्रादेश याचिका दायर करने की अनुमति दी थी। अब सी एस०एन० झा ने इस मामले में पंच निर्णय के लिए अनुरोध किया है और उनके अनुरोध पर सरकार विचार कर रही है।

कलिंग ट्यूब कम्पनी लिमिटेड

2705. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि चोदुवा उड़ीसा में कलिंग ट्यूब कम्पनी लिमिटेड की प्रबन्ध व्यवस्था उड़ीसा में किसी अन्य व्यापारिक घराने को स्थानांतरित कर गई है ;

(ख) यदि हां तो यह किसे और कब बेची गई है ;

(ग) क्यास रकार ने इसकी अनुमति दी है ; और

(घ) क्या सरकार ने इस बिक्री की, जो कि काफी धनराशि का मामला है, कोई जांच की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) : मै० कलिंग टयूब्सलिमिटेड का, मै.इन्डियन मैटल्स एण्ड फैरो अलाईज लिमिटेड, उड़ीसा के साथ एकीकरण, की योजना, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 23 (2) के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार द्वारा । नवम्बर, 1981 को, तथा पुनः कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 व 394 के अन्तर्गत उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा 11-12-1981 को अनुमोदित की गई थी ।

(घ) नहीं, श्रीमान जी ।

विदेश औषध फर्मों द्वारा विदेशी ईक्विटी में कमी

2706. श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री धर्मवीर सिंह : क्या पेट्रोलियम, रसयान और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सच है कि इस देश में चल रही बहुत सी बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियां विभिन्न स्तरों पर विदेशी ईक्विटी में कटौती के सरकार के आदेशों का अनुपालन नहीं कर रही है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके कारण क्या हैं, और

(ग) ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) : विदेशी औषध कम्पनियों के फेरा आवेदन पत्रों के निपटान के सम्बन्ध में ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं । जिन कम्पनियों को अपना विदेशी पूंजी का स्तर कम करने के निर्देश दिए गए थे, उनमें से कुछ ने निर्देशों के कुछ पहलुओं पर अभ्यावेदन दिया है । मैसर्स रोश प्रोडक्ट्स और मैसर्स स्मिथ क्लाईन एण्ड फ्रेन्च के दो मामलों में अभ्यावेदनों को अन्तिम रूप से अस्वीकृत कर दिया गया है । मैसर्स रोश प्रोडक्ट्स के पास निदेशों का अनुपालन करने के लिए अभी भी समय है । तथापि, मैसर्स स्मिथ क्लाईन एण्ड फ्रेन्च, उनको जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन करने में दिया गया समय भी समाप्त हो चुका है। निर्देशों की अवमानना के लिए कम्पनी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक में इस कम्पनी का मामला प्रवर्तन निदेशालय को भेज दिया है ।

विवरण

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	वर्तमान विदेशी पूंजी	वह स्तर जहां तक फेरा के आधीन विदेशी पूंजी को कम किया जाना है।
1.	2.	3.	4.
1.	मैसर्स बायर (इंडिया) कि०	51 प्रतिशत	कम्पनी विदेशी पूंजी सहभागिता के विद्यमान स्तर को बना रख सकती है।
2.	मैसर्स बूट्स कं० (आई) लि०	53 प्रतिशत	कम्पनी विदेशी पूंजी सहभागिता के विद्यमान स्तर को बनाए रख सकती है।
3.	मैसर्स बरोज़ बैलकम एण्ड कं० (इंडिया) प्रा० लि०	100 प्रतिशत	74 प्रतिशत
4.	मैसर्स सीबागेगी इंडिया प्रा० लि०	68.4 प्रतिशत	10 प्रतिशत निर्यात बाध्यता के साथ 51 प्रतिशत
5.	मैसर्स सिनेमाइड इंडिया प्रा०लि०	55 प्रतिशत	10 प्रतिशत निर्यात माध्यता के साथ 51 प्रतिशत
6.	मैसर्स ईमर्क (आई) प्रा० लि०	51 प्रतिशत	40 प्रतिशत
7.	मैमर्स ग्लैक्सो लैब्स (आई०) लि०	75.05 प्रतिशत	40 प्रतिशत
8.	मैसर्स हेक्स्ट फार्मस लि०	50 प्रशित	कम्पनी विदेशी पूंजी सहभागिता के विद्यमान स्तर को बनाए रख सकती है।
9.	मैसर्स जानसन एण्ड जानसन लि०	75 प्रतिशत	10 प्रतिशत निर्यात बाध्यता के साथ 51 प्रतिशत
10.	मैसर्स मर्क शार्प एण्ड डोम इंडिया लि०	60 प्रतिशत	कम्पनी विदेशी पूंजी सहभागिता के विद्यमान स्तर को बनाए रख सकती है।
11.	मैसर्स आर्गेनोन (इंडिया) लि०	49 प्रतिशत	कम्पनी विदेशी पूंजी सहभागिता के विद्यमान स्तर को बनाए रख सकती है किन्तु 10 प्रतिशत निर्यात बाध्यता होगी।
12.	मैसर्स पार्केडेविस (आई) लि०	83.33 प्रतिशत	कम्पनी ने 40 प्रतिशत तक कम करने का प्रस्ताव किया है।
13.	मैसर्स फाइजर लि०	70·20 प्रतिशत	10 प्रतिशत निर्यात बाध्यता के साथ 51 प्रतिशत

14.	मैसर्स रोचे प्रोडक्ट्स लि०	89 प्रतिशत	74 प्रतिशत
15.	मैसर्स यूनिसैन्क्यो लि०	49 प्रतिशत	40 प्रतिशत
16.	मैसर्स सेन्डोज (इंडिया) लि०	60·14 प्रतिशत	कम्पनी विदेशी पूंजी सहभागिता के विद्यमान स्तर को बनाए रख सकती हैं।
17.	मैसर्स वार्नर हिन्दुस्तान लि०	50·3 प्रतिशत	कम्पनी ने 40 प्रतिशत तक कमी करने का प्रस्ताव किया है।
18.	मैसर्स मे एण्ड बेकर (आई) लि०	60 प्रतिशत	कम्पनी ने 40 प्रतिशत तक कमी करने का प्रस्ताव किया है।
19.	मैसर्स वायथ लैब्स लि०	74 प्रतिशत	कम्पनी विदेशी पूंजी सहभागिता के विद्यमान स्तर को बनाए रख सकती है।
20.	मैसर्स अलकली एण्ड कैमिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	51 प्रतिशत	विद्यमान स्तर को बनाए रखने की अनुमति दी गई।
21.	मैसर्स व्हीफन्स (इंडिया) लि०	50 प्रतिशत (100 प्रतिशत के एक शेयर सहित)	विद्यमान स्तर को बनाए रखने की अनुमति दी गई।
22.	मैसर्स स्मिथ क्लाइन एण्ड फ्रेन्च	(पूर्णरूप से विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनी की ब्रांच)	40 प्रतिशत कम करने का निर्देश दिया गया। अभ्यावेदन रद्द कर दिया गया है।
23.	मैसर्स रिचर्डसन हिन्दुस्तान	55.97 प्रतिशत	40 प्रतिशत तक कम करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

*40 प्रतिशत तक कम करने का प्रस्ताव है।

अनुसूचित जाति के लोगों की बेहतरी के लिए विशेष संघटक योजना

2707. श्री सूरज भान : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में अनुसूचित जाति के लोगों की बेहतरी और विकास के लिए "विशेष संघटक योजना" के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 और 1981-82 के लिए अलग-अलग कुल कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है ;

(ख) उपर्युक्त दो वर्षों में उपर्युक्त योजना के अधीन वास्तव में अलग अलग कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ग) प्रत्येक वर्ष कम खर्च होने के क्या कारण हैं ;

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की बेहतरी और उनके विकास के लिए विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न क्रियाकलापों से विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय का कोई सम्बन्ध नहीं। तदनुसार इस प्रयोजन के लिए इस मंत्रालय में न तो कोई विशेष संघटक योजना है और न इसके लिए धन की व्यवस्था की गई है।

चालू वर्ष में बिजली की मांग तथा सप्लाई

2708. **श्री राम स्वरूप राम :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक देश में बिजली की अनुमानतः कितनी मांग हो जाएगी ;

(ख) अनुमानित उत्पादन कितना है और क्या देश की आवश्यकता के लिए यह पर्याप्त है ;

(ग) क्या उनको इन समाचारों की जानकारी है कि 1985 के अन्त तक बिजली की समस्या हल नहीं हो सकती ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) देश में विद्युत स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ हैं। जून 1979 में विद्युत की कमी 13.3 प्रतिशत थी जबकि जून 1982 में यह कमी कम हो कर 4.5 प्रतिशत हो गयी है। 387.2 मिलियन यूनिट की औसत दैनिक मांग की तुलना में जून 1982 में दैनिक औसत ऊर्जा उपलब्धता 370.4 मिलियन यूनिट थी। इस प्रकार देश में ऊर्जा की कमी 4.5 प्रतिशत थी। क्षेत्रवार ब्योरे नीचे दिए अनुसार हैं :—

क्षेत्र का नाम	मांग	उपलब्धता		प्रतिशत कमी
			(आंकड़े मिलिलन यूनिटों में)	
उत्तरी	108	104	(—)	3.7
पश्चिमी	123	119	(—)	3.2
दक्षिणी	92	91	(—)	1.0
पूर्वी	60	552	(—)	13.3
उत्तर-पूर्वी	4.2	4.4	(+)	4.7

चालू वित्त वर्ष के दौरान उपर्युक्त प्रवृत्ति जारी रहने की आशा है।

(ग) और (घ) पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय पंचवर्षीय योजना के अन्त में मांग और पूर्ति का संतुलन करने के लिए आयोजना तैयार की जाती है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नई उत्पादन यूनिटों को चालू करने में विलम्ब तथा निधियों की कमी, कीमतों में बढ़ोतरी, उपस्कर, सामग्री आदि की सुपुर्दगी में विलम्ब जैसे अन्य बहुत सी कठिनाइयों के कारण यह कमी हुई है। मांग को सप्लाई के अनुरूप करने के प्रयास हमेशा किए जाते हैं तथा छठी पंचवर्षीय योजना में भी ऐसा ही किया गया है। छठी योजना के अन्त में 1984-85 के दौरान विद्युत की मांग को सप्लाई के अनुरूप करने के लिए छठी योजना अवधि के दौरान लगभग 20,000 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता प्रतिष्ठापित करने का एक कार्यक्रम बनाया गया है। ताप विद्युत केन्द्रों की क्षमता समुपयोजन तथा ताप विद्युत उत्पादन में और सुधार लाने के लिए सम्मिलित प्रयास भी किए जा रहे हैं।

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जनजाति के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी संख्या

2710. **श्री जय नारायण रौत :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की जरूरत है ;

(ख) देश के प्रत्येक उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जन-जातियों के कितने न्यायाधीश हैं ; और

(ग) प्रत्येक उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जनजातियों के कितने न्यायाधीश नियुक्ति किए जाने हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) उच्चतम न्यायालय (न्यायधीश संख्या) संशोधन अधिनियम, 1977 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 18 नियत की गई है (जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधिपति भी सम्मिलित हैं)। इस समय 14 न्यायाधीश पदासीन है। इस प्रकार 4 स्थान रिक्त है।

1-7-1982 को प्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या, पदासीन न्यायाधीशों की संख्या और विद्यमान रिक्त स्थान संलग्न विवरण में बताए गये हैं।

(ख) उच्चतम न्यायलय में अनुसूचित जनजाति का कोई न्यायाधीश नहीं है। 1-6-1981 को उपलब्ध जानकारी के आधार पर इन न्यायालयों में अनुसूचित जनजाति का कोई न्यायाधीश नहीं था।

(ग) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियां संविधान के सुसंगत उपबन्धों के अनुसार की जाती हैं। इनमें किसी जाति या वर्ग के लिए आरक्षण का कोई उपबन्ध नहीं है। अतः उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए अनुसूचित जनजाति के लिये कोई आरक्षण नहीं किया गया है और न ही किया जा सकता है। किंतु, सरकार ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों को इस बात पर जोर देते हुए पत्र लिखा है कि उच्च न्यायालयों में यथा संभव अनुसुचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों और अन्य कमजोर वर्गों को बेहतर प्रतिनिधित्व दिया जाये।

विवरण

1-7-1982 को विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या और न्यायाधीशों के रिक्त पदों की संख्या दर्शित करने वाला विवरण

क्र०सं०	उच्च न्यायालय	स्वीकृत संख्या			वास्तविक संख्या			रिक्त पदों की संख्या		
		स्थायी न्यायाधीश	अपर न्यायाधीश	योग	स्थायी न्यायाधीश	अपर न्यायाधीश	योग	स्थायी न्यायाधीश	अपर न्यायाधीश	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	इलाहबाद	44	16	60	35	12	47	9	4	13
2.	आंध्र प्रदेश	18	3	21	16	—	16	2*	3	5
3.	बम्बई	27	14	41@	27	9	36	—	5	5
4.	कलकत्ता	33	7	40	26	4	30	7	3	10
5.	दिल्ली	15	12	27	15	6	21	—	6	6
6.	गौहाटी	8	1	9	7	—	7	1*	1	2
7.	गुजरात	14	4	18	13	4	17	1	—	1
8.	हिमाचल प्रदेश	3	2	5	3	1	4	—	1	1
9.	जम्मू-कश्मीर	5	2	7	4	—	4	1*	2	3

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	कर्नाटक	21	3	24	21	2	23	—	1	1
11.	केरल	13	3	16	10	3	13	3*	—	3
12.	मध्य प्रदेश	20	9	29	17	3	20	3	6	9
13.	मद्रास	21	4	25	17	3	20	4	1	5
14.	उड़ीसा	7	1	8	6	—	6	1	1	2
15.	पटना	30	5	35	20	2	22	10*	3	13
16.	पंजाब और हरियाणा	17	6	23	17	3	20	—	3	3
17.	राजस्थान	12	6	18	10	1	11	2	5	7
18.	सिक्किम	2	—	2	2	—	2	—	—	—
		310	98	408	266	53	319	44	45	89

*कार्यकारी मुख्य न्यायाधिपति कार्य कर रहे हैं।

@अपर न्यायाधीशों के चार पद उन तारीखों से स्थायी पदों में संपरिवर्तित हो जाएंगे जिस तारीखों को वे पहली बार भरे जाते हैं।

कर्नाटक और गुजरात न्यायालयों में अपर न्यायाधीशों के क्रमशः 2 और 4 पद उन तारीखों से स्थायी पदों में संपरिवर्तित हो जाएंगे जब वे भरे जाएंगे।

बिहार कोयला खानों में रोजगार

2711. श्री रणजीत सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में कई कोयला खानें हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बिहार के लोगों की तुलना में अन्य राज्यों के लोगों को इन कोयला खानों में बड़ी संख्या हैं में रोजगार दिये गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण है, और बिहार के लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कोयला ऊर्जा मंत्रालय के विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) स्थानीय व्यक्तियों की भर्ती सुनिश्चित करने की दृष्टि से उन पदों पर भर्ती केवल स्थानीय रोजगार कार्यालयों के माध्यम से ही की जाती है जिनके वेतनमान वक्तव्य की अधिकतम राशि रु० 800/-प्रति माह से कम होती है जो समिति इन पदों के लिये भर्ती करती है, उसमें राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि भी होता है। भूमि-वंचितों को और उन कर्मचारियों के आश्रितों को भी रोजगार दिया जाता है जिनको मृत्यु सेवा=काल में ही हो जाती है। इन सभी उपायों से संबंधित राज्य के व्यक्तियों की अधिक भर्ती सुनिश्चित होती है केवल कार्यकारी पदों और उन अन्य पदों के लिए भर्ती खुले विज्ञापन के माध्यम से की जाती है जिनके लिए रोजगार कार्यालय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने का प्रमाण-पत्र देते हैं और इन पदों के लिए बाहर के व्यक्तियों भी आवेदन कर सकते हैं।

उड़ीसा में दूर संचार और डाक सेवाओं का विकास

2712. श्री अर्जुन सेठी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में दूर संचार और डाक सुविधाओं का विकास करने के लिये कोई योजना तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका मोटा ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान सरकार का उड़ीसा में नये डाक और तार घर तथा टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का विचार हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) दूरसंचार :

पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में दूरसंचार और डाक सुविधाओं का विस्तार करने का प्रस्ताव है ; जो कि इस प्रकार है :—

(1) चालू वर्ष के लिए लम्बी दूरी के छत्तीस सार्वजनिक टेलीफोन घरों। संयुक्त डाक तार घरों की योजना बनाई गई है।

(2) इस वर्ष के दौरान पच्चीस टेलीफोन एक्सचेंजों की योजना बनाई गई है।

डाक :

अनेक डाकघर खोलने के अतिरिक्त, राज्य के पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर काउंटर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और लेटर बाक्स स्थापित किए जाएंगे। डाक विवरण को सुधारने के लिए अतिरिक्त विभागंतर वितरण एजेंटों को भी नियुक्त करने का प्रस्ताव है।

(ग) जी हां।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

डाक :

(1) डाकघर खोलना	पिछड़े क्षेत्र	जनजातीय क्षेत्र
	5	25
(2) वितरण प्रक्रिया को मजबूत बनाने और लैटर बक्सों से पत्र निकालने के लिए अतिरिक्त विभातर वितरण एजेंटों की नियुक्ति	6	30
(3) काउंटर सेवा सुविधा का विस्तार	15	35
(4) लैटर बाक्सों की स्थापना	7	18

दूरसंचार :

जिला	लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर/तार घर	टेलीफोन एक्सचेंज
बालासोर	7	2

कटक	4	3
धेनकनाल	3	1
गंजम	3	4
कालाहांडी	1	2
नयांझर	3	3
कांरापुट	6	3
मयूरभंज	4	2
पुरी	शून्य	3
सम्बलपुर	2	1
सुन्दरगढ़	3	1
बालंगीर	1	शून्य
फुलबनी	3	शून्य

पिथौरागढ़ और बागेश्वर के टेलीफोन प्रयोक्ता को कठिनाईयां

2713. श्री हरीश रावत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर-प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले और अलमोड़ा जिले में बागेश्व के टेलीफोन प्रयोक्ताओं को पिथौरागढ़ और बागेश्वर से अलमोड़ा, नैनीताल, पौड़ी, लखनऊ, दिल्ली बरेली और हल्द्वानी के लिए टेलीफोन कनेक्शन लेने में बड़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि टेलीग्राम लाइन सदैव खराब होने के कारण टेलीग्राम तक डाक से भेजे जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का कौन से कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं।

(ख) आम तौर पर तार टेलीग्राफ लाइनों द्वारा ही भेजे जाते हैं परन्तु लाइनों में अवरोधन होने पर उन्हें असामान्य डाक द्वारा भेजा जाता है।

(ग) डाक द्वारा तारों को नेजने के मामलों में कमी करने के उद्देश्य से विभाग ने नया यंत्र अपनाया है और बड़े कस्बों में जैनटैक्स-सिस्टम स्थापित किया है। क्यूरीयर उपलब्ध होने पर परियात को इसके माध्यम से भेजने के प्रयत्न किए जाते हैं। पिथौरागढ़ को विभागीय तारघर में बदला जा रहा है।

इन्दौर, देवास और शाजापुर को नए गैस कनेक्शनों का आबंटन

2714. श्री फुल चन्द वर्मा : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इन्दौर, देवास और शाजापुर शहरों के उपभोक्ताओं को 1982-83 के दौरान कितने नये गैस कनेक्शन देने पर विचार है ;

(ख) प्रतीक्षा सूची में कितने आवेदक हैं. और

(ग) विचाराधीन आवेदन पत्र कब तक निपटा दिए जायेंगे ;

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) (क), से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

मध्य प्रदेश के कस्बों में टेलीफोन सेवा

2715. श्री सत्यनारायण जटिया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में तराना, महीदपुर, आलोट, खाचरोट और बड़नगर में टेलीफोन सेवा नियमित तथा उचित ढंग से काम नहीं कर रही है ;

(ख) क्या इन कस्बों में टेलीफोन सेवा में बैटरी तथा अन्य उपस्कर के प्रयोग से तो अन्य उपकरण खराब नहीं है, और

(ग) उक्त कस्बों में टेलीफोन सेवा सुधारने के लिए किन चीजों की आवश्यकता है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं । तराना, महीदपुर आलोट, खाचरोट तथा बड़नगर में टेलीफोन सेवाओं का कार्यकरण सामान्य है ।

(ख) जी, हां । इन स्थानों पर उपलब्ध बैटरी तथा अन्य उपस्कर सामान्य ढंग से कार्य कर रहे हैं ।

(ग) उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजमहल लालमठिया परियोजना के लिए निरीक्षण बंगला और स्टाफ क्वार्टर

2717. श्री समीनुद्दीन : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार राजमहल लालमठिया परियोजना के लिए गुडिया पहाड़ (मेहगमा) जिला संथाल परगना (बिहार) में एक निरीक्षण बंगला और स्टाफ क्वार्टर का निर्माण कर रही है और क्या इसके निकट एक हवाई अड्डे का निर्माण करने की भी कोई योजना है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गुडिया पहाड़ (मेहगमा) और इसके आस-पास के क्षेत्र में निर्मित किए गए मकान हाल की वर्षा में ढह गए थे ;

(ग) क्या यह भी सच कि ठेकेदारों के साथ, जिन्होंने वहां पर निर्माण-कार्य किया था,

अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सांठ-गांठ के कारण घटिया स्तर का निर्माण कार्य हुआ था ;

(घ) यदि उपरोक्त भागो का उत्तर सकारात्मक है तो क्या सरकार ठेकेदारों और संबन्धित अधिकारियों के खिलाफ उपयुक्त कार्यवाही करेगी ; और

(ङ) वहां पर हवाई अड्डे के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) : जी, हां।

(ख) ऐसे कुछ मकान वर्षा के दौरान गिर गए जो निर्माणाधीन थे।

(ग) और (घ) मामले की जांच की जा रही है।

(ङ) हवाई पट्टी का निर्माण-कार्य अभी तक आरंभ नहीं किया गया है।

जालौन और औरंगाबाद, महाराष्ट्र में गैस एजेंसियों का आवंटन

2718. श्री बाला साहिब पवार : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जालौन और औरगांबाद (महाराष्ट्र) में गैस एजेंसियां देने का विचार है और यदि हां, तो गैस एजेंसियां कब तक दे दी जायेंगी।

(ख) 1982-83 में सारे महाराष्ट्र को कुल कितनी गैस एजेंसियां देने का विचार है ; और

(ग) ये गैस एजेंसियां देने के लिए आवेदन कब तक मांगे जायेंगे और तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

पेट्रोलिनम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जलगांव और औरगांबाद प्रत्येक में एक-एक नई एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप पहले से ही आरंभ की चुकी है और इन दोनों स्थानों में प्रत्येक में एक-एक और नई एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटर शिप शीघ्र ही आरम्भ करने की संभावनां है। वर्ष 1982-83 की अपनी अंतरिम योजना के अन्तर्गत तेल कंपनियों ने औरगांबाद के स्थान पर एक नई एल० पी० जी० एजेंसी आवंटित करने के लिए प्रस्ताव दिया है।

(ख) वर्ष 1982-83 की अपनी अंतरिम योजना के अन्तर्गत, तेल कंपनियां ने महाराष्ट्र में 29 एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने के लिए प्रस्ताव दिया है।

(ग) पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटर शिपों के आवंटन की नीति कार्य-विधि जिसको वर्ष 1982-83 से अपनाया जायेगा ; जिसका कि इस समय संशोधन किया जा रहा है उसे अन्तिम रूप दिए जाने के बाद सम्बन्धित तेल कंपनियों समाचार पत्रों में ब्योरा सहित विज्ञापन जारी करके आवेदन-पत्र आमंत्रित करेगी।

केरल में कंपनियों का पंजीकरण और परिसमापन

2719. श्री के० कुन्हम्बु : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में गत वर्ष कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कितनी कम्पनियों को पंजीकृत किया गया ; और

(ख) केरल में इस अवधि के दौरान कितनी कम्पनियों का काम बन्द हो गया और उनका परिसमापन हो गया ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) (क) 1-4-81 से 31-3-82 तक की वर्षावधि में केरल राज्य में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत शेयरों द्वारा लिमिटेड 202 कम्पनियां पंजीकृत की गई थीं।

(ख) इसी अवधि में राज्य में 10 कम्पनियों ने परिसमापन में जाकर काम करना बन्द किया।

उत्तर प्रदेश की विद्युत परियोजनाएं

2720. श्री जैनुल बशर : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति और सहायता के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं ;

(ख) अब तक किन-किन परियोजओं को स्वीकृति दे गई है और कितनी धनराशि की सहायता दी गई ; और

(ग) जिन परियोजनाओं को रद्द किया गया, उनके नाम क्या हैं और उनके रद्द किए जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित स्कीमों की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव किया है :-

ताप विद्युत स्कीमें

1. ऊंचाहार विस्तार (2 × 210 मेगावाट)
2. रोसा ताप विद्युत स्टेशन (3 × 210 मेगावाट)
3. अनपारा "सी" (3 × 500 मेगावाट)
4. घोरीघाट (2 × 210 मेगावाट)
5. परीच्छा विस्तार (2 × 210 मेगवाट)
6. जवाहरपुर (ऐटा) (3 × 210 मेगावाट)
7. नरोरा ताप विद्युत स्टेशन (3 × 210 मेगावाट)

जल विद्युत स्कीमें

1. किसाऊ (4 × 150 मेगावाट)
2. लखवार व्यासी (3 × 100—2 × 60 मेगावाट)
3. कटापत्थर (2 × 9.5 मेगावाट)
4. श्रीनगर (4 × 50 मेगावाट)
5. वेल्का (5 × 1 मेगावाट)
6. बहेल (3 × 2 मेगावाट)
7. माधो (4 × 1 मेगावाट)
8. राप्ती (5 × 3·6 मेगावाट)
9. टनकपुर (3 × 40 मेगावाट)
10. पाला मनेरी (3 × 47.5 मेगावाट)
11. लोहारी नागपाला (3 × 94 मेगावाट)
12. खारा (3 × 27 मेगावाट)

राज्य सरकार ने योजना आयोग को प्रस्तुत की गई वार्षिक योजना 1882-83 के प्रस्तावों में ताप–विद्युत और जल-विद्युत नवीकरण स्कीमों के लिए 10 करोड़ रुपए के प्रावधान सहित अनुमोदित न की गई नई स्कीमों के लिए 20.34 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव किया है।

(ख) छठी योजना के शुरु होने के बाद स्वीकृत ऊंचाहार (2 × 210 मेगावाट) अनपारा "ख" (2 × 500 मेगावाट) और मानेरी-11 (4 × 64 मेगावाट) सहित उत्तर प्रदेश में समय-समय पर कई परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पाला मानेरी और लोहड़ी नागपाला स्कीमों को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान की है। पाला मानेरी के लिए राज्य की वार्षिक योजना 1982-83 में पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है। योजना आयोग ने राज्य सरकार को यह सूचित करने के लिए अनुरोध किया है कि उनका स्कीम वित्त व्यवस्था किस प्रकार करने का प्रस्ताव है। लोहड़ी नागपाला परियोजना के बारे में पर्यावरण की दृष्ट से पर्यावरण विभाग की स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।

वार्षिक योजना 1982-83 में राज्य के जल-विद्युत और ताप-विद्युत नवीकरण कार्यक्रम के लिए 19 करोड़ रुपए का परिव्यय शामिल किया गया है;

राज्य को केन्द्रीय सहायता राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा स्वीकृत फार्मूले के आधार पर दी जाती है। इसके अलावा केन्द्रीय सहायता ब्लाक अनुदानों और ब्लाक ऋणों के रुप में दी जाती है तथा यह सहायता किसी विशेष परियोजना के लिए नहीं होती है।

(ग) निम्नलिखित स्कीमें परियोजना प्राधिकारियों को वापिस भेज दी गई हैं:-

1. अनपारा "ग"
2. घोरीघाट

3. परिच्छा ताप विद्युत केन्द्र विस्तार

4. जवारहर पुर (एटा)

5. नरोरा ताप विद्युत केन्द्र

शेष चार स्कीमों के लिए 1989-90 तक कोयला लिंकेज की पुष्टि नहीं की गयी है। उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से इन स्कीमों पर 1989--90 के बाद विचार करने के लिए प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। नरोरा ताप विद्युत केन्द्र के संबंध में परमाणु ऊर्जा विभाग ने यह सलाह दी थी कि परमाणु विद्युत संयंत्र के निकट होने के कारण एक ताप विद्युत केन्द्र नरोरा में स्थापित नहीं किया जाना चाहिए।

कोयला विभाग द्वारा वायुधारिवक रोग (न्यूमोकोनिओसिस) के मामलों का अनुमान लगाया जाना

2721. डा० सरदीश राय : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला विभाग ने खनिकों के घातक रोग (न्यूमोकोमिओसिस) के मामलों का कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कलकत्ता विद्युत सप्लाई निगम के लिए दामोदर घाटी निगम का संविदागत दायित्व

2722. श्री अजित बाग : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता विद्युत सप्लाई निगम के लिए दामोदर घाटी निगम का संविदागत दायित्व क्या है ;

(ख) 1977 से गत पांच वर्षों के दौरान दामोदर घाटी निगम कितनी बार संविदागत दायित्वों को निभा सका ;

(ग) दामोदर घाटी निगम कितनी बार अपने दायित्व निभाने में असफल रहा; और

(घ) इस संविदा में दंड के खंड का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) दामोदर घाटी निगम तथा सी०ई०एस०सी० के बीच हुए ठेके के अनुसार इष्टतम मांग 105 एम०बी०ए० है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) ठेके के अनुसार यदि दामोदर घाटी निगम के नियंत्रण से बाहर कारणों के परिणामस्वरूप विद्युत ऊर्जा की सप्लाई कम हो जाती है तो उपभोक्ता द्वारा देय मांग प्रभार तथा गारटी उर्जा प्रभारों को विद्युत सप्लाई के अनुपात के अनुसार कम कर दिया जायेगा।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए उत्तर प्रदेश की सहायता

2723. श्री रामलाल राही : ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के लिए सभी राज्यों को सहायता देती है ; और

(ख) यदि यहां, तो इस वर्ष उत्तर प्रदेश को कितनी सहायता दी जाएगी और तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां। राज्य बिजली बोर्ड/राज्य सरकारों द्वारा जो ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमें बनाई जाती हैं और उन्हीं के द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं, वित्तीय सहायता की व्यस्था ग्राम विद्युतीकरण निगम (आर०ई०सी०) के माध्यम से की जाती है।

(ख) उत्तर प्रदेश में पहले ही स्वीकृत/स्वीकृत की जाने वाली ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों के बारे में ऋण की किश्तों के रूप में ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए वर्ष 1982-83 की वार्षिक योजना में ग्रा. वि. नि. द्वारा वितरित किए जा रहे 27.48 करोड़ रुपए के आबंटन का प्रावधान है। 27.48 करोड़ रुपए के आबंटन में निगम के सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत 12.78 करोड़ रुपए और संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 14.70 करोड़ रुपए शामिल है। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट कृषि परियोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत पम्पसेटों के ऊर्जन के लिए और प्रणाली सुधार के लिए, जिसके राज्य-वार ब्यौरे तैयार नहीं किए गए हैं, वित्तीय सहायता की व्यवस्था भी की जाएगी। वर्ष 1982-83 के दौरान 3100 गावों का विद्युतीकरण तथा 58010 पम्पसेटों को ऊर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित करने का विचार है। उ०प्र० रा०बि० बोर्ड से प्राप्त अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार मई 1982 के अन्त तक 1058 गांव विद्युतीकृत कर दिए गए हैं और 1416 पम्पसेटों को ऊर्जित कर दिया गया है।

आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र का ट्रांसमीटर

2724. श्री भागेन्द्र झा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री दरभंगा के लिये ट्रांसमीटर के बारे में 25 नवम्बर, 1980 के तारांकित/अतारांकित प्रश्न संख्या 1200 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र के लिये 7 जनवरी, 1976 को सभा में दिए गए आश्वासन कि "जब अधिक संसाधन उपलब्ध हो जायेंगे तो ट्रांसमीटर की क्षमता बढ़ाने के प्रश्न

पर विचार किया जा सकता है।" को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) क्या भारत और नेपाल के मैथिली भाषी क्षेत्रों के लिए समाचार प्रसारित करने हेतु मैथिली भाषा में समाचार बुलेटिन की लगातार मांगे की जा रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) वित्तीय संसाधनों की निरन्तर कमी तथा सापेक्ष प्राथमिकताओं के कारण दरभंगा ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाने के बारे में विचार करना अभी तक संभव नहीं हुआ है।

(ख) इस आशय की कुछ मांगें होती रही हैं।

(ग) मैथिली भाषी श्रोता हिन्दी के वर्तमान बुलेटिनों को व्यापक रूप से सुनते और समझते हैं। इसलिए, मैथिली में एक अलग समाचार बुलेटिन शुरू करने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है।

मध्य प्रदेश के झाबुआ और रतलाम जिलों के लिए दूरदर्शन केन्द्र

2725. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन प्रसारण के अन्तर्गत पश्चिम मध्य प्रदेश के झाबुआ और रतलाम के आदिवासी जिलों को शामिल करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) रतलाम और झबुआ के लिए दूरदर्शन सेवा की व्यवस्था छठी पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति परियोजनाओं में शामिल नहीं हैं। तथापि, चरणबद्ध कार्यक्रम में डाक-तार माइक्रोवेव लिंको की सहायता से दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने के लिए चुने गए स्थानों में से एक रतलाम है। इसका कार्यान्वियन संसाधनों की उपलब्धता और सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। झबुआ नगर और जिले के भागों के तब कवर होने की उम्मीद है जब रतलाम में 10 किलोवाट का ट्रांसमीटर स्थापित हो जाएगा।

भारतीय तेल निगम के हल्दिया कारखाने का विस्तार

2726. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने भारतीय तेल निगम के हल्दिया कारखाने का विस्तार करने संबंधी मामले में योजना मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श किया है ;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय तेल निगम के हल्दिया कारखाने के विस्तार के लिए अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (घ) हल्दिया रिफाइनरी की क्षमता को 2.5 मिलियन मी० टन प्रति वर्ष से बढ़कर 5.5 मिलियन मी० टन प्रति वर्ष तक करने की प्रायोजना को छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है। विस्तार प्रायोजना के सम्बन्ध में सम्भाव्यता रिपोर्ट इंडियन आयल कारपोरेशन से प्राप्त हो गई है। सम्भाव्यता रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने के लिए अन्तर-मंत्रालीय बैठकें की गई हैं और विचार विमर्श को ध्यान में रखते हुए आगे की प्रक्रिया अनुमानों के लिए जांच की जा रही है और उनको संशोधित किया जा रहा है ।

टेपिओका से अल्कोहल बनाने का प्रस्ताव

2727. श्रीमती शुशीला गोपालन : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या कासव (टेपिओका) से अल्कोहल बनाने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) क्या कोई परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है,

(ग) यदि हां, तो उस परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं और इस विशेष परियोजना पर कौन सी संस्था कार्यरत है,

(घ) इस परियोजना में उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा और यह परियोजना कहां पर स्थापित करने का प्रस्ताव है,

(ङ) इस परियोजना की अनुमानित लागत तथा एक लीटर अल्कोहल बनाने की लागत क्या है, और

(च) क्या इस परियोजना का आशय औद्योगिक अल्कोहल बनाने का है अथवा पेय शराब बनाने का है ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (च) आंध्र प्रदेश, केरल तथा तमिलनाडु राज्यों में कसावा (टेपिओका) से औद्योगिक अल्कोहल के उत्पादन के लिए सरकार द्वारा 10 योजनाएं अनुमोदित की गई हैं। इन योजनाओं की क्षमता 2000 से 6000 कि० ली० प्रति वर्ष होगी। उनके द्वारा 1984-85 से उत्पादन होने की संभावना है। इन योजनाओं की अनुमानित लागत एक करोड़ से 1.50 करोड़ रुपये के बीच होगी। इन योजनाओं से औद्योगिक अल्कोहल के उत्पादन की लागत, कच्चे माल की लागत तथा अन्य पहलुओं पर निर्भर करेगी, तथापि, यह बताया गया है कि लागत 3 से 3.5 रुपए प्रति लिटर के लगभग होगी ।

ये प्रस्ताव सेन्ट्रल फूड टेनीलोजी रिसर्च इन्सट्टियूट, मैसूर तथा सेन्ट्रल ट्यूटर क्राप रिसर्च इन्सट्टियूट, त्रिवेन्द्रम की स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकी पर आधारित है।

एशियाई खेलों के कारण बिजली की मांग में वृद्धि होना

2728. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगामी एशियाई खेलों को देखते हुए राजधानी में बिजली की मांग में वृद्धि होगी ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें अनुमानतः कितनी वृद्धि होगी और इसके लिए क्या प्रबंध किए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन): (क) जी, हां।

(ख) 1982 की गर्मी के मौसम में दिल्ली में विद्युत की अधिकतम मांग 612 मेगावाट थी और नवम्बर-दिसम्बर 1982 के दौरान, जब एशियायी खेलों को आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है, इस मांग में 650 मेगावाट तक की वृद्धि होने का अनुमान है। सामान्य रूप से विद्युत की यह मांग क्रमशः 284.1 मेगा० 59.6 मेगा० और 720 मेगा० की प्रतिष्ठापित क्षमता वाले इन्द्रप्रस्थ केन्द्र, राजघाट विद्युत केन्द्र और बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र से पूरी की जाएगी। इन संसाधनों से विद्युत की कमी के समय में उत्तर प्रदेश सहित उत्तरी ग्रिड से तथा केन्द्रीय उत्पादन परियोजनाएं नामशः सिंगरौली सुपर ताप-विद्युत केन्द्र और बैरा स्यूल जलविद्युत परियोजना से भी विद्युत ली जायेगी।

मद्रास दूरदर्शन केन्द्र से कर्नाटक कार्यक्रम का प्रसारण

2729. श्री के० मालन्ना : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि मद्रास दूरदर्शन केन्द्र से कन्नड़ कार्यक्रम रोजाना शाम के दो घंटे के लिए प्रसारित किया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी हां, ।

(ख) कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं की स्थापना होने तक, बंगलौर में स्थापित दूरदर्शन ट्रांसमीटर मद्रास और बंगलौर के दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों को रिले कर रहा है। वर्तमान ढांचे के अन्दर कन्नड़ कार्यक्रमों को टेलीकास्ट करने की संभावना का पता किया जा रहा है।

दूरदर्शन कार्य के विस्तार का कार्यक्रम

2730. श्री पी० के० कोडियन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजनायें दूरदर्शन के कार्य के विस्तार का कार्यक्रम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) योजना अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य के प्राप्त हो जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे): (क) से (ग) : जी, हां। दूरदर्शन की छठी पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन का काम विभिन्न अवस्थाओं में है। सभी मामलों में मंजूरियां दे दी गई हैं ; स्थानों का चयन कर लिया गया है और बहुत से स्थानों पर सिविल निर्माण कार्य शुरू हो चुके हैं। अधिकांश मामलों में, उपकरणों की सप्लाई के लिए आर्डर भी सप्लाइकर्ताओं को दिए जा चुके हैं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बिजली की आवश्यकता

2731. श्री बी०आर० नहाटा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1990-91 अर्थात् सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक की अवधि के लिए बिजली की आवश्वयकता का अनुमान लगाया गया है ताकि सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रत्येक राज्य के लिए बिजली के लक्ष्य निर्धारित किए जा सकें ; और

(ख) क्या प्रत्येक राज्य इस अनुमान पर सहमत हो गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) ग्यारहवें वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। इसमें 1991-92 तक की अवधि तक के लिए प्रत्येक राज्य की विद्युत की मांग को दिखाया गया है।

(ख) चूंकि राज्य बिजली बोर्डों के पास अर्थव्यवस्था की पूरी स्थिति उपलब्धता नहीं है, उनके मांग सम्बन्धी अमुमान सामान्यत: कुछ अधिक पाए जाते हैं। ग्यारहवां वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण राज्य बिजली बोर्डों तथा राज्य सरकार के अन्य संगठनों के साथ विचार-विमर्श के पश्चात किया गया था। विद्युत मांगों के पूर्वानुमानों को अन्तिम रूप देते समय अन्य बातों के साथ-साथ उनके दृष्टिकोणों पर भी विचार किया गया था।

फ्रांस से तेल उत्पादन प्लेटफार्म खरीदने का प्रस्ताव

2732. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग फ्रांस से कोई तटदूर तेल उत्पादन प्लेटफार्म खरीदने पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर होने वाली अनुमानित लागत सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

(ग) इसे खरीदने की क्या जरूरत पड़ी ; और

(घ) उक्त परियोजना के वित्त-पोषण के लिये यदि कोई व्यवस्था की गई तो वह क्या है और इसके लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने 77.93 मिलियन अमेरिकन डालर के एकमुश्त मूल्य पर बम्बई हाई क्षेत्र में एस०के०, एन०बी० और एन०एक्स० नामक तीन कूप उत्पादन प्लेट फार्मों का टर्न की आधार पर निर्माण, प्रतिष्ठानपन आदि करने के लिए फ्रांस की मैसर्स ई०टी० पी०एम० को एक ठेका दिया है।

(ग) बम्बई हाई से खनिज तेल के उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्लेटफार्मों के प्रतिष्ठापन की आवश्यकता हुई है।

(घ) संविदा मूल्य, अतिरिक्त मदें जैसे अतिरिक्त पुर्जे आदि, और आकस्मिक व्यय के लिए व्यवस्था को दृष्टि में रखते हुए, सरकार ने इस प्रायोजना के लिए 96.21 मिलियन अमेरिकन डालर की विदेशी मुद्रा जारी की है। इसमें से 23.37 मिलियन अमेरिकन डालर की राशि फ्रेंच एक्सपोर्ट क्रेडिट के अन्तर्गत और 30.2 मिलियन अमेरिकन डालर की राशि यूरो-येन डालर की राशि यूरो-येन ऋण के अन्तर्गत शामिल किये जाने की संभावना है। 42.64 मिलियन अमेरिकन डालर की बकाया राशि को अनमुक्त विदेशी मुद्रा के अन्तर्गत शामिल करने की संभावना है।

औषधियों के मूल्य बढ़ाने का निर्णय

2733. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने औषधियों के मूल्य 15 प्रतिशत और बढ़ाने का निर्णय किया है :

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं :

(ग) क्या सरकार औषध कम्पनियों के विभिन्न औषधियों के मूल्य बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध किया था :

(घ) यदि हां, तो सरकार ने किन-कारणों से औषधियों का मूल्य बढ़ाने का यह प्रस्ताव स्वीकार किया है : और

(ङ) मूल्य बढ़ाने का अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों की मांग और उत्पादन क्षमता

2734. श्री मूल चन्द डागा : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नाइट्रोजन-युक्त उर्वरकों की मांग और उत्पादन क्षमता कितनी है :

(ख) क्या नाइट्रोजन-युक्त उर्वरकों के उत्पादन के लिए कोयला और पेट्रोलियम चाहिए :

(ग) यदि हां, तो इन उर्वरक कारखानों के लिए 1979-1880, 1981 1982 के दौरान कोयले और पेट्रोलियम की मांग कितनी थी ; और

(घ) पेट्रोलियम और कोयला कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं और उनकी उपलब्धता में कमी के लिए कौन उत्तरदयी है और उसके परिणामस्वरूप नाइट्रोजन-युक्त उर्वरकों के उत्पादन में कितनी कमी हुई ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) वर्ष 1981-82 में नाइट्रोजन उर्वरकों की खपत, उत्पादन और स्थापित क्षमता निम्न प्रकार थी :—

(नाइट्रोजन, लाख टनों में)

खपत (अनुमानित)	41.15
उत्पादन	31.44
स्थापित क्षमता	47.19

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

2735. श्री के० ए० राजन : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों से उच्च न्यायाधीशों के न्यायालय के पदों की रिक्तियाँ धीरे-धीरे बढ़ रही ;

(ख) यदि हां, तो रिक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है ;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लम्बित मामलों की संख्या भी बढ़ी है ;

(घ) यदि हां, तो उनका न्यायालयवार ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) रिक्तियों को भरने के लिए तथा विभिन्न न्यायालयों मे लम्बित मामलों को तत्परता से निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) एक विवरण जिसमें विभिन्न उच्च न्यायालयों में 1-7-1980 और 1-7-1982 को न्यायाधीशों के रिक्त पदों की संख्या दी गई है, संलग्न है (उपाबन्ध-I)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल टी-4328/82]

(ग) और (घ) 1-7-82 को लम्बित मामलों की संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। किंतु एल विवरण जिसमें 1-7-1980 और 1-1-1982 को विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या दी गई हैं, संलग्न है (उपाबन्ध-II)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल, टी-4328/8]

1-7-1980 और 1-7-1982 को उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। किंतु एक विवरण जिसमें उच्चतम न्यायालय में 31-12-1979 और 31-12-1981 को लंबित मामलों के आंकड़े दिए गए हैं, संलग्न है (उपाबंध–III)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी-4328/82]

(ङ) उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त स्थानों को भरने के लिए, अधिकांश मामलों में राज्य प्राधिकारियों से पूर्ण रूप से सुनिश्चित प्रस्ताव अभी प्राप्त होने हैं। इनके संबंध में अनुस्मरण पत्र बराबर भेजे जा रहे हैं। मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायाधिपतियों से जोर देकर यह कहा गया है कि उन पदों को जिनके रिक्त होने की संभावना है भरने के लिये अग्रिम कार्यवाई करने की आवश्यकता है।

मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए जो उपाय किए गए हैं वे संलग्न विवरण में दिए गए हैं (उपबंध-IV)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी-4328/82]

आटोमैटिक टेलीफोन एक्सचेंज, बिहार शरीफ के लिए भवन का निर्माण

2736. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य मे वर्ष 1983-84 बिहार शरीफ में मानव चालित टेलीफोन-एक्सचेंजों को आटोमैटिक एक्सचेंज में बदलने के लिए निर्धारित किया गया है ; और

(ख) प्रस्तावित आटोमैटिक एक्सचेंज के भवन के निर्माण के लिए क्या ठोस कदम बठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) बिहार शरीफ के कर चल एक्सचेंज स्वचालित एक्सचेंज में बदलने का कार्य 1983-84 में किया जाएगा, तथा संस्थापन कार्य भवन तथा उपस्कर की उपलब्धता पर निर्भर है ।

(ख) टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत हेतु भूमि खरीद ली गई है । योजना प्राक्कलन की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है । इमारत का प्राथमिक नक्शा तैयार किया जा रहा है ।

विद्युत संयंत्रों के संबंध में भारत-रूस समझौता

2737 श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत संयंत्र के संबंध में भारत रूस समझौते पर हस्ताक्षर हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो भारत में तापीय विद्युत संयंत्रों के निर्माण के लिए कितनी संविदाताओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां इन राष्ट्रीय ताप विद्युत संयंत्र को स्थापित किए जाने का विचार है; और

(घ) इस संबंध में सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

ऊजा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) : मध्य प्रदेश के सीधी जिले में बिध्याचल सुपर ताप विद्युत केन्द्र के पहले चरण (6×210 मेगावाट) की स्थापना के संबंध में उपस्कर सप्लाई, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने तथा डिजाइन दस्तावेज तैयार करने तथा अन्य सेवाओं के सम्बन्ध में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (रा०ता० वि०नि०) ने हाल ही में रूस की मै० टेक्नोप्रोमएक्सपोर्ट के साथ ठेकों को अन्तिम रूप दिया है । इस विद्युत केन्द्र की 210 मेगावाट की पहली यूनिट 1977-88 तक चालु हो जाने की सम्भावना है ।

तस्करी की गई विदेशी फिल्मों का दिखाया जाना

2738. श्री पी एम सईद : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या नकली सर्टिफिकेटों के साथ तस्सरी की विदेशी फिल्मों को देश के कुछ भागों में सिनेमा घरों में दिखाये जाने की रिपोर्टों पर मंत्रालय बहुत चिन्तित है;

(ख) क्या रोक लगी फिल्मों, बिना सेंसर हुई फिल्मों तथा बिना सेंसर प्रमाणपत्र के फिल्मों के प्रदर्शन के भी कोई समाचार है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) क्या दोषियों को कोई सजा दी जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) (क) से (घ) : तस्करी की विदेशी फिल्मों के नकली प्रमाणपत्रों के साथ देश के कुछ भागों के सिनेमाघरों में कथित प्रदर्शन की रिपोर्टों पर केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड और केन्द्रीय सरकार दोनों चिंतित हैं। तथापि, प्रतिबन्धित सेंसर न हुई और सेंसर-प्रमाणपत्र के बिना या नकली प्रमाण के साथ फिल्मों के प्रदर्शन की कोई रिपोर्ट हाल ही में केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के ध्यान में नहीं आई है। चलचित्र (संशोधन) अधिनियम, 1981, जिसके शीघ्र ही प्रवृत हो जाने की संभावना है, में चलचित्र अधिनियम, 1952 में फिल्मों के प्रमाणीकरण से संबंधित उपबंधों के उल्लंघन के सभी अपराधों को संज्ञेय बनाने और दंडों में वृद्धि करने की भी व्यवस्था है।

भवन निर्माण ऋण की स्वीकृति

2739 श्री पी. राजगोपाल नायडू : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के कितने कर्मचारियों ने वर्ष 1981-82 के दौरान भवन निर्माण हेतु ऋण प्राप्त किया है; और

(ख) कितने प्रार्थना पत्र लम्बित पड़े हुए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) वर्ष 1981 82 के दौरान इस मंत्रालय के 73 कर्मचारियों ने भवन निर्माण हेतु ऋण प्राप्त किए।

(ख) वर्ष 1981 82 के दौरान प्राप्त 179 आवेदन पत्र लम्बित पड़े हुए हैं।

राज्य विद्युत बोर्डो द्वारा टैरिफ पुनिरीक्षण

2740 श्री रवींद्र वर्मा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य विद्युत बोर्डों ने घरेलू औद्योगिक और कृषि उपभोक्ताओं को बिजली की सप्लाई के लिए अपने टैरिफ का पुनरीक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन राज्य हैं और दरों में कितनी वृद्धि की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी हां।

(ख) गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु राज्यों ने 1982 के दौरान बिजली की सप्लाई के लिए अपनी टेरिफ संशोधित कर दी है। ब्यौरे उपाबन्ध में दिए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 4329/82]

नेपाली. डोगरी और मणिपुरी में पुस्तकों का प्रकाशन

2741 श्री पी. एस. सुब्बा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने नेपाली, डोगरी और मणिपुरी में कोई पुस्तक प्रकाशित की है ; और

(ख) क्या मंत्रालय का विचार इन भाषाओं में कुछ चुनी हुई पुस्तकें प्रकाशित करने का है जिसमें लोगों को स्वतन्त्रता संग्राम और महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल आदि जैसे हमारे महान नेताओं के जीवन के बारे में जानकारी हो सके ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) फिलहाल इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जोधपुर के लिए दूरदर्शन केन्द्र

1742 श्री अशोक गहलोत : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) उन शहरों के नाम क्या हैं जिन्हें निकट भविष्य में सरकार दूरदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत लाना चाहती है और इस पर अनुमानित : कितनी धनराशि खर्च होगीं ;

(ख) क्या सरकार का विचार जोधपुर में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का है ;

(ग) यदि हां, तो इस केन्द्र से प्रसारण कब शुरू हो जाएगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो जोधपुर में दूरदर्शन सेवाएं कब तक उपलब्ध होगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) (क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में शामिल किए गए दूरदर्शन केन्द्रों तथा उन पर अनुमानित व्यय का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) : डाक-तार माक्रोवेव मार्गों पर दूरदर्शन रिले केन्द्रों की स्थापना की भावी योजना में जोधपुर को शामिल किया गया है। इस योजना का कार्यान्वयन संसाधनों की उपलब्धता और सापेक्ष प्राथकिकताओं पर निर्भर करेगा।

विवरण

1. उन शहरों के नाम जिनमें छठी योजना के दौरान 86.95 करोड़ रुपये के परिव्यय से दूरदर्शन परियोजनाएं हाथ में ली जा रही हैं।

		कैफियत
1.	अहमदाबाद	ट्रांसमीटर और स्टूडियो
2.	त्रिवेन्द्रम	—तथैव—
3.	बंगलोर	—तथैव—
4.	गोहाटी	—तथैव—
5.	वारणसी	ट्रांसमीटर
6.	आसनसोल	—तथैव—
7.	पणजी	—तथैव—
8.	विजयवाड़ा	—तथैव—
9.	कोडैकनाल	—तथैव—
10.	मुर्शिदाबाद	—तथैव—
11.	कटक	—तथैव—
12.	कसौली	—तथैव—
13.	हैदराबाद	स्टूडियों
14.	जयपुर	स्टूडियो

2. इन्सेट योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित स्थानों पर उपग्रह पुनः प्रसारण ट्रासमीटर उपलब्ध किए जाने है :

1. नागपुर
2. गोरखपुर
3. रांची
4. राजकोट

छठी योजना अवधि के दौरान इन्सेट योजना पर कुल अनुमानित व्यय 38.80 करोड़ रुपए है।

मिट्टी के तेल के डिपुओं पर छापे

2743. डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मिट्टी के तेल के डिपुओं पर जनवरी, 1982 से जून, 1982 के दौरान कितने छापे मारे गए और उनके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) अपेक्षित सूचना एकत्र की

जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

विद्युत विभाग में संवर्ग

2744 श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत विभाग के नियन्त्रण में कितने संवर्ग हैं :

(ख) प्रत्येक संवर्ग में स्टेशन-वार कितने पद हैं :

(ग) कितने पद रिक्त हैं और कब से हैं :

(घ) क्या यह सच है कि विद्युत विभाग इन विभिन्न संवर्गों पर ठीक ढंग से नियन्त्रण नहीं कर सकता है क्योंकि प्रसाशनिक कार्य का वितरण असमान है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) विद्युत विभाग द्वारा निम्न लिखित केन्द्रीय सेवाओं के संवर्गों का नियंत्रण किया जाता है :—

(1) केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूहक) सेवा

(2) केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के निम्मलिखित विकेन्द्रित ग्रेड :-

(1) केन्द्रीय सचिवालय सेवा

(2) केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा; और

(3) केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम संख्या	पद का नाम	पद का मुख्य कार्यालय	स्वीकृति पदों की संख्या
1	2	3	4
(क)	केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी (समूह क) सेवा. .		
1.	मुख्य अभियंता/सदस्य सचिव	नई दिल्ली . .	22

1	2	3	4
	(क्षेत्रिय बिजली बोर्डों)/	बंगलोर ..	1
	सचिव, केन्द्रीय विद्युत बोर्ड	बम्बई ..	1
	(स्तर I/स्तर II)	कलकत्ता ..	1
			25
		जोड़	
2.	उप मुख्य अभियन्ता	नई दिल्ली ..	9
3.	निदेशक/अधिक्षण अभियंता	नई दिल्ली ..	66
	(साधारण ग्रेड)	बंगलोर ..	3
		बम्बई ..	2
		शिलांग ..	1
		कलकत्ता ..	2
		अनपारा (उ०प्र०) ..	1
		जोड़	75
4.	उप निदेशक/कार्य पालक अभियंता	नई दिल्ली ..	161
		बंगलोर ..	18
		बम्बई ..	13
		शिलांग ..	4
		कलकत्ता ..	13
		मद्रास ..	1
		गोवा ..	1
		अनपारा (उ०प्र०) ..	1
		जोड़	212
5.	सहायक निदेशक/सहायक कार्यपालक अभियन्ता ..	नई दिल्ली ..	180
		बंगलोर ..	20

1	2	3		4
		बम्बई	..	15
		शिलांग	..	6
		कलकत्ता	..	19
		मद्रास	..	1
		अनपारा (उ०प्र०)	..	2
		जोड़ :		243
(ख)	केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ऊर्जा मंत्रालय) .. (विद्युत विभाग)			
6.	डेस्क आफिसर/अनुभाग अधिकारी	दिल्ली	..	86
		पटना	..	1
		हैदराबाद	..	1
		जोड़ :		88
7.	डेस्क अटेची/सहायक	दिल्ली	..	197
		पटना	..	1
		हैदराबाद	..	2
		जोड़ :		200
(ग)	केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा (ऊर्जा मंत्रालय) (विद्युत विभाग संवर्ग)			
8.	उच्च श्रेणी लिपिक	दिल्ली	..	289
		पटना	..	3
		हैदराबाद	..	3
		जोड़ :		295

1	2	3		4
9.	अवर श्रेणी लिपिक	दिल्ली	..	417
		पटना	..	4
		हैदराबाद	..	4
		जोड़ :		425
(घ)	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (ऊर्जा मंत्रालय) (विद्युत विभाग संवर्ग)			
10.	व्यक्तिगत सहायक (ग्रेड-क)	दिल्ली	..	14
11.	वरिष्ठ व्यक्तिगत सहायक (ग्रेड-ख)	दिल्ली	..	43
		पटना	..	1
		हैदराबाद	..	1
		जोड़ :		45
12.	व्यक्तिगत सहायक (ग्रेड-ग)	दिल्ली	..	216
		हैदराबाद	..	1
		जोड़ :		217
13.	आशुलिपिक (ग्रेड-घ)	दिल्ली	..	302
		पटना	..	2
		जोड़ :		304

टेलीविजन कार्यक्रमों के रिले-ट्रांसमिशन के लिए सूक्ष्म-तरंग एकक

2745. श्री जेवियर अराकल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीविजन कार्यक्रमों के रिले-ट्रांसमिशन के लिए कितने सूक्ष्म तरंग एकक प्रयोग में लाये जाते हैं ; और

(ख) कोचीन, केरल के अन्य क्षेत्र में यह सुविधा प्रदान क्यों नहीं की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) चरणबद्ध कार्यक्रम में डाक-तार माइक्रोवेव लिंकों की सहायता से दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने के लिए चुने गए स्थानों में से एक कोचीन (एर्नाकुलम) है। इसका कार्यान्वयन संसाधनों की उपलब्धता और सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

विवरण

1. माइक्रोवेव लिंकों से जुड़े हुए दूरदर्शन केन्द्र :

   1. दिल्ली-मसूरी
   2. दिल्ली-बम्बई-बंगलौर-मद्रास

2. दूरदर्शन केन्द्र जिनको माइक्रोवेव लिंकों के साथ शीघ्र ही जोड़े जाने की संभावना है :

   1. दिल्ली-जलंधर-श्रीनगर
   2. दिल्ली-लखनऊ-कलकत्ता
   3. लखनऊ-कानपुर

3. अतिरिक्त दूरदर्शन केन्द्र जिनको छठी पंचवर्षीय योजना में माइक्रोवेव लिंको के साथ जोड़े जाने की संभावना है।

   1. जलंधर-अमृतसर
   2. लखनऊ-वाराणसी
   3. कलकत्ता-मुर्शिदाबाद
   4. कलकत्ता-आसनसोल
   5. बम्बई-पुणे
   6. मद्रास-मदुरै
   7. हैदराबाद-विजयवाड़ा
   8. बम्बई-पंणजी
   9. दिल्ली जयपुर।

राजभाषा क्रियान्वयन समिति

2746 श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत विभाग तथा उससे सम्बद्ध कार्यालयों में गठित राजभाषा क्रियान्वयन समिति के उद्देश्य क्या हैं ;

(ख) वर्ष 1980 और 1981 में समिति की कितनी बैठकें हुई हैं तथा समिति द्वारा लिए गए निर्णयों पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि राजभाषा क्रियान्वयन समिति के निर्णयों पर कार्यवाही में विलम्ब किया जा रहा है तथा नियमित बैठकों को टाला जा रहा है ; और

(घ) राजभाषा क्रियान्वयन समिति की नियमित रूप में बैठकें बुलाने तथा इस के निर्णयों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) राजभाषा कार्यान्वियन नीति तथा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के पूर्ण रूपेण कार्यान्वियन पर नजर रखने के लिए राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) के निर्देशों के अन्तर्गत राजभाषा कार्यान्वियन समितियां बनाई गई हैं।

(ख) विद्युत विभाग में 1980 तथा 1981 के दौरान राजभाषा कार्यान्वियन समिति की दो बैठकें हुई।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में 1980 तथा 1981 के दौरान क्रमश: समिति की तीन मीटिगें हुई। इन बैठकों के कार्यवृत्त की टिप्पणियां क्रमश: मंत्रालय के०वि०प्रा० में इन बैठकों में लिए गए निर्णयों पर आवश्यक कार्यवाही करने के लिए परिचालित कर दी गई थीं।

(ग) और (घ) जी नही। समिति की बैठकों को नियमित रूप से करने तथा राजसभा कार्यान्वियन समिति की बैठकों में लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण समिति की अधिक बैठकें नहीं हो सकीं। इन बैठकों को भविषय में नियमित रूप से करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया है।

गत तीन वर्षो के दौरान दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को हुआ मुनाफा/घाटा

2747. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार और अब तक चालू वर्ष के दौरान दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को कितना मुनाफा अथवा घाटा हुआ; और

(ख) यदि घाटा हुआ तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान एक सार्वजनिक यूटिलिटी उपक्रम है अतः इसमें लाभ कमाने की अपेक्षा उचित दरों पर विद्युत उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाता है, अतः इससे एक संतुलित बजट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। 1979-80 के लेखों में 11.70 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया गया है 1980-81 के लेखे

अभी संकलित नहीं किए गए हैं तथा लेखों के संकलित किए जाने के बाद ही कार्य के वास्तविक परिणामों का पता चल सकेगा।

(ख) घाटे का मूख्य कारण खरीदी जाने वाली विद्युत तथा अन्य निवेश जैसे कोयला और भट्टी के तेल, रेलवे भाड़े तथा प्रचालन और अनुरक्षण के लिए आवश्यक अन्य स्टोर की मदों के मूल्य में अधिक वृद्धि होना है। इसके अतिरिक्त, समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा अतिरिक्त मंहगाई भत्ते की स्वीकृति के कारण सिब्बंधी सम्बन्धी व्यय में बहुत अधिक वृद्धि हुई है।

उड़ीसा में तालचेर कोयला खान के निकट अधिगृहीत भूमि

2748. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने उड़ीसा के तालचेर क्षेत्र में तथा उसके निकट कुल कितने एकड़ भूमि अधिगृहीत की है ;

(ख) उनके मंत्रालय द्वारा विस्थापित व्यक्तियों को किस ढंग से और कितनी राशि का मुआवजा दिया गया है; और

(ग) विस्थापित व्यक्तियों के लिए उन क्षेत्रों में क्या-क्या राहत और पुनर्वास उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

कोयला ऊर्जा मंत्रालय के विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) कोयला धारी क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अधीन उड़ीसा में तालचेर कोयला खानों में और उसके आस-पास जनवरी, 1982 तक अधिग्रहीत भूमि का कुल क्षेत्र 4085.71 एकड़ था जिसमें से भूमिधारी क्षेत्र 962.83 एकड़ था।

(ख) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० को केवल 816·04 एकड़ भूमिधारी भूमि के संबंध में दावे प्राप्त हुए हैं। रु० 12,17,920,90 की धनराशि कम्पनी ने पहले ही भूमिधरों को मुआवजे के रूप में दे दी है और रु० 65, 994.29 की राशि बिना भुगतान किए पड़ी हुई है। यह राशि या तो साझीदारों में स्वामित्व संबंधी मतभेद होने या संबंधित भूमिधरों के राशि लेने न आने के कारण रुकी पड़ी है।

(ग) कानून के अनुसार कम्पनी को उन लोगों को मुआवजा देना होता हैं जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया जाता है और इस उत्तरदायित्व का निर्वाह कम्पनी कर रही है। फिर भी, नकद मुआवजा देने के अलावा कम्पनी उपलब्ध रिक्त पदों के अनुसार प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार दे रही है और ऐसे व्यक्तियों को नौकरियों के उपयुक्त पात्र बनाने की दृष्टि से उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण योजनाए भी लागू की गई हैं। जिन आदिवासियों की भूमि अधिग्रहीत कर ली जाती है उनके मामले में कोयला कम्पनियों को सलाह दी गई है कि वे उन आदिवासियों को मकान के लिए जमीन भी दें जो विस्थापित हो गए हैं।

लन्दन के साथ डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने सम्बन्धी सेवा

2749. **श्री एन. के. शेजवलकर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लंदन के साथ डायल घुकाकर सीधे टेलीफोन करने सम्बन्धी सेवा कब शुरू हुई थी ;

(ख) किन-किन अन्य देशों के साथ डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने संबंधी सेवा शुरू हो जाएगी और कब;

(ग) क्या यह सच है कि भारत की तुलना में पाकिस्तान की अधिक देशों के साथ विशेष रूप से अरब खाड़ी देशों के साथ डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने संबंधी सेवा उपलब्ध है; और

(घ) इस महत्वपूर्ण संचार सम्पर्क के मामले में हमारे पिछड़े जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) इंग्लैंड के लिए प्रयोक्ता द्वारा सीधे डायल कर अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन सेवा (आई०एस०डी०) बम्बई और दिल्ली से क्रमशः अक्टूबर, 1976 और जनवरी, 1977 में शुरू की गई थी । इसी प्रकार कलकत्ता और मद्रास से क्रमशः जनवरी, 1979 तथा जुलाई, 1980 से यह सेवा शुरू की गई ।

(ख) आरम्भ में यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कुछ अन्य देशों तथा बाद में विश्व के अन्य देशों को प्रयोक्ता द्वारा सीधे डायल कर सकने की अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन सेवा को धीरे-धीरे बढ़ाने की योजनाओं पर विचार हो रहा है । यह स्विचिंग तथा सरणि की पर्याप्त क्षमताओं के उपलब्ध होने पर निर्भर करेगा ।

(ग) इस बारे में यथा तथ्य जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(घ) जहां तक प्रयोक्ता द्वारा सीधे डायल की अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन सेवा का संबंध है, भारत केवल अत्याधिक विकसित देशों की तुलना में ही कुछ पीछे है । प्रयोक्ता द्वारा सीधे डायल कर अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन सुविधाओं के विस्तार के काम के लिए राष्ट्रीय टेलीफोन संचार तंत्र में सुधार तथा इसके साथ स्विचिंग और सरणि की पर्याप्त क्षमताओं की व्यवस्था जरूरी होगी ।

आकाशवाणी के लिए शक्तिशाली ट्रांसमीटर

2750. **श्री सी० चिन्ना स्वामी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकशवाणी के ट्रांसमीटर श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों के ट्रांसमीटरों की तुलना में कम शक्तिशाली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) यह अनुमान है कि सन्दर्भ ट्रांसमीटरों की शक्ति और विदेश सेवा प्रसारणों के संग्रहण के बारे में है । इस क्षेत्र में भारत को

2 मेगावाट ट्रांसमीटरों और 200 किलोवाट तक के अनेक शार्टवेव ट्रांसमीटरों की सेवा प्राप्त हो रही है। विदेश सेवाएं दक्षिण एशियाई क्षेत्र, सुदूर पूर्व, पश्चिमी एशिया (खाड़ी) यूरोप के समीपवर्ती देशों और दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर समूचे अफ्रीका को कवर करती हैं। इन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए, छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 250 किलोवाट शार्टवेव और 500 किलोवाट शार्टवेव के दो दो ट्रांसमीटरों की स्थापना को मंजूर किया गया है।

राजस्थान के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र

2751. श्री विरदा राम फुलवारिया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में आकाशवाणी के केन्द्र और दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों का सर्वेक्षण किया गया है ;

(ग) क्या माउंटआबू आकाशवाणी के केन्द्र तथा दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना के लिए अत्यधिक उपयुक्त स्थान है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसन्धान, संस्थान, हैदराबाद

2752. श्री जगदीश टाईटलर : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद को कहा है कि देश के विभिन्न भागों में तेल तथा खनिज भण्डारों की खोज के लिए अध्ययन किए जायें ;

(ख) क्या यह कार्य तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा भारत में तेल की खोज कर रहे अन्य संबन्धित निकायों के कहने पर किया जा रहा है ; और

(ग) क्या खोज कर रहे अन्य सरकारी संगठनों को ये अध्ययन उपलब्ध कराए जायेंगे ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) आयल इंडिया लि० के अनुरोध पर मार्च-अप्रैल 1978 के दौरान राष्ट्रीय भू-भौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एन०जी० आर० आई०) ने उड़ीसा के महानदी बेसिन में 12,000 वर्ग किलोमीटर के अपतटीय क्षेत्र का और 6,800 वर्ग किलोमीटर को तटीय क्षेत्र की हवाई-चुम्बकीय सर्वेक्षण

किये थे। एन० जी० आर० आई० ने आयल इंडिया लि० के अनुरोध पर जनवरी 1980 के दौरान पूर्वी ब्रह्मपुत्र घाटी में करीब 9,400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र का वायुयान द्वारा चुम्बकीय सर्वेक्षण भी किये।

इस सम्बन्ध में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की सूचना "सून्य" है। तथापि तेल एवं प्रकृतिक गैस आयोग के पेट्रोलियम अन्वेषण की के० डी० एम० संस्थान ने एन० जी० आर० आई० को कुछ मूल अनुसंधान कार्य करने के लिए सहयोग दिया है।

(ग) एन० जी० आर० आई० द्वारा किये गये सर्वेक्षण मुख्यतः ओ० आई० एल० के० पी० ई० एल०/एम० एल० क्षेत्रों के समीप वाले क्षेत्रों अथवा अन्वेषणाधीन/विकासाधीन क्षेत्रों के लिए थे। तथापि सूचना किसी अधिकृत सरकारी एजेंसी को उपलब्ध कराई जा सकती है।

फिल्म "गांधी"

2753. श्री रघुनन्दनलाल भाटिया :

श्री माधव राव सिंधिया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर रिचर्ड एटन बरो द्वारा बनाई गई फिल्म "गांधी" को भारतीय सेंसर द्वारा पास कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने कोई कटौतियों का सुझाव दिया था और यदि हां, तो क्या वे कटौतियां यहां अथवा विदेश में कर दी गई है ;

(ग) क्या फिल्म को हिन्दी भाषा में भी डब किया जा रहा है ; यदि हां, तो कहां और किस एजेंसी के माध्यम से तथा यह कार्य किस चरण पर है और इस फिल्म पर कितना व्यय होगा ;

(घ) इस फिल्म के निर्माण पर कितना व्यय किया है ; और उसमें कितने अंश की पूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा रुपयों एवं विदेशी मुद्रा में की गई है ; और

(ङ) इस फिल्म को किस एजेंसी के माध्यम से रिलीज किया जायेगा तथा क्या इसके लिए टेंडर मांगे जायेंगे, यदि हां, तो किस प्रकार से ; और

(च) इसे कब प्रदर्शित किया जाना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं। फिल्म को अभी केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां। हिन्दी रूपान्तर की डबिंग बम्बई में हो रही है और उसके शीघ्र ही मुकम्मल हो जाने की संभावना है। मैसर्स इन्डो-ब्रिटिश फिल्म्स और फिल्म के निर्माता सर रिचर्ड

एटनबरो हिन्दी रूपान्तर भारत में तैयार कर रहे हैं। फिल्म को हिन्दी में डब करने पर व्यय लगभग 40,000/—रुपए होगा। किन्तु वास्तविक व्यय का पता डबिंग के मुकम्मल हो जाने के बाद ही चलेगा।

(घ) फिल्म के निर्माण की कुल लागत लगभग 18 करोड़ रुपए है। इस राशि में से, राष्ट्रीय, फिल्म विकास निगम ने 31 मई, 1982 तक 585,26 लाख रुपए की राशि खर्च की है।

(ङ) फिल्म को मैसर्स कोलम्बिया पिक्चर्स इन्टरनेशनल के माध्यम से रिलीज किया जाएगा। बातचीत के बाद इसकी पेशकश को कई अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वितरण कम्पनियों की पेशकशों की तुलना में अधिक लाभकारी समझा गया है।

(च) फिल्म को 1982 के अन्त तक रिलीज कर दिए जाने की संभावना है।

रायबरेली में भारतीय टेलीफोन उद्योग के विस्तार की परियोजना

2754. श्री अरुण कुमार नेहरु : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली में भारती टेलीफोन उद्योग के विस्तार की अद्यतन स्थिति क्या है तथा विदेशी सहयोग और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : सरकार ने इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के रायबरेली कारखाने में भारतीय क्रासबार परियोजना (आई. सी. पी.) डिजाइन के, क्रासबार स्विचिंग उपस्कार की 2लाख लाइनों की उत्पादन क्षमता स्थापित करने की एक परियोजना को मंजूरी दी है। इस कारखाने के लिए औद्योगिक अनुज्ञाप्ति दिसम्बर 1981 में जारी की थी।

मुख्य उत्पादन भवन, भंडार आदि का निर्माण कार्य काफी तेजी से हो रहा है। पानी, बिजली सड़कें, जलमल निकास और नगर क्षेत्र जैसी अतिरिक्त सेवाओं को व्यवस्था का कार्य भी प्रगति पर है। अधिकांश मशीनों और औजारों के आदेश दे दिए हैं। यह परियोजना निर्धारित समय सीमा के अनुसार प्रगति कर रही है।

जहां तक विदेशी सहयोग का संबंध है, इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, मैसर्स बैल टेलीफोन मैन्यूपेब चरिंग कम्पनी, बेल्जियम (बी० टी० एम०) के साथ केवल तकनीकी सहयोग प्राप्त करेगी। यह सहयोग, उत्पादन स्थापित करने, प्रलेखन की आपूर्ती, मशीनरी, परीक्षण उपस्कार, जिग्स, फिक्सचर्स, उत्पादन, औज़ार और इनकी प्रस्थापना, अनुरक्षण और प्रचालन की तकनीकी जानकारी सुलभ करने वाले तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति के रूप में होगा। सहयोग कर्त्ता आरम्भ में उपस्करों को जोड़ने के लिए छोटे-छोटे हिस्से पुर्जों की आपूर्ती भी करेंगे।

कम्पनियों को अपने सम्बन्ध सदस्यों को मत देने के अधिकार से वंचित करने की छूट देना

2755. श्री आनन्द पाठक : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (6) के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी

करने का प्रस्ताव विचाराधीन है जिसमें कम्पनियों को अपने सम्बद्ध सदस्यों को मत देने के अधिकार से बंचित करने के लिए धारा 25 में छूट देने का प्रावधान है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल)

नहीं, श्रीमान्, जी। वर्तमान में सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विस्थापितों का पुनर्वास

2756. **श्री कुंवर राम** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने विस्थापित व्यक्ति इस समय विभाग के साथ पंजीकृत हैं तथा उनके पुनर्वास के लिए क्या प्रबन्ध किए जा रहे हैं;

(ख) क्या 1950 के पहले के पंजीकृत विस्थापितों को जमीन और मकानों के आवंटन के कुछ मामले अभी भी विचाराधीन हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन मामलों के जल्द निपटान के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) सहायता के पात्र विस्थापित व्यक्तियों की निम्न श्रेणियां इस समय पुनर्वास प्रतीक्षा में हैं :—

(1)	भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए नए प्रवासी जो 1-1-64 से 25-3-71 की अवधि के बीच आए	939 परिवार	इन परिवारों को छठी पंचवर्षीय अवधि के अंतर्गत कृषि तथा गैर-कृषि व्यवसायों में पुनर्वास दिए जाने की आशा है।
(2)	भारत-पाक संघर्ष, 1971 के विस्थापित व्यक्ति	3300 परिवार	3,3000 परिवारों में से 2992 परिवारों को राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में भूमि आवंटित की जा चुकी है और इन्हें शीघ्र ही पुनर्वास स्थलों पर भेज दिया जाएगा। शेष 308 परिवारों के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार से अनुरोध किया गया है कि उनके पुनर्वास के लिए आवश्यक भूमि की खोज की जाए।

(ख) 1950 से पहले पंजीकृत किए गए सभी पात्र विस्थापित व्यक्तियों को बहुत समय पहले भूमि और सम्पत्तियां आवंटित कर दी गई थी। तथापि, कुछ मामले, जिनमें परस्पर विवाद है या एक या अन्य कारण से उनके अलाटियों को आवंटित भूमि/सम्पत्ति का खाली कब्जा नहीं दिया जा सका, निपटान के लिए शेष हैं।

(ग) शेष मामलों को शीघ्र अन्तिम रूप देने के लिए प्रयत्न किए रहे हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए गैस एजेंसियों का आरक्षण

2757. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उरर्वक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षित युवकों और विधवाओं के लिए 50 प्रतिशत गैस एजेंसियां आराक्षित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किया जाएगा ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सूचना और प्रसारण मंत्रियों का सम्मेलन

2758. **श्री चतुर्भुज** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लोगों के हित में ग्रामीण क्षेत्रों में 20-सूत्री कार्यक्रम के प्रचार हेतु और फिल्मों के स्वरूप में परिवर्तन लाने के लिए दिल्ली में 4 जुलाई, 1982 को हुए सूचना और प्रसारण मंत्रियों के सम्मेलन में क्या निर्णय लिये गए ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : राज्यों के सूचना मत्रियों के 3 जुलाई, 1982 को नई दिल्ली में हुए सम्मेलन में नए 20 सूत्री कार्यक्रम को बहु-माध्यस समर्थन देने के प्रश्न पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया था।

(2.) यह निर्णय लिया गया था कि राज्यों और केन्द्र की माध्यम एजेंसियां 20 सूत्री कार्यक्रम के साथ साथ सूचना के प्रसार के लिए समन्वित और प्रभावी ढंग से काम करती रहेंगी। यह निर्णय लिया गया था कि फिल्म प्रभाग 20 सूत्रों में से प्रत्येक सूत्र पर वृत्त चित्र तैयार करेगा। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने योजना आयोग के सहयोग से एक पुस्तक प्रकाशित की है जिसमें कार्यक्रम की सूत्र-वार सूचना दी गई है। आकाशवाणी और दूरदर्शन तथा गीत और नाटक प्रभाग एवं क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की ग्राम स्तर पर काम कर रही यूनिटों जैसी यूनिटें भी समाज के संवेदनशील वर्गों को 20 सूत्री कार्यक्रम में यथा कल्पित आर्थिक प्रगति के प्रति प्रेरित करने की दृष्टि से अपनी गतिविधियां तेज करेंगी।

(3) यह भी निर्णय लिया गया था कि अच्छी किस्म की फिल्मों को वितरण सुविधाओं का विस्तार करके, अर्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सिनेमाघरों के निर्माण को प्रोत्साहन देकर, पुरस्कार प्राप्त फिल्मों और बाल फिल्मों को मनोरंजन कर से छूट दे कर और देश में निर्मित और प्रदर्शित होने वाली सभी फिल्मों के लिए सेंसर नियमों का एक समान प्रयोग करना सुनिश्चित करके प्रोत्साहन दिया जाना जारी रहेगा।

कुछ आरोपों के बारे में जांच करने के लिए उपायुक्त से प्राप्त हुआ पत्र

2759. **श्री ए० के० राय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें कुछ आरोपों के बारे में जांच कराने के लिए दिनांक 16 नवम्बर, 1981 को उपायुक्त रांची द्वारा सतर्कता विभाग के अध्यक्ष सी० सी० एल० राँची को लिखे गये एक पत्र का पता है ; यदि हां, तो इन आरोपों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या जांच पूरी हो गई है ; यदि हां तो प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बिजली बन्द से प्रभावित शहर

2760. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि देश में पहले से अधिक बिजली पैदा की जा रही है तथापि राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़े कुछेक शहर बिजली बन्द रहने से पीड़ित हैं ;

(ख) यदि हां, तो एसे शहरों के नाम क्या हैं और बिजली बन्द रहने के क्या कारण हैं ; और

(ग) स्थिति सुधारने के लिए अब क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) यह सच है कि देश अब पहले से अधिक ऊर्जा उत्पादन कर रहा है वर्ष 1981-82 के दौरान ऊर्जा उत्पादन 1229-25 मिनियन यूनिट था, जो कि पिछले वर्ष के ऊर्जा उत्पादन से 10.2 प्रतिशत अधिक था। अप्रैल से जून, 1982 के दौरान गत वर्ष की इसी अवधि के ऊर्जा उत्पादन की तुलना में 5.8 प्रतिशत की अभिवृद्धि हुई है । इसके बावजूद सम्पूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादन अभी भी कम है । इस समय कोई राष्ट्रीय ग्रिड नहीं है तथा क्षेत्रीय स्तर पर संघटक प्रणालियों के समानान्तर प्रचालन का प्रबंध किया जा रहा है ; उत्तरी क्षेत्र में संघटक सामान्यतः समानान्तर प्रचालन में हैं जबकि पश्चिमी, दक्षिणी तथा पूर्वी क्षेत्रों में सभी संघटक प्रणालियां ज्यादातर क्षेत्रीय ग्रिड के साथ समानान्तर रूप से कार्य नहीं कर रही हैं ।

शहर में विद्युत सप्लाई इस बात पर निर्भर करती है कि जिस राज्य में शहर स्थित है, वहां विद्युत सप्लाई की स्थिति कैसी है । जब कभी प्रणाली में कुछ प्रणालीगत गड़बड़ी हो या प्रणाली को बिल्कुल ठप्प हो जाने से बचाने के लिए उच्च क्षमता उत्पादन यूनिट में आकस्मिक ब्रेक डाउन हो, को छोड़ कर सामान्यतः बड़े शहरों में लोड शैंटिंग का सहारा नहीं लिया जाता है । स्टील, कोयला तथा सीमेंट आदि के मुख्य उद्योगों तथा बड़े नगर जहां पर चिकित्सालय, बेतार का तार, हवाई अड्डा जैसे आवश्यक भार स्थित हैं, उनको विद्युत सप्लाई में हमेशा

प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए बड़े शहरों में लोड शैडिंग का केवल अंतिम रूप में सहारा लिया जाता है।

देश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 20000 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की प्रतिष्ठापना के लिए एक कार्यक्रम बनाया गया है। ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन तथा विद्युत उत्पादन में और सुधार करने के लिए भी प्रयास किऐ जा रहें हैं।

महाराष्ट्र के सभी तहसील और डिवीजनल मुख्यालयों को टेलीफोन सुविधाएं

2761. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या संचार मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य के सभी तहसील तथा डिवीजनल मुख्यालय टेलीफोन सुविधाओं से जोड़े गए हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन मुख्यालयों को नहीं जोड़ा गया है ;

(ग) क्या ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा किया जायगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

एल० पी० जी० के कनेक्शन के लिए लम्बित आवेदन पत्र

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य और संघ शासित राज्य में एल० पी० जी० कनेक्शन के लिए उस समय कितने आवेदन पत्र लंबित हैं ;

(ख) वर्ष 1980, 1981 और 1982 में अब तक की अवधि के दौरान कितने आवेदन पत्रों का निपटान करके एल० पी० जी० कनेक्शन दिए गए हैं; और

(ग) 1982-83 में प्रत्येक राजधानी नगर में कितने कनेक्शन दिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) दिनांक 1-1-1982 की यथा स्थिति को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (खाना पकाने की गैस), के लिए प्रतीक्षा

सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या के राज्य/संघ शासित प्रदेशवार ब्यौरे विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ख) तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की उपलब्धता में वृद्धि होने पर, तेल कंपनियों ने मार्च, 1981 से नये एल० पी० जी० कनेक्शन जारी करना आरम्भ कर दिया है। वर्ष 1981-82 के दौरान लगभग 11.4 लाख नये कनेक्शन जारी किए गए हैं।

(ग) वर्ष 1982-83 दौरान, देश में प्रत्येक राजधानी नगर में जारी किए जाने वाले प्रस्तावित नये एल० पी० जी० कनेक्शनों की संख्या के ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं है। तथापि, महानगरीय शहरों के संबंध में ब्यौरे विवरण-2 में दिए गए हैं।

विवरण-1

दिनांक 1. 1. 1982 की यथा स्थिति को खाना पकाने की गैस (एल० पी० जी०) के लिये बकाया आवेदन पत्रों के राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार ब्यौरे।

राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम		उपभोक्ताओं की संख्या
1. जम्मू तथा कश्मीर	...	10,320
2. आंध्र प्रदेश	...	2,72,085
3. महाराष्ट्र	...	11,03,065
4. कर्नाटक	...	1,60,182
5. उड़ीसा	...	27,721
6. मध्य प्रदेश	...	2,11,860
7. गुजरात	...	5,86,164
8. राजस्थान	...	78,508
9. हरियाणा	...	1,42,436
10. असम*	...	17,868
11. हिमाचल प्रदेश	...	22,025
12. बिहार	...	56,294
13. केरल	...	42,000
14. पंजाब	...	1,13,251
15. तमिलनाडू**	...	2,27,470
16. उत्तर-प्रदेश	...	4,06,710
17. पश्चिमी बंगाल	...	66,140

18. चण्डीगढ़	...	61,170
19. गोवा	...	34,659
20. दिल्ली	...	4,03,477
	योग :	40,33,441

*मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, तथा अरुणाचल प्रदेश सहित
**पाण्डिचेरी 'सहित

विवरण-2

वर्ष 1982-83 के दौरान महानगरीय शहरों में एल० पी० जी० जारी करने की योजना।

दिल्ली	—	1,02,000
बम्बई	—	93,000
कलकत्ता	—	54,500
मद्रास	—	36,000

इलेक्ट्रोनिक टैलीफोन एक्सचेंज

2764. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पुराने और मानव संचालित टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों के रूप में परिवर्तित करने के लिए वर्ष 1982-83 के दौरान इलेक्ट्रोनिक उपकरणों का भारी आयात कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इन उपकरणों में से कितने उपकरण आन्ध्र प्रदेश को दिए जाएंगे ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितने एक्सचेंजों को इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा तथा इन एक्सचेंजों से कितनी नई लाइनों की और व्यवस्था हो जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं। 1982-83 में केवल कुछ इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों के आयात का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) आन्ध्र प्रदेश के कुनूल स्थित चालू मैनुअल एक्सचेंज के प्रतिस्थापन के लिए 2000 लाइनों के डिब्बा युक्त इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज का आबंटन किया गया है।

अन्ध्र प्रदेश के सभी तहसील, जिला मुख्यालयों को राज्य की राजधानी से जोड़ना

2765. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के सभी जिला और तहसील मुख्यालयों का राज्य की राजधानी से सीधा टेलीफोन संपर्क है ;

(ख) यदि नहीं, तो यह सुविधा किन क्षेत्रों में नहीं है ;

(ग) ऐसा कब तक किया जायेगा ; और

(घ) इस बारे में क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) आंध्र प्रदेश में सभी मुख्यालय सीधे ट्रंक सर्किटों द्वारा राज्य की राजधानी से जुड़े हैं। 277 ताल्लुका मुख्यालयों में से 73 राज्य की राजधानी से सीधे जुड़े हुए हैं।

(ख) 277 ताल्लुका मुख्यालयों में से 204 से राज्य की राजधानी के लिए सीधे सर्किट नहीं हैं।

(ग) जब राज्य की राजधानी और इन स्थानों के बीच सीधे सर्किट की व्यवस्था करने के उद्देश्य से परियात उचित मात्रा तक बढ़ जाता है तब ताल्लुका मुख्यालय राज्य की राजधानी से जोड़ दिए जाते हैं।

(घ) इस समय 10 ताल्लुका ऐसे हैं जिनका समुचित परियात के आधार पर राज्य की राजधानी से जोड़े जाने का औचित्य बनता है। इन स्थानों से राज्य की राजधानी के लिए सीधे सर्किट प्रदान करने के लिए कार्यवाई आरम्भ की जा चुकी है। इसके एक वर्ष में पूरा हो जाने की संभावना है।

तेल/गैस के दोहन के लिए विदेशी निवेश

2766. **श्री ए० नीलालो हिथादसन नाडार :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में तेल तथा प्राकृतिक गैस के भंडार के दोहन के लिए किसी देश ने पूंजी लगाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या किसी अन्य देश ने तेल और प्राकृतिक गैस के भंडारों का दोहन करने में निवेश करने की इच्छा व्यक्त की है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रास्ताव का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, सौराष्ट्र खंड 11 अपतटीय में अन्वेषण तथा उपयोग के लिए शोवरान आयल कम्पनी आफ इंडिया के साथ किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार, उस कम्पनी ने अन्वेषण के प्रथम चरण में 29 मि० यू० एस० डालर के न्यूनतम व्यय की वचनबद्धता की है।

(ग) और (घ) भारत में अन्वेषण करने के लिए बोलियों (बिड्स) के दूसरे दौर में विदेशी कम्पनियों से प्रस्ताव आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। आमंत्रण अभी शीघ्र ही जारी किये जाने हैं, इस कारण, इस अवस्थता में प्रस्तावों के ब्यौरों का प्रश्न नहीं उठता है।

डाक डिवीजनों के लिए नया ढांचा

2767. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक डिवीजनों के ढांचे को इस ढंग से समय समायोजित करने का निर्णय किया है कि राज्यों के राजस्व जिलों का क्षेत्र के साथ ही डाक डिवीजनों का क्षेत्र समाप्त हो जाये ;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख को यह निर्णय किया गया था ;

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में किस तारीख तक निर्णय किये जाने की संभावना है ; और

(घ) इस समय डाक डिवीजनों की संख्या कितनी है और प्रस्तावित समायोजनत के बाद इन डिवीजनों की संख्या कितनी होने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) अभी तक इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

नजदीकी सम्बन्धियों को गैस कनेक्शन का अन्तरण करने सम्बन्धी प्रशासनिक आदेश

2768. श्री दिगम्बर सिंह : : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री गैस कनेक्शनों के अन्तरण के बारे में 23 मार्च, 1982 के तारांकित प्रश्न संख्या 419 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नजदीकी संबंधियों को गैस कनेक्शनों का अन्तरण करने के निर्णय को कार्यान्वित करने संबंधी कोई प्रशासनिक आदेश भारतीय तेल निगम को भेज दिए गए हैं और ऐसे अन्तरण के लिए अपेक्षित "शापथ पत्र" का स्वरूप निर्धारित कर लिया गया है ;

(ख) क्या वह प्रत्येक दस्तावेज की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या वह अब आवश्यक कार्यवाही करेंगे और इसको सभा पटल पर रखेंगे ताकि ऐसे वृद्धि व्यक्तियों अत्यन्त जरूरी राहत दी जा सके जो अपने जीवन काल में ही अपने संबंधियों को गैस कनेक्शन उपहार-स्वरूप देना चाहते हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) से (ग) तेल कंपनियों द्वारा जारी किए गए खाना पकाने की गैस (एल.पी.जी.) के कनेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानान्तरणीय नहीं होते हैं। यह निर्णय व्यवस्था के गलत प्रयोग को जिससे कदाचार उत्पन्न हो सकते हैं रोकने के लिए लिया गया था। पेट्रोलियम विभाग द्वारा इण्डिन आयल कारपोरेशन को मूल गैस कनेक्शन धारी द्वारा अपने किसी निकट के सम्बन्धी को गैस कनेक्शन स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई प्रशासनिक आदेश जारी नहीं किये गए हैं। तथापि, किसी ग्राहक की मृत्यु के मामले में, खाना पकाने की गैस का एक कनेक्शन, अनुरोध पर, दिवंगत व्यक्ति के मूल के कनेक्शक वापिस किये जाने पर, उसके अगले उत्तराधिकारी को जारी किया जाता है। जहाँ दिवंगत व्यक्ति ने एक से अधिक बच्चे छोड़े हैं, उस हालत में समस्त बच्चों में शपथ-पत्र प्राप्त करने के बाद स्थानान्तरण प्रभावी होता है। इस प्रयोजन के लिए शपथ-पत्र का कोई मानक प्रपत्र नहीं होता है।

स्टाफ आर्टिस्टों के लिए पदोन्नति के अवसर

2769. श्री दिगम्बर सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आकाशवाणी के आर्टिस्टों को अधिक पदोन्नति के अवसर देगी ताकि वे निराशा के बिना कार्य कर सकें ;

(ख) क्या सरकार सीनियर प्रोड्यूसरों, डिप्टी चीफ प्रोड्यूसरों और चीफ प्रोड्यूसरों के अधिक पद बनायेगी ताकि स्टाफ आर्टिस्टों को आसानी से पदोन्नति मिल सके ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या योजनाएं हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) सरकार ने हाल ही में आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों के विभागीय कलाकारों, जो अनुबन्धित कर्मचारी हैं, को दो श्रेणियों (क) कलाकार और (ख) अन्य कर्मचारी, जो उसी तरह के कार्य करते हैं जिस तरह के कार्य नियमित श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये जाते हैं, में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया है। यह उनके द्वारा कलाकार/सरकारी कर्मचारी, जैसी भी स्थिति हो, बनने का विकल्प दिए जाने और उनकी स्क्रीनिंग के अधीन है। यह कदम सरकारी कर्मचारी बनने वाले विभागीय कलाकारों के लिए पदोन्नति के अवसर सुनिश्चित करेगा। अतः प्रोड्यूसरों, आदि जैसे विभागीय कलाकारों के संवर्ग में और पदों का सृजन करने का प्रश्न नहीं उठता। विभागीय कलाकारों की सेवा शर्तें भी नए सिरे से तैयार की जाएंगी। दोनों श्रेणियों को पेंशन मिलेगी। इन कदमों के परिणामस्वरूप विभागीय कलाकारों की निराशा, जो मुख्यतया पेंशन के लिए उनकी अपात्रता के कारण थी, दूर हो जाएगी।

सोडा-ऐश की बिक्री के लिए सी० पी० सी० द्वारा विज्ञापन

2770. श्री अजित कुमार शाहा : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयात किये गए 10,000 टन सोडा-ऐश की सामान्य बिक्री करने में असफल रहने पर सी० पी० सी० ने उसमें से 8,000 टन सोडा-ऐश की बिक्री के लिए राष्ट्रीयस्तर के लगभग सभी समाचार पत्रों में बार-बार विज्ञापन दिये हैं :

(ख) ये विज्ञापन कितनी बार दिये गए और प्रत्येक ऐसे विज्ञान की लागत क्या थी तथा कुल लागत कितनी आई :

(ग) क्या दिसम्बर, 1981 में जारी किए गए अन्तिम विज्ञापन के उत्तर में सी० पी० सी० को प्राप्त हुई निविदाओं का ब्यौरा सभा-पटल पर रखा जाएगा :

(घ) क्या यह सच है कि उक्त विज्ञापन दिए जाने के बाद बहुत कम उत्तर प्राप्त हुए हैं :

(ङ) यदि हां, तो ऐसा क्यों है, विशेष कर जबकि भारत की सोडा-ऐश की वार्षिक मांग 6.80 लाख टन होने का अनुमान है :

(च) क्या यह सच है कि सी० पी० सी० ने इस भंडार को बातचीत के माध्यम से बेचने का प्रयत्न किया था लेकिन फिर भी इसे नहीं बेच सका : और

(छ) बातचीत सफल क्यों नहीं रही और क्या पार्टियों के नाम बताये जायेंगे जिनके साथ बातचीत हुई थी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) दो बार विज्ञापन जारी किए गए। ऐसे प्रत्येक विज्ञापन की लागत 25,000/-रुपए थी। कुल लागत 50,000/-रुपए थी।

(ग) नवम्बर, 1981 में जारी किए गए विज्ञापन के उत्तर में प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

मूल्य प्रति टन (रुपए)	मांगी गई मात्रा (मीट्रिकटन)
1. 1500.00	100
2. 1501.00	1670*
3. 1525.00	1600*
4. 1551.00	1700*
5. 1560.00	1600*
6. 1601.00	100
7. 1700.00	500
8. 1800.00	1800
9. 2000.00	38
योग:	9100

*प्रस्तावों में मांगी गई विशिष्ट मात्रा का उल्लेख नहीं किया गया था। ये आंकड़े सी० पी० सी० ने संलग्न की गई पेशगी की राशि को कम करके तैयार किए हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्राप्त प्रस्तावों में कमी के कारण माल की सहज उपलब्धता तथा निजी आयात करने वालों द्वारा कम मूल्य लिया जाना बताया जाता है।

(च) जी, हां।

(छ) आल इंडिया सिलिकेट मैन्यूफेक्चरर्स एसोसिएशन के साथ विचार-विमर्श किया गया था लेकिन वह सफल नहीं पो पाया क्योंकि आल इंडिया सिलिकेट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा प्रस्तावित मूल्य तथा अन्य शर्तें स्वीकार्य नहीं थीं।

कुकिंग गैस एजेंसी देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पुनर्विलोकन

2771. श्री वी वी देसाई :

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों, जो कुकिंग गैस एजेंसी देने के लिए बनाए जा रहे थे, को भेजने पर विचार कर रहा है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कोई गलत बनायी न हो और उपभोक्ता का हित अच्छी तरह से देखा जा सके ;

(ख) यदि हां, तो बनाए गए इन नए मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में चल रहे कदाचारों को इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों द्वारा किस सीमा तक रोका गया हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि उनका मंत्रालय महिलाओं के लिए जो इसके लिए आगे आना चाहती हैं, कुछ कोटा आरक्षित करने पर विचार कर रहा है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो किन वर्गों के लिए कुकिंग गैस एजेंसियों का आरक्षण किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) से (ङ) पेट्रोलियम उत्पादों के डीलरों/वितरकों का चयन उचित तथा न्यायसंगत ढंग से किया जाना सुनिश्चित करने के लिए और साथ ही चयन में अनियमितताओं की सम्भावित शिकायतों से बचने के लिए, सरकार का 1982-83 से विद्यमान नीति मार्गदर्शी निर्देशों/प्रक्रिया में संशोधन करने का प्रस्ताव

है। ब्यौरे संशोधित नीति को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात ही उपलब्ध होंगें।

कोयला क्षेत्रों में गहन सतर्कता के लिए "स्ट्राइक फोर्स"

2772. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या है सच है कि कोल इंडिया के प्रबन्धकों ने सारे भारत में, विशेषकर पूर्वी कोयला क्षेत्रों में, कोयला क्षेत्रों की गहन सतर्कता के लिए एक (स्ट्राईक फोर्स) का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या नई आफ-दी शैल्फ योजना के क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक था ; और

(ग) यदि हां, तो इस सतर्कता बल की रचना क्या होगी और इसके मुख्य कार्य क्या होंगे तथा कोयला खानों के श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कोयला ऊर्जा मंत्रालय के विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) कोल इंडिया लि० ने ऐसा कोई भी हड़ताल-बल नहीं बनाया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अखबारी कागज की बिक्री में कालाबाजारी

2773. **श्री एन० डेनिस** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समाचार पत्रों द्वारा पत्रिकाओं के प्रकाशकों को अखबारी कागज के कालाबाजार में बेचे जाने की जानकारी है ; और

(ख) इस बुराई को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) अखबारी कागज के दुरुपयोग के बारे में शिकायतें कभी-कभी सरकार को प्राप्त होती रहती हैं।

(ख) समाचारपत्रों द्वारा अखबारी कागज का दुरुपयोग किए जाने के विरुद्ध आवश्यक रक्षापायों की अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1962 में पहले ही व्यवस्था है। इस आदेश के अन्तर्गत अखबारी कागज के उपभोक्ताओं से अर्धवार्षिक रिटर्नें प्राप्त की जाती हैं। इसके अलावा, भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय के परिचालन अधिकारी समाचारपत्रों की परिचालन संख्या की प्रत्यक्ष जांच पड़ताल करते हैं और जब भी किसी दुरुपयोग को पता चलता है उस समाचारपत्र का उत्तरवर्ती आबंटन कम कर दिया जाता है। यदि आवश्यक होता है तो मामले को और छानबीन तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक को भी भेज दिया जाता है।

विद्युतीकृत हरिजन और आदिवासी कालोनियां

2774. श्री रामविलास पासवान : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन हरिजन और आदिवासी कालोनियों की राज्वार तथा जिलावार संख्या क्या है जिनका विद्युतीकरण किया गया है और उनकी संख्या क्या है जिनका अभी तक विद्युतीकरण नहीं किया गया है ;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान कितने हरिजन और आदिवासी गांवों का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव था और उनमें से कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया ; और

(ग) सरकार का सभी हरिजन और आदिवासी गांवों का कब तक विद्युतीकरण करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) देश के कुल 1.12 लाख आदिवासी गांवों में से 24,522 गांवों को मार्च, 1982 के अन्त तक विद्युतीकृत कर दिया गया है जो कि 21.9 प्रतिशत है । विभिन्न राज्यों से प्राप्त हुई प्रगति रिपोटों के अनुसार देश में आदिवासी गांवों की राज्य-वार जिले-वार विद्युतीकरण की स्थिति को दिखाने वाले विवरण उपबंध-1 में दिए गए हैं । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल टी 4330/82] जहां तक हरिजन तथा अन्य पिछड़ीजातियों की वस्ती में विद्युत विस्तार का संबंध है 31-3-1982 की स्थिति के अनुसार कुल 1.15 लाख गाँवों में से जिनमें सड़कों पर रोशनी की सुविधा दीग ई है इनमें से 1,00,184 हरिजन बस्तियों को बिजली की सुविधा दी गई है । विभिन्न राज्यों से प्राप्त हुई प्रगति रिपोर्ट के अनुसार हरिजन तथा अन्य पिछड़ी जातियों की बस्तियों में विद्युत के विस्तार की राज्य-वार तथा जिले-वार स्थिति दर्शाने वाला विवरण, उपबंध-2 में दिया गया है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल टी 4330/82]

(ख) ग्राम विद्युतीकरण वित्त पोषण द्वारा पूरा करने के लिए राज्यों के सामान्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत; उपलब्ध साधनों से राज्य बिजली बोर्डों/राज्य सरकारों द्वारा ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें बनाई जाती हैं तथा क्रियान्वित की जाती हैं । ग्राम विद्युतीकरण निगम (आर० ई० सी०) अपनी समग्र योजना आबंटनों में से केवल आदिवासी तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों में ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों से संबंधी कार्य हाथ में लेने के लिए कुछ प्रतिशतता आरक्षित रखता है । ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृति की गई स्कीमों के अन्तर्गत पिछले पांच वर्षों (1977-82) के दौरान आदिवासी क्षेत्रों में 8181 गांवों तथा 13223 हरिजन वस्तियों का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव था । जबकि आदिवासी क्षेत्रों में केवल 8416 गांवों तथा 8376 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया है ।

(ग) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत की गई स्कीमों के अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्रों के वाकी वचे गांवों तथा हरिजन बस्तियों को 1985-86 तक विद्युतीकृत किए जाने की

आशा है। साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, राज्यों की संदर्शी योजना में देश के सभी गांवों का 1994-95 तक विद्युतीकरण करने का प्रावधान है।

आई० डी० पी० एल० द्वारा भवनों के किराए की अदायगी

2775. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० डी० पी० एल० राजधानी में आवास, कार्यालय और गोदामों के लिए किराए पर लिए गए भवनों का लाखों रुपए किराया देना पड़ता है :

(ख) यदि हां, तो 1 जुलाई, 1982 को किराए का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में अग्रिम किराए के रूप में कितनी धनराशि दी गई हैं और यह धरराशि किस नियम या प्राधिकार के अन्तर्गत दी गई है :

(ग) आई० डी० पी० एल० को लगातार हो रहे घाटे को ध्यान में रखकर इसने अपने कार्यालय को राजधानी से कार्य के स्थानों पर ले जाने के लिए क्या प्रयास किये हैं ताकि किराये में कमी की जा सके : और

(घ) क्या आई. डी. पी. एल. अपने संबंधित मकान मालिकों की ओर से या किराये की गारंटी के लिए किराए की अदायगी कुछ वित्तीय संस्थानों को करता है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या इस प्रक्रिया का सामान्य रुप से अनुमरण किया जाता है : और

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) तीन विवरण संलग्न हैं [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल टी 4331/82] जिनमें 1.7.1982 की स्थिति के अनुसार इंडियन ड्रंग्स एण्ड फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड द्वारा राजधानी में अपने कार्यालयों, गोदामों तथा अपने अधिकारियों के निवास के लिए किराए पर लिए गए भवन, उनके ब्यौरे तथा भुगतान किए गए अग्रिम किराये दर्शाए गए हैं। इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड द्वारा अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि वाणिज्यिक पद्धति के अनुसार दी गई है और करार के समझौतों के अनुसार है।

(ग) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटीकल्स लिमिटेड का केन्द्रीय कार्यालय 1979 के दौरान गुडगांव (हरियाणा) में स्थानान्तरित किया था। इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटीकल्स लि० द्वारा दिल्ली में कार्यालय के प्रयोजन के लिए किराये पर लिए गए मकान मुख्यत: कम खर्च, दक्ष तथा वाणिज्यिक कार्यकरण को सुनिश्चित करने की दृष्टि से लिए गए हैं।

(घ) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटीकल्स लि0 लगभग सभी मामलों में किराए पर लिए गए भवनों के किराए का भुगतान चैकों द्वारा तत्सम्बन्धी मकान मालिकों को कर रहा है। तथापि, एक मामले में, मकान मालिक अनुरोध पर, जो किराए पर दिए गए भवन का अन्यों के साथ संयुक्त रूप से मालिक है, इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटीकल्स लि० किराया, सेन्ट्रल बैंक

आफ इंडिया में जमा करा रहा है जो कि उसके द्वारा उक्त बैंक से लिए गए ऋण की अदायगी के प्रति है। सैन्ट्रल बैंक में सीधे किराया जमा कराना तब तक जारी रहेगा जब तक इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० का उक्त भवन पर वास्तविक कब्जा रहेगा या जब तक सावधिक ऋण का भुगतान पूरा नहीं हो जाता तथा इन दो में से जो पहले हो। इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० ने बैंक को कोई गारन्टी नहीं दी है।

टेपर्ड स्टील ट्यूबों की सप्लाई के लिए टेंडर

2776. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाप्रबंधक दूरसंचार स्टोर, कलकत्ता द्वारा जारी किए गए टेपर्ड ट्यूबों की सप्लाई के लिए दिनांक 26 मार्च, 1981 के टेंडर संख्या एस०/एल०-80-81/114 के मामले में कुछ पार्टियों द्वारा उद्धृत की गई अधिक दरें स्वीकार कर ली गई ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या छोटे एककों ने कम दर उद्धत की थीं लेकिन उन्हें बिना किसी वैध कारण के नामंजूर कर दिया गया है ;

(ग) क्या इस टेंडर में प्रोटोटाइप नमूनों के अनुमोदन का कोई उल्लेख नहीं किया गया था ; और

(घ) उक्त निविदा के सम्बन्ध में उद्धत की गई दरें क्या थीं और किस दर को स्वीकार किया गया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकावाना) : (क) से (घ) टेंडर को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है।

आयातित सोडा ऐश का मूल्य

2777. **श्री नीरेन घोष** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी० पी० सी० द्वारा आयात की गई सोडा एश को सरकार का प्रति टन कितने मूल्य पर बेचने का विचार है :

(ख) क्या देशी माल की तुलना में आयातित माल के लिए उनके द्वारा निर्धारित प्रति टन मूल्य प्रतियोगी है :

(ग) क्या यह सच है कि आल इंडिया सिलिकेट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ने अनबिके भंडार को बेचने के लिए अपनी सहायता देने हेतु अपनी इच्छा व्यक्त की है :

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है : और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) सोडा ऐश की शेष मात्रा का संशोधित मूल्य एक्स-भंडार कांडला और अंजार, गुजरात दर 1,800/- रुपए प्रति टन निर्धारित किया गया है।

(ग), से (ङ) आल इंडिया सिलिकेट मैन्यूफेक्चरर्स एसोसिएशन ने स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया (अब भारतीय राज्य व्यापार निगम का रसायन प्रभाग) से स्टाक लेने का प्रस्ताव किया था परन्तु उनके द्वारा प्रस्तावित मूल्य तथा अन्य शर्तें स्वीकार्य नहीं थीं। शेष मात्रा का मूल्य अब कम करके एक्स-भण्डार कांडला और अंजार, गुजरात पर 1,800/-रुपये प्रति टन कर दिया गया है। सभी वास्तविक उपभोक्ताओं से संविदा आमंत्रित करने के लिए राज्य व्यापार निगम ने समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए। इस सम्बन्ध में आल इंडिया सिलिकेट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन सहित, कोई भी वास्तविक उपभोक्ता राज्य व्यापार निगम से सम्पर्क स्थापित कर सकता है।

मैसर्स ग्लैक्सो द्वारा विटामिन "ए" का उत्पादन

2778. **श्री निहाल सिंह** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स ग्लैक्सो कम्पनी विटामिनों का उत्पादन कर रही है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार, इस कम्पनी द्वारा उत्पादित किए गए विटामिन "ए" की मात्रा कितनी है और इसके उत्पादन में कौन सी सामग्री प्रयुक्त की गई है और अन्य विटामिनों के उत्पादन में प्रयुक्त अवयव क्या हैं ?

(ख) इनके आयात के सी० आई० एफ० मूल्य की तुलना में देश में निर्मित कम्पनी द्वारा उत्पादित विटामिन "ए" के मूल्य की स्थिति क्या है : और

(ग) क्या मैसर्स ग्लैक्सो लिमिटेड को इन औषधियों का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस दिया गया है और यदि हां, तो इन लाइसेंसों को देने के लिए निर्धारित किए गए मानदण्ड क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) मै० ग्लैक्सो लेबोरेटरीज (इंडिया) लि० ने तेलीय किस्म के विटामिन "ए" का उत्पादन किया है। गत तीन वर्षों के दौरान उनका उत्पादन निम्न प्रकार है :—

1979-80	—16.8 एम. एम. आई. यू.
1980-81	—20.4 " "
1981-82	—15.34 " " "

इसके उत्पादन में प्रयोग किया गया प्रमुख कच्चा माल नीम्बूग्रास है।

(ख) मै० ग्लैक्सो लेबोरेटरीज (इंडिया) लि० के तेलीय किस्म के विटामिन ए का मूल्य

रु० 795/-000 एम. आई. यू. है जबकि सी. आई. एफ. मूल्य रु. 235.91/000 एम. आई. यू. है।

(ग) प्रति वर्ष 10 एम. एम. यू. विटामिन ए का निर्माण करने के लिए मैं०ग्लैक्सो को 1957 में एक औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किया गया था और 1971 में उस समय प्रभावी नीति के अनुसार कम्पनी को एक लाइसेंस विटामिन ए की क्षमता में 10 एम. एम. यू. से 30 एम. एम. यू. प्रति वर्ष तक पर्याप्त विस्तार करने के लिए प्रदान किया गया था।

डाक-तार कल्याण कोष का गठन

2879. **श्री डी.एस.ए. शिवप्रकाशम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभाग ने एक डाक-तार कल्याण कोष बनाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कोष का वित्त पोषण कैसे होता है और किस उद्देश्य के लिए इससे सहायता दी जाती है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) जी हां।

(ख) निधि की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार के अनुदान, कर्मचारियों के स्वैच्छिक योगदान तथा मेलों के आयोजन द्वारा एकत्र राशि से की जाती है।

निधि का सदुपयोग डाक-तार कर्मचारियों के उनके परिवार के सदस्यों को उनकी शिक्षा, सांस्कृतिक व कलात्मक कार्यक्रम, चिकित्सा तथा खेलकूद के प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता प्रदान करके किया जाता है। मृत डाक-तार कर्मचारियों के परिवारों को उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी कल्लाण कोष से आर्थिक सहायती दी जाती है।

गुजरात में डाकघर खोलना

2780. **श्री नवीन रवायी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में 31 मार्च, 1982 के दिन डाकघरों/उप डाकघरों तथा तारघरों की कुल संख्या कितनी थी ;

(ख) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में अधिक डाकघर खोलने की मांग की बहुत अधिक है ; और

(ग) यदि हां, तो छठी योजना अवधि के दौरान इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 31 मार्च, 1982 तक गुजरात सर्किल में जिसमें कि गुजरात राज्य के साथ-साथ दादर और नागर हवेली तथा दमन और दिव भी शामिल हैं, निम्नलिखित कुल संख्या में डाकघर/उप डाकघर तथा तारघर खोले गए :—

(1) डाकघरों की कुल संख्या	8477
(2) उप डाकघरों की कुल संख्या	1849
(3) तारघर	1226

(ख) जी, हां।

(ग) डाकघर निर्धारित मानदंडों के अनुसार खोले जाते हैं। ऐसा प्रस्ताव है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात सर्किल में 288 डाकघर खोले जाएं जिनमें से वर्ष 1981-82 के दौरान 60 डाकघर पहले से ही खोले जा चुके हैं यथा 45 डाकघर 1982-83 के दौरान खोलने का प्रस्ताव है।

डाक एवं तार सिविल विंग में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित पदों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की विशेष भर्ती

2781. **श्री भीखा भाई :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक और तार सिविल विंग (डाक और तार) में 1-1-1982 को प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों की कुछ संख्या कितनी थी ;

(ख) डाक और तार सिविल विंग (डाक और तार) बोर्ड में 1-1-82 को प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के राजपत्रिता अधिकारियों की कुल संख्या कितनी थी ;

(ग) क्या उपरोक्त भाग (क) और (ख) के मामलों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है ; यदि हां, तो पहले से खाली चले आ रहे पदों को भरने के लिए सरकार की नीति क्या हैं ;

(घ) क्या डाक और तार सिविल विंग में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व देनें हेतु अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लिए विशेष भर्ती करने का विचार है ;

(ङ) उपरोक्त भाग (क) और (ख) में उल्लिखित प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के कितने पदों को कब तक अनारक्षित किया गया है ; और

(च) डाक और तार विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए यदि कोई अन्य कदम उठाए गए हैं तो वे क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) 1-1-82 को डाक तार सिविल शाखा में तदर्थ आधार पर कार्यरत अधिकारियों सहित 270 श्रेणी... । (ग्रुप 'क') तथा 530 श्रेणी-11 (ग्रुप 'ख') राजपत्रित अधिकारी हैं।

(ख) 1-1-82 को डाक तार महानिदेशक के कार्यालय में डाक-तार सिविल शाखा में 4 श्रेणी-1 (ग्रुप 'क') अधिकारी हैं।

(ग) डाक-तार सिविल शाला में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है क्योंकि इन श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती करने पर भी ये उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते पदोन्नति द्वारा नियुक्ति करने के लिए अनुसूचितजाति व अनुसूचित जनजाति के सभी योग्य कर्मचारियों पर विचार किया जाता है।

(घ) जी नहीं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए विशेष भर्ती की व्यवस्था करने के लिए फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं क्योंकि उनकी नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त इंजीनियरी सेवा परीक्षण के माध्यम से की जाती है ;

(ड़) आरक्षित रिक्तियां भर्ती के 3 वर्ष तक लगातार आगे ले जाई जाती है। गत 3 वर्ष के दौरान निर्धारित पद्धति के अनुसार अनारक्षि एवं अनुसूचित जनजाति के पदों के बारे में सूचना इस प्रकार हैं :—

	श्रेणी-1		श्रेणी-2	
	अ०जा०	अ०ज०जा०	अ०जा०	अ०ज०जा०
1976	9	6	7	3
1977	13	7	7	5
1978	1	3	7	6

(च) संबंधित प्राधिकारियों को समय-समय पर हिदायतें जारी की गई हैं ताकि वे नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पर्याप्त प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित कर सकें।

कोल इंडिया लिमिटेड में कोयला भंडार की वर्तमान स्थिति

2782. श्री के टी कोसलराम : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कोल इंडिया लिमिटेड को कुल कोयला भंडार कितना है ; और

(ख) औद्योगिक उत्पादन के विभिन्न केन्द्रों के लिए कोयला सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

कोयला ऊर्जा मंत्रालय के विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) दिनांक 15-7-1982 को कोल इंडिया लि० का कुल स्टाक लगभग 18.16 मि. टन था ;

(ख) कोयला कंपनियों में उत्पादन वर्ष 1980-81 से क्रमशः बढ़ रहा है। कोयला उत्पादन में वृद्धि के अनुरूप उपभोक्ताओं को कोयले का प्रेषण भी बढ़ा है। वर्ष 1981-82 में कोयले का कुल प्रेषण 118.08 मि. टन था। जबकि इसकी तुलना में वर्ष 1980-81 में प्रेषण 105–88 मि० टन था। वर्ष 1981-82 में रेलवे द्वारा भी लदान में वर्ष 1980-81 की तुलना

में काफी सुधार हुआ। यद्यपि रेलवे वैगनों की औसत उपलब्धता आवश्यकता से कुछ कम रही थी, रेलवे वैगनों के लदान में सुधार की यह प्रवृत्ति चालू वर्ष में भी कायम रखी जा रही है। कोयला कंपनियां तथा कोयला विभाग कोयले की ढुलाई में अधिक सुधार के लिये रेलवे से बराबर सम्पर्क बनाए हुए हैं।

वर्ष 1980 में सभी कोयला कम्पनियों की निर्दिष्ट खानों से कोयले की बड़ी मात्रा में खुली बिक्री प्रारम्भ करने की नीति शुरू की गई थी। योजना को मई, 1982 में और उदार कर दिया गया तथा 10 मि. ट. कोयला निर्दिष्ट खानों में आफ दि शेल्फ बिक्री के लिए नियत कर दिया गया है। स्कीम को इस प्रकार उदार बना देने के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को कोयले उपलब्धता में काफी सुधार हुआ है।

कोयले और की कोक विभिन्न किस्मों की उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर उपलब्धता में सुधार की दृष्टि से को.ई.लि. ने देश में विभिन्न ग्रामीण और शहरी खपत केन्द्रों में अनेक कोयला-टालें खोलना प्रारम्भ किया है। अब तक ऐसी 52 टालें विभिन्न राज्यों में खोली जा चुकी हैं। इससे देश के विभिन्न भागों के कोयले की कमी काफी हद तक दूर करने में सहायता मिली है।

गांवों को बिजली की सप्लाई

2783. श्री दया राम शाक्य : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के लगभग सभी गांवों में बिजली है और यदि हां, तो क्या सरकार ने उन गांवों में गलियों को बिजली देने के लिए उपयुक्त कदम उठाए हैं ताकि ग्रामीण लोगों को चोरों, बदमाशों और डाकुओं का खतरा न रहे; और

(ख) क्या सरकार इस दिशा में शीघ्र कदम उठायेगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) देश के कुल 5,76,126 गांवों में से मार्च, 1982 के अन्त तक 2,94,900 गांवों विद्युतीकृत किए गए हैं जो कि 51.2 प्रतिशत बैठते हैं। इसी तारीख की स्थिति के अनुसार ऐसे गांवों की संख्या जिनमें सड़क पर रोशनी की सुविधा का विस्तार किया गया है, लगभग 1.15 लाख है। ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें राज्य बिजली बोर्डों/राज्य सरकारों द्वारा बनाई जाती हैं तथा क्रियान्वित की जाती हैं। गांवों में सड़कों पर रोशनी की सुविधा उपलब्ध कराने तथा इसका अनुरक्षण करने का दायित्व स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायतों आदि का होता है।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में एक लाख गांवों को विद्युतीकृत करने की परिकल्पना की गई है जिसमें से योजना के पहले दो वर्षों के दौरान 45000 गांव विद्युतीकृत कर दिए गए हैं। 1982-83 की वार्षिक योजना में लगभग 25000 गांवों को विद्युतीकृत करने की परिकल्पना की गई है। बाकी के 30,000 गांवों को 1983-85 के दौरान विद्युतीकृत किए जाने की आशा

है। साधनों की उपलब्धता के आधार पर राज्यों की संदर्शी योजना में देश के सभी गांवों को 1994-95 तक विद्युतीकृत किए जाने का प्रावधान है।

पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को रियायतें

2784. श्री अमर राय प्रधान : क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि भारत सरकार ने उन परिवारों को रियायतें देने का निर्णय किया है जो पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगलादेश) से आये थे ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन रियायतों से अब तक कितने परिवारों को लाभ मिला है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है।

विवरण

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास के लिए दिये गये ऋणों की माफी के मामले में निम्नलिखित रियायतें दी गई हैं :—

(क) पुराने प्रवासी (अर्थात वे जो 31-3-1958 तक भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए)

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये पुराने प्रवासियों के मामले में, भरण-पोषण ऋणों और सरकार द्वारा प्रायोजित/अनुमोदित अनधिवासी कालोनियों में भूमि के अर्जन और विकास से संबंधित ऋणों को अनुदान के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, "टाइप ऋणों", अर्थात मकानों के निर्माण के गेर-अंशदायी, आवासीय भूमि, कृषि ऋण और 31-3-1964 तक विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों को दिए गए लघु व्यवसाय ऋण को 17-2-1977 को जारी की गई हिदायतों के अनुसार पूर्णतः माफ कर दिया गया है। इन रियायतों से लगभग दो लाख परिवारों को लाभ मिला है।

(ख) नए प्रवासी (अर्थात वे जो 1-1-1964 से 25-3-1971 के दौरान भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए)

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए नए प्रवासियों के ऋण भार को कम करने की दृष्टि से हाल ही में उन्हें निम्नलिखित रियायतें दी गई हैं :—

(1) प्रवासियों को आवंटित की गई कृषि भूमि के अर्जन, सुधार और विकास पर किए व्यय को अनुदान माना जाएगा ;

(2) जिन मामलों में सिंचाई सुविधाओं की लागत को ऋण माना गया था, उसे माफ कर दिया जाएगा ;

(3) प्रत्येक परिवार से आवासीय ऋण की वसूली को 1500/-रुपए या कुल आवासीय ऋण का आधा, जो भी अधिक हो, तक सीमित कर दिया जाएगा और शेष राशि माफ कर दी जाएगी ; और

(4) जिन मामलों में कीटनाशकों की लागत को ऋण माना गया था उसे अब अनुदान माना जाएगा।

वसूल की जाने वाली शेष राशि को एकत्रित करके 15/12/10 वर्षों की अवधि में वार्षिक किस्तों में वसूल किया जाएगा जो इस बात पर निर्भर करेगा कि भूमि पूर्णतः असिंचित है, भागतः सिंचित है या पूर्णतः सिंचित है। 1 अप्रैल, 1982 से मूलधन और ब्याज दोनों के लिए तीन वर्ष की मोहलत दी जाएगी।

इन रियायतों से पहले से बसाए गए या भविष्य में बसाए जाने वाले लगभग 54,000 नए प्रवासी परिवारों को लाभ मिलेगा।

कुकिंग गैस एजेंसियों के आबंटन के लिए योजना

2785. **श्री दया राम शाक्य** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालयों को 1982-83 में कुकिंग गैस एजेंसियों के आवंटन के लिये संसद सदस्यों के जरिए उत्तर प्रदेश के हरिजनों से कुछ आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो आवेदकों के नाम क्या हैं ; और

(ख) क्या इन आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तेल कम्पनियों द्वारा डीलरों के चयन के लिए केवल उन्हीं आवेदन पत्रों पर जो कि वह समाचार पत्रों में अपने विशेष विज्ञापनों के सन्दर्भ में प्राप्त करती हैं, विचार किया जाता है। उम्मीदवारों द्वारा सीधे या किसी संसद सदस्य के माध्यम से सरकार को भेजे गये आवेदनपत्रों का कोई ब्यौरा नहीं रखा जाता है क्योंकि सम्बन्धित तेल कम्पनी द्वारा गठित चयन समिति द्वारा किया जाता है।

(ख) उपरोक्त (क) में बतायी गयी स्थिति को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

औषधियों को नियंत्रण से मुक्त रखना

2786. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बहुत सी औषधियों को नियंत्रण से मुक्त रखने का निर्णय किया है :

(ख) यदि हां, तो ऐसी औषधियों का ब्यौरा क्या है।

(ग) उनको निमत्रण से मुक्त रखने के क्या कारण हैं : और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं कि औषधियों के मूल्य न बढ़ने पाएं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं। मूल्य नियंत्रित बल्क औषधों का औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 की प्रथम और द्वितीय अनुसूचीमें निर्दिष्ट किया गया है और मूल्य नियंत्रित फार्मूलेशन उसकी तृतीय अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 में औषधों के मूल्य पर चुनीदा नियंत्रण की व्यवस्था हैं। दवाईयों का मूल्य निर्धारित करने में इस आदेश के उपबन्धों के अन्तर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि आवश्यक दवाईयों पर कारखाने के बाहर के लागत की अपेक्षाकृत कम मार्क-अप की अनुमति दी जाए। इसके अतिरिक्त अनेक आवश्यक और जीवन रक्षक दवाईयों तथा ऊनके निर्माण के लिए प्रयुक्त कुछ बल्क औषधों जिनका आयात किया जाता है, को सीमा शुल्क से पूर्णतया मुक्त कर दिया गया है। आश्वयक औषधों के निर्माण के लिए प्रयुक्त कुछ मध्यावर्ती पर यथामूल्य 25% रियायती दर से सीमा शुल्क लगता है। देश में निर्मित अनेक आवश्यक दवाईयों को भी उप्पाद शुल्क के भुगतान से मुक्त कर दिया गया है। मूल्य नियंत्रण बल्क औषधियों के मूल्य लागत अध्ययन के आधार निर्धारित किये जाते हैं।

नाइलोन फिलामेंट धागे के निर्माण के लिए संयंत्र स्थापित करना

2787. **श्री आर० पी० गायकवाड़) :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात इन्डस्ट्रियल इन्वस्टमेंट कारपोरेशन को नाइलोन-फिलामेंट धागे के निर्माण के लिये प्रतिवर्ष 2,100 टन की क्षमता वाले संयंत्र की स्थापना करने हेतु वर्ष 1971 में आशय पत्र जारी किया गया था।

(ख) क्या उनके मंत्रालय के पमामर्श पर गुजरात इन्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ने प्रतिवर्ष 6,300 टन की क्षमता वाले संयंत्र की स्थापना के लिए संशोधित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया हैं ;

(ग) क्या प्रस्तावित संयंत्र को सूरत की वीवर्स कोआपरेटिव के साथ संयुक्त क्षेत्र में स्थापित किया जाता है ;

(घ) क्या प्रोजेक्ट एप्रूवल वोर्ड के मई, 1981 में हुई अपनी बैठक में परियोजना पर अनुकूल दृष्टि से विचार किया है और अभी तक आवश्यकता स्वीकृति नहीं दी गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) गुजरात इन्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने बताया था कि इस प्रयोजना को बुनकर सहकारी समितियों के साथ संयुक्त क्षेत्र में स्थापित किया जायेगा।

(घ) और (ङ) इस प्रस्ताव पर यथासमय निर्णय लिये जाने की आशा है।

राज्यों में बिना विद्युतीकृत गांव और उनका विद्युतीरण कार्यक्रम

2788. **श्री राम विलास पासवान** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में राज्यवार कितने गांवों में विद्युतीकरण नहीं हुआ है ;

(ख) क्या भारत सरकार के पास इन गांवों को बिजली पहुंचाने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम है ; और

(ग) यदि हां, तो कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) देश में 31 मार्च, 1982 की स्थिति के अनुसार 2,81,164 को विद्युतीकृत किया जाना है। राज्यवार ब्योरा दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में एक लाख गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है जिनमें से योजना के पहले दो वर्षों (1980-82) के दौरान लगभग 45000 गांव विद्युतीकृत किए गए थे। 1982-83 की वार्षिक योजना में लगभग 25,000 गांवों को विद्युतीकृत किया जाना है तथा शेष 30,000 गांव योजना के अन्तिम दो वर्ष (1983-85) के दौरान विद्युतीकृत किए जाने की आशा है। राज्यों की संदर्शी योजना में अधिक से अधिक 1994-95 तक देश के सभी गांवों को विद्युतीकृत किए जाने की आशा है बशर्ते इनके लिए साधन उपलब्ध हों।

विवरण

राज्यवार कुल गांवों की संख्या, उनमें से 31-3-1982 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांव तथा मार्च, 1982 के बाद विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों की संख्या दिखाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य	गांवों की कुल संख्या	31-3-1982 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकरण की प्रगति		विद्युतीकरण के लिए शेष बचे गांवों की संख्या
			विद्युतीकृत गांवों की संख्या	विद्युतीकरण के स्तर की प्रतिशतता	
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	27,221	19,196	70.5	8,025
2.	असम	21,995	6,673	30.3	15,322
3.	बिहार	67,566	23,108(क)	34.2	44,458
4.	गुजरात	18,275	13,429	73.5	4,846

1	2	3	4	5	6
5.	हरियाणा	6.731	6,731	100.0	—
6.	हिमाचल प्रदेश	16,916	11,217	66.3	5,669
7.	जम्मू व कश्मीर	6,503	4,943	76.0	1,560
8.	कर्नाटक	26,826	17,626	65.7	9,200
9.	केरल	1,268	1,268	10.00	—
10.	मध्य प्रदेश	70,883	29,020	40.9	41,863
11.	महाराष्ट्र	35,778	28,850	80.6	6,928
12.	मणिपुर	1,949	395	20.3	1,554
13.	मेघालय	4,583	868	18.9	3,715
14.	नागालैंड	960	439	45.7	521
15.	उड़ीसा	46,992	20,010	42.5	26,982
16.	पंजाब	12,188	12,126(+)	10.00	—
17.	राजस्थान	33,305	16,632	49.9	16 673
18.	सिक्किम	405(%)	86	21.2	319
19.	तमिलनाडु	15,735	15,611	99.2	124
20.	त्रिपुरा	4,727	1,190	25.2	3,537
21.	उत्तर प्रदेश	1,12,561	47,525	42.2	65,036
22.	पश्चिम बंगाल	38,074	16,284	42.8	21,790
	जोड़ (राज्य)	5,71,441	2,93,227	51.3	2,78,152
	जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)	4,685	1,673	35.7	3,012
	जोड़ (अखिल भारत)	5,76,126	2,94,900	51.3	2,81,164

(+) 62 गांव गैर आबाद घोषित कर दिए गए हैं।

(क) 28.2-82 की स्थिति के अनुसार।

(%) जनगणना प्राधिकारियों ने राजस्व ब्लाक को सबसे छोटी प्रशासनिक यूनिट माना है।

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अनिर्णीत मामलों का निपटाया जाना

2789. श्री नरसिंह मकवाना :
श्री जय नारायण रौत :
श्री के० कुन्हम्बु : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में कितने अनिर्णीत मामले पड़े हैं और इन्हें कब तक निपटाए जाने की संभावना है :

(ख) क्या यह सच है कि न्यायालयों की कमी तथा कुछ अन्य बातों के कारण अनिर्णीत मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है ; और ;

(ग) क्या वकीलों के अनुपस्थित रहने के कारण निर्धारित तारीख को मामलों की सुनवाई नहीं हो पाती और यदि हां, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या जैसी कि न्यायालयों की रजिस्ट्रियों द्वारा दी गई है, संलग्न विवरण में दी गई है । यह बताना संभव नहीं है कि ये मामले कब तक निपटाए जा सकेंगे ।

(ख) लंबित मामलों की संख्या में वृद्धि होने का कारण मामलों का अधिक संख्या में संस्थित किया जाना तथा कुछ अन्य जटिल बातें हैं ।

(ग) नियत तारीख पर सुनवाई के लिए मामलों के न लिए जाने का एक कारण वकीलों का अभाव भी हो सकता हैं । सरकार का विचार है कि दंड प्रक्रिया संहिता और सिविल प्रक्रिया संहिता में विद्यमान उपबंध न्यायालयों द्वारा किए जाने वाले स्थगत को कम से कम करने के लिए पर्याप्त रक्षोपाय हैं ।

विवरण

लंबित मामलों की संख्या (जैसी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्रियों द्वारा दी गई है)

न्यायालय का नाम	लंबित मामलों की संख्या
उच्चतम न्यायालय @ (31-12-1981 को)	22664 (नियमित सुनवाई वाले मामले)

1	2	3
	उच्च न्यायालय (13-12-1981 को)	
1.	इलाहाबाद	155754
2.	आंध्र प्रदेश	58075
3.	बम्बई	73362

1	2	3
4.	कलकत्ता	91955
5.	दिल्ली	43103
6.	गोहाटी	10569
7.	गुजरात	24565
8.	हिमाचल प्रदेश	7333
9.	जम्मू-कश्मीर	12854
10.	कर्नाटक	95373
11.	केरल	34396
12.	मध्य प्रदेश	38339
13.	मद्रास	74733
14.	उड़ीसा	13199
15.	पटना *	45243
16.	पंजाब और हरियाणा	33149
17.	राजस्थान	33158
18.	सिक्किम	62
	योग	845222

*केवल मुख्य मामले।

@उच्चतम न्यायालय के लिए आकड़े नियमित सुनवाई वाले मामलों के सम्बन्ध में हैं। ग्रहण (एडमिशन) और प्रकीर्ण मामलों के सम्बन्ध में लंबित मामलों की संख्या दिसम्बर, 1981 के अन्त में क्रमशः 25979 और 34281 थी।

अच्छी किस्म की फिल्मों के प्रदर्शन के लिए मनोरंजन कर से छूट

2790. प्रो० मधु दण्डवते :

श्री एच० एन० नन्जे गौडा :

श्री आर० एन० राकेश :

श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :

श्रीमती संयोगिता राणे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को कहा है कि अच्छी किस्म की फिल्मों, बाल फिल्मों तथा अभिलेखागार फिल्मों के प्रदर्शन के लिये मनोरंजन कर से छूट देने के बारे मे एक समान नीति का पालन करें ;

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में इन मार्गदर्शी निदेशों का कार्यान्वित किया जाता है ; और

(ग) शेष राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र इनका पालन कब तक करेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) राज्यों के सूचना मंत्रियों के नवम्बर, 1980 में हुए सम्मेलन द्वारा तथा समर्थित राष्ट्रीय फिल्म नीति संबंधी कार्य दल की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से यह अनुसंशा की थी कि मान्यता प्राप्त फिल्म-संस्थाओं द्वारा प्रयुक्त बाल फिल्मों और अभिलेखागारीय फिल्मों के प्रदर्शन को मनोरंजन कर से छूट दी जानी चाहिए। लगभग सभी राज्य और संघ शासित क्षेत्र अब इस प्रकार की छूट दे रहे हैं। जहां तक गुणवत्ता फिल्मों का संबंध है, चुनींदा फीचर फिल्मों को "क्यू" प्रमाण पत्र जारी करने की स्कीम को सरकार द्वारा अभी चालू किया जाना है. संयोगवश, मनोरंजन कर से छूट देना राज्य विषय है।

हिमाचल प्रदेश में हरिजन बस्तियों तथा अन्य शेष गांवों को बिजली देने के कार्य की प्रगति

2791. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष सहित, पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की सहायता से हिमाचल प्रदेश में हरिजन बस्तियों तथा अन्य शेष गाँवों को बिजली देने सम्बन्धी कार्य में, जिलावार, क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या हाल ही में इस प्रयोजन के लिए विशेष अभियान शुरू किया है ;

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार का अभियान शूरू किया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने 81 हरिजन बस्तिओं के विद्युतीकरण के लिए एक स्कीम स्वीकृत की है, वह सभी विद्युतीकृत कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, ग्राम विद्युतीकरण निगम ने राज्य निगम ने राज्य बिजली बोर्ड/राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि वित्तीय सहायता के लिए आने वाली ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के मामले में जहां कहीं सड़क पर रोशनी की व्यवस्था है स्कीम के अन्तर्गत शामिल गांवों के समीप वाली हरिजन बस्तियां मुख्य गांव के साथ विद्युतीकृत की जाती है . जहां तक शेष बचे गांवों का संबंध है पहले से ही स्वीकृति स्कीमों के केवल शेष बचे गांवों को विद्युतीकृत करने के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम स्कीम स्वीकृति कर रहा है। शेष बचे गांवों का विद्युतीकरण करने के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम से 258.45 लाख

रुपये की ऋण सहायता की 5 स्कीमें अनुमोदित की हैं। इन स्कीमों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पहले से स्वीकृत स्कीमों के शेष बचे गांवों को शामिल करने के लिए हिमाचल प्रदेश की दिसम्बर, 1981 से मार्च 1982 तक की अवधि के दौरान स्वीकृत ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों को दर्शाने वाला विवरण।

क्रम सं०	स्वीकृति की तारीख	स्कीम/जिले का नाम	स्वीकृत ऋण राशि (लाख रु० में)	विद्युतीकृत गांव		
				नए गांव	विद्युतीकृत गांव	जोड़
1	2	3	4	5	6	7
1.	23-1-1982	नूरपुर (कांगड़ा)	26.525	17	-	17
2.	23-1-1982	रेनका (सिरमौर)	40.606	34	111	145
3.	23-1-1982	बरसर (हमीरपुर)	42.755	69	49	118
4.	23-1-1982	नाहन (सिरमौर)	38.666	58	69	127
5.	30-1-1982	कांगड़ा (कांगड़ा)	89.893	47	566	613
		जोड़	238.445	225	795	1020

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक बिजली उत्पादन का लक्ष्य

2792. श्री अमर राय प्रधान : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त में बिजली उत्पादन का लक्ष्य कितना है ;

(ख) संशोधित 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार बिजली क्षेत्र में कितनी धन राशि खर्च की गई है; और

(ग) बिजली-उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार का विचार कितनी धनराशि और खर्च करने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना में यूटीलिटीज में 19666 मेगावाट की क्षमता की अभिवृद्धि की परिकल्पना की गई है, जिसमें 14208 मेगावाट ताप विद्युत 4768 मेगावाट जल विद्युत तथा 690 मेगावाट न्युक्लिीय क्षमता शामिल है। वर्ष 1984-85 का उत्पादन लक्ष्य 191 बिलियन यूनिट है।

(ख) और (ग) : छठी पंचवर्षीय योजना हेतु विद्युत क्षेत्र के लिए अनुमोदित परिव्यय 19265 करोड़ रुपये हैं। छठी योजना के पहले दो वर्षों (1980-81 और 1981-82) में किए गए निवेश क्रमश: 2743.95 करोड़ रुपये तथा 3235.59 करोड़ रुपये थे। चालू वित्त वर्ष के लिए अनुमोदित परिव्यय 3978.24 करोड़ रुपये है। संशोधित 20 सूत्री कार्यक्रम को मद्दे नजर रखते हुए विद्युत क्षेत्र के लिए निधि की अतिरिक्त आवश्यकता की समीक्षा योजना आयोग द्वारा छठी योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन के समय की जायेगी।

चार कोयला परियोजनाओं को स्वीकृति

2793. श्री चित्त बसु : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में चार कोयला परियोजनाएं मंजूर की है ;

(ख) यदि हां, तो इनसे कोकिंग कोयले और अच्छी श्रेणी के कोयेले का कितना अतिरिक्त उत्पादन होने की आशा है ;

(ग) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कोयला धोने के कारखानों की क्षमता आवश्यकता से कम है, सरकार का विचार कोयला धोने के और अधिक कारखाने स्थापित करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इस दशा में कदम उठाए गए हैं ?

कोयला ऊर्जा मंत्रालय के विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) (क) और (ख) : जी, हां। कोककर और अच्छे ग्रेड के कोयले का अतिरिक्त उत्पादन क्रमश: 2.50 मिलियन टन और 1.05 मिलियन टन होने की आशा है ;

(ग) और (घ) : जी, हां। वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अभी छह कोयला वाशरियां निर्माणाधीन हैं तथा 11 और वासरियों के 1989-90 तक निर्माण करने की योजना है।

उत्तर प्रदेश में गैस एजेन्सियों का आवंटन

2794. श्री दयाराम शाक्य : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश को वर्ष 1982-83 में कुल कितनी गैस एजेंसियां दी जानी हैं और 1982-83 की योजना में इसके लिए किन-किन जिलों तथा शहरों को शामिल किया गया है ; और

(ख) उन शहरों और जिलों के नाम क्या हैं जहां सरकार द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को गैस एजेंसियां देने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) वर्ष 1982-83 की अपनी अंतरिम परियोजना के अन्तर्गत, तेल कम्पनियों का उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 51 तरलीकृत पेट्रोलियम, गैस की डिस्ट्रीब्यूटर शिपें खोलने का प्रस्ताव है जिनके ब्यौरे विवरण में दिये गये हैं।

(ख) पेट्रोलियम उत्पादों की डीलर शिपों/डिस्ट्रीब्यूटर शिपों को प्रदान किये जाने की नीति/प्रक्रिया में प्रस्तावित संशोधन के कारण, वर्तमान में उन स्थलों के नाम बताना सम्भव नहीं है जोकि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्धिष्ट किये जायेंगे।

विवरण

क्र. संख्या	शहर का नाम
1.	मऊनाथ भंजन
2.	अमरोहा
3.	लखनऊ (6)
4.	कानपुर (4)
5.	ललितपुर
6.	खटौली
7.	मोदीनगर
8.	हरिद्वार
9.	इलाहाबाद (3)
10.	वाराणसी (5)
11.	गोरखपुर (2)
12.	आगरा (4)
13.	ऋषिकेष
14.	बरेली
15.	फरुखाबाद

1	2
16.	झांसी
17.	रायबरेली
18.	फैजाबाद
19.	लखीमपुर खेरी
20.	टाण्डा
21.	पल्लिया
22.	मुगलसराय
23.	शिकोहाबाद
24.	बलरामपुर
25.	देहरादून
26.	शाहजहांपुर
27.	अलीगढ़
28.	गाजियाबाद
29.	सम्भल
30.	शामली
31.	नजिबाबाद
32.	देववन्द
33.	नगिना

न दिया जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सुविधाएं

2796. रेणुमद दास : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नदिया जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सुविधाएं उपलब्ध काराने की दृष्टि से सरकार ने गत दो बर्षों की योजनाओं के दौरान बड़े गांवों को डाक सेवाओं के अन्तर्गत लाने हेतु अब तक क्या कदम उठाये हैं ;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान जिले के प्रत्येक प्रखण्ड में कितने पी. सी. ओ. और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों का लक्ष्य रखा गया था और कितने स्थापित किए गये ;

(ग) इसके वर्ष वार आंकड़े क्या हैं ;

(घ) क्या ग्रामीण जिले को निकट भविष्य में डाक संचार व्यवस्था (नेटवर्क) के अन्तर्गत लाने की कोई योजना सरकार के पास है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो चालू वर्ष और आगामी वर्ष के दौरान इस जिले के लिए क्या किए जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में नैमित्तिक श्रमिक

2797. **श्री रेणुपद दास** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का विभिन्न परियोजनायों के अधीन कितने नैमित्तिक कर्मचारी कार्यरत हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में भू-कंपीय फील्ड पार्टियों में काम करने वाले नैमित्तिक श्रमिक ने एक संघ बनाया है और उन्होंने स्थानीय अधिकारियों के समक्ष कुछ मांगे रखी हैं जो प्राधिकारियों के असहयोगात्मक रवैये के कारण हल नहीं हो सकी हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि अपनी मांगे मनवाने के लिए आयोग के कर्मचारी 5 अप्रैल, 1982 से हड़ताल पर हैं ;

(घ) उनकी मांगे क्या हैं और उन्हें पूरा करने में क्या रुकावटें हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

मद्रास में केन्द्रीय सरकार के काउन्सेलों की नियुक्ति

2798. **श्री एन० डेनिस** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में वकालत करने वाले अनेक वकीलों को गत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सरकार के काउन्सेलों के रूप में नियुक्त किया गया है ;

(ख) उनको किन आधारों पर नियुक्त किया गया है ;

(ग) उनको कितनी अवधि के लिए नियुक्त किया गया है ; और

(घ) जिन वकीलों ने अब तक काउन्सेलों के रूप में काम नहीं किया है उनको इस पद पर नियुक्ति करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ;

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी हां।

(ख) उनकी नियुक्ति योग्यता और उपयुक्तता के आधार पर की जाती है।

(ग) सामान्य रूप से उनकी नियुक्ति एक वर्ष के लिए होती है और सरकार के विवेकानुसार यह अवधि बढ़ाई जा सकती है।

(घ) प्रश्न (ख) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिमी बंगाल में डाक-तार विभाग के कर्मचारियों को बन्द के दिन विशेष छुट्टी

2799. **श्री सुनील मैत्रा :**

श्री नीरेन घोष :

श्री सोमनाथ चटर्जी :

श्री सुशील भट्टाचार्य : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पश्चिमी बंगाल में 3 अप्रैल, 1981 को बन्द के दिन अनुपस्थित रहने वाले डाक-तार विभाग के कर्मचारियों को विशेष छुट्टी मंजूर की गई थी ; और

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि 19 जनवरी, 1982 को बन्द के दिन अनुपस्थित रहने वाले डाक-तार विभाग के कर्मचारियों को विशेष छुट्टी नहीं दी गई थी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) 19 जनवरी, 1982 के बन्द के दिन डाक-तार कर्मचारियों को विशेष अवकाश की मंजूरी इस लिए नहीं दी गयीं थी क्योंकि पश्चिमी बंगाल के विशेषत: कलकत्ता में उन कर्मचारियों के लिए जो उस दिन ड्यूटी पर रहना चाहते थे, रात में कार्यालय में ही ठहरने के लिए विशेष प्रबन्ध किए गए थे। यहां तक कि महाप्रबंधक। टेलीफोन कलकत्ता ने उन कर्मचारियों को अपने निकटस्थ डाक-तार एक्सचेंज में ड्यूटी पर आने के लिए मंजूरी दी थी जो यातायात बंद होने के कारण अपने कार्यालयों में पहुंचने में असमर्थ थे। वे कर्मचारी जो उक्त सुविधा के उपलब्ध होने पर भी 19 जनवरी, 1982 को ड्यूटी से अनुपस्थित रहे उनकी अनुपस्थिति यातायात के बंद होने के कारण नहीं मानी गयी। तदनुसार ऐसा निर्णय लिया गया है कि उनकी अनुपस्थिति की सेवा में व्यवधान रहित अकार्य दिवस माना जाए।

कलकत्ता में इलैक्ट्रोनिक ट्रंक एक्सचेंजों की स्थापना

2800. **प्रो० रूप चन्द्र पाल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या कलकत्ता में एक इलैक्ट्रोनिक ट्रंक एक्सचेंज स्थापित किया जाने वाला है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ; और

(ग) इससे कलकत्ता के टेलीफोन प्रयोक्ताओं को किस प्रकार लाभ होगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) 1983 के मध्य तक।

(ग) मौजूदा क्रासबार किस्म के एक्सचेंज के अतिरिक्त इलैक्ट्रोनिक ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज के संस्थापन के उपरान्त कलकत्ता के उपभोक्ताओं को और अधिक सीधे डायलिंग रूट उपलब्ध होने की की उम्मीद है तथा वर्तमान रूटों पर भीड़-भाड़ कम होने की उम्मीद है।

चिनसुरा में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र

2801. प्रो० रूप चन्द पाल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिनसुरा टेलीफोन केन्द्रं को स्वचालित टेलीफोन केन्द्र में बदला जा रहा हैं ; और

(ख) क्या बदलने का यह कार्य नवम्बर, 1982 तक पूरा हो जाने की आशा है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। आशा की जाती है कि यह 1983 के दौरान पूरा हो जाएगा बशर्ते के उपस्कर प्राप्त हो जाए।

राज्य सूचना मंत्रियों का सम्मेलन

2803. श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :

श्री अमर राय प्रधान :

श्री मूल चन्द डागा :

श्री के० ए० राजन :

श्री रामजी भाई मवाणी : क्या सचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली में राज्य सूचना मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में किन बातों को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया ;

(ग) क्या फिल्म प्रदर्शन को समवर्ती सूची में सम्मिलित करने का सुझाव किया गया था और यदि हां, तो वर्तमान प्रणाली में इससे क्या सुधार होगा ; और

(घ) क्या संसद् में उपयुक्त कानून पुरःस्थापित किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(ग) फिल्मों के प्रदर्शन को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल करने के प्रस्ताव का उद्देश्य यह हैं कि केन्द्रीय सरकार अखिल भारतीय आधार पर अच्छे सिनेमा को बढ़ावा देने में

राज्यों की सहायता कर सके तथा समूचे देश के फिल्म उद्योग से सामान्य रूप संबंधित क्षेत्रों को विनियमित, युक्तियुक्त और सुप्रवाही बना सके। फिल्म निर्माताओं; विशेषकर सीमित साधनों वाले फिल्म निर्माताओं; पर वितरकों और प्रदर्शकों के दबावों को कम करने के लिए और देशव्यापी सर्कट पर प्रादेशिक तथा अच्छे किस्म की फिल्मों के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए भी यह अनिवार्य है कि केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों और कम लागत वाली गुणावत्ता फिल्मों के निर्माताओं की सहायता करने की दृष्टि से उपयुक्त विधान बनाने के लिए आवश्यक समवर्ती अधिकार प्राप्त होने चाहिएं। तथापि, केन्द्रीय सरकार का इरादा मनोरंजन कर को एकत्र करने के संबंध में राज्यों के अधिकारों को छीनने का नहीं है।

(घ) प्रस्ताव विचाराधीन है।

विवरण

1. सम्मेलन ने 15 अगस्त 1982 से दूरदर्शन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने का स्वागत किया।

2. दूरदर्शन को सूचना और शिक्षा के लिए जरूरी आवश्यकता समझा जाना चाहिए न कि इसको विलास की वस्तु।

3. प्रत्येक गांव में बिना करों के लागत वाले दूरदर्शन सेट होने चाहिए। दूरदर्शन सेवा का विस्तार प्रथमतया कम लागत पर ट्रांसमीटर स्थापित करके किया जाना चाहिए। सभी राज्यों, विशेषकर उत्तर-पूर्वी और सीमावर्ती राज्यों में दूरदर्शन सेवा ईन्सेट/माइक्रोवेव लिंकों, आदि के माध्यम से यथाशीघ्र उपलब्ध की जानी चाहिए।

4. समुदायिक अवलोकन के लिए उत्तर-पूर्वी राज्यों और सीमावर्ती राज्यों के लिए सीधे संग्रहण सेट उपलब्ध किए जाने चाहिए ;

5. फिल्मों का प्रदर्शन और वितरण संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किया जा सकता है।

6. सिनेमाघरों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। लक्ष्य अगले पांच वर्षों के दौरान 5000 सिनेमाघर बनाने का होना चाहिए।

7. समूचे देश को आकाशवाणी के अधिक शक्तिशाली केन्द्रों द्वारा कवर किया जाना चाहिए।

8. राज्यों द्वारा आकाशवाणी ओर दूरदर्शन के केन्द्रों को बिजली की नियमित और निर्विघ्न सप्लाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

9. राज्यों के निगमों/एजेंसियों को लघु तथा मझोले समाचारपत्रों के लिए अखबारी कागज का वितरण करना चाहिए।

10. राज्य सरकारों की सूचना एजेंसियों और केन्द्रीय माध्यम एककों को 20-सूत्री कार्यक्रम, राष्ट्रीय एकीकरण और परिवार कल्याण, आदि जैसे राष्ट्रीय विषयों पर बहु-माध्यम अभियानों में अपनी गतिविधियों को पूर्णतया समन्वित करना चाहिए।

11. भारतीय जन संचार संस्थान को राज्य सरकारों के सहयोग से पत्रकारों और सूचना कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को दिल्ली में तथा राज्यों के अन्य उपयुक्त स्थानों पर आयोजित करना चाहिए।

ऊर्जा स्रोतों का अनुरक्षण करने हेतु अल्प एवं दीर्घकालिक उपाय सुझाने के लिए कृतिक दल

2804. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**

श्री डा० एम० पुत्ते गौडा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मत्रालय ने ऊर्जा श्रोतों का अनुरक्षण करने हेतु अल्प एवं दीर्घकालिक उपाय सुझाने हेतु एक कृतिक दल गठित किया है ;

(ख) यदि हां, तो कृत्रिक दल द्वारा शुरू किये जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इससे देश के उत्तरी तथा दक्षिणी क्षेत्रों में बिजली की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार होगा ; और

(घ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) ऊर्जा मंत्रालय ने मार्च, 1982 में विद्युत ऊर्जा संरक्षण के लिए स्थायी दल का गठन किया है। स्थायी दल के विचारार्थ विषय नीचे दिए गए हैं :—

1. विभिन्न उपभोक्ता क्षेत्रों में विद्युत ऊर्जा संरक्षण के लिए सुव्यवस्थित पद्धति का विकास और शक्यता का प्रारम्भिक मूल्यांकन करना।

2. उन क्षेत्रों का पता लगाना, जिसमें इष्टतम लाभ प्राप्त करने के लिए विभिन्न राज्यों में विद्युत ऊर्जा संरक्षण के संबंध में कदम उठाने चाहिए।

3. ऊर्जा-लेखा परीक्षा की प्रणाली का विकास करना तथा विभिन्न उपभोक्ता क्षेत्रों में विद्युत ऊर्जा संरक्षण के लिए मार्गदर्शी-सिद्धान्तों का विकास करना।

4. उन क्षेत्रों में जिनमें पर्याप्त लाभ प्राप्त किए जा सकते है, संरक्षण के लिए विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करना।

5. समुचित प्रशासनिक विधिक तथा वित्तीय उपायों की जांच करना तथा सुझाव देना, जो विद्युत ऊर्जा के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक होंगे।

6. कुशल विद्युत माडलों के विकास तथा उनकी पुष्टि के लिए उपयुक्त कदम सुझाने की दृष्टि से विभिन्न विद्युत उपस्करों और उपकरणों की क्षमता की जांच करना।

7. विद्युत ऊर्जा संरक्षण से सम्बन्धित किसी अन्य मामले पर शिफारिस करना।

(ग) ऊर्जा संरक्षण करने वाले विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा के संरक्षण के लिए यद्यपि पर्याप्त क्षेत्र है, परन्तु ऊर्जा की बचत की सही मात्रा बताना संभव नहीं है क्योंकि यह विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा अपनाये जा रहे संरक्षण के उपायों की प्रगति पर निर्भर करेगा। इसलिए ऊर्जा संरक्षण के परिणाम स्वरूप उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में विद्युत की स्थिति में किस सीमा तक सुधार होगा। इसका पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गैस सिलेंडरों के दोष युक्त निर्माण के कारण हुई दुर्घटनायें

2805. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गैस सिलेंन्डरों के दोषयुक्त निर्माण से देश में कुल कितनी दुर्घटनायें हुई और इनमें कितने व्यक्ति घायल हुए और मरे ;

(ख) इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अब तक सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) क्या कम्पनी अथवा सरकार एल०पी०जी० सिलेंडरों को दुर्घटना सह बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान खाना पकाने की गैस (एल० पी० जी०) की हुई दुर्घटनाओं में से कोई भी दुर्घटना तेल कम्पनियों द्वारा सप्लाई किए गए दोषपूर्ण एल० पी० जी० सिलेंडरों के कारण नहीं हुई है ;

(ख) और (ग) एल० पी० जी० सिलेन्डर का निर्माण और भीरण गैस सिलेन्डर नियम, 1981 के द्वारा विनियमित किया जाता है। इन नियमों के अन्तर्गत, हर के निर्माता के लिये यह आवश्यक है कि वह एल० पी० जी सिलेन्डरों के निर्माण के लिए मुख्य विस्फोटक नियंत्रक से पूर्व अनुमति प्राप्त करे। इसके अतिरिक्त, सभी एल० पी० जी० सिलेन्डर का निर्माण भारतीय मानक संस्थान (आई. एस. आई.) द्वारा निधारित विनिर्देशनों के अनुसार किया जाना होता है। तेल कंपनियों द्वारा अनुमोदित निर्माताओं से केवल वही एल. पी. जी. सिलेंन्डर प्राप्त किए जाते हैं जोकि आई. एस. आई. द्वारा विधिवत प्रमाणित किये जाते हैं। एल. पी. जी. सिलेंन्डर से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं ;

(1) सिलेन्डरों की और अधिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तेल कम्पनियों ने वर्तमान में एल.पी. जी. सिलेन्डर में प्रयोग में लाये जा रहे "एफ" किस्म के वाल्वों को स्वयं

बन्द होने वाली संशोधित किस्म के वाल्वों तथा रेगुलेटरों द्वारा प्रतिस्थापित करना प्रारम्भ कर दिया है।

(2) एल. पी. जी. उपकरणों के उचित रख-रखाव के लिए एल. पी. जी. वितरकों के डिली वरी मैनों/मकैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

(3) तेल कम्पनियों द्वारा सुरक्षा के पहलुओं पर एल. पी. जी. के उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए उन्हें निर्देश कार्ड/पुस्तकाएं वितरित कराई जाती हैं।

गांधी पर फिल्म

2806. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर हाल में बनी फिल्म में आदरणीय बापू जी का चरित्र बहुत ही गलत ढंग से चित्रित किया गया है और सरकार इस फिल्म को "रिलीज" नहीं करना चाहती है और

(ख) यदि नहीं, तो अब तक इस फिल्म को "रिलीज" न करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) फिल्म का अंग्रेजी रूपान्तर तयार है और इसका हिन्दी रूपान्तर तैयार किया जा रहा है। दोनों रूपान्नतरों के मुकम्मल हो जाने के बाद फिल्म को रिलीज करने के बारे में कार्रवाई की जायेगी।

केरल सर्किल में डाक तथा तार कर्मचारियों का शोषण

2807. **श्री ई० बालानन्दन : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि केरल सर्किल में विभिन्न नियमों के अधीन डाक तार कर्मचारियों का बड़े पैमाने पर शोषण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो जनवरी से मार्च 1982 के दोरान शोषण, सेवा में अवरोध और छूट दिवसों के नियमवार पृथक-पृथक कितने मामले हैं ;

(ग) कितने मामलों में 19 जनवरी से मार्च 1982 को अनुपस्थिति के कारण सेवा में अवरोध के मामले हुए, और

(घ) केरल में दूर संचार तथा डाक कार्यालय के कर्मचारियों के शोषण और बारी से स्थातांतरण आदेश के मामले वापस लेने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) और (घ) : केरल डाक तार सर्किल में कर्मचारियों का शोषण नहीं किया गया था। नियमों के अधीन उन कर्मचारियों के

विरुद्ध कार्यवाही की गई थी जो 19-1-82 को नियोजित ढ़ंग से अनधिकृत रूप से स्वयं ड्यूटी पर हाजिर नहीं थे। जहां तक बारी-बारी से स्थानांतरण का संबंध है, विभाग के नीति निर्णय के अनुसार कुछ श्रेणी से संबंधित कर्मचारियों का बारी-बारी से स्थानांतरण करना आवश्यक हो गया था। तदनुसार केरल डाक सर्किल में भी कुछ कर्मचारियों की बारी आने पर स्थानांतरण के आदेश दिए गए थे। एक निर्णय यह भी लिया गया है कि स्थानांतरण आदेशों का पालन करके अपने स्थानांतरण आदेशों के विरुद्ध अपने अभ्यावेदन संबंधित सर्किल अध्यक्षों को प्रस्तुत कर सकते हैं, तथा इस प्रकार के प्रतिवेदनों पर शीघ्रता से जांच की जाएगी।

(ख) और (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल रख दी जाएगी।

तेल उत्पादक देशों के साथ समझौता

2808. **श्री पी० एम० सईद** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उरर्वक मंत्री ~~यह~~ बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को कच्चा तेल की सप्लाई करने के लिए तेल उत्पादन देशों के साथ दीर्घ-कालिक समझौतों पर हस्तक्षर किए गए हैं ;

(ख) इन समझौतों को अधीन भारत को कुल कितना कच्चा तेल सप्लाई किया जाएगा ; और

(ग) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) : वर्ष 1982 में अशोधित तेल के आयात के लिए निम्नलिखित देशों की राष्ट्रीय तेल कम्पनियों के साथ समझौते किये गये हैं ;

देश का नाम	मात्रा (मि० मी० टनों में)
ईराक	3.5
नाइजीरिया	0.5
वेनेजुला	0.5
यू. ए. ई.	1.0
सोवियत संघ	2.5

इसके अतिरिक्त, दिसम्बर, 1981 से जून, 1983 के दौरान 4.8 मि० मी० टन अशोधित तेल की सप्लाई के लिए एन. आई. ओ. सी. ईरान के साथ तथा जून, 1982 से दिसम्बर, 1984 की अवधि के लिए 2.0 एम. टी. प्रति वर्ष की दर से अशोधित तेल की सप्लाई के लिए पेट्रोमिन, साऊदी अरेबिया के साथ प्रबन्ध किये गये हैं। 1982 में ईरान से 3.3 मि० मी० टन तथा पेट्रोमिन, साऊदी अरेबिया से 1.7 मि० मी० टन की वास्तविक सप्लाई होने की आशा है। इस सम्बन्ध में और अधिक ब्योरे देना जनहित में न होगा।

देश में टेलीफोन कनेक्शनों का आवंटन

2809. डा० कृपा सिंधु भोई : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में टेलीफोन कनेक्शनों का शीघ्र आवंटन करने के लिए किये जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : आज तक टेलीफोन कनेक्शन हेतु दर्ज आवेदकों को यह सुविधा प्रदान करने के लिए योजना बनाई गई है । उम्मीद हैं कि देश में उपकरण के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होगी तथा विदेशों से उपकरण आयात करने के लिए कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है/अंतिम रूप दे दिया गया है । वर्तमान प्रतीक्षा सूची के अधिकांश आवेदकों को छठी पंचवर्षीय योजनायें के अन्त तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिए जाने की संभावना है, बशर्ते कि उपकरण उपलब्ध हों ।

संयुक्त अरब अमीरात को विद्युत उपकरणों और सेवाओं की सप्लाई

2810. डा० कृपा सिंधु भोई : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब अमीरात ने अपने देश में बिजली उद्योग के लिए उपकरणों और सेवाओं की सप्लाई के बारे में गहरी रुचि दर्शाई है ;

(ख) क्या उन्होंने ग्रामीण विद्युतीकरण और सौर उर्जा सहित प्रशिक्षण और अन्य कार्यक्रमों, जैसे ट्रांसमीशन और वितरण, के क्षेत्र में भारत की सहायता मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस दिशा में यदि कोई करार किया गया है तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) : अप्रैल, 1982 में भारत में आए एक सरकारी प्रतिनिधि मण्डल का संयुक्त अरब अमीरात (यू ए ई) को बिजली और पानी मंत्री जी ने नेतृत्व किया था । विद्युत के क्षेत्र में भारत की क्षमता और उपलब्धियों से मंत्री महोदय संतुष्ट थे । संयुक्त अरब अमीरात में ताप विद्युत केन्द्र के लिए एक निविदा में भा० है०-इलै० लि० द्वारा शीघ्र ही भाग लिए जाने का कार्यक्रम है । भा० है० इलै० लि० ने संयुक्त अरब अमीरात के इंजीनीयरों को भारत में प्रशिक्षण देने के लिए भी अपनी सेवाएं देने का प्रस्ताव किया है । ग्राम विद्युतीकरण निगम ने भी उप केद्रों और पारेषण लाइनों के प्रचालन और अनुरक्षण में संयुक्त अरब अमीरात के प्रचालकों को कार्य पर प्रशिक्षण देने का कए कार्यक्रम तैयार किया है । यह इस कार्य के लिए संयुक्त अरब अमीरात से प्राप्त एक अनुरोध के अनुसारण में किया गया है ।

दूरदर्शन केन्द्रों में अधिक चैनल

2811. श्री मोहन लाल पटेल :

श्री नवीन खाणी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कुछ दूरदर्शन केन्द्रों में और अधिक चैनल खोलेगी ।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) कितने और किन स्थानों पर दूरदर्शन केन्द्र निर्माणाधीन हैं और उनके रिले प्रसारण के लिए कब तक तैयार हो जाने की संभावना हैं ; और

(घ) क्या कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है जब पूरे देश में दूरदर्शन रिले प्रसारण की सुविधाएं हो जायेंगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) : संसाधनों की समिति उपलब्ध को देखते हुए प्रथम अग्रता उन क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करने की है जिनमें यह सेवा इस समय उपलब्ध नहीं है। उन क्षेत्रों में जिनमें दूरदर्शन सेवा पहले ही उपलब्ध हैं, और अधिक चैनल खोलने का प्रश्न संसाधनों की स्थिति पर निर्भर करेगा।

(ग) छठी योजना अवधि में शामिल दूरदर्शन केन्द्रों का ब्योरा और उनके मुकम्मल होने की संभाव्य तारीखों विवरण में दी गई हैं।

(घ) समूचे देश में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करने का प्रश्न अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विवरण

क्रम संख्या	परियोजना का नाम		मुकम्मल होने की संभाव्य तिथि
छठी पंचवर्षीय योजना			
1.	दूरदर्शन केन्द्र, अहमदाबाद		1983-84
2.	दूरदर्शन केन्द्र, बंगलोर		1984-85
3.	दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम		1984-85
4.	दूरदर्शन केन्द्र, गोहाटी		1984-85
5.	स्थायी स्टूडियो, हैदराबाद		1984-85
6-	दूरदर्शन स्टूडियो, जयपुर		1984-85
7.	कार्यक्रम निर्माण केन्द्र, पटना		1984-85
8.	दूरदर्शन रिले ट्रांसमीटर, आसनसोल		1983-84
9.	—तथैव—	विजयवाड़ा	1984-85
10·	—तथैव—	कटक	1984-85
11.	—तथैव—	कसौली	1984-85
12.	—तथैव—	कोडैकेनाल	1983-84
13.	—तथैव—	मुर्शिदाबाद	1984-85
14.	—तथैव—	पणजी	1983-84
15.	—तथैव—	वाराणसी	1984-85
19.	—तथैव--	गोरखपुर	1984-85
17.	—तथैव—	रांची	1984-85
18.	—तथैव—	राजकोट	1984-85
19.	—तथैव—	नागपुर	1982-83
20-	कार्यक्रम निर्माण केन्द्र, नागपुर		1983-84

देश में इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन प्रणाली आरम्भ करने का प्रस्ताव

2812. श्री मोहन लाल पटेल :

श्री नवीन रवाणी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन प्रणाली आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ।

(ख) यदि हां, तो पहला इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज कब तक स्थापित हो जाने की आशा है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रयोग किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उससे क्या परिणाम प्राप्त हुए ; और

(ङ) देश के अन्य भागों में भी ऐसी ही प्रणाली शुरू करने के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां ।

(ख) एम ए एक्स-1 किस्म का पहला इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज कूपरेज, बम्बई में वर्ष 1984-85 में स्थापित किए जाने की संभावना है ।

(ग) जी हां ।

(घ) (1) दिल्ली में एक प्रायोगिक स्वदेशी इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज का वाणिज्यिक परीक्षा किया गया जिसके परिणाम संतोषजनक थे ।

(2) कोसी कला में संस्थापित 256 लाइनों का एक कंटेनराइज्ड इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्स चेंजसंतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है ।

(3) देश में ही विकसित 9 लाइन के ग्रामीण इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज की 8 यूनिटों का सफलता पूर्वक क्षेत्रीय परीक्षण किया गया ।

(ङ) (1) एम ए एक्स-1 किस्म के इलैक्ट्रोनिक एक्सचेज महानगरों में आरम्भ किए जा जा रहे हैं ।

(2) इस किस्म के तीन और एक्सचेंजों, जिनका कोसीकलों में प्रयोग किया गया था, के चालू वर्ष के दौरान चालू हो जाने की संभावना है ।

(3) देश के सभी भागों में उत्तरोत्तर रूप से इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंजों को प्रारंभ करने का प्रस्ताव है ।

हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल पम्पों के लिए साक्षात्कार

2813. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में लगभग तीन वर्ष पहले पेट्रोल पम्पों के आवंटन हेतु जिन पार्टियों का साक्षात्कार किया गया था, उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ख) पेट्रोल पम्पों के आबंटन हेतु कितने प्रार्थना-पत्रों की सिफारिश की गई थी और इस संबंध में पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

हिमाचल प्रदेश के सोलन और नाहना जिलों में गैस एजेंसियों का आवंटन

2814. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के सोलन और नाहन जिलों में कुकिंग गैस एजेंसियां खोलने के लिए निर्णय कब लिया गया था ; और

(ख) गैस एजेंसी आबंटित करने के लिए इन्टरव्यू कब हुआ था और इन्टरव्यू बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं और प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) (क) सोलन और नाहन में एक-एक एल० पी० जी० की एजेंसी खोलने का प्रस्ताव 1981-82 के लिए उद्योग की एल० पी० जी० योजना में शामिल किया गया था । योजना जनवरी 1981 में निश्चित की गई थी ।

(ख) सोलन एवं नाहन में एल० पी० जी० की एजेंसियों के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या क्रमश: 16 और 59 बताई गई थी । सोलन और नाहन में चयन समिति द्वारा साक्षात्कार क्रमश: 4.2.82 और 10.11.81 को लिये गए थे । चयन समिति सदस्य के निम्न प्रकार थे :—

सोलन (शारीरिक रूप से विकलांग)	नाहन (आम श्रेणी)
1. श्री एम०एस० दरबारी पेट्रोलियम विभाग	1. श्री के० एस० नायर, आई० ओ० सी०
2. श्री वी० एस० वर्मा, आई० ओ० सी०	2. श्री के० एन० पुरी, बी० पी० सी० एल०
3. श्री वाई० के० शर्मा, बी० पी० सी०	3. श्री एस० के० खोसला, आई० बी० पी०
4. श्री वी० के० खन्ना, एच० पी० सी०	

हिमाचल प्रदेश में दूरदर्शन सेवायें उपलब्ध कराना

2815. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के लाभार्थ वहां पर दूरदर्शन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कौन से ठोस कदम उठाए हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : कसौली में दूरदर्शन रिले केन्द्र छठी योजना में स्थापित किया जा रहा है। यह हिमाचल प्रदेश के भागों में सेवा प्रदान करेगा।

फिल्म सेंसरशिप लागू करना

2816. **श्री जय नारायण रौत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि फिल्म सेंसरशिप प्रभावी ढंग से लागू की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) (क) और (ख) जी, हां। जुलाई, 1982 के प्रथम सप्ताह में राज्यों के सूचना मंत्रियों के हुये सम्मेलन और राज्यों के सूचना सचिवों तथा सूचना निदेशकों की हुई बैठक में राज्य सरकारों को सेंसर के उपबन्धों के प्रवर्त्तन के बारे में उनके दायित्व की याद दिलाई गई थी। मोटे तौर से यह आम राय थी कि फिल्मों में सेक्स और हिंसा को रोकने के लिए सेंसर नियमों को कठोरता से लागू किया जाना चाहिए। राज्यों के सूचना मंत्रियों के सम्मेलन में उभरी एक सिफारिश यह थी कि सिनेमाघरों में दिखाये जाने वाली फिल्मों में अन्तर्वेशनों और सेंसर के उल्लंघनों को रोकने के लिये उपयुक्त कदम उठाये जाने चाहिए और राज्य सरकारों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों को सेंसर प्रमाणपत्र के पीछे काट छांट के दिए गए ब्यौरे के संदर्भ में फिल्मों की चुनींदा जांच करनी चाहिए।

बिहार के प्लामू जिले में चानूधा और बालूमठ में पाई गई कोयला खानें

2817. **श्री रणजीत सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के प्लामू जिले में चानूवा और बालूमठ में कोलले की खानें पाई गई हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि वहाँ पर एक सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो वहां परखनन काम कब तक आरम्भ हो जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 1962 से तथा 1969 और उसके बाद के वर्षों में इन क्षेत्रों में खोज की परन्तु कोयले के कोई भंडार नहीं मिले।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दामोदर घाटी निगम द्वारा कलकत्ता विद्युत सप्लाई में कटौती करना

2818. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** :

श्री रूप चन्द पाल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम की प्राथमिकता सूची में कलकत्ता विद्युत सप्लाई निगम को की जाने वाली सप्लाई अत्यधिक कम है और यही कारण है कि अप्रैल और मई, 1982 को जो राज्य का निर्वाचन समय था के दौरान बिजली की मनमानी कटौती की गई थी ;

(ख) क्या बिजली की उपरोक्त कटौती संविदागत स्तर के खिलाफ थी और दामोदर घाटी निगम के प्राधिकारियों की एकतरफा कार्यवाही है ;

(ग) दामोदर घाटी निगम द्वारा इस प्रकार मनमानी बिजली की कटौती करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की स्थिति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) (क) से (घ) विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत सप्लाई करने की दामोदर घाटी निगम की प्राथमिकता सूची में कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन का नाम कर्षण, कोयला तथा इस्पात के पश्चात आता है। दामोदर घाटी निगम द्वारा कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन की कोई मनमानी विद्युत कटौती नहीं की गयी है, क्यों कि इस प्रयोजन के लिए कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के लिए तैयार किए कार्यक्रम के अनुसार विद्युत सप्लाई की जा रही है।

न्यायालय फीस को युक्तिसंगत बनाना

2819. **श्री साधन सत्य चक्रवर्ती** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार न्यायालय फीस को युक्तिसंगत बनाने की दशा में राजस्व में होने वाले घाटे के लिए राज्यों को प्रतिकर देने पर विचार कर रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : जी, नहीं।

दूर-संचार परियोजनाओं के विस्तार और रख-रखाव के लिए जापान से सहयोग

2820. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दूर-संचार परियोजनाओं के विस्तार और रख-रखाव के लिए सरकार द्वारा जापान के आवरसीज इकानामिक को-आपरेशन फंड के साथ किए गए करार का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) प्राप्त ऋण की राशि कितनी है और इसके वापस लौटने की शर्तें क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) 1977 से ही भारत सरकार समय-समय पर जापान सरकार से दूरसंचार क्षेत्र में विदेशी मुद्रा की सहायता देने का प्रस्ताव करती रही है। जापान सरकार ने विदेश आर्थिक सहयोग निधि के माध्यम से

विभिन्न प्रकार के उपस्कर प्राप्त करने के लिए कुल 32.1 बिलियन येन के पांच ऋण दिए हैं।

इन ऋणों का भुगतान 30 वर्ष की अवधि में करना होगा जिसमें प्रारम्भिक 10 वर्ष की छूट होगी। 1977 के पहले ऋण पर 3.5 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा तथा बाकी 4 ऋणों पर ब्याज की दर 2.5 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी।

धौली गंगा आदि में पन बिजली परियोजनाओं की स्थापना

2821. श्री हरीश रावत : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धौली गंगा, घोरी गंगा और शारदा घाटी में पन बिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए सर्वेक्षण करने हेतु एन० एच० पी० सी० और उत्तर प्रदेश सरकार सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो प्रारम्भ में कितनी परियोजनाओं का सर्वेक्षण किया जाएगा और सर्वेक्षण कार्य तक पूरा होने की संभावना है ; और

(ग) क्या एन० एच० पी० सी० द्वारा इन नदियों के अत्यधिक पन बिजली उत्पादन क्षमता के मूल्यांकन का भी सर्वेक्षण किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारम्भिक अध्ययनों के आधार पर शारदा घाटी में कुछजल विद्युत परियोजनाओं का पता लगाया है। प्रस्तावित स्कीमों की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 3340 मेगावाट बताई गई है। शारदा घाटी में घोली गंगा (300 मेगावाट) तथा टनकपुर (120 मेगावाट) के अन्वेषण संबंधी कार्य राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के माध्यम से केन्द्रीय क्षेत्र में किए जा रहे हैं। घौलीगंगा के अन्वेषण संबंधी कार्य 1984 तक पूरे किए जाने का कार्यक्रम है। अधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके अन्वेषण संबंधी कार्य की अवधि को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। टनकपुर परियोजना के निर्माण पूर्व अन्वेषण सम्बन्धी कार्य सितम्बर, 1982 तक पूरे हो जाने की आशा हैं। शारदा घाटी में अन्य जल विद्युत परियोजनाओं नामशः गौरीगंगा तथा पूर्वी राम गंगा आदि के अन्वेषण कार्य तथा परवर्ती क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाओं के विद्युत तथा लाभों के बटवारे के फार्मूला मामला उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उनकी स्वीकृति के लिए उठाया गया है।

समाचारपत्रों द्वारा सांविधिक उपबन्धों का उल्लंघन

2822. श्री बी० वी० देसाई :

श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन समाचारपत्रों के अखबारी कागज के आवंटन को वापिस लेने के

प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिन्होंने सकुलेशन आंकड़े छापने के सांविधिक उपबंधों का पालन नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन समाचारपत्रों की कुल संख्या क्या है ; जो सांविधिक उपबन्धों का उल्लंघन कर रहे हैं ;

(ग) सरकार का इस सम्बन्ध में इसके अतिरिक्त और क्या कार्यवाही करने का विचार है :

(घ) क्या सरकार इन समाचार-पत्रों के बारे में कोई जांच पड़ताल करने पर विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो अन्तिम कार्यवाही कब तक की जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के बड़े, मझौले और छोटे लगभग 32 समाचारपत्र पूर्ववर्ती अंक की मुद्रित प्रतियों की संख्या के बारे में सूचना प्रकाशित कर रहे हैं। संशोधित अखबारी कागज नियंत्रण आदेश के विरुद्ध समाचारपत्र संगठनों और वैयाक्तिकसमाचार पत्रों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर अभ्यावेदक संगठनों के साथ सूचना और प्रसारण मंत्री की हाल ही में हुई बैठक में सावधानी पूर्वक विचार किया गया था और उनसे उक्त आदेश का अनुपालन करने का अनुरोध किया गया था। समाचारपत्रों की प्रतिक्रिया की रोशनी में आगे की कार्यवाई पर विचार किया जाएगा।

तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए अतिरिक्त असाधारण क्षमता हेतु प्रस्ताव

2823. **श्री वी०वी० देसाई** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1985 के अंत तक सरकार का 45 दिन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए अधिक भंडारण क्षमता बनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो अशोधित तेल के लिए भंडारण क्षमता बनाने के लिए आरम्भ की जा रही मुख्य योजनाएं क्या हैं ;

(ग) इन भण्डारों को कहां स्थापित किया जाएगा ; और

(घ) उन पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) (क) से (घ) देश में आगामी वर्षों के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के भंडार को उपयुक्त तौर पर बढ़ाने का प्रस्ताव है। आगे और ब्यौरे देना जन-हित में नहीं होगी।

झरिया खानों में आग

2824. श्री रामवतार शास्त्री : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि झरिया खान क्षेत्र में भूमिगत आग को बुझा पाना असंभव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सम्पूर्ण झरिया नगर को कहीं कहीं अन्यत्र बसाने की कोई योजना बनाई है।

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार द्वारा इस योजना को कब तक क्रियान्वित करने का विचार है ?

कोयला ऊर्जा मंत्रालय के विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) (क) जी, नहीं। वास्तव में आग बुझाने के लिए भारत कोकिंग कोल लि० अब 12 परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। दि टाटा आयरन एन्ड स्टील कं० लि० ने भी अपनी कोलियरियों में आग बुझाने के लिए कदम उठाए हैं।

(ख) से (घ) वर्तमान कोयला उत्पादन के कार्यक्रम के अमुसार, झरिया शहर को झरिया एरिया में भूमिगत आग के कारण स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु झरिया पुनर्निर्माण योजना के अधीन पुनर्निर्माण प्रगति के रूप में शताब्दि के अन्त तक जनता को चरणों में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है और स्थानान्तरित जनता को नव-निर्मित स्थानों पर पुनर्वासित किया जाएगा।

बिहार के बाढ़ और दियारा क्षेत्रों का विद्युतीकरण

2825. श्री रामवतार शास्त्री : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार के बाढ़ और दियारा क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, फातुहा, मनेर, दानापुर, दीघा अवदि जैसे पटना के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों और दियार क्षेत्र के ग्रामों का अभी तक विद्युतीकरण नहीं किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार के भावी कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ङ) ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें राज्य बिजली बोर्डों/राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जाती है और कार्यान्वित की जाती है। तथापि ग्राम विद्युतीकरण निगम ने बिहार के पटना जिले में 506 गांवों के विद्युतीकरण

के लिए 406.358 लाख रुपयों की ऋण सहायता से 15 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें स्वीकृत की है। इन स्कीमों में बरह, मनेर, दानापुर, फतूहा, बखितियारपुर तथा मोकामह के गांव शामिल हैं। पटना जिले में 1311 गांव है जिनमें से 1164 गांव विद्युतीकृत कर दिए गये हैं। 31-3-1982 की स्थिति के अनुसार पटना में 144 गांवों को विद्युतीकृत करना शेष है। इन शेष 147 गांवों को ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत स्कीमों के अन्तर्गत शामिल किया गया है तथा पटना जिले में स्वीकृत स्कीमों के अन्तर्गत तैयार किए कार्यक्रम के अनुसार इनको 1984-85 तक विद्युतीकृत किये जाने की संभावना है।

भोपाल में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना

2826. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उच्च न्यायालय की न्यापीठ की स्थापना का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ; और यदि हां, तो न्यायपीठ स्थापित करने के लिए अपेक्षित निदेश कब तक जारी किए जाएंगे ;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य की राजधानी में उच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय की न्यायापीठ की स्थापना का प्रस्ताव सिद्धांततः न्यायसंगत नही है ; और

(ग) उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना के लिए क्या मुख्य शर्तें पूरी करनी पड़ती है और भोपाल में न्यायपीठ की स्थापना के लिए किन-किन मुख्य शर्तों को पूरा किया जाना शेष है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) (क) उच्च न्यायालय की न्यायपीठ भोपाल में स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ है।

(ख) इसके बारे में कोई निश्चित नियम नहीं हो सकते हैं। राज्य की राजधानी में एक न्यायपीठ होनी चाहिए या नहीं यह सुसंगत बातों पर निर्भर करता है।

(ग) कोई विनिर्दिष्ट शर्तें विहित नहीं हैं। स्थायी न्यायपीठों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रस्तावों पर सभी सुसंगत को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है।

औरंगाबाद और जालान में दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना

2827. **श्री बालासाहिब पवार** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औरंगाबाद और जालान में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) औरंगाबाद और जालान में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करना छटी योजना की परियोजनाओं में शामिल नहीं है ।

औरंगाबाद और जालान सहित उन क्षेत्रों में, जिनमें दूरदर्शन सेवा इस समय उपलब्ध नहीं है, दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करना संसाधनों की उपलब्धता और सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा ।

औरंगाबाद में सामाजिक कार्यकर्ताओं को टेलीफोन कनेक्शन देना

2828. श्री बालसाहिब पवार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सामाजिक कार्यकर्ताओं को टेलीफोन कनेक्शनों के आबंटन करने के बारे में कुछ सुविधाएं दी हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो औरंगाबाद और जालान (महाराष्ट्र) में कितने सामाजिक कार्यकर्ताओं को टेलीफोन कनेक्शन दिए गए है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का विचार उन सामाजिक कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने इसके लिए आवेदन पत्र दिए हैं अथवा जिनके मांगों की सिफारिश संसद सदस्यों द्वारा की गई है, टेलीफोन कनेक्शन आबंटित करने का है ताकि वे पूरी तरह से समाज के कार्यों में स्वयं को लगा सकें ।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) विशेष श्रेणी के अन्तर्गत नए टेलीफोन कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा, विशिष्ट सामाजिक व्यक्तियों, जिन्हें सार्वजनिक जीवन में जाना जाता है तथा विशष्टि ख्याति प्राप्त हैं, उपलब्ध है । सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक अलग से सूची नहीं रखी जाती ।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) इन व्यक्तियों को वहां के टेलीफोन एक्सचेंज की प्रतीक्षा सूची में बारी आने पर टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जाएंगे ।

कच्चे तेल के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि

2829. श्री राम लाल राही : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 में आज तक कच्चे तेल के उत्पादन में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है ; और

(ख) उससे आयात में कितने प्रतिशत कटौती हुई है और इस सम्बन्ध में पूरा ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) (क) और (ख) इस संबंध

में ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र नीचे दिया गया है :—

(मिलियन मी० टनों में)

	जनवरी—मई—1981	जनवरी—मई—1982	प्रतिशत वृद्धि/कमी
खनिज तेल का उत्पादन	5.84	7.85	*34.4
शुद्ध क्रूड का आयात	6.61	5.75	— 13.0

*अस्थायी

कैनेलाईजिग एजेंसियों से क्लोरामफेनीकोल का उठाया जाना

2830. श्री भीखा भाई : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० को छोड़कर बड़े पैमाने के क्षेत्र के उन यूनिटों के नाम क्या हैं जिन्होंने गत दो वर्षों दौरान अपनी पंजीकृत मांग के अनुसार कैनेलाइजिग एजेन्सियों से क्लोरामफेरीकोल नहीं उठाया है :

(ख) क्या इन यूनिटों ने अपनी आवश्यकताएं बाजार से सस्ते मूल्यों पर माल उठाकर पूरी की हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन यूनिटों को कितना अनैच्छिक लाभ हुआ है और उसे ड्रग प्राइस इक्विलाइजेशन एकाउंट के अन्तर्गत उसको उठाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (ग) वर्ष 1980-81 के दौरान और नवम्बर, 1981 तक संगठित क्षेत्र की अनेक यूनिटों ने सरणीबद्ध एजेन्सी से क्लोरमफेनिकल पाउडर नहीं उठाया। तथापि, नवम्बर, 1981 के पश्चात् क्लोरमफेनिकल पाउडर की बिक्री बड़ी तेजो से हुई और शायद ही कोई स्टाक बचा हो।

बाजार से सस्ते मूल्यों पर क्लोरमफेनिकल पाउड़र उठाकर अपनी आवश्यकताएं पूरी करने वाली सभी यूनिटों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

सारणीकृत एजेन्सियों के साथ की कम्पनियों द्वारा डाक्सीसाइक्लीन और क्लोरामफैनीकोल की मांग के लिए पंजीकरण

2831. श्री भीखा भाई : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने डाक्सीसाइक्लीन और क्लोरामफेनीकोल के लिए अपनी मांग कैनलाइजिंग एजेन्सी के साथ पंजीकृत की है और जो गत दो वर्षों के दौरान उसे उठाने में असफल रही :

(ख) क्या इन कम्पनियों ने अपनी आवश्यकता खुले बाजार से कम दामों पर पूरी की है और इस तरह उन्होंने बहुत अनैच्छिक लाभ उठाया है ; और

(ग) इस अनैच्छिक लाभ को समाप्त करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) पिछले दो वर्षों के दौरान सरणीबद्ध अभिकरण से कई कम्पनियां या तो पूर्णतः या अंशतः डाक्सी-साइक्लीन और क्लोरामफेनीकोल पाउडर उठाने में असफल रहीं । तथापि, नवम्बर, 1981 से सरणीबद्ध अभिकरण द्वारा क्लोरमफेनीकोल पाउडर की बिक्री में काफी वृद्धि हुई है और इसका स्टाक लगभग समाप्त होने वाला है । फिर भी, क्लोरमफेनीकोल पाल्मीटेट को उठाने का कार्य अभी भी धीमा है । उन सभी एककों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं जिन्होंने उपर्युक्त औषधों संबंधी अपनी अपेक्षाओं को खुले बाजार से सस्ते मूल्य पर खरीद कर पूरा किया ।

औषध मूल्य नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत मूल्य

2832. श्री भीखा भाई : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषध मूल्य नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत उचित मूल्यों का तात्पर्य क्या है :

(ख) क्या सरकार कच्चे माल के मूल्यों/आदानों की लागतों पर नियंत्रण करके औषधियों के मूल्यों पर रोक लगाने का प्रयास कर रही है ; और

(ग) किसी विशेष कम्पनी को उसकी औषधि के मूल्य की अनुमति देते समय क्या सरकार औषध मूल्य नियंत्रण आदेश 1979 के सभी उपबंधों पर विचार करती है ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 का संबंध उचित मूल्यों से न कि तर्कसंगत मूल्यों से । उचित मूल्य इस ढंग से निर्धारित किए जाते हैं कि निर्माताओं को उनकी लागत पर केवल उचित लाभ की अनुमति दी जाये ।

(ख) औषधों के निर्माण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कच्चे मालों/निवेशों के मूल्यों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है । तथापि, कुछ कच्चे मालों के मूल्य, जिसमें औषध उद्योग द्वारा अपेक्षित कच्चे माल भी शामिल है, सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाते हैं ।

(ग) किसी बल्क औषध/फार्मूलेशन का मूल्य निर्धारित करते समय औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के केवल उन्हीं प्रावधानों को ध्यान में रखा जाता है । जो ऐसे मूल्य निर्धारण से संबंधित हों ।

विदेशी सहयोग वाली विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति

2833. श्री जैनल बशर : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी सहयोग पर आधारित बिजली की उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ;

(ख) इसके परिणाम स्वरूप बिजली उत्पादन की क्षमता कितनी बढ़ जायेगी ;

(ग) सहयोग की शर्तें क्या हैं ; और

(घ) इन परियोजनाओं के प्रबंध में सहयोग संबंधी ब्यौरा क्या है ।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) (क) से (घ) उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थापित किए जाने वाले रिहन्द सुपर ताप विद्युत केन्द्र के चरण 1 (2 × 500 मेगावाट) के निर्माण के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन० टी० पी० सी०) ने यू० के० की नार्दन इंजीनियरी इंडस्ट्रीज (एन० ई० आई०) के साथ एक फ्रेम संविदा पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। इस विद्युत केन्द्र की 500 मेगावाट की पहली यूनिट 1987-88 के दौरान चालू होगी। मध्य प्रदेश के सिधी जिले में स्थापित किए जाने वाले विंध्याचल सुपर ताप विद्युत केन्द्र के पहले चरण (6 × 210 मेगावाट) की स्थापना करने के लिए सोवियत रूस की मैसर्ज टैक्नो-प्रोएक्सपोर्ट के साथ भी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने ठेके किए हैं। इस विद्युत केन्द्र की प्रथम यूनिट 1987-88 के दौरान चालू होने की आशा है।

रिहन्द सुपर ताप विद्युत के पहले चरण के लिए एन० ई० आई० संयंत्र के लिए उपस्कर तथा सर्विस उपलब्ध करायेगी और संयंत्र का उत्थापन, परीक्षण तथा संयंत्र को चालू करेगी। ब्रिटिश सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध करेगी तथा उनके द्वारा प्रस्तावित वित्तीय पैकेज में इस समय अनुमान के अनुसार 340 मिलियन पौंड का निर्यात ऋण तथा इसके अलावा 110 मिलियन पौंड अनुदान के रूप में सहायता शामिल है।

विंध्याचल सुपर ताप विद्युत केन्द्र के पहले चरण के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम सोवियत ऋण के अन्तर्गत सोवियत रूस से मुख्य संयंत्र तथा अन्य उपस्करों के हिस्से पुर्जे तथा सर्विस आयात करेगा।

धवरान बिजली घर के बेकार पड़े गैस टर्वाइन

2834. श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गुजरात में धवराज बिजली घर के 27 मेगावाट क्षमता वाले दो गैस टर्वाइन इस समय गैस न मिलने के कारण बेकार पड़े हुए हैं ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि अंकलेश्वर से संबंधित गैस की आपू कम होने के कारण उतरान बिजलीघर अपनी अधिष्ठापित क्षमता 67.50 मेगावाट की तुलना में इस समय केवल 45 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रहा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार बम्बई हाई गैस से उतरान बिजलीघर को पूरी मात्रा 3 लाख सी० एम० डी० पुनः देने और धुवरान गैस टर्बाइनों को उतरान में स्थानांतरित करने की अनुमति देने पर विचार करेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) गुजरात में धुवारण विद्युत केन्द्र में 2 × 27 मेघावाट गैस टर्बाइनों द्वारा विद्युत उत्पादन में गैस की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण काफी कमी हुई है।

(ख) जी, हां।

(ग) तथा (घ) धुवारण गैस टर्बाइनों को उत्त्रण में बदलने के सम्बन्ध में गुजरात बिजली बोर्ड से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। परियोजना प्रस्ताव को स्वीकृति देने से पूर्व गैस की उपलब्धता उत्त्राण में अवसंरचनात्मक सुविधाएं अदि निवेशों तथा पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति को सुनिश्चित किया जाना है।

गुजरात में कपड़ा मिलों आदि को कोयले की सप्लाई

2835. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात की बहुत-सी कपड़ा मिलों तथा अन्य औद्योगिक एककों को अपनी आवश्यकता का लगभग 25 प्रतिशत कोयला की रेल द्वारा नहीं मिल पाता है ;

(ख) क्या इस के कारण उद्योग शेष मात्रा में कोयला सड़क द्वारा मंगवाने के लिए मजबूर हो जाते हैं जो बहुत ही मंहगा पड़ता हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार गुजरात के उद्योगों, जो कोयला— क्षेत्रों में से बहुत दूर स्थित हैं, कोयले की सप्लाई करने के लिए प्रभावी व्यवस्था करेगी ?

कोयला ऊर्जा मंत्रालय के विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, नहीं। गुजरात की कपड़ा मिलें और अन्य औद्योगिक यूनिटें अपनी कोयले की आवश्यकता का लगभग 45% कोयला रेल द्वारा प्राप्त कर रही हैं। उन्हें अपनी पूरी आवश्यकता का कोयला रेल द्वारा प्राप्त न होने का कारण रेलवे वैगनों की अपर्याप्त उपलब्धता और रेलवे की संचालन सम्बन्धी व्यवस्था हैं।

(ख) और (ग) कोयला कम्पनियां उपभोक्ताओं को उतना कोयला सड़क द्वारा ले जाने के लिए देती हैं जितना प्रायोजित मात्रा में से रेल द्वारा प्रेषण से बच जाता है। कोलियरी से दूर के उपभोक्ताओं तक कोयला ले जाने में सड़क परिवहन की अत्यधिक लागत के कारण को. इं. लि. ने देश के विभिन्न भागों में कोयले की टालें खोलने की एक योजना शुरू की है। ऐसी कोयला टालें अहमदाबाद और सूरत में काम कर रही हैं और गुजरात के सभी उपभोक्ताओं की

उनकी कोयले की आवश्यकताओं के अनुसार इन टालों से कोयला उठाने की स्वतंत्रता है। उप-भोक्ताओं की सुविधा के लिए गुजरात राज्य में और स्टाकयार्ड खोलने की योजना बनाई गई है और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से बातचीत अन्तिम दौर में पहुँच गई है।

महुआ में गैस पर आधारित ताप बिजली घर का प्रस्ताव

2836. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात विद्युत बोर्ड ने 420 मेगावाट बिजली के उत्पादन के लिए महुआ सौराष्ट्र में गैस पर आधारित एक ताप बिजलीघर के लिए एक परियोजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बिजली उत्पादन के लिए प्राकृतिक गैस के सीमित प्रयोग की अनुमति देगी, विशेषकर उस राज्य में जहां जल या कोयले के संसाधनों का अभाव है ;

(ग) यदि हां, तो क्या गुजरात विद्युत बोर्ड की उक्त परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) (क) से (घ) गुजरात राज्य बिजली बोर्ड ने अगस्त, 1979 में सौराष्ट्र में महुआ में 13,200,00 लाख रुपए की अनुमानित लागत से गैस पर आधारित 210-210 मेगावाट की दो यूनिटों के संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव भेजा था। जिसमें ताप्ती क्षेत्रों के गैस के उपयोग की परिकल्पना की गई थी :

ताप्ती क्षेत्रों का अभी पूरी तरह से मूल्यांकन नहीं किया गया है तथा उनकी आर्थिक दृष्टि से जीवन क्षमता निर्धारित नहीं की गई है।

इसके अतिरिक्त जब तक गैस का उपयोग खाद तथा आर्थिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए किया जाता है, तब तक विद्युत उत्पादन के लिए इसका प्रयोग लाभकर नहीं है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए जुलाई, 1980 में यह प्रस्ताव परियोजना प्राधि-कारियों को लौटा दिया गया था।

मध्य प्रदेश में रतलाम और झाबुआ में टेलीफोन सेवा

2837. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मध्य प्रदेश के रातलाम-झाबूआ क्षेत्र में बिगड़ती हुई टेली-फोन सेवाओं की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो टेलीफोन सेवाओं का सुधार करने के लिए सरकार द्वारा अब तक किए गए उपायों का ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) हाल ही में इस विषय पर कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। पिछले कुछ महीनों में सार्वजनिक शिकायतों की संख्या सामान्य रही।

(ख) टेलीफोन सेवाओं के कार्यकरण पर निरन्तर निगरानी रखी जा रही है।

"सिलोन टी० वी० टैक्स मद्रास बाई स्टोर्म" शीर्षक समाचार

2838. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने कीकृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 15 मई, 1982 को, नई दिल्ली से प्रकाशित अंग्रेजी की पाक्षिक समाचार पत्रिका न्यूज मैगजीन में "सिलोन टी० वी० टैक्स मद्रास बाई स्टोर्म" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है :

(ग) क्या दूरदर्शन के संबंध में सिलोन टी० वी० की आलोचना से उत्पन्न स्थिति का अध्ययन किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (घ) श्रीलंका, टी. वी. से मद्रास में टी. वी. सिग्नलों द्वारा संग्रहण के बारे में एक समाचार समाचारपत्रों में छपा है। स्थिति की जांच पड़ताल की गई है। श्रीलंका टी.वी. ट्रांसमीटर से टी.वी. सिग्नल सामान्यतया मद्रास में उपलब्ध नहीं होते। तथापि, असाधारण वायुमंडलीय घटना के कारण मद्रास में कभी कभी सिग्नल प्राप्त होते हैं। तथापि, मद्रास दूरदर्शन केन्द्र के सिग्नलों की शक्ति बहुत मजबूत है। इस ट्रांसमीटर का प्राथमिक सेवा क्षेत्र मद्रास, शहर से कई किलोमीटर तक फैला होने के कारण मद्रास में दूरदर्शन सेट दूरदर्शन कार्यक्रम को श्रीलंका टी.वी. के कार्यक्रमों के असाधारण संग्रहण की तुलना में बिना कठिनाई के प्राप्त करते हैं।

हल्दिया में एच० एफ० सी० यूनिट में रक्षिता संयंत्र

2839. **प्रो० सत्य गोपाल मिश्र** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हल्दिया के० एच० एफ० सी० यूनिट में 30 मेगावाट के "कैपटिव पावर प्लांट" की स्थापना का निर्णय किया है :

(ख) यदि हां, तो उक्त संयंत्र का कार्य कब शुरू होगा और यह कब चालू होगा : और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड के हल्दिया यूनिट के उर्वरक प्लांटों की बिजली की आवश्यकता की पूर्ति के लिए नवम्बर, 1981 में एक कोयले पर आधारित 30 मेघावाट कैप्टिव बिजली प्लांट लगाने की स्वीकृति दी है। कैप्टिव बिजली प्लांट की पूंजी लागत 0.50 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा अंश स्त्रोत 29.04 करोड़ रुपये है।

हाल ही में परामर्शदाता की नियुक्ति होने से परियोजना को प्रारम्भिक कार्य चालू हो गया है जो उठान और चालू करने के दौरान डिजाइन और इंजीनियरिंग तथा अधिप्राप्ति और पर्यवेक्षण में सहायता करने के लिए जिम्मेदार होगा। कैप्टिव बिजली प्लांट के मई, 1985 तक पूरा हो जाने की आशा है।

पनबिजली उत्पादन के लिए नेपाल के पानी के प्रयोग का प्रस्ताव

2840. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पनबिजली उत्पादन के लिए नेपाल के पानी के प्रयोग का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या इस संबंध में नेपाल सरकार से कोई बातचीत हुई हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) जल विद्युत उत्पादन के लिए नेपाल से भारत की ओर बहने वाली कुछ नदियों का उपयोग करने के प्रश्न पर काफी समय से महामहिम नेपाल सरकार के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है। यह निर्णय लिया गया है कि भारत और नेपाल को निम्नलिखित बहूद्देश्यीय परियोजनाओं का अन्वेषण संयुक्त रूप से हाथ में लेना चाहिए जिससे जल विद्युत का लाभ मिलेगा।

(1) शारदा नदी पर पचेश्वर बहूद्देश्यीय परियोजना जहां पर यह भारत और नेपाल के बीच अन्तर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है।

(2) नेपाल में करनाली नदी पर करनाली बहूद्देश्यीय परियोजना।

पत्रकारों के लिए आचार संहिता

2841. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पत्रकारों के लिए कोई आचार संहिता बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मनोरंजन की शुल्क की दरों में असमानता

2842. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक राज्यों में फिल्मों पर लगने वाले मनोरंजन शुल्क की दरों में बहुत असमानता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) राष्ट्रीय फिल्म नीति का ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) (क) से (ग) विभिन्न राज्यों के बीच मनोरंजन कर की दर में काफी असमानता हैं। मनोरंजन कर राज्य विषय है और विभिन्न राज्य कर की दर विभिन्न स्थानीय बातों के आधार पर निश्चित करते हैं। राज्यों द्वारा फिल्मों पर लगाये जाने वाले मनोरंजन कर की दर पर केन्द्रीय सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।

राष्ट्रीय फिल्म नीति सम्बन्धी कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ साथ, यह विशिष्ट सिफारिश की थी कि कुल मिलाकर मनोरंजन कर की दर निश्चित की जानी चाहिए और अधिभार, अतिरिक्त अधिभार, नगरपालिका शो कर, जैसे अतिरिक्त कर नहीं लगाये जाने चाहिए कार्य दल के अनुसार, कुल मिलाकर यह मनोरंजन कर। रुपया, 2 रुपये 3 रुपये, 4 रुपए और 4 रुपये से अधिक की मूल प्रवेश दरों पर क्रमशः 20,30,50,75 और 100 प्रतिशत होना चाहिए।

विश्व बैंक की सहायता से तेल शोधन कारखानों का विस्तार

2843. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लुरी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चार तेल-शोधन कारखानों का विश्व बैंक की 2000 लाख डालर के ऋण की सहायता से विस्तार करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इन तेल शोधन कारखानों में उक्त ऋण को बाटे जाने का ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) ब्योरे नीचे दिए गए हैं :

(1) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई	45 मि०
(2) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड, कोचीन	35 मि०
(3) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० बम्बई	45 मि०

(4) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, मद्रास 45 मि०

(5) सोधनशालाओं में ऊर्जा बचत तथा प्रदुषण नियंत्रण के अतिरिक्त उपाय, उपर उल्लिखित शोधनशालाओं के अलावा अन्य शोधनशालाओं में भी 30 मि०

जीवन रक्षक औषधियों का उत्पादन तथा विक्रय करने वाली कम्पनियों की संख्या

2844. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषधियों का उत्पादन तथा विक्रय करने वाली विदेशी तथा स्वदेशी कम्पनियों की संख्या कितनी है तथा उनके उत्पादन का मूल्य कितना है और उसमें कितने प्रतिशत उत्पादन जीवन रक्षक औषधियों का है : और

(ख) पिछले दो वर्षों में औषधियों के मूल्य कितने बढ़े हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) देश में औषधों और दवाइयों के उत्पादन और बिक्री में 23 विदेशी औषध कंपनियां, सार्वजनिक क्षेत्रीय यूनिटों सहित संगठित क्षेत्रों में 100 से भी अधिक भारतीय कंपनियां तथा अनेक लघु यूनिटें लगी हुई हैं। गत तीन वर्षों के दौरान देश में बल्क औषधों और पत्र मूलेशनों के उत्पादन का कुल मूल्य निम्न प्रकार रहा :—

वर्ष	बल्क औषधों के उत्पादन का मूल्य रु०/करोड़	पत्र मूलेशनों के उत्पादन का मूल्य रु०/करोड़
1979-80	226	1150
1980-81	240	1200
1981-82	275	1300

इन कम्पनियों द्वारा अनेक जीवन रक्षक औषधों का भी उत्पादन किया जाता है। जीवन-रक्षक और अन्य औषधों के उत्पादन के मूल्य के कम्पनी बार ब्यौरे नही रखे जाते।

(ख) औषध (मूल्य नियंत्र ण) आदेश, 1979 के प्रावधानों के अन्तर्गत औषधों के मूल्यों पर कानूनी नियंत्रण रखा जाता है। हाल ही के वर्षों में अन्य वस्तुओं की तुलना में औषधों और दवाइयों के मूल्यों में हुई वृद्धि की मात्रा को निम्न तालिका में देखा जा सकता है :—

वर्ष	औषधों और दवाईयां	1970-71=100= आधार वर्ष अन्य वस्तुओं को साथ मिलकर
1975-76	118.7	173.0
1976-77	133.9	176.6
1877-78	136.3	185.8
1978-79	136.1	185.8
1979-80	135.2	217.6
1980.81	137.5	157.1
1981-82	151.6	280.4

फिल्म डिवीजन के नए यूनिट स्थापित करना

2845. **श्री चिन्तामणि जैना :**

श्री मोहन लाल पटेल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में फिल्म डिवीजन के कितने यूनिट कार्य कर रहे हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं ;

(ख) क्या निकट भविष्य में देश में नए फिल्म डिवीजन यूनिट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(घ) विभिन्न राज्यों में कार्य कर रहे फिल्म डिवीजनों के मुख्य कार्य क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । (परिशिष्ट-1) ।

(ख) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए गोहाटी में एक नया क्षेत्रीय निर्माण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

(ग) गोहाटी में प्रस्तावित केन्द्र उत्तर-पूर्वी राज्यों को अधिक व्यापक कवरेज उपलब्ध करने के लिए है । यह प्रस्ताव है कि इस केन्द्र का लक्ष्य भारतीय समाचार समीक्षा में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की विकासीय गतिविधियों को प्रायः कवर करने के अलावा, प्रति वर्ष 14 डाकुमेंट्री फिल्में और तीन नए फीचर तैयार करना होगा । इस संबंध में एक योजनागत प्रस्ताव योजना आयोग को प्रस्तुत किया गया है । अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है ।

(घ) विस्तृत सूचना परिशिष्ट-2 में दी गई है ।

विवरण-1

फिल्म प्रभाग की विभिन्न यूनिटें देश के विभिन्न भागों में जिन स्थानों पर कार्य कर रहीहै हैं उनके नाम

1.	मुख्यालय :	बम्बई ।
2,	उत्तर में निर्माण केन्द्र :	दिल्ली
3.	16 मिलीमीटर क्षेत्रीय निर्माण केन्द्र :	बंगलौर और कलकत्ता ।
4.	शाखा कार्यालय :	बम्बई, कलकत्ता, लखनऊ, नागपुर, हैदराबाद, बंगलौर, मद्रास, मदुरे, विचयवाड़ा ओर त्रिवेन्द्रम । मदुरे और विजयवाड़ा के कार्यालय इस समय मद्रास और हैदराबाद से कार्य कर रहे हैं और जैसे ही स्थान प्राप्त हो जाएगा इन्हें अपने अपने स्थानों पर स्थानान्तरित कर दिया जाएगा ।
5.	न्यूजरील कार्यालय :	अहमदावाद, बंगलौर, कलकत्ता, गोहाटी, भोपाल, हैदराबाद, श्रीनगर, मद्रास, नई दिल्ली, लखनऊ, बम्बई, चण्डीगढ़, भुवनेश्वर, त्रिवेन्द्रम, पटना और जयपुर ।

विवरण-2

विभिन्न राज्यों में स्थित फिल्म प्रभाग की यूनिटों के कार्य

1.	मुख्यालय :	यह विभिन्न राज्यों में स्थिति फिल्म प्रभाग की सभी यूनिटों को निर्माण ओर वितरण गतिविधियों का समन्वय और प्रशासन कार्य करता है ।
2.	उत्तर में निर्माण केन्द्र :	यह रक्षा मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के लिए अनुदेशात्मक फिल्में और परिवार कल्याण पर प्रेरक फिल्में तैयार करता हैं । इसके अलावा, यह केन्द्र विकासीय गतिविधियों, कला और संस्कृति पर बड़ी संख्या में डाकुमेंट्री फिल्में तैयार करता है ।

3. बंगलौर और कलकत्ता में स्थित 16 मिलीमीटर क्षेत्रीय निर्माण केन्द्र :	विशेष रूप से ग्रामीण लोगों के लिए 16 मिलीमीटर की फिल्में तैयार करना जिनमें कहानी का रूप होगा और जो ग्रामीण विकास, छुआछूत उन्मूलन, सम्प्रदायिक सद्भाव, परिवार नियोजन और स्वास्थ्य तथा स्वच्छता जैसे विकासीय विषयों पर होंगी। बंगलौर स्थित केन्द्र तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलायालम और दक्षिण क्षेत्र आदिवासी बोलियों में फिल्में तैयार करेगा। कलकत्ता स्थित केन्द्र बंगला, उड़ीसा, असमिया और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की बोलियों में फिल्में तैयार करेगा।
4. शाखा कार्यालय :	ये अपने अपने क्षेत्रों के सिनेमाघरों में प्रदर्शन के लिए प्रभाग की न्यूजरीलें और डाकुमेंट्री फिल्में वितरित करते हैं। इसके अलावा, ये कार्यालय क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, राज्य सरकारों और परिवार कल्याण विभाग की चलती फिरती वैनों के माध्यम से प्रदर्शन के लिए प्रिंटें भी वितरित करते हैं।
5. न्यूजरील कार्यालय :	विभिन्न राज्यों की राजधानियों में तैनात भारतीय समाचार समीक्षा में रिलीज किए जाने के लिए न्यूजरील कैमरामेन राष्ट्रीय महत्व का समाचार तथा कहानियों तथा विकासीय गतिविधियों पर समाचार फीचरों का भी फिल्मांकन करते हैं।

मैं० होइचैस्ट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा "इण्डोसल्फर" का उत्पादन

2846. **श्री निहाल सिंह :** क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैं० होईचैस्ट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार "इन्डोसल्फर" का कितना मात्रा उत्पादन किया गया और उस फर्म की लाइसेंस क्षमता कितनी है :

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त फर्म ने अपनी लाइसेंस क्षमता से तीन गुणा अधिक उत्पादन किया और इस प्रकार इस फर्म ने भारतीय औषध विनियमन अधिनियम तथा औद्योगिक लायसेंस के अन्तर्गत दी गई शर्तों का उल्लंघन किया है : और

(ग) यदि हां, तो इस फर्म के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रश्न एन्डोसल्फान से संबंधित है। मैसर्स हैकस्ट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, एन्डोसल्फान का उत्पादन नहीं कर रहे हैं बल्कि इन्डोसल्फान का फार्मूलेशन तैयार कर रहे हैं। उन्हें प्रति वर्ष 50 टन तक इन्डोसल्फान टेकनिकल फार्मूलेट करने का लाइसेंस दिया गया है। पिछले तीन वर्ष के दौरान उनके द्वारा उत्पादित इन्डोसल्फान 35% ई० सी फार्मूलेशन निम्न प्रकार था :—

1979	—	438·2 कि०लि०
1980	—	711·8 कि०लि०
1981	—	827·6 कि०लि०

(ख) और (ग) : सरकार को इस बात का पता है कि मैसर्स हैकस्ट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा लाइसेंस प्राप्त क्षमता से बहुत अधिक एन्डोसल्फान फार्मुलेशनों का उत्पादन किया गया। अतः सरकार ने उन्हें निर्देश दिया है कि वह यह सुनिश्चित करें कि उनका उत्पादन सी. ओ. बी. लाइसेंस में निर्दिष्ट क्षमता तक ही सीमित रहे।

"एशियाड" 82 के लिए बिजली सप्लाई हेतु व्यवस्था करना

2847. **श्री निहाल सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "एशियाड" 82 के लिए बिजली की सप्लाई करने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा क्या विस्तृत व्यवस्था की जा रही है ; और

(ख) क्या अतिरिक्त भार के लिए भी कुछ व्यवस्था की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) विभिन्न एशियायी खेल काम्प्लेक्सों को पर्याप्त तथा अवरुद्ध विद्युत सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान पार्क स्ट्रीट में 66 के. वी. उप-केन्द्र तथा सिटी फोर्ट विलेज काम्प्लेक्स, तिलक मार्ग, बेयर्ड रोड पर 33 के. वी. तथा उप-केन्द्र, लोदी रोड़ पर आउटडोर स्टेडियम तथा इन्द्रप्रस्थ इनडोर स्टेडियम जैसे विभिन्न स्थानों पर नए उप-केन्द्र प्रतिष्ठापित करके स्टेडियमों को कम से कम दो अलग-अलग संसाधनों से विद्युत सप्लाई करने की व्यवस्था कर रहा है। रुपान्तरण क्षमता में भी नीचे दिए अनुसार बढोतरी की गयी है :—

(1) महरौली	उप-केन्द्र	1 × 100 एम. वी .ए. 220/66 के. वी.
(2) पार्कस्ट्रीट	—वही—	2 × 30 एम. वी. ए. 66/33 के. वी.

(3) रिज वैली	—वही—	2×30 एम. वी. ए. 66/33 के. वी.
(4) पालम	—वही—	1×10 एम. वी. ए. 33/11 के. वी.
(5) एस. पी. मार्ग	—वही—	1×12·5 एम. वी. ए. 33/11 के. वी.
(6) बेयर्ड रोड	—वही—	2×12·5 एम. वी. ए. 33/11 के. वी.
(7) विद्युत भवन	उप—केन्द्र	2×20 एम. वी. ए.; 33/11 के. वी.
(8) तिलक मार्ग	—वही—	1×12·5 एम. वी. ए., 33/11 के. वी.
(9) लोधी रोड	—वही—	2×20 एम. वी. ए., 33/11 के. वी.
(10) सिरी फोर्ट रोड	—वही—	2×12·5 एम. वी. ए., 33/11 के. वी.

विभिन्न एशियायी खेल स्काम्प्लेक्सों को विद्युत सप्लाई करने वाले 66 के.वी., 33 के. वी. और 11 के. वी. के उपकेन्द्रों के केबिलों का कार्य भी पूरा किया जा रहा है।

ब्रेक डाउन के समय में विभिन्न एशियायी खेल काम्प्लेक्सों को एक साधन से वैकल्पिक साधन के जरिए विद्युत सप्लाई को बदलने की एक आकस्मिक योजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने डेसू और नई दिल्ली नगर पालिका के साथ परामर्श करके अन्तिम रूप दिया है।

(ख) जी, हां।

बिजली के मूल्यांकन के बारे में राज्य विद्युत बोर्डों की आपत्ति

2848. श्री वी. आर. नहाटा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या राज्य विद्युत बोर्डों और राज्य सरकारों ने वर्ष 1983-84 में प्रत्येक राज्य में बिजली की आवश्यकता के बारे में लगाये गये अनुमान पर आपत्ति की थी विमत टिप्पण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में प्रत्येक राज्य में बिजली की आवश्यकता के बारे में मतभेदों को दूर करने के लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्डों ने ग्यारहवें वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण पूर्वानुमानों पर अपनी टिप्पणियां दे दी हैं जिन्हें अभी हालही में अंतिम रुप दिया गया है।

विद्युत विकास के कार्यक्रमों की आयोजना विद्युत सर्वेक्षणों पर आधारित होती है। ये सर्वेक्षण सरकार द्वारा गठित वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण समिति के तत्वावधान के अंतर्गत समय-समय पर किए जाते हैं। यह समिति विभिन्न सैक्टरों की आर्थिक संवृद्धि तथा विकास के समग्र लक्ष्यों को भी ध्यान में लेती हैं। ये सर्वेक्षण राज्य बिजली बोर्डो तथा राज्य सरकारों के अन्य संगठनों के साथ परामर्श और विचार-विमर्श के बाद किए जाते हैं। विद्युत मांग के लिए पूर्वानुमानों को अंतिम रूप दिए जाने के समय समिति द्वारा इनके विचारों पर भी ध्यान रखा जाता है।

मांग पूर्वानुमान लगाना एक सतत् प्रक्रिया है तथा प्रत्येक सर्वेक्षण में लगाए गए पूर्वानुमानों को अर्थव्यवस्था की संवृद्धि के वास्तविक तथा संशोधित मांगों के समनुरूप अगले सर्वेक्षण में अन्नतः अद्यतन किया जाता है । राज्य बिजली बोर्डों तथा उपभोक्ताओं से प्राप्त विस्तृत फीडबैक के आधार पर विद्युत के लिए मांग की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण समय-समय पर समीक्षा करता है ।

एन० टी० पी० सी० तथा एन० एच० पी० सी० की आर्थिक स्थिति

2849. श्री बी० आर० नहाटा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान एन० टी० पी० सी० तथा एन० एच० पी० सी० की आर्थिक स्थिति कैसी रही है ; और

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान एन० टी० पी० सी० तथा एन० एच० पी० सी० में कितनी पूंजी का निवेश किया गया ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) (क) 1977-78 से 1981-82 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान दोनों राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम तथा राष्ट्रीय जल विद्युत निगम निर्माण कर रही हैं । राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का 1977-78 से 1981-82 तक की अवधि के दौरान कुल निवेश 896,70 करोड़ रुपये था, जिसमें 740.71 करोड़ रुपये इक्वटी शेयर के रूप में तथा 155.99 करोड़ रुपये ऋण के रूप में थे ।

एन एच पी सी के पास 1977-78 से 1981-82 तक की अवधि के दौरान 217.31 करोड़ रुपये का पूंजी विनियोग था, जिसमें 81.45 करोड़ रुपये इक्वटी शेयर के रूप में तथा 135.86 करोड़ रुपये ऋण के रूप में थे । राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम तथा राष्ट्रीय जल विद्युत निगम दोनों की ही वित्तीय स्थिति अच्छी है ।

(ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम तथा राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा वर्ष 1977-78 से 1981-82 तक के दौरान किए गए पूंजी निवेश अर्थात पूंजी व्यय निम्नानुसार हैं:—

करोड़ रुपये

	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81	1981-82
एन टी पी सी	22.53	70.25	161.87	247.31	394.74*
एन एच पी सी	82.71	22.71	19.70	42.78	39.75*

* अनन्तिम

राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के बारे में खर्चा केवल उन परियोजनाओं के संबंध में है जिनका यह स्वामित्व के आधार पर क्रियान्वियन कर रहा है ।

कोयला खानों के अस्पतालों में वायुधात्विक रोग (न्यूमोकोनिओसिस) के मामले

2850. श्री सुशील भट्टाचार्य : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कोयला खान कल्याण संगठन और कोयला उद्योग के अस्पतालों में वायुधात्विक रोग (न्यूमोकोनिओसिस) के मामलों का पता नहीं चल सका है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उपरोक्त संगठन के कार्यकरण में सुधार के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

श्री लंका द्वारा तेल की खोज के लिए मांगी गयी सहायता

2851. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री लंका ने अपने तटदूर तेल की खोज संसाधनों के लिए हमारे तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और किस प्रकार की सहायता मांगी गई है तथा इस पर यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जनवरी 1982, में श्री लंका के वित्त मंत्री ने भारत के दौरे के समय यह पूछा था कि क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ओ० एन० जी० सी०) श्री लंका में उत्पादन भागीदारी जोखिम ठेके के आधार पर तेल अन्वेषण कार्य करने के लिए इच्छुक होगा।

(ख) बाद में, विचार-विमर्श के पश्चात् तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने मार्च, 1982 में सीलोन पेट्रोलियम कारपोरेशन को विभिन्न परामर्शी सेवाओं का प्रस्ताव दिया था।

इस पेशकश के संदर्भ में सीलोन पेट्रोलियम कारपोरेशन ने तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ परामर्शी सेवाओं के लिए अब अनुरोध किया है और वह विचाराधीन है।

गत वर्ष के दौरान गुजरात में ऊर्जा उत्पादन में आई गिरावट

2852. श्री दिग्विजय सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान गुजरात राज्य में बिजली के उत्पादन में कितनी कमी रही है ; और

(ख) इस गिरावट के क्या कारण हैं और अधिकतम उत्पादन कब तक हो सकेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) गुजरात में 1981-82 में 10180 मिलियन यूनिट के लक्ष्य की तुलना में कुल विद्युत उत्पादन 10207 मिलियन यूनिट था। इस प्रकार 1981-82 के दौरान गुजरात में उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिणी क्षेत्र की फालतू बिजली उत्तरी राज्यों को सप्लाई करना

2853. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिणी क्षेत्र में लगभग 250 मेगावाट की बिजली फालतू है;

(ख) यदि हां, तो क्या दक्षिणी क्षेत्र से उत्तरी राज्यों को यह फालतू बिजली सप्लाई करने के तरीकों पर विचार विमर्श करने के लिए जून 1982 के प्रथम सप्ताह में एक बैठक बुलाई गई थी ;

(ग) ऐसे कौन से राज्य हैं जिनके दक्षिण से इस बिजली की सप्लाई द्वारा लाभान्वित होने की संभावना है ; और

(घ) इस फालतू बिजली का कितना हिस्सा राजस्थान को दिया जायेगा जिसे काफी लम्बे अर्से से बिजली की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) : मानसून अवधि के दौरान दक्षिणी क्षेत्र से अतिरिक्त विद्युत पड़ोसी प्रणालियों में ले जाने से संबंधित बातों पर विचार-विमर्श करने के लिए 17 जून, 1982 को एक बैठक हुई थी। बैठक में इस बात पर सह-मति हो गई थी कि मानसूनी महीनों के दौरान जो अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध होगी उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश को उपलब्ध कराया जाएगा ।

(घ) उत्तरी क्षेत्र तथा अन्य पड़ोसी राज्यों से राजस्थान यथा संभव सहायता प्राप्त कर रहा है। कुछ अवसरों पर पारेषण-बाधाओं के कारण यह सहायता सीमित कर दी जाती है। राजस्थान जैसे सुदूर स्थानों तक दक्षिणी राज्यों से बिजली लाना व्यवहार्य नहीं समझा गया ।

बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यवाही करना

2854. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊर्जा मंत्री ने एक प्रेस सम्मेलन में 31 मई, 1982 को नांगल में कहा है कि आगामी तीन वर्षों में देश में बिजली की कोई कमी नहीं होगी ; और

(ख) यदि हां, तो अधिक बिजली का उत्पादन करके उसमें वृद्धि करने और यह सुनि-श्चित करने की कृषि और औद्योगिक उत्पादन के हित में बिजली की सप्लाई बिना बाधा के हित होती रहे, के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करते समय, पंचवर्षीय योजना के अन्त में मांग और सप्लाई की स्थिति में सन्तुलन रखने के लिए आयोजना की जाती है। निधियों की कमी, मूल्यों में वृद्धि, उपस्कर, सामग्री की सप्लाई में देरी आदि जैसी बाधाओं के कारण नई यूनिटों के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चालू होने में देरी होने के कारण कमी होती है। मांग और सप्लाई को हमेशा ही एक समान रखने की कोशिश की जाती है तथा छठी योजना के मामले में भी यही कोशिश की गई है। ऊर्जा राज्य

मंत्री ने 31 मई, 1982 को इस संबंध में उल्लेख किया है। 1984-85 के दौरान छठी योजना के अन्त में विद्युत मांग के अनुसार विद्युत सप्लाई करने की दृष्ट से छठी योजना के दौरान लगभग 20000 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता प्रतिष्ठापित करने के लिए कार्यक्रम तैयार किया गया है। ताप विद्युत संयंत्रों के क्षमता समुपयोजन और ताप विद्युत उत्पादन में और सुधार करने के भी संगठित प्रयास किए जा रहे हैं। विद्युत की अधिक उपलब्धता होने से कृषि तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं को विद्युत सप्लाई में सुधार होने की संभावना है।

राजस्थान में बिजली की अधिष्ठापित क्षमता एवं मांग

2855. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में बिजली की मांग की तुलना में उसकी अधिष्ठापित क्षमता क्या है;

(ख) राजस्थान में परमाणु ऊर्जा, पन बिजली तथा तापीय बिजली की अलग अलग अधिष्ठापित क्षमता क्या है और प्रत्येक प्रकार की कितनी प्रतिशत अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग हो रहा है तथा क्षमता के इतने कम उपयोग के क्या कारण हैं; और

(ग) राजस्थान बिजली के मामले में आत्मनिर्भरता कब तक प्राप्त कर लेगा।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) (क) से (ख) संयुक्त केन्द्रीय परियोजनाओं से राजस्थान के हिस्से को शामिल करके राजस्थान की प्रतिष्ठापित क्षमता 851.08 मेगावाट है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान को राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना से भी सप्लाई मिलती है जिसकी प्रतिष्ठापित क्षमता 440 मेगावाट है। राजस्थान प्रणाली की व्यस्ततमकालीन मांग इस समय 900 मेगावाट है। प्रतिस्ठापित क्षमता के बारे में श्रेणीवार ब्यौरे नीचे दिए जाते हैं:—

श्रेणी	केन्द्र	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
जल विद्युत	भाखड़ा-नंगल काम्पलैक्स (राज्य का हिस्सा)	183.33
	देहर (राज्य का हिस्सा)	132.00
	पौंग (राज्य का हिस्सा)	140.40
	गांधी सागर (राज्य का हिस्सा)	57.50
	राणा प्रताप सागर (राज्य का हिस्सा)	86.00
	जवाहर सागर (राज्य का हिस्सा)	49.50
	उप-जोड़ (जल विद्युत)	648.73

ताप विद्युत	सतपुड़ा (राज्य का हिस्सा)	125.00
	सिंगरौली सुपर ताप विद्युत	
	केन्द्र राज्य का हिस्सा	31.50
	जयपुर	13.00
	लघु ताप विद्युत	20.00
	लघु डीजल	12.85
	उप-जोड़ (ताप विद्युत)	202.35
	जोड़ (ता० वि०+ज० वि०)	851-08
न्यूक्लीय विद्युत	राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना	440.00
	जोड़ (ज०वि०+ता०वि०+न्यू०वि०)	1291.08

वर्ष 1981-82 के दौरान उपर्युक्त विद्युत संयंत्रों का क्षमता समुपयोजन नीचे दिया जाता है :—

		संयंत्र भार अनुपात (%)
जल विद्युत	भाखड़ा नंगल	53
	देहर	51
	पोंग	69
	गांधी सागर	31.6
	राणा प्रताप सागर	25
	जवाहर सागर	32
ताप विद्युत	सतपुड़ा	63
न्यूक्लीय विद्युत	आर. ए. पी. पी.	27.4

जल विद्युत केन्द्रों का क्षमता समुपयोजन डिजायन की क्षमता और जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है और इसके प्रचालन संबंधी किसी गम्भीर कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। वर्ष 1981-82 के दौरान सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र क्षमता समुपयोजन 63% था। इसकी तुलना में राष्ट्रीय औसत 47% था। राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना का कार्य-निष्पादन यूनिटों की जबरन बन्दियों के कारण अपेक्षाकृत असंतोषजनक था।

(ग) 11वें वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण के अनुसार छठी योजना के अन्त तक राजस्थान को सम्भवतः सीमान्त कमी का सामना करना पड़ेगा। तथापि, कमी को पूरा करने के लिए उत्तरी ग्रिड और केन्द्रीय क्षेत्र के केन्द्रों से, जहां तक सम्भव हो सकेगा, सहायता दी जाएगी।

घाटे में चल रही कोयला खानें

2856. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कुछ कोयला खानें घाटे में चल रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो कौन सी कोयला खानें घाटे में चल रही हैं ;

(ग) उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इन कोयला खानों का घाटा रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) कोल इंडिया लि० ने अब हालात बदल दिए हैं और 31 मार्च, 1982 को समाप्त वर्ष में मुनाफा कमाया है। यह सही है कि कुछ कोयला खानें विशेषकर ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. और भारत कोकिंग कोल लि० की खानें घाटे में चल रही हैं। कम्पनी के लाभ और घाटे का लेखा खान-वार लागत लेखों के आधार पर पूरी कम्पनी के लिए बनाया जाता है। कोयला उत्पादन की लागत और लाभकारिता प्रत्येक खान में अलग-अलग हैं और इन बातों पर निर्भर करती है :—भूवैज्ञानिक और भूखनन परिस्थितियां खान ओपेनकास्ट है अथवा भूमिगत, उत्पादित कोयले की किस्म क्या है, आदि। पूरी कम्पनी की लाभकारिता कायम रखने के लिए और जहां तक व्यवहारतः संभव हो प्रत्येक खान के घाटे को कम करने के लिए, प्रयत्न किए जाते हैं। परन्तु चूंकि विभिन्न कारणों से अलग-अलग खानों की उत्पादन-लागत अलग-अलग होती है अतः प्रत्येक खानों में लाभकारिता सुनिश्चित करना कठिन है।

(घ) घाटों को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं :

(1) उत्पादन बढ़ाना जिसके लिए यह उपाय किए जाते हैं : ओपेनकास्ट खानों का शीघ्रता से विकास करना, उन्नत प्रौद्योगिकी और आधुनिक उपकरण का प्रयोग लागू करना ; बिजली, विस्फोटक पदार्थ आदि उत्पादन सामग्रियों की बेहतर उपलब्धि सुनिश्चित करना, भूमि अधिग्रहण में शीघ्रता करना, राज्य सरकारों के साथ निकट सम्पर्क बनाकर कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार आदि।

(2) खनिकों में अनुपस्थिति की प्रवृति को नियंत्रित करना।

(3) कोयले की कीमतों को उचित स्तर पर नियत करना।

(4) जन-शक्ति पर नियंत्रण और उत्पादकता में वृद्धि।

(5) सामग्री सूची पर नियंत्रण और भंडार सामग्री के प्रयोग में किफायत।

(6) उपकरणों के प्रयोग में सुधार।

उड़ीसा तट में छिद्रण

2857. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा तट में तेल का पता लगाने के लिये शुरू की गई छिद्रण परियोजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) आयल इंडिया लि० उड़ीसा के महानदी बेसिन में अपतटीय और तटीय क्षेत्र में अन्वेषण कर रहा है।

अपतटीय और तटीय दोनों क्षेत्रों में अपेक्षित हवाई-चुम्बकीय सर्वेक्षण किये जाने के पश्चात् अपतटीय क्षेत्रों में आवश्यक भूकम्पीय सर्वेक्षण किया गया। तटीय क्षेत्रों में भूकम्पीय सर्वेक्षण किया जा रहा है। भूकम्पीय सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर, वर्ष 1980 के दौरान महानदी अपतटीय बेसिन में दो कुओं की खुदाई की गई।

(ख) तथापि, प्रथम दो अपतटीय कूपों में वाणिज्यक तौर पर उत्पादनयोग्य हाईड्रोकार्बन नहीं मिले। उपलब्ध भूकम्पीय और कूप आंकड़ों की बाद में आयल इंडिया लि० के भू-वैज्ञानिकों द्वारा अपने अमरीका के परामर्शदाता मैसर्स मोकार्ड लेविस एनर्जि सर्विसिस की परामर्श से पुन: व्याख्या की गई है और उनकी सिफारिशों के आधार पर यह प्रस्ताव किया गया है कि अपतटीय क्षेत्र में आगे और अन्वेषी खुदाई की जाए।

तटीय क्षेत्र में खुदाई किये जाने के प्रश्न पर विचार भूकम्पीय सर्वेक्षणों के पूरे हो जाने, आकड़े तैयार किये जाने और उनकी व्याख्या किये जाने के बाद किया जायेगा।

आकाशवाणी के हैदराबाद, बंगलौर और त्रिवेन्द्रम केन्द्रों के समाचार यूनिटों का दर्जा बढ़ाना।

2858. **श्री पी. राजगोपाल नायडू** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के हैदराबाद, बंगलौर, त्रिवेन्द्रम केन्द्रों के समाचार एककों का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इनका दर्जा कब तक बढ़ाया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विजयवाड़ा में दूरदर्शन केन्द्र

2859. श्री पी. राजगोपाल नायडू : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा में दूरदर्शन केन्द्र आरम्भ होने वाला है ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) इसके 1984-85 में चालू हो जाने की उम्मीद है।

तिरुपति में रेडियो स्टेशन की स्थापना

2860. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुपति में रेडियो स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब आरम्भ किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री : (श्री वसन्त साठे) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दामोदर घाटी निगम की बिजली उत्पादन क्षमता में कमी

2861. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दामोदर घाटी निगम की बिजली उत्पादन क्षमता में सामान्य कमी हुई ;

(ख) यदि हां, तो दामोदर घाटी निगम की उत्पादन क्षमता में आई कमी रोकने के लिए सरकार किस प्रकार योजना बना रही है ;

(ग) क्या सरकार दामोदर घाटी निगम के क्षेत्रों के निकटवर्ती क्षेत्रों में कुछ और बिजली उत्पादन संयंत्रों का निर्माण करने की योजना बना रही है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) पूर्वी क्षेत्र में स्वीकृत कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं निम्नलिखित हैं ;—

1. कोलाघाट 3 × 210 मेगावाट
2. कोलाघाट विस्तार 3 × 210 मेगावाट
3. तेनुघाट 2 × 210 मेगावाट
4. फरक्का 600 मेगावाट
5. कोइल कारो-170 मेगावाट

फरक्का विस्तार (1500 मेगावाट) तथा कहलगांव (800 मेगवाट) के बारे में विचार किया जा रहा है।

कोयले के डिपुओं पर छापे

2862. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1982. से जून, 1982 तक की अवधि के दौरान कोयले के डिपुओं पर कितने छापे मारे गये और उनके क्या परिणाम रहे ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए विश्व बैंक का ऋण

2863. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक भारत को ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 304 मिलियन डालर ऋण देने के लिए सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस ऋण की शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने विभिन्न राज्यों को इस ऋण का आबंटन किया है ;

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए प्रत्येक राज्य के लक्ष्य निश्चित कर दिए हैं ; और

(ङ) 1982, 1983 और 1984 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य परियोजना के अन्तर्गत कितने घर, गांव और वाणिज्यक उपभोक्ता लाभान्वित होंगे ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां। देश में ग्रामीण विद्युतीकरण के विस्तार के लिए तथा सुधार करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक (आई० बी० आर० डी०) ने भारत सरकार को 304·5 मिलियन डालर का ऋण देना स्वीकार कर लिया है।

(ख) समय-समय पर निकाली गई मूल राशि तथा बकाया राशि के ऋण पर 11$\frac{1}{2}$% ब्याज प्रति वर्ष की दर पर देय होगा तथा समय-समय पर न निकाली गई मूल राशि पर वार्षिक

दर से ¾% निश्चित किया गया प्रभार देय होगा। ऋण को अर्ध वार्षिक किश्तों में 1 जनवरी, 1988 से लौटाना आरम्भ किया जायेगा तथा 1 जुलाई, 2002 को समाप्त हो जायेगा। ब्याज तथा अन्य प्रभार अर्ध-वार्षिक रूप से प्रत्येक वर्ष में 1 जनवरी तथा 1 जुलाई को देय होंगे।

(ग) से (ङ) प्रत्येक राज्य के लिए राशि का अनन्तिम रूप से आबंटन इस प्रकार किया गया है :—

राज्य बिजली बोर्ड का नाम	आवंटन मिलियन डालर में
1. आन्ध्रप्रदेश	29·36
2. बिहार	21.70
3. गुजरात	16.23
4. हरियाणा	8.37
5. कर्नाटक	10.21
6. केरल	3.90
7. मध्यप्रदेश	43.79
8. महाराष्ट्र	30.21
9. उड़ीसा	14.85
10. पंजाब	20.93
11. राजस्थान	20.65
12. तमिलनाडु	10.95
13. उत्तर प्रदेश	33.44
14. पश्चिमी बंगाल	19.41
	284.00
ग्राम विद्युतीकरण के लिए केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान	1.00
अनिर्धारित	15.00
फीस	4.50
जोड़	304.50

परियोजना के ऋण समझौते में 1985 के अन्त तक विभिन्न राज्यों में 18.000 गांवों के विद्युतीकरण का प्रावधान किया गया है। तथापि राज्यवार ब्यौरों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य में इस ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना में शामिल किए जाने वाले घरेलू तथा वाणिज्यक उपभोक्ताओं की संख्या के बारे में निर्णय राज्य बिजली बोर्ड द्वारा संदर्शी उपभोक्ताओं के आवेदनों के आधार पर किया जायेगा।

बिना पारी के टेलीफोन कनेक्शन देना

2864. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 2 वर्षों में बिना पारी के कितने टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किये गये ; और

(ख) इस बारे में राज्यवार ब्यौरे क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान वर्तमान नीति के अनुसार बिना पारी के टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या 3066 है।

(ख) दिल्ली

दिल्ली टेलीफोन जिला 1182

राज्य	
आन्ध्र प्रदेश	113
अरुणाचल प्रदेश	1
असम	19
बिहार	48
हरियाणा	8
हिमाचल प्रदेश	20
जम्मू तथा कश्मीर	229
कर्नाटक	375
केरल	48
मेघालय	3
उड़ीसा	10
पंजाब	380
राजस्थान	80
तमिलनाडू	344
उत्तर प्रदेश	198
पश्चिमी बंगाल	8
योग :	3066

गुजरात, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही हैं तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"एक्सपोर्ट आफ मोर इंडियन फिल्मस टू रसिया" रूस को और अधिक भारतीय फिल्मों का निर्यात शीर्षक समाचार।

2865. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 मार्च, 1982 के टाइम्स आफ इंडिया के "एक्सपोर्ट आफ मोर इण्डियन फिल्मस टू रशिया अर्जड" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो भारत का दौरा करने वाले रूसी प्रतिनिधिमण्डल से बातचीत के निष्कर्ष क्या है ; और

(ग) ताशकंद फिल्म समारोह के लिए प्रतिनिधिमण्डल द्वारा चुनी गई फिल्मों का ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां। समाचार 25 मार्च के टाइम्स आफ इण्डिया में छपा है न कि 22 मार्च, 1982 के।

(ख) सोवियत संघ द्वारा बड़ी बड़ी संख्या में भारतीय फिल्मों की खरीद की आवश्यकता पर सोवियत शिष्टमण्डल के साथ नई दिल्ली में और मई, 1982 में ताशकन्द में भी हुई बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा जोर दिया गया था।

(ग) सोवियत शिष्टमंडल ने ताशकन्द फिल्म समारोह के सूचना विभाग के लिये 25 फिल्मों का चयन किया था। इन फिल्मों के नाम इस प्रकार हैं :—

दासी ; 36 चौरंगी लेन; गोपीचन्द जासूस ; बसेरा; ये नजदीकियां ; एक दूजे के लिये ; प्रोफेसर प्यारेलाल ; काला पत्थर ; सिलसिला ; शौकीन ; अंगूर ; मान गये उस्ताद ; नूरी ; उमराव जान ; चक्र; लवस्टोरी ; सत्ते पे सत्ता ; इन्साफ का तराजू ; मुकद्दर का सिकन्दर ; कुदरत ; हम पांच; आधारशिला ; चोर नी; अक्रीयत (मराठी) और तन्नीर तन्नीर (तमिल)।

इसके अलावा, 24 फिल्मों को समारोह के बाजार विभाग के लिये चुना गया था। इन फिल्मों के नाम इस प्रकार हैं :—

लावारिस ; जमाने को दिखाना है ; नसीब ; धनवान; यह वादा रहा ; बेमिसाल ; बाजार ; साथ साथ ; रॉकी ; मैं और मेरा हाथी ; नमकीन ; याराना ; दादार कीर्ति (बंगला) ; मीनू ; अशान्ति ; अज्ञियता कोंलंगल ; नेनजाते किल्लाथे (तमिल) ; सुरक्षा ; मैं इन्तकाम लूंगा; मेंहदी रंग लायेगी ; फिफ्टी-फिफ्टी ; कालिया ; देश प्रेमी और अंधेर नगरी।

हिन्दी अधिकारियों के लिए आदर्श भर्ती नियम

2866. श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को इस तथ्य की जानकारी है कि सरकार ने हिन्दी अधिकारियों के पदों के लिए आदर्श भर्ती नियमों पर पूरी तरह से ध्यान दिया है और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा हिन्दी अधिकारियों की भर्ती के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के एक निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की है ;

(ख) क्या उनका मंत्रालय आदर्श भर्ती नियमों के आधार पर सरकार द्वारा अधिसूचित वर्तमान नियमों के विरुद्ध हिन्दी अधिकारियों के पद भर कर उच्चतम न्यायालय में दायर की गई अपील की भावना के विरुद्ध जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में इस दोहरी नीति के क्या कारण हैं ; और

(घ) हिन्दी अधिकारियों के पद वर्तमान नियमों के अनुरूप भरने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि हिन्दी अधिकारियों की भर्ती के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध एक अपील दायर की गई है। विद्युत विभाग में हिन्दी अधिकारी के पद पर नियुक्ति नियमित आधार पर नहीं की गई है। केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह "क" और समूह "ख" पदों), जिसमें केन्द्रीय सचिवालय में हिन्दी अधिकारी के सभी पद शामिल होंगे, के गठन होने तक इस पद को हाल ही में गृह मंत्रालय और राजभाषा विभाग के साथ परामर्श करके तदर्थ आधार पर भरा गया है।

चमेरा जांच परियोजना द्वारा खरीदे गये वाहन

2867. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चमेरा जांच परियोजना द्वारा कितने वाहन खरीदे गये हैं और प्रत्येक वाहन का लागत सहित ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि समीप ही बयेरा सियूल परियोजना के पास अनेक फालतू वाहन हैं और इन फालतू वाहनों का चमेरा में उपयोग किया जा सकता है ;

(ग) यदि हां, तो नये वाहनों की खरीद पर सरकारी धन क्यों खर्च किया जा रहा है ; और

(घ) इस दिशा में ध्यान न देने के लिए कौन जिम्मेदार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) चमेरा जलविद्युत परियोजना चरण-एक का अन्वेषण कार्य करने के लिए 10 वाहन लगाए गए थे जिनमें 7 जीपें, 1 कार तथा 2 ट्रक शामिल थे। इनमें से 7 वाहन बाजार से खरीदे गए थे तथा एक जीप बैरा-स्यूल परियोजना से खाता-मूल्य पर खरीदी गई थी। एक जीप तथा एक ट्रक सलाल परियोजना से किराये पर

उपलब्ध कराए गए थे। खरीदे गए 8 वाहनों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

क्रम संख्या	वाहन का विवरण		मूल्य
1.	जीप		79,307/-
2.	जीप		79,307/-
3.	कार		70,044/-
4.	ट्रक	नई	1,77,795/-
5.	जीपें-3	खरीद	76,375/प्रत्येक
6.	जीप बैरा स्यूल परियोजना से खाता-मूल्य पर खरीदी गई।		52,500/-

(ख) जी, नहीं। जिस समय चमेरा जल विद्युत परियोजना का अन्वेषण कार्य प्रारम्भ किया गया था तब बेरा-स्यूल परियोजना का निर्माण कार्य जोरों से चल रहा था क्यों कि परियोजना को दिसम्बर, 1981 तक चालू किया जाना था अत: परियोजना के पास अतिरिक्त वाहन नहीं थे जिन्हें चमेरा परियोजना में स्थानान्तरित किया जा सकता। इसके बावजूद, बैरास्यूल परियोजना ने चमेरा परियोजना को एक जीप उपलब्ध कराई। 2 वाहन सलाल से तथा एक बैरा स्यूल से अर्थात् 3 वाहनों की उपलब्धता को ध्यान में रखने के बाद ही शेष 7 वाहन खरीदे गए थे।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली टेलीफोन एक्सचेंजों में सुधार

2868. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के टेलीफोन एक्सचेंजों में सुधार करने के लिये कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन टेलीफोन एक्सचेजों का दर्जा बढ़ाने के लिये पता लगाया गया है ; और

(ग) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली टेलीफोन पुणाली के सभी टेलीफोन एक्सचेंजों का दर्जा बढ़ाने के लिए उपाय किए गए हैं। तथापि पहले चरण में, 4, 23, 25, 32, 35, 37, 38, 39, 61, 63, 66, 67, 69, एवं 71 कोड वाले 14 एक्सचेजों का दर्जा बढ़ाए जाने के लिए शामिल किया गया है।

(ग) उपरोक्त भाग (ख) के उत्तर में दिए गए टेलीफोन एक्सचेंजों के संबंध में अन्य उपायों के साथ-साथ निम्न उपाय किए गए हैं :—

(1) एक्सचेंज उपस्कर, विशेष रुप से अंतर एक्सचेंज कनेक्शनों की विशेष जांच की गई है और उन्हें नियमित रुप ने मॉनिटर किया जा रहा है।

(2) प्रणाली को कारगर बनाने के लिए महीने में एक बार रात्रि में विशेष जांच जिसमें सभी सहायक इंजीनियर तथा मंडल इंजीनियर उपस्थित होते है, करना नियमित अंग है। क्षेत्रीय प्रबंधक एवं महाप्रबंधक स्तर के वरिष्ठ अधिकारी रात्रि जांच के दौरान आचानक दौरा करते हैं।

(3) तकनीकी एवं विकास सर्किल के स्टाफ द्वारा एशियाड-82 से जुड़े एक्सचेंजों के उपस्कर की अंतिम जांच की जा रही है।

(4) टेलीफोन नम्बर 344921 पर "खोदने से पहले टेलीफोन पर सूचना दे" सेवा कार्यालय समय के दौरान कार्य कर रही है जिससे कि अन्य एजेंसियां अपना खुदाई कार्य शुरु करने से पहले दिल्ली टेलीफोन्स को सूचित कर सकें ताकि टेलीफोन केबल को सुरक्षित रखा जा सके। इसके अतिरिक्त इस सेवा के महत्व के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए टेलीफोन एक्चेंज भवनों के सामने ;,खोदने से पहले टेलीफोन पर सूचना दे" सूचना पट्ट लगाए गए हैं।

(5) मार्ग पर खुदाई कार्य रोकने के लिए तथा एहतियात के उपाय करने के लिए केबल मार्गों पर विशेष गश्त लगाई जाती है।

(6) टेलीफोन निरीक्षकों एवं कनिष्ठ इंजीनियरों द्वारा निरीक्षण के लिए विशेष अभियान चलाया गया है ताकि उपभोक्ता फिटिंग तथा यंत्रिक दोष को काफी सीमा तक दूर किया जा सके।

(7) सेवा में सुधार लाने के लिए उपभोक्ताओं के अहाते में एल्यूम्यूनियम कंडक्टर वायरों के स्थान पर कांपर कंडक्टर वायर लगाए जा रहे हैं।

आल इंडिया रेडियो, मद्रास के लिए शक्तिशाली ट्रांसमीटर

2869. श्री सी० चिन्ना स्वामी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि सिंगापुर मलेयेशिया और श्रीलंका के अधिकांश लोग आल इंडिया रेडियो कार्यक्रम सुनना चाहते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इन देशों के लोगों के लिए अभिप्रेत कार्यक्रमों को विदेश सेवा प्रसारणों के रूप में प्रेषित किया जाता है तथा शार्ट वेव ट्रांसमीटरों द्वारा समर्थित कलकत्ता के मेगावाट ट्रांसमीटर के माध्यम से विकीर्ण किया जाता है।

लखनऊ में गैस कनेक्शन के लिए पंजीकरण

2870. श्री कृष्ण चन्द्र पाँडे : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लखनऊ में इंडेन गैस के कनेक्शनों के लिए इंडेन डीलरों के पास पंजीकरण करने वाले उपभोक्ताओं की 1 अप्रैल, 1982 तक संख्या कितनी है ;

(ख) प्रतिक्षा सूची में जिन लोगों के नाम हैं उन्हें इंडेन कम्पनी से कनेक्शन कब तक मिल जाएगा ;

(ग) क्या सरकार का विचार उन लोगों को नई एजेंसियों से कनेक्शन देने का है *जिनके* पास प्रतीक्षा सूची में हैं ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक संभव होगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) 31-3-1982 को लखनऊ में कुकिंग गैस (एल०पी०जी०) कनेक्शनों के लिए कुल लगभग 61,784 आवेदकों ने पंजीकृत कराया है।

(ख) से (घ) एल०पी०जी० कनेक्शनों की वर्तमान प्रतीक्षा सूची का 1984-85 तक विद्यमान वितरकों, जो अभी तक अपनी अधिकतम सीमा तक नहीं पहुंचे हैं, और इंडियन आयल कारपोरेशन (आई. ओ. सी.) द्वारा नियुक्त नये एल०पी०जी० वितरकों के द्वारा निपटान किए जाने की आशा है।

संश्लिष्ट रबड़ की खपत

2871. श्री एन० ए० देसाई सेबस्तियन : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संश्लिष्ट रबड़ की खपत जो 1977 से 34,500 टन था, बढ़ कर 1981 में लगभग 44,000 टन हो गया है और 1986 में लगभग 85,000 टन हो जाएगी ;

(ख) क्या संश्लिष्ट रबड़ का उत्पादन जो 1977 में 27117 टन था, 1981 में बढ़कर केवल 28664 टन ही हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो देश में ही संश्लिष्ट रबड़ के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) वर्ष 1977 और 1981 के दौरान देश में संश्लिष्ट रबड़ की स्पष्ट खपत और उसका उत्पादन निम्नलिखित रूप में था :—

	उत्पादन	आयात	स्पष्ट खपत
1977	28,359	(1977-78) 10,212	38-571
1981	28,759 (अस्थायी)	सूचना उपलब्ध नहीं है।	

वर्ष 1989-90 तक संश्लिष्ट रबड़ की अनुमानित मांग 1,47,000 मी०टन है। वर्ष 1986 के लिए पृथक से कोई मांग अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) संश्लिष्ट रबड़ के उत्पादन के लिए अतिरिक्त क्षमता के सृजन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

समाचारपत्र उद्योग को अधिक स्वतन्त्रता तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसका पुनर्गठन

2872. **श्री जगदीश टाइटलर :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समाचार पत्र उद्योग के अधिक स्वतंत्रता तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसका पुनर्गठन करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव के ब्यौरे क्या हैं और पुनर्गठन में किन परिवर्तनों पर विचार किया जा रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) इस प्रकार का कोई विशिष्ट प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, द्वितीय प्रेस आयोग ने समाचारपत्रों के ढांचे के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं। सिफारिशों की जांच की जा रही है।

नयी दिल्ली में टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या 37 और 38 वाली लाइनों से नए टेलीफोन कनेक्शन

2873. **श्री दिग्विजय सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संख्या 37 और 38 से प्रारम्भ होने वाली लाइनों के लिए नई दिल्ली में टेलीफोन एक्सचेंज से नए कनेक्शनों की कोई क्षमता नहीं है ;

(ख) अतिरिक्त आवेदन-पत्रों के लिए बुकिंग कब से बंद की गई है ; और

(ग) ऐसे आवेदन-पत्र दोबारा कब लिए जाएंगे और नए टेलीफोन कनेक्शन कब दिए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां। फिलहाल दोनों एक्सचेंज अपनी पूर्ण संयोजन क्षमता पर कार्य कर रहे हैं।

(ख) नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है।

(ग) जनपथ एक्सचेंज के विस्तार के बाद ही 1983 में सचिवालय (37) तथा राजपथ (38) एक्सचेंजों को राहत मिलने की संभावना है। इस विस्तार कार्य के बाद ही नए कनेक्शन दिए जाने की उम्मीद है।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की 10 वर्षीय कार्य योजना

2874. श्री के० टी० कोसलराम : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990 तक 60.5 मिलियन टन का तेल उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने की तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की 10-वर्षीय कार्य योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने 1980—90 के लिए हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण तथा उपयोग के लिए एक प्रत्ययात्मक योजना ढांचा तैयार किया है। इस प्रत्ययात्मक योजना ढांचे में 28.995 करोड़ रुपये का कुल व्यय किया जाना है तथा इस कारण इसके सावधानी पूर्वक एवं विस्तृत अध्ययन किये जाने की आवश्यकता है; यह अध्ययन शुरू किया जा चुका है।

(ख) उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुये इस अवस्था में प्रश्न नहीं उठता।

बिहार के धनबाद जिले में डाकघर खोला जाना

2875. श्री ए. के. राय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के धनबाद जिले में कितने डाकघर कार्यरत हैं और उनमें कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) डाकघरों और कर्मचारियों के लिए कितने विभागीय मकान उपलब्ध हैं तथा इसके विस्तार तथ्य क्या है;

(ग) वर्ष 1981-82 के लिए किराए के मकानों के लिए प्रतिवर्ष कितनी राशि व्यय की गई;

(घ) क्या यह सच है कि झरिया और धनबाद जैसे कस्बों में डाकघर बहुत ही खराब मकानों में स्थिति हैं जहां सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है और कर्मचारियों के लिए आवास की कमी से भारी कठिनाइयां पैदा हो रही हैं;

(ड़) क्या धनबाद जिले में इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में डाक तथा तार विभाग द्वारा मकानों का निर्माण करने का कोई कार्यक्रम है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) बिहार के धनबाद जिले में कार्य कर रहे विभागीय डाकघरों की संख्या 78 है, विभागीय डाकघरों के अतिरिक्त धनबाद जिले में 158 विभागेतर डाकघर कार्य कर रहे हैं। धनबाद जिले में विभागीय कर्मचारियों की संख्या 712 है। विभागेतर कर्मचारियों की संख्या 480 है।

(ख) धनबाद जिले में 7 डाकघर विभागीय भवनों में कार्य कर रहे हैं, धनबाद जिले में विभागीय स्टाफ क्वार्टरों की संख्या 27 है।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जी नहीं।

(ड़) जी हां। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान धनबाद में 15 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिंदरी में एक श्रमिक की मृत्यु पर जाँच समिति

2876. **श्री ए० के० राय :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि मई 1982 में सिंदरी विद्युत संयंत्र में, हुई घातक दुर्घटना में एक श्रमिक की मृत्यु हो गई थी : यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है और इस दुर्घटना के कारण अनुमानतः कितनी हानि हुई और उस पर क्या कदम उठाए गये ;

(ख) क्या ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री से बायलर ट्यूब की मरम्मत, प्रबन्धकों की साठ-गांठ और बायलर इंस्पैक्टर द्वार प्रमाणित किया जाना दुर्घटना के कारण हैं तथा सविस्तार तथ्य क्या हैं : और

(ग) क्या कोई जांच समिति गठित की गई है : यदि हां, तो जांच समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और समिति के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) (क) और (ख) जी, हां। सिंदरी यूनिट के विद्युत संयंत्र में दिनांक 11 मई, 1982 को एक घातक दुर्घटना हुई थी। बायलर नम्बर 5 की दो रियर वाटर वाल टयूबों से ग्रेट डोर के जरिए संचालन तल पर वाष्प मिश्रित गर्मपानी निकलने लगा। गर्मपानी उस कर्मचारी पर गिर गया जो उस

समय संचालन तल पर कोल फीडर में कार्य कर रहा था। वह जलकर गम्भीर रूप से घायल हो गया। यद्यपि फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया के अस्पताल में उसका आवश्यक इलाज-उपचार कर दिया गया था, परन्तु वह ठीक नहीं हो सका और इन घावों से दिनांक 12 मई, 1982 को उसका स्वर्गवास हो गया। इस दुर्घटना के कारण प्रत्यक्ष रूप से कोई सामग्री हानि नहीं हुई थी। मरम्मत कार्य कर दिया गया था और त्रुटियों को दूर कर दिया गया था। उस ठेकेदार ने, जिसने दिनांक 25 मई, 1981 से 27 अगस्त, 1981 तक बायलर की मरम्मत की थी, ने उस टयूब को नहीं बदला जिससे पानी निकला। अतः घटिया सामग्री प्रयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां। एक जांच समिति गठित की गई थी, जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुकी है। समिति में निम्नलिखित सम्मिलित थे :—

1.	श्री आर० के० रक्षित मुख्य अभियन्ता (विद्युत)	अध्यक्ष
2.	श्री एस. के. वेनर्जी उप-अधीक्षक	सदस्य
3.	श्री कबीरदास अपर मुख्य अभियन्ता (उपकरण)	सदस्य
4.	श्री आर. पी. सिंह उप-मुख्यालय (यांत्रिक)	सदस्य
5.	श्री वी. के. सिंह उप-सुरक्षा अधिकारी	सदस्य

1981-82 के दौरान कम्पनियों का बन्द होना

2877. श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कितनी कम्पनियों ने 1-1-1981 से 31-12-1981 और 1-1-1982 से 31-5-1982 तक राज्यवार काम करना बन्द कर दिया है ; और

(ख) उपरोक्त उल्लिखित कम्पनियों में कौन सी कम्पनियों ने उपरोक्त अवधि के दौरान तमिलनाडु में कार्य करना बन्द कर दिया था और उनके बन्द होने के क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) (क) 1-1-81 से 31-12-81 तक की अवधि में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत 336 कम्पनियों ने और 1-1-82 से 31-5-82 की अवधि में 114 कम्पनियों ने काम करना बन्द किया। उपरोक्त अवधियों में इन

कम्पनियों का राज्यानुसार विवरण अनुलग्नक 1 में दिया जाता है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-4332/82]

(ख) 133 कम्पनियों के जिन्होंने 1-1-81 से 31-12-81 और 1-1-82 से 31-5-82 तक की अवधि में कार्य करना बन्द किया, उनके कारणों सहित नामों को अनुग्नक 2 में दिया जाता है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-4332/82]

1981-82 के दौरान कम्पनियों का पंजीकरण

2878. श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम :

श्री सुनील मैत्रा : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1981 और 31-5-1982 के दौरान कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन भारत में कितनी कम्पनियां पंजीकृत की गई थी ; और

(ख) राज्यवार और गैर-सरकारी और सरकारी कम्पनी-वार प्रत्येक कम्पनी की कुल अधिकृत पूंजी कितनी है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) (क) 1-12-1981 से 31-5-1982 तक की अवधि के मध्य, भारत में कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत हिस्सों द्वारा सीमित 5294 कम्पनियों का पंजीकरण हुआ था।

(ख) इन 5264 कम्पनियों का विभिन्न राज्यानुसार वितरण तथा साथ ही पब्लिक लिमिटेड तथा प्राइवेट लिमिटेड को अलग-अलग कुल अधिकृत पूंजी, संलग्न विवरण में दी गई है। प्रत्येक कम्पनी की अधिकृत पूंजी की सूचना के बाबत ब्यौरे विभाग द्वारा प्रकाशित "कम्पनी न्यूज एण्ड नोट्स" नामक पत्रिका में संकलित किये जाते हैं, जिसकी प्रतियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय में भेजी जाती हैं।

विवरण

1 दिसम्बर, 1981 से 31 मई, 1982 तक की अवधि के दौरान, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत हिस्सों द्वारा सीमिति कम्पनियों को राज्य-अनुसार संख्या तथा प्राधिकृत पूंजी (पब्लिक एवं प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों की अलग-अलग) प्रदर्शित करते हुए विवरण।

('000' रु० में)

राज्य/केन्द्र प्रशाशित क्षेत्र	पब्लिक लिमिटेड		प्राइवेट लिमिटेड		योग	
	संख्या	अधिकृत पूंजी	संख्या	अधिकृत पूंजी	संख्या	अधिकृत पूंजी
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	23	146800	186	10188900	209	10335700
आसाम	2	55000	18	75800	20	130800
बिहार	5	115000	69	551770	74	666770

1	2	3	4	5	6	7
गुजरात	14	85900	363	180808	367	266798
हरियाणा	4	26300	48	64050	52	90350
हिमाचल प्रदेश	3	16000	21	14270	24	30270
जम्मू और कश्मीर	–	–	39	14140	39	14140
कर्नाटक	9	735000	265	219780	274	293280
केरल	8	26000	81	31685	89	57685
मध्य प्रदेश	3	25000	113	85979	116	110979
महाराष्ट्र	44	117910	1473	679289	1517	797199
नागालैंण्ड	1	2500	6	9300	7	11800
उड़ीसा	10	65670	49	11238250	59	11303920
पंजाब	9	20400	126	85938	135	106338
राजस्थान	14	43500	116	72760	130	116260
तमिलनाडू	22	232540	272	277640	295	510180
उत्तर प्रदेश	27	73342	160	137770	187	211112
पश्चिमी बंगाल	173	383980	433	255998	606	639978
चण्डीगढ़	5	6100	77	116010	82	122110
दिल्ली	52	148825	911	510865	963	659690
गोवा दमन एण्ड दीव	2	11000	16	5900	18	16900
पाण्डीचेरी	1	2000	10	10400	11	12400
अरुणाचल प्रदेश	1	2500	7	8300	8	10800
मेघालय	—	--	1	200	1	200
त्रिपुरा	—	—	1	750	1	750
ए एण्ड एन आई लैंण्ड	—	—	—	—	—	—
डी एण्ड एन हैवले	-	—	—	—	—	—
मणीपुर	—	—	—	—	—	—
मिजोरम	—	—	—	—	—	—
योग :	432	1679767	4862	24836642	5294	26516409

डाक-तार कल्याण कोष का गठन

2879. श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभाग ने डाक-तार कल्याण कोष बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कोष का वित्त पोषण कैसे होता है और किस उद्देश्य के लिए इससे सहायता दी जाती है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां ।

(ख) निधि की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार के अनुदान, कर्मचारियों के स्वैच्छिक योगदान तथा मेलों के आयोजन द्वारा एकत्र राशि से की जाती है ।

निधि का सदुपयोग डाक-तार कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को उनकी शिक्षा, सांस्कृतिक व कलात्मक कार्यक्रम, चिकित्सा तथा खेलकूद के प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता प्रदान करके किया जाता है । मृत डाक-तार कर्मचारियों के परिवारों को उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी कोष से आर्थिक सहायती दी जाती है ।

अंग्रेजी और हिन्दी स्टेनोग्राफरों की वरिष्ठता सूची

2880. श्री धर्मदास शास्त्री : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह है कि आकाशवाणी के समाचार डिवीजन में काम कर रहे अंग्रेजी और हिन्दी स्टेनोग्राफरों की जून, 1982 तक एक संयुक्त वरिष्ठता सूची थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वरिष्ठता के आधार पर जब हिन्दी स्टेनोग्राफरों को रिपोर्टर के पद पर पदोन्नत किया जाता है तो उसका नाम वरिष्ठता सूची में से हटा दिया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस अनियमितता को रोकने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, नहीं । स्टेनोग्राफरों (हिन्दी) और स्टेनोग्राफरों (अंग्रेजी) के लिए पदोन्नति के चैनल अलग अलग हैं । इसलिए इनकी वरीयता सूचियां अलग अलग रही हैं ।

(ख) और (ग) जी, नहीं । वास्तव में वरिष्ठ स्टेनोग्राफर (हिन्दी) रिपोर्टर (अनुश्रवण) के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र नहीं हैं क्योंकि रिपोर्टर (अनुश्रवण) अंग्रेजी प्रसारणों के लिए हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

नेशनल थरमल पावर कारपोरेशन द्वारा उच्च तापीय बिजली घरों का निर्माण

2881. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी क्षेत्री में नेशनल थरमल पावर कारपोरेशन द्वारा उच्च तापीय बिजली घरों के निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) पंजाब में कृषि तथा उद्योगों के लिए बिजली की बढ़ती हुई मांग पूरी करने हेतु इन बिजली घरों से पंजाब को कितनी बिजली आवंटित की गई है ;

(ग) क्या निर्माणाधीन बिजली घरों से मिलने वाली प्रत्याशित बिजली के पश्चात भी पंजाब में बिजली की कमी बनी होगी ; और

(घ) यदि हां, तो दीर्घावधि के लिए बिजली उत्पादन की कौनसी परियोजनाएं बनाई जा रहीं हैं जिनसे पंजाब को बिजली मिल सकेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम इस समय उत्तरी क्षेत्र की विद्युत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र (2000 मेगावाट) तथा रिहन्द सुपर ताप विद्युत केन्द्र के प्रथम चरण (1000 मेगावाट) की स्थापना कर रहा है। सिंगरौली में 200 मेगावाट का प्रथम चरण फरवरी, 1982 में समकालित किया गया था। 200-200 मेगावाट की शेष चार यूनिटों के लिए निर्माण संबंधी कार्यवाही चल रही है। 500-500 मेगावाट की दो यूनिटों के मुख्य संयंत्र के लिए आर्डर दे दिए गए हैं तथा निर्माण संबंधी कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। रिहन्द सुपर ताप विद्युत केन्द्र के प्रथम चरण (1000 मेगावाट) के क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने हाल ही में यू० के० की नार्दन इंजीनियरी इण्डस्ट्री (एन० ई० आई०) के साथ एक आधार (फ्रेम) ठेके पर हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना के लिए डिजाइन और अन्य प्रारम्भिक कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इस परियोजना की 500 मेगावाट की पहली यूनिट 1987-88 के दौरान चालू किए जाने की आशा है।

(ख) सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र की 2000 मेगावाट की चरम क्षमता में से पंजाब राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 200 मेगावाट का आबंटन किया गया है। रिहन्द सुपर ताप विद्युत केन्द्र से कोई सुनिश्चित आबंटन अभी तक नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) चालू पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में पंजाब की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध विद्युत उत्पादन की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 1536 मेगावाट थी। राज्य में क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं में से चालू योजना अवधि के दौरान 627 मेगावाट क्षमता की लाभ प्राप्त होने का कार्यक्रम है। चालू योजना अवधि के बाद इन परियोजनाओं से 327 मेगावट की और क्षमता भी उपलब्ध होने की आशा है। पहले से निर्माणाधीन परियोजनाओं से तथा क्रियान्वित की जा रही केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं से पंजाब को विद्युत के आबंटन से विद्युत की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करने में किसी प्रकार की कठिनाई की सम्भावना नहीं है।

कृत्रिम रेशा उद्योग के लिए लाइसेंस जारी करना

2882. रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैप्रोलैक्टम चिप्स, डी० एम० टी०/टी० पी० ए० प्लांट/नाइलोन कार्ड आदि जैसे कृत्रिम रेशा उद्योग क्षेत्र में वर्तमान एककों के विस्तार के लिए वर्ष 1981-82 और 1982-83 (30-6-1982 तक) के दौरान कोई लाइसेंस/आशय-पत्र/औद्योगिक स्वीकृतियां दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और वर्तमान एकक कहां पर स्थित है और उनका कितना विस्तार किया गया है ; उन औद्योगिक गृहों के क्षमता और उनके नाम क्या हैं जिनको ये लाइसेंस दिए गए हैं ;

(ग) चालू योजना के दौरान कृत्रिम रेशों तथा कैप्रोलैक्टस चिप्स आदि जैसी उनकी मूल सामग्रियों के उत्पादन का लक्ष्य क्या है ;

(घ) क्या भारतीय पेट्रो-रसायन उद्योगों के उत्पाद भारी मात्रा में बिना विके पड़े हुए हैं जिससे इस सरकारी उपक्रम का अस्तित्व ही खतरे में पड़ रहा है ;

(ङ) यदि हां, तो गैर-सरकारी क्षेत्र के इस क्षेत्र में और अधिक क्षमता के लिए लाइसेंस देने के क्या कारण हैं ; और

(च) भारतीय पेट्रो-रसायन उद्योग लिमिटेड, बड़ौदा के उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण-संग्लन है। [ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल/टी-4333/82]

(घ) से (च) संग्लन विवरण में उल्लिखित सिंथैटिक फाइबर्स और उनके मध्यवर्तियों में से, आई० पी० सी० एल० केवल डी० एम० टी० का उत्पादन करता है। 30 जून 1982 को आई० पी० सी० एल के पास डी० एम० टी० का स्टाक उनके एक मास के उत्पादन से कम था। डी० एम० टी की स्वदेशी मांग इसकी घरेलू उपलब्धता से अधिक है, कमी को आयात द्वारा पूरा किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं

2883. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण आयोग ने हिमाचल प्रदेश में उन योजनाओं के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिन्हें दिसम्बर, 1981— मार्च, 1982 की अवधि के दौरान बंद कर दिया गया था ग्रामीण विद्युतीकरण की नई मिनी योजनओं को मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो मंजूर की गई नई मिनी योजनाओं का जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उनको कब तक मंजूरी दी जायेगी और बिलम्ब के क्या कारण हैं;

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) हिमाचल प्रदेश में मूलतः स्वीकृत स्कीमों के अन्तर्गत शामिल किए गए 231 शेष बचे गांवों में से 118 गांवों को विद्युतीकरण करने के लिए दिसम्बर, 1981 तथा मार्च, 1982 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम ने 238.445 लाख रुपये की ऋण सहायता की पांच छोटी स्कीमें अनुमोदित की हैं।

(ख) भाग (क) में उल्लिखित पांच स्कीमों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) राज्य बिजली बोर्ड को सलाह दी गई है। कि छोड़ दिए गए गांवों को विद्युतीकृत करने के लिए शेष बची क्षमता से स्कीमें तैयार करें।

विवरण

मूलतः स्वीकृत स्कीमों के शेष बचे गांवों को विद्युतीकृत करने के लिए हिमाचल प्रदेश में 1982 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत स्कीमें दिखाने वाला विवरण

क्रम संख्या	स्कीम/ब्लाक/तहसील/ जिले का नाम	स्वीकृत ऋण राशि* (लाख रुपयों में)	शामिल किए गए शेष बचे गांवों की संख्या
1.	नूरपुर (कांगड़ा जिला)	26.525	13
2.	रेणुवा (सिरमोर जिला)	40.606	16
3.	बरसार/सुजानपुर (हमीरपुर जिला)	42.755	17
4.	नाहन (सिरमोर जिला)	38.666	37
5.	कांगड़ा (कांगड़ा जिला)	89.893	35
	जोड़	238.445	118

*(ऋण राशि के अन्तर्गत नए गांवों का विद्युतीकरण तथा पहले से विद्युतीकृत गांवों का सघन विद्युतीकरण आता है।)

आर्थिक अपराधियों के शीघ्र विचारण के लिए विशेष न्यायालय

2884. **श्रीमती जयन्ती पट्नायक :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कुछ राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन को आर्थिक अपराधियों के शीघ्र विचारण के लिए अपने क्षेत्राधिकार के अधीन विशेष न्यायालय स्थापित करने को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने केंद्र के सुझाव का प्रत्युत्तर दिया है;

(ग) इस संबंध में उन राज्यों में क्या प्रगति हुई है ; और

(घ) इस प्रस्ताव पर अन्य राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (घ) गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से अनुरोध किया है कि वे 12 विनिर्दिष्ट केन्द्रीय अधिनियमों अर्थात् केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम, 1944, आयात और निर्माण (केन्द्रीय अधिनियम, 1947, धन-कर अधिनियम, 1957, आय-कर अधिनियम, 1961 आदि के अधीन अनन्य रूप से आर्थिक अपराधियों के मामलों को निपटाने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करें :—

1. आंध्र प्रदेश
2. बिहार
3. गुजरात
4. कर्नाटक
5. केरल
6. मध्य प्रदेश
7. महाराष्ट्र
8. उड़ीसा
9. राजस्थान
10. तमिलनाडु
11. उत्तर प्रदेश
12. पश्चिमी बंगाल
13. दिल्ली

छह राज्य सरकारों अर्थात् आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों की सरकारों ने इस प्रयोजन के लिए विशेष न्यायालय पहले ही स्थापित कर

दिए हैं। चार राज्य सरकारें अर्थात् बिहार, केरल उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकारें आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने के लिए सिद्धांत रूप में सहमत हो गई हैं।

गुजरात और कर्नाटक की सरकारें तथा दिल्ली प्रशासन सम्बन्धित उच्च न्यायालयों से परामर्श करके इस विषय पर विचार कर रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : बम्बई में एक्स-रे फिल्मों की बहुत कमी हो गई है। सरकार को इस संबंध में एक वक्तव्य अवश्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे इस बारे में नियम 377 के अन्तर्गत सूचना दें।

श्री रामवतार शास्त्री (पटना) : हमने भी एक्स-रे फिल्म के शार्टेज पर कालिंग एटेंशन नोटिस दिया है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं इस तथ्य की ओर आपका ध्यान पुनः दिलाना चाहता हूं कि जबसे हमने विशेषाधिकार की रचना की है तब से आप कह रहे हैं कि मैं कल निर्णय दूंगा। अब भी, कल को आप और आगे बढ़ा रहे हैं। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि यह कल कब आएगा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने निश्चित तौर पर कहा था कल या परसों।

प्रो० मधु दंडवते : आज हम पैट्रोलियम मंत्री से स्वयं एक वक्तव्य की आशा कर रहे थे।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : मैं अपने माननीय मित्र को सूचित कर दूं कि मैं कल प्रश्न काल के तुरन्त बाद वक्तव्य दूंगा।

अध्यक्ष होदय : आप जान गए हैं कि कल कितना महत्वपूर्ण है।

प्रो० मधु दंडवते : आप अपना निर्णय उस वक्तव्य से पहले देंगे या बाद में ? हम मंत्री जी के वक्तव्य पर चर्चा करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जैसा आप चाहें। हम वही करेंगे। मैं नहीं समझता कि इसका स्वेच्छा से दिए जाने वाले वक्तव्य से कोई संबंध है। उससे उसका कोई वास्ता नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, इस मामले पर सारे देश में चर्चा हुई है। इसका भविष्य क्या है। हम जानते हैं देश में हमारा भविष्य क्या है। लेकिन, इस सदन में हमारा भविष्य क्या है, यह हम नहीं जानते।

अध्यक्ष महोदय : आप भी वहां पर थे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या वह उस खोई हुई फाइल को सभापटल पर रखेंगे ?

श्री सत्यसाधन चक्रवती (कलकत्ता दक्षिण) : हमने दिल्ली में साम्प्रदायिक क्षेत्रों के विषय में समाचारपत्रों में पढ़ा है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कल वक्तव्य देंगे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि साम्प्रदायिक दंगे हर रोज हो रहे हैं।

श्री आर एन राकेश (चैल) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि जब भी दिल्ली से कोई गड़बड़ का...

अध्यक्ष महोदय : छोड़िए। और कोई बात? वह बात एक दफा हो गई है। बैठिए।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। आप मेरा समय क्यों खराब कर रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, आज 27 तारीख है। पालियामेंट 13 तारीख तक है। जब जब इस सदन में मामला उठा पिछड़े वर्ग आयोग का, ड्राउट का, तो आपने कहा कि इसपर डिसक्शन होगा।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक कहते है। माननीय सदस्य, आपको यह महसूस करना चाहिए।

श्री राम विलास पासवान : क्या ये डिसक्शन करने जा रहे हैं? आपका रूलिंग है कि आप डिसक्शन करवाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि कैसे डिसक्शन करवाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह आपके हाथ में— बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी के हाथ में— सौंप रखा है कि जो प्रायर्टी वे फिक्स करेंगे, मैं वही पहले करवा दूंगा। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है। आप मुझसे बात क्यों करते हैं? आप वहां बात क्यों नहीं करते? आप बिला-वजह हाउस का टाइम जाया करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आनरेबल मेम्बर्ज, मैं आपसे दरखास्त करना चाहता हूँ कि या तो कमेटी नहीं बनानी चाहिए और अगर बनानी है, तो उसकी गरिमा को कम नहीं करना चाहिए। मैं कई बार कह चुका हूं कि बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी के जो मेम्बर यहां बैठे हैं, वे सब वहां मौजूद होते हैं और बात करते हैं। यहां पर चर्चा करने की क्या आवश्यकता है?

श्री राम विलास पासवान : मिनिस्टर कन्डीशन लगाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं कोई कन्डीशन नहीं मानता। मैं हाउस की कन्डीशन मानता हूँ।

श्री राम विलास पासवान : यह मंत्री जी का कर्तव्य है कि वह समय निकालें।

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री जी की शर्त मानने के लिए बाध्य नहीं हूं।

श्री राम विलास पासवान : टाइम निकलवाइए।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आपने करना है। आप करवा लीजिए।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस सरकार को आए हुए ढाई बरस हो गए हैं। दिल्ली में इस अरसे में कई बार कम्युनल डिसटर्बेंसिज हो चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : फिर वही बात शुरू कर दी !

आप मेरा समय क्यों खराब करते हैं। अनुमति नहीं है।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : डी. के. के महासचिव श्री के. बी. मणि पर आक्रमण किया गया है... (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इन व्यक्तिगत मामलों को उठाने की अनुमति नहीं है।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : वीरमणि को इस तरह से पीटा जाय, मैंने 377 में दिया वह भी आपने ऐक्सेप्ट नहीं किया ...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। यह स्वीकार्य नहीं है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक दिन और आप से कहा था, मैं आप को एक बड़ी गंभीर सूचना दे रहा हूं, आज मुझे तार मिला है...

अध्यक्ष महोदय : गंभीर सूचना यहां देने का वक्त नहीं है। इसकी अनुमति नहीं है।

श्री हरिकेश बहादुर : आप ने कहा था कि आप डिस्कशन करवाएंगे...

अध्यक्ष महोदय : काहे का ?

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैंने नहीं कहा है। आप बैठिए। आप पूछ लीजिए वाजपेयी जी से।

श्री राम विलास पासवान : आप ने कम्यूनल डिस्टर्बेंस पर कहा है, ड्राउट पर कहा है, पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर कहा है...

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है तो में कब इनकार करता हूं ?

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : यह तो आप की जिम्मेदारी है। आज फिर मैं कह रहा हूं कि बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में जो प्रायरिटी आफ फिक्स करेंगे वही यहां मैं करूंगा। फिनिश्ड। बस हो गया।

श्री राम विलास पासवान : आप एक एक हफ्ते में दो दो डिस्कशन रखिए।

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : टाइम कहां से आएगा ?

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं यह कह रहा था कि अभी राम विलास जी ने जो सवाल उठाया उस के ऊपर आप ने यह कहा कि बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी जो तय करेगी वह मैं यहां कहता हूं। मेरी आप से प्रार्थना यह है कि कई बार का अनुभव यह है कि ऐसे महत्वपूर्ण सवाल बिलकुल आखीरी दिन चले जाते हैं और उन पर कोई बहस नहीं होती।

अध्यक्ष महोदय : तो यह किस की जिम्मेदारी है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं बिजनेस ऐडवाजरी कमेटी में नहीं हूँ, इसलिए मुझे अधिकार है इस बात का कि मैं भी सदन में अपनी बात कहूँ। बैंकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट पर बार बार कहा गया है और आप ने भी माना है...

अध्यक्ष महोदय : मैं ने कब इनकार किया है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : आप उस के चेयरमैन हैं। चेयरमैन की हैसियत से मैं आप से प्रार्थना कर रहा हूं कि आप बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में उस पर टाइम दिलवाइए।

अध्यक्ष महोदय : यादव जी, आप तो समझदार आदमी है, इनकार कब है ? या तो कहें कि मैं ओवर रूल करूं उस को तो मैं ओवर रूल कर देता हूं। आज बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में भी बात उठेगी। पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा है कि वह सुओ मोटो बयान दे रहे हैं। उस पर कल हम ने यह भी तय किया है कि डिस्कशन करेंगे। तो उस पर कल यह भी बात आएगी। अब आप देख लीजिए कि कौन विषय पहले लेना है। किसको प्राथमिकता दी जाए पर कार्य मंत्रणा समिति पर छोड़ दिया गया है।

श्री चन्द्रजीत यादव : इसीलिए तो मैं सदन में मांग कर रहा हूं कि आप जल्दी टाइम निकालिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या करूं ? मैं तो जितना टाइम होता है उसी में से निकाल सकता हूं। मेरे पास फालतू टाइम कहां से आएगा। टाइम तो आप का है। मेरी जेब में तो टाइम है नहीं। टाइम तो आप इस तरह से जाया करते हैं।

श्री रामविलास पासवान : एक सप्ताह में दो कराइए।

अध्यक्ष महोदय : और भी काम होने हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जो बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी के सदस्य हैं उन को यहां सदन में बोलने का अधिकार नहीं है, उन को मना किया जाय। सदन का समय खराब न होने दिया जाय।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, जब हम मांग करते हैं तभी वे वक्तव्य देते हैं। उन्हें स्वयं वक्तव्य देना चाहिए।

क्या यह सरकार का कर्तव्य नहीं है कि वह स्वयं वक्तव्य दे।

अध्यक्ष महोदय : वे वक्तव्य दे रहे हैं । उन्होंने इसे नोट कर लिया है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय क्यों... (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है ।

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : मैं ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है, बंगला देश के अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है उस के बारे में । हम ने आप से निवेदन किया कि मंत्री महोदय उस पर बयान दें ।

अध्यक्ष महोदय : किस बात पर ?

श्री राम नगीना मिश्र : बंगला देश के अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं यह विचाराधीन है । कोई प्रश्न नहीं । मैंने अनुमति नहीं दी है । श्री शेजवालकर

मैं ने शेजवालकर जी को टाइम दिया है, क्यों नहीं आप उन को बोलने देते ? उन्हें बोलने दीजिए क्या आप उनसे अधिक ऊंचा बोल सकते हैं ?

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप सदन का समय बेकार में खराब कर रहे है ;

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : यह मामला समय का नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : इसे उठाने की अनुमति नहीं है । मैं इसकी कैसे अनुमति दूं ।

श्री मनीराम बागड़ी : यह सीरियस मैटर है । दिल्ली के बारे में....

अध्यक्ष महोदय : दिल्ली हो या कानपुर हो, उसका फैसला हो गया है । आप क्या चाहते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कितनी बार कहूँ कि स्टेटमेंट कर रहे हैं, कर रहे हैं ।

वे वक्तव्य दे रहे हैं

श्री राम बिलास पासवान : स्टेटमेंट से क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय : तब फिर कैसे होगा ? आप शोर कर लीजिए ।

(व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर : आपने डिस्कशन के लिए कहा था ।

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों नहीं याद रखते हैं, मुझे क्यों याद दिलाते हैं ? आपको याद क्यों नहीं रहता ?

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री हरिकेश बहादुर : आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसलिए कि आप जिम्मेदार हैं इस बात के लिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कब इनकार करता हूं इसके लिए ?

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : (नई दिल्ली) अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की स्थिति अलग है। कल मैंने जब दिल्ली के दन्गे का मामला उठाया था तो वेंकटसुब्बैया साहब ने बयान दिया था। उन्हें यह भी पता नहीं था कि दिल्ली में कर्फ्यू लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि दफा 144 लगाई गई है— आप रिकार्ड देख लीजिए।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बैया) : मैंने कहा था कि धारा 144 लगाई गई हैं। जब मैंने यह कहा कि धारा 144 लगाई गई है तो मैंने ठीक कहा था। उसके बाद स्थिति और भी बिगड़ी फिर कफ्यू लगाया गया था।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने नियम 184 के अन्तर्गत एक नोटिस दिया था। आपने अनुमति नहीं दी

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं नहीं चाहता कि दिल्ली में किसी तरह की भावनाएं भड़कें लेकिन दिल्ली में असेम्ब्ली नहीं है, दिल्ली के मामलों पर कहां चर्चा होगी ?

श्री चन्द्रजीत यादव : सदन को ताजा स्थिति से अवगत कराया जाए। नवीनतम स्थिति क्या है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर पहले दिन ही कर्फ्यू लगा दिया जाता, तो शायद दूसरे दिन हालत नहीं बिगड़ती।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर० परमार (पाटन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के सम्मान की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। मैंने पहले भी विशेषाधिकार के उल्लंघन का प्रश्न उठाया था... (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा। श्री फैलीरो

(व्यवधान)**

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : मैं... ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहाररंजन लस्कर) : क्या मैं जवाब दूं ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अभी प्रस्तुत नहीं किया है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है । श्री शेजवलकर

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भले आदमी को बोलने दें, तो वह बोले । वे बेचारे क्या करें ।

श्री ए० के० शेजवलकर : इसका मतलब यह है कि आप मुझे एलाउ नहीं करेंगे ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है ।

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा और मै कई मिनटों से खड़ा हूं...व्यवधान

कल मैंने टेलिफोन के बारे में मामला उठाया था । मैंने आपको एक पत्र भी लिखा था और उसके उत्तर में मुझे सचिव से एक पत्र मिला कि आपको मामले के बारे में सूचना दी जाएगी । पत्र मेरे पास है । और इसमें लिखा है कि मामले के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी । उसी पर पुनः मैंने एक कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है । कृपया बताएं कि हम क्या करें । हम इस मामले को कैसे उठाएं ! टेलिफोन खराब पड़े हैं । आखिर क्या किया जाना है ? क्या आप इस मामले में इतने असहाय हो गए हैं ? क्या यह सदन कुछ नहीं कर सकता ?...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कर तो दिया और अब इस प्वाइंट को उठाने में क्या कसर रह गई ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए । आपके हित में नहीं है ।

आपको अनुमति नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : आपको बोलने की अनुमति नहीं है । आप बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हद होती है, किसी बात की । हद से निकलना अच्छा नहीं होता—अति सर्वत्र वर्जयेत । आप बैठ जाइए । मैं आपके लिए कानून नहीं तोड़ सकता हूं ।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

मैं आपके लिए नियम भंग नहीं कर सकता।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपके शोर करने से कोई बात नहीं बनती है। यदि कोई व्यक्ति मेरी अनुमति के बिना बोलता है तो उसे रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : मैं इसके विरोध में वाक-आउट करता हूं।

12.19 (श्री जयपाल सिंह कश्यप सदन से उठ कर चले गये)

(व्यवधान)**

(तत्पश्चात् श्री आर० एन० राकेश सदन से चले गए)

———

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

विचाराधीन कैदियों को अनिश्चितकाल तक जेलों में बंद रखे जाने का समाचार

श्री एडुआर्डो फैलीरो (ममारया गाओ) मैं गृह मंत्री जी का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :

"उच्चतम न्यायालय के निदेशों के वावजूद बहुत बड़ी संख्या में विचाराधीन कैदियों को अनिश्चित काल तक जेलों में बन्द रखे जाने और उनमें से अनेक की मृत्यु हो जाने के समाचार तभी इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में।"

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

ग्रह मंत्रालय में राज्य मंत्री (निहार रंजन लस्कर) : महोदय, सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ मामलों में विचारणाधीन कैदी लम्बी अवधि तक जेलों में रहते हैं। विचारणाधीन कैदियों के विवरण पूरे होने में विलम्ब के कई कारण है। जैसे मामलों की छान-बीन में विलम्ब और न्यायलयों में विचारण में बिलम्ब जो व्यक्तियों तथा सम्पत्ति की शिनाख्त संबंधी कार्रवाइयों में कठिनाई के कारण होता है, गवाहों के न मिलने, कुछ अभियुक्त व्यक्तियों की ओर से जमानत प्रस्तुत करने में असफलता, संबंधित पक्षों द्वारा मामलों में स्थगन मांगने और न्यायालयों में अधिक कार्य भार।

2. भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाये हैं कि विचारणाधीन कैदी जेलों में लम्बी अवधि तक नजरबंदी के शिकार न हो। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

की सलाह दी गई है कि वे उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों को ध्यान में रख कर विचारणाधीन कैदियों के मामलों की जांच करे और विशेष रूप से यह सुनिश्चित करें कि :—

(क) जो विचारणाधीन कैदी उस सजा से अधिक अवधि के लिए नजरबंद हैं, जो उन्हें दोषसिद्धि के मामले में दी जा सकती है, उन्हें तुरन्त रिहा किया जाए, क्योंकि इस तरह की नजरबंदी अवैध है और संविधान के अनुच्छेद 21 का उलंघन करती हैं।

(ख) जिन विचारणाधीन कैदियों पर जमानती अपराधों का आरोप है, परन्तु जो अभी तक जेलों में हैं क्योंकि उनकी ओर से जमानत का कोई अवेदन पत्र नहीं दिया गया है अथवा जो इतने गरीब हैं कि वे जमानत प्रस्तुत नहीं कर सकते, उनके मामलों पर व्यक्तिगत बोंड पर रिहाई के लिए विचार किया जाय, और

(ग) जिन विचारणाधीन कैदियों ने अधिकतम सजा, जो न्यायालय द्वारा दी जा सकती है, की आधी अवधि से अधिक नजरबंदी में काट ली है, उनके मामलों पर व्यक्तिगत बोन्डों पर रिहाई के लिए विचार किया जाय और उन्हें वकील उपलब्ध कराये जाएं।

3. राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे जेलों में विचारणाधीन कैदियों के मामलों का सावधिक पुनरीक्षण करने के लिए जिला तथा राज्य स्तर पर समितियां गठित करें और गरीब तथा बेसहारा कैदियों को कानूनी सहायता देने के लिए अंशकालिक या पूर्णकालिक कानून अधिकारी नियुक्त करे।

4. विधि आयोग द्वारा अपनी 78 वीं रिपोर्ट में की गयी शिफारिशों के अनुसरण में, विचारणाधीन कैदियों के संबंध में जमानत के बारे में उपबंधों को उदार बनाने के लिए कुछ प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

5. 5 वर्ष अर्थात 1979-84 तक अतिरिक्त फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना के लिए 15 राज्यों को लगभग 24 करोड़ रूपये के सहायता अनुदान में से जिसकी सातवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी, वित्तीय सहायता दी जा रही है।

6. सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को छानबीन और जांच पड़ताल समय पर पूरा करने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के विभिन्न उपबंधों में छानबीन एवं जांच पड़ताल के लिए यथा निर्धारित सीमा का पूरी तरह पालन करने की बार बार सलाह दी गई है।

7. जेलों में विचारणाधीन कैदियों की मृत्यु के संबंध में यह कहा जा सकता है कि "जेलों" का विषय राज्य सूची में शामिल किया गया है। अतः जेलों का प्रसाशन और रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रसाशनों का है। राज्य जेल नियमावलियों में यह अपेक्षित है कि किसी कैदी की मृत्यु का कारण उचित रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए और किसी अप्राकृतिक मृत्यु के मामले में पूर्ण जांच की जानी चाहिए।

8. मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार विभिन्न राज्यों में विचारणाधीन कैदियों से संबंधित समस्याओं से पूर्ण रूप से अवगत है और उनके संबंध में कार्रवाई करने के लिए सभी संभव उपाय कर रही है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : उपाध्यक्ष महोदय : हम पैराग्राफ 2 से यह जान सकते हैं कि सरकार समस्या से अवगत है और स्थिति से निपटाने के लिए कुछ विशेष उपायों पर विचार कर रही है फिरभी मैं कहूँगा कि सरकार ने स्थिति की गंभीरता को कम करके आंका है जैसा कि वक्तव्य के पहले ही वाक्य में कहा गया है। "सरकार का इस बात की जानकारी है कि कुछ मामलों में विचारणाधीन कैदी लंबी अवधि तक जेल में रहते हैं।"

वास्तव में यह स्थिति की गंभीरता को कम करके बताने वाला वक्तव्य है जबकि हम इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णयों तभी उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए रहस्योद्घाटन का हवाला दे रहे हैं।

महोदय, उच्चतम न्यायलय ने पिछले महीने आठ कैदियों को रिहा किया जो कि 27 वर्षों से जेल में थे।

एक माननीय सदस्य : शर्म की बात है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : इन लोगों को 27 वर्षों तक विचाराधीन कैदियों के रूप में रखा गया। उन पर 1948 में मुकद्दमा शुरू हुआ और उन्हें मुकद्दमे का फैसला होने तक जेलों में भेज दिया गया; और अब तक उनके मुकद्दमों का फैसला नहीं हुआ है। इस बीच यह लोग जेल में बन्द रहे। इस प्रकार स्थिति इतनी भीषण है कि इन आठ व्यक्तियों में से, जिन्हें उच्चतम न्यायालय ने 13 मई को तुरंत रिहा करने के निदेश दिए हैं, एक व्यक्ति पर कोई भी आरोप सिद्ध न हो सका था। यह व्यक्ति गुलाम जिलेनी था। उच्चतम न्यायालय में यह मालूम पड़ा कि गुलाम जिलेनी पर किसी भी अपराध का भी आरोप नहीं लगाया गया था। उसे दिनांक 25 मार्च, 1968 को सब डीविजनल अधिकारी के आदेश के अंतर्गत हजारी बाग जेल में रखा गया और इस व्यक्ति को 1968 से अब तक बिना किसी अपराध के आरोप लगाए जेल में रखा गया। उसे अब न्यायालय के एक आदेश द्वारा रिहा किया गया है।

महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर भी दिलाना चाहता हूं जो कि उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए फैसले के कारण उत्पन्न हुआ है। महोदय, उच्चतम न्यायालय ने इस प्रश्न को अनुमति छोड़ दिया है कि क्या यह कैदी संविधान की धारा 21 के प्रतिकूल गैर कानूनी तौर पर बंदी बनाए जाने के कारण सरकार से मुआवजा प्राप्त करने के हकदार हैं।

अनेक माननीय सदस्य : हम सभी इसका समर्थन करते हैं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : कई स्थानों तक यह व्यक्ति जेल में रहे है। अब जबकि उच्चतम न्यायालय ने इन्हें 27 वर्षों तक जेल में रहने के बाद रिहा कर दिया है, मेरा कहना है कि यह इसका अंत नहीं है। मैंने मामले का विस्तारपूर्वक वर्णन नहीं किया है यह केवल एक उदाहरण है। पटना में. हिछले महीने भी, एक आदमी 37 वर्षों से जेल में बंद पाया गया। बरखूओबर नाम का एक व्यक्ति 37 वर्षों से जेल में था। उस पर सर्व प्रथम 1945 में मुकद्दमा चलाया गया। फिर उसे जेल में बंद कर दिया गया और उसके बाद हर आदमी उस मामले को भूल गया।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह व्यक्ति सरकारी सेवा में होता तो अब तक सेवा निवृत्ति हो चुका होता।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : हां, श्रीमान्, वह सेवा निवृत्त हो गया होता और पेंशन का हकदार होता।

इनमें से अधिकतर लोग लंबे समय तक जेल में रहने की वजह से विशिस्त हो गए हैं।

मैं सरकारी तौर पर देश को विभिन्न भागों से कुछ मामलों का उदाहरण दे रहा हूं। महाराष्ट्र के एक ग्रामीण श्री गम्भीर को मृत्यु दण्ड दिया गया। उस पर हत्या का आरोप था। तीन वर्षों तक वह फांसी के फंदे से बचा रहा। मई में, उच्चतम न्यायालय ने उसे इस अपराध से बरी कर दिया और मौत के फंदे से बचा लिया। उच्चतम न्यायालय ने उसके विषय में जो कहा उसे मैं उद्धृत कर रहा हूं— वह एक सम्माननीय नागरिक का" और उस पर लगाए गए आरोपों में कोई सच्चाई नहीं थी। फिर भी उस व्यक्ति को तीन साल तक काल कोठरी में रहना पड़ा। यह एक बहुत ही गंभीर स्थिति है।

माननीय मंत्री जी से मेरा पहला प्रश्न यह है कि विचाराधीन कैदियों को यह प्रश्न इस सदन में तभी दूसरे सदन में अनेक अवसरों पर उठाया गया। क्या सरकार ने आंकड़े एकत्रित किए? जब तक उन्हें स्थिति की गंभीरता का पता नहीं चलता तब तक समस्या का हल ढुंढ पाना कठिन है। राज्यवार और संघ क्षेत्र वार आंकड़े क्या हैं? यह राज्य का विषय है। क्या सरकार इस संबंध में कुछ करेगी, और निर्देश जारी करेगी?

एक और भीषण स्थिति उत्पन्न हुई है। यह बात अपराधियों से संबंधित है यह उन बाल अपराधियों के बारे में है जिन्हें जेलों में डाला गया है। यह मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया है। एक दस वर्ष का बालक रेल में बिना टिकट यात्रा करता पकड़ा गया। उसे जेल में डाल दिया गया। इस विषय में सबसे दुःखदायी बात यह है कि उसको जेल प्राधिकारियों तथा अन्य कैदियों द्वारा इतना सताया गया कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार के मामलों में सामान्यतया तर्क दिया जाता है कि राज्य सरकारों के पास बालकों के लिए रिमांड होम नहीं है। जहां तक बालकों का संबंध है यह महत्वपूर्ण है कि जेल अपराध सीखने की जगह न बन जाए। महोदय आप अनुभवी हैं और आप यह समझते हैं कि यदि एक बालक को जेल में बन्द किया जाए तो उसका सुधार नहीं होगा। वह वहां जाकर और भी विगड़ जाएगा। यदि वह वास्तव में बिना टिकट यात्रा करने का अपराधी या तो जब वह जेल से छूट कर बाहर आएगा तो वह अवश्य ही अपराधी बन जाऐगा।

जेल में इन बच्चों को सभी प्रकार के शारीरिक कदाचार तथा अन्य प्रकार की मारपीट की जाती है। क्या सरकार का विचार सुधार गृहों रिमांड होम की संख्या बढ़ाने तथा विशेष रूप से बच्चों के लिए पृथक जेलों के निर्माण करना है?

ध्यानाकर्षण में जेल में अनेक विचाराधीन कैदियों की मौतों का जिक्र भी किया गया है।

ऐसे बहुत से मामलों के बारे में खबरें छप चुकी हैं। मैं विशेष रूप से त्रिपुरा में घटित होने वाले मामलों, जिनका राष्ट्रीय तथा राज्य के स्थानीय समाचाचार पत्रों में खबरें छप चुकी है, का उल्लेख करना चाहता हूं। उदाहरण के लिए, त्रिपुरा के केवल एक प्रमुख दैनिक "दैनिक सम्बाद ने सचित्र खबर छापी है। उसमें चित्रों सहित बताया गया है कि जेल प्राधिकारियों द्वारा उपेन्द्र भौमिक नामक व्यक्ति को किस प्रकार मारा गया था। उसमें आरोप लगाया गया है कि जेल प्राधिकारियों द्वारा उसकी हत्या की गई है तथा शव-परीक्षा से यह पता चलता है कि उसके शरीर पर चोटों के निशान थे, अगरतला के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुकद्दमों की सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया था कि उक्त जेलर से को अगरतला सेन्ट्रल जेल से स्थानांतरित कर दिया जाये ताकि निष्पक्ष जांच की जा सके। परन्तु त्रिपुरा सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। वह इसमें बिलम्ब कर रही है तथा उन्हीं व्यक्तियों की उसी जेल में नियुक्त किये रहना चाहती है किसे विरुद्ध हत्या के आरोप लगाये गये हैं।

जेल में मृत्यु का प्रश्न किसी राज्य विशेष तक ही सीमित नहीं है परन्तु दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि राज्य सरकार ऐसे अधिकारियों का बचाव करने में तत्पर हैं तथा मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने इस मामलों के बारे में तथा त्रिपुरा में घटित हुए अन्य मामलों में क्या कार्यवाही की है जेलों में बलात्कार तथा हत्या के प्रत्यक्षदर्शी गवाह, मैडिकल रिपोर्ट तथा संबंधधित बयान आदि उपलब्ध हैं। यह सब समाचार पत्र अगरतला के दैनिक सम्वाद" समाचारपत्र में प्रकाशित हुआ है। दुर्भाग्य की बात है कि दोषी जेल अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के स्थान पर राज्य सरकार अपना चन्दा तथा विज्ञापन न देकर इस समाचार पत्र को न तंग कर रही है तथा मुझे पता चला है कि इस समाचार पत्र ने प्रेस परिषद से इस बारे में शिकायत भी की है। मैंने भी इस सम्बन्ध में प्रेस-परिषद से शिकायत की है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसकी जांच करेगी तथा ईस संबंध में उपलब्ध आवश्यक उपाय करेगी ?

पिछले काफी समय से हम यह सुनते आ रहे हैं कि भारत सरकार ने जेल सुधार समिति नियुक्त की है। प्रत्येक व्यक्ति तथा सरकार को यह पता है कि जेलों की स्थिति बिल्कुल असन्तोषजनक है तथा इसीलिए जेल सुधार समिति गठित की गई थी। कुछ समय पूर्व मार्च के आसपास माननीय मंत्री महोदय ने हमें बताया था कि जेल सुधार समिति ने गृह मंत्री को अपनी अंतरिम रिपोर्ट दे दी है; भूतपूर्व गृह मंत्री श्री जैलसिंह ने उस समय लोक सभा को बताया था कि वह रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। मैं इस रिपोर्ट की सिफारिशों तथा सरकार द्वारा की गई तत्संबंधी कार्यवाही के बारे में जानना चाहता हूं। मैं केवल इन्हीं प्रश्नों के बारे में सरकार से निश्चित एवं व्यापक उत्तर जानना चाहता हूं।

श्री निहार रंजन लास्कर : मैं समझता हूँ कि अपने मुख्य वक्तव्य में मैं कह चुका हूँ कि हम इन सब आंकड़ों का संकलन नहीं करते क्योंकि यह राज्य का विषय है तथा इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है परन्तु विभिन्न कारणों से उनकी भी अपनी कठिनाईयां हैं तथा उन्हें ये आंकड़े अपने राज्य की विभिन्न जेलों से प्राप्त करने पड़ते हैं अतः इन सब में कुछ समय लग ही जाता है। परन्तु मेरे पास जो भी तथ्य हैं, मैं सभा को उनके बारे में बताना चाहता हूं ताकि

इन सब आंकड़ों के बारे में सभा को जानकारी हो सके । मेरा विचार है कि आपने मुझसे देश की विभिन्न जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या के बारे में पूछा है तथा इस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरे पास 30.6.1981 तक के आंकड़े हैं तथा सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने -2 आंकड़े दे दिये हैं। 3-6-1981 तक देश की जेलों में विचाराधीन कैदियों की कुछ संख्या 93,311 थी तथा यदि आप राज्यवार ब्यौरा चाहते हैं, तो आपके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। आंध्र प्रदेश के लिए यह संख्या 2,414 ; असम के लिए 2,795 ; बिहार के लिये 7,514 ; गुजरात के लिए 1703 तथा हरियाणा के लिए 1,269 है। क्या मुझे इन सबका ब्यौरा देना चाहिए ?

एक माननीय सदस्य : जी हां, हम राज्यवार आंकड़े चाहते हैं।

श्री निहार रंजन लास्कर : ये आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

हिमाचल प्रदेश	127
जम्मू और कश्मीर	355
कर्नाटक	2.378
केरल	1,143
मध्य प्रदेश	8,553
महारष्ट्र	6,330
मणीपुर	429
मेघालय	172
नागालैंण्ड	219
उड़ीसा	4,765
पंजाब	2,867
राजस्थान	3,130
सिक्किम	37
तमिल नाडु	8,138
त्रिपुरा	332
उत्तर प्रदेश	17,822
पश्चिम बंगाल	8,216
अंडमान तथा नीकोबार द्वीप समूह	9
अरुणाचल प्रदेश	166
चण्डीगढ़	1,037

दादरा और नागर हवेली	4
दिल्ली	2,052
गोआ दमन और दीव	89
लक्षद्वीप	शून्य
मिजोरम	199
पांडिचेरी	46

जहां तक विभिन्न राज्यों में विचाराधीन कैदियों की मौत का संबंध है मेरे पास वे आंकड़े भी उपलब्ध है। मैं उनका भी राज्यवार ब्यौरा दे सकता हूँ।

जनवरी, 1981 तथा 31 मार्च, 1982 के दौरान जेलों में भरने वाले विचाराधीन कैदियों की संख्या भी हमें 28 राज्यों तथा संघराज्य क्षेत्रों से प्राप्त हो चुकी है। जैसा कि मैं कह चुका हूं हमें बिहार, जम्मू तथा कश्मीर और मध्य प्रदेश, से अभी रिपोर्ट नहीं मिली है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, अंडमान तथा निकोबार, द्वीप समूह अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़ दादरा तथा नागर हवेली, गोवा, दमन और दीव, लक्षद्वीप, मिजोरम तथा पांडिचेरी के 12 राज्यों में बताया है कि जेल में किसी भी विचाराधीन कैदी की मृत्यु नहीं हुई है। दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र सहित शेष 16 राज्यों में इस अवधि के दौरान 189 मौतें हुई है।

त्रिपुरा के संबंध में मेरे मित्र ने एक घटना का उल्लेख किया है। मेरा विचार है कि त्रिपुरा सरकार के साथ हमने वह मामला उठाया है। कुछ समाचार पत्रों में एक जेल में अप्रैल 1982 में तीन वार्डनों द्वारा अंजली नामक महिला के सामूहिक बलात्कार की खबर छपी थी। राज्य सरकार की दिनांक 29 जून, 1982 की रिपोर्ट के अनुसार 'हिंदुस्तान टाइम्स' में छपी खबर के आधार पर कानूनी सहायता समिति के सदस्य-सचिव ने उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर दी हैं। न्यायालय ने सुनवाई के लिए 19 जुलाई, 1982 की तारीख तय की है। तथा राज्य सरकार का वकील न्यायालय में उसकी पैरवी कर रहा है। राज्य सरकार की और आगे रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

प्रो. एन. जी. (गुंटूर) : जेलों में 189 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी !

श्री निहार रंजन लास्कर : हमें यही आंकड़े प्राप्त हुए हैं। जहां तक अपराधी बच्चों का संबंध है, तथा जिसके संबंध में इन्होंने सुझाव दिया है, हमने भी मामलों को राज्य सरकार के साथ बार-बार उठाया है। बहुत सी राज्य सरकारों के पास इन बच्चों के लिए कोई पृथक जेल नहीं है। परन्तु जहां संभव है, इन्हें पृथक जेल तथा संस्थाओं में रखा जाता है। जहां इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं हैं, वहां उन्हें मजबूरन एक ही जेल में रखना पड़ता है। तथापि उन्हें अलग स्थान पर रखा जाता है। हमने राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए हैं। तथा उन्हें इन मामलों के बारे में सूचित किया है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : ऐसा कब किया गया है।

श्री निहार रंजन लास्कर : हमें उनसे जानकारी प्राप्त करनी है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : जेल सुधारों के संबंध में क्या स्थिति है।

श्री निहार रंजन लास्कर : जैसा कि मैं इस सभा में तथा दूसरी सभा में पहले ही कह चुका हूं, मुल्ला समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट दे दी है। वह रिपोर्ट मुख्यतः तिहाड़ जेल के बारे में है। उक्त रिपोर्ट में की गई कुछ सिफारिशों पर क्रियान्वयन किया जा रहा है। वस्तुतः उनमें से कुछ क्रियान्वित भी की जा चुकी हैं।

पहली सिफारिश दिल्ली में जेलों की संख्या बढ़ाने के बारे में है। जेल में भीड़-भाड़ कम करने के लिए कैम्प जेल योजना जेल के द्वितीय चरण में 300 कैदियों के लिए अतिरिक्त स्थान उपलब्ध कराने की योजना की मंजूरी दी गई है तथा योजनागत आयोजन के अन्तर्गत 99,37, 972/-रु० की राशि स्वीकृत की गई है। तिहाड़ की सेन्ट्रल जेल को तीन जेलों में विभक्त करने के लिए योजनागत आयोजन के अन्तर्गत 46 लाख रु० की स्वीकृति भी दी गई है। शाहदरा में 78.62 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा16 फुट की चारदीवारी की निर्माण संबंधी अनुमति लागत तैयार की जा रही है।

दूसरी सिफारिश 3 वर्ष या इससे अधिक अवधि के सजायाफ्ता कैदियों को दूसरी जेलों में स्थानान्तरित करने के बारे में है। इस संबंध में भी कैदियों के स्थानांतरण के लिए हरियाणा सरकार के साथ व्यवस्था की गई है। इसके परिणारस्वरूप 158 कैदियों को अम्बाला तथा भिवानी जेलों में स्थानांतरित किया जा चुका है।

तीसरी सिफारिश पागल कैदियों को उनके मानसिक रोगों के इलाज के लिए शाहदरा के अस्पताल में स्थानांतरित करने के बारे में है। गैर-आपराधिक प्रकृति के कैदियों को तिहाड़ जेल से शाहदरा के पागलखाने में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

डिप्टी इंस्पैक्टर जनरल (जेल) दिल्ली की अध्यक्षता में एक बोर्ड गठित किया गया है जो कि सैन्ट्रल जेल तिहाड़ में विक्षित कैदियों के मामलों की पुनरीक्षा करेगा। सुपरिटेंडडेंट, चिकित्सा अधिकारी सैन्ट्रल जेल, तिहाड़ इस के सदस्य होंगे।

दूसरी महत्वपूर्ण सिफारिश वह थी कि विचाराधीन कैदियों और कम अवधि की सजा वाले कैदियों, किशोर अवस्था के अभियुक्तों और महिला कैदियों को अलग अलग रखा जाए। पुराने कैदियों और विचाराधीन कैदियों को अलग अलग रखने के लिए सैन्ट्रल जेल, तिहाड़ के तीन हिस्से करने की एक योजना को स्वीकृति मिल गई है। लोक निर्माण विभाग ने निर्माण कार्य भी प्रारंभ कर दिया है जिसके 31-3-1983 तक पूरा हो जाने की संभावना है। वर्ष 1982-83 के लिए बीस लाख रुपए की व्यवस्था की गई है।

दूसरी सिफारिश निर्धन कैदियों को मुफ्त कानूनी सलाह देने और विचाराधीन मामलों की लगातार पुनरीक्षा किए जाने की योजना से सम्बद्ध थी। दिल्ली प्रशासन के विधि विभाग द्वारा निर्धनों को मुफ्त कानूनी सलाह देने की योजना तैयार की गई है और उसे कैदियों के मामलों में भी लागू किया जहा है।

एक और सिफारिश भी की गई थी जिसके अनुसार मुख्यालयों में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की जाए एक पूर्वकालिक डी आई जी (जेल) की नियुक्ति की जाए। भारतीय प्रशासनिक सेना के वरिष्ठ वेतनमान, अर्थात 1200-2000 रुपये, जिसके साथ 150 रुपए प्रतिमाह-विशेष वेतन दिया जाता है, में डी आई जी (जेल) का एक पद बनाया गया है और उस पद पर नियुक्ति हो चुकी है।

इसी प्रकार की कई गई अन्य सिफारिशें भी है उन पर विचार करके उसे क्रियान्वित किया जा रहा है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, मैं 19 तारीख की राज्य सभा की डिबेट को देख रहा था लगता है कि एक बना बनाया जवाब रहता है, एक शब्द भी इधर उधर नहीं होता। राज्य सभा में जो जवाब दिया होगा तो निश्चित रूप से राज्य सभा के डिस्कशन के बाद सुझाव आये होंगे, बहुत सारी बातें आयी होंगी, लेकिन मैंने देखा एक शब्द भी हेरफेर नहीं हुआ है जो राज्य सभा में इन्होंने जवाब दिया है।...

श्री निहार रंजन लास्कर : फैक्टस दिये हैं।

श्री राम विलास पासवान : फैक्ट्स तो हैं, लेकिन बाद में सदस्यों ने और फैक्ट्स वहां जोड़े हैं। तो मंत्री महोदय, थोड़ा बहुत दिमाग खोल कर आपको रखना चाहिए, और नई बातों को जोड़ कर देना चाहिए।

श्री कमल नाथ झा (सहरसा) : आप तो फंसा रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : कमल नाथ जी, आप तो बहुत बार जेल जा चुके हैं।...

मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसको आप पढ़ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से पासवान जी मन की बातें ताड़ लेते हैं। आप समझ गए कि वह पूरी बात पहले से तय किए बैठे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मन की बातें ताड़ लेते हैं।

श्री रामवतार शास्त्री (पटना) : वह आपको सब बातें बता देंगे।

श्री राम विलास पासवान : मंत्री जी ने अपने जवाब में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो विचाराधीन कैदी उस सजा से अधिक अवधि के लिये बन्द हैं, उन्हें दोषी सिद्ध के मामले में दी जा सकती है, उन्हें तुरन्त रिहा किया जाये। क्योंकि इस तरह की नजरबन्दी अवैध है।

मैं आपका ध्यान कांस्टी टूयशन के आर्टिकल 21 की ओर खींचना चाहता हूं, इसमें लिखा है

"किसी व्यक्ति को अपने प्राण अथवा निजी स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य प्रकार वंचित न किया जाएगा।"

अभी हमारे माननीय साथी ने पटना का हवाला देते हुए कहा कि 37 साल से एक आदमी जेल में है। पहले जेल में कौन जाता है? 90 परसैंट लोग वह होते हैं जो गरीब हैं, उनको कोई देखने-सुनने वाला नहीं है। फिर कहीं भी क्राइम हुआ, उसको पकड़ कर जेल में बन्द कर दिया, सिर्फ खाना-पूर्ति के लिये। मैंने इस सम्बन्ध में एक किताब लिखकर गृह-मंत्री को भेजी है, स्पीकर साहब को भेजी है। हमने बताया कि हम मुजफ्फरपुर जेल में थे।

वहां हमने देखा कि हम लोगों के सामने ही रात को 9 बजे डकैती करने वाले कैदी को छोड़ दिया जाता था और 4 बजे सवेरे डकैती करवाकर उसको फिर बन्द कर दिया जाता था। डकैती तो हुई, लेकिन डकैती करने वाला जेल में बन्द है। उसकी जगह किस को पकड़ा जायेगा? उसकी जगह किसी निर्दोष आदमी को ही पकड़ा जायेगा। पुलिस भी जानती है इसे और जेल अथोरिटीज भी जानती हैं। उस निर्दोष आदमी पर जेल में यातनाएं भी होंगी और वह कैदी 37,38 साल जेल में भी बन्द होगा। जितने भी कैदी जेलों में जाते हैं, उनमें 90 परसैंट फर्स्ट टाइम निर्दोष जाते हैं।

दिल्ली का मामला है, किस को मालूम नहीं है कि थानों की नीलामी होती है। किस थाने में कौन अफसर जायेगा, कौन एस० पी०, एस० एच० ओ० जायेगा उसके लिये दाम बोला जाता है। क्यों क्रिमिनल थाने में अफसर जाना चाहते हैं, जब मालूम है कि क्रिमिनल एरिया है तो डर लगना चाहिये, लेकिन नहीं, वह जानते हैं कि अधिक हत्याएं और डकैती होंगी तो अधिक पैसा मिलेगा, इसलिये वहां जाते हैं।

हमारी मान्यता यही है कि जो जेल में पहले लोग जाते हैं, प्रायः निर्दोष होते हैं। 1970 में आन्दोलन के सिलसिले में मैं भागलपुर कैम्प जेल में था। बिहार में बक्सर के बाद उसी जेल का स्थान है, वहां दो बार गोली चल चुकी है। उस कैम्प जेल में एक डोम था, उसको सब हिटलर हिटलर कहते थे। मैंने उस हिटलर से पूछा कि तुम किस केस में बन्द हो तो उसने कहा कि हुजूर 109 या 110 में बन्द हूं। मैंने कहा कि कितने दिन से बन्द हो तो उसने कहा कि 14 साल से बन्द हूं। मैंने कहा कि क्यों बन्द हो तो उसने कहा कि एक बार शुरू में आया था, 2 साल के बाद जेल से निकल गया। जब मैं निकल गया तो जेल में हैजा फैल गया क्योंकि वहां पाखाना साफ करने वाला नहीं था। पुलिस ने कहा कि हिटलर को पकड़कर जेल में रखो। जब तक यह पाखाना रहेगा, हिटलर यहां सड़ता रहेगा।

मैं इसमें कास्ट सिस्टम नहीं जोड़ना चाहता हूं लेकिन जेल के आंकड़े आप देखेंगे तो पता चलेगा कि जेल में कौन सड़ रहा है? जिसकी कोई एप्रोच नहीं है, एक बार पकड़ा गया तो फिर जेल में ही रहेगा। मंत्री महोदय क्या इस बात को नहीं जानते हैं। मंत्री आज बने हैं, इसके पहले राजनीतिक कार्यकर्ता रहे होंगे, इनको अपने घर का गांव का क्या मालूम नहीं है कि पुलिस कैसे

फंसाती है ? हम सब को मालूम है कि पुलिस कैसे फंसाती है । एक जगह कोई फंस गया, उसको पकड़कर बन्द करना है, 10 जगह का केस उस पर लगाया जायेगा ।

अभी मैं कास्टीटुएन्सी में गया था मालूम हुआ कि एक हरिजन को क्योंकि नौकरी नहीं मिली थी, वह पंजाब चला गया, वहां मालिक से झगड़ा हुआ, कपूरथला में एक राइस मिल है, उसमें उसको मर्डर के केस में फंसा दिया गया । जो 5 रुपये दिन की मजदूरी नहीं कर सकता है, वह जेल में बन्द है, उसको छुड़ाने वाला कौन है ?

मैंने इस के बारे में होम मिनिस्टर को लिखा है । कोई उसे देखने वाला नहीं है । वह जिन्दगी भर जेल में ही सड़ता रहेगा । उसे कोर्ट प्रासेस का, कोर्ट के तरीकों का, पता नहीं है । कोई उसकी जमानत नहीं लेगा । उसके पास पैसा नहीं है । सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में कहा है कि धारा 107 के अधीन जिस आदमी को छः महीने या एक साल की सजा होनी है, उसे नौ दस साल तक जेल में सड़ते रहने का क्या औचित्य है ।

माया मैगाजिन में जेलों की स्थिति के बारे में लिखा है :—

"पीलीभीत के एक सम्पन्न परिवार के सदस्य हरवंश सिंह तथा उसके साथी जीत सिंह को 4 व्यक्तियों की हत्या के आरोप में 24 सितम्बर, 1973 को पीलीभीत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मृत्युदंड दिया । उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों की अपील खारिज कर सत्र न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा । सर्वोच्च न्यायालय ने 16 अक्तूबर, 1978 तथा राष्ट्रपति ने 8 नवम्बर, 1978 को फांसी की सजा की संस्तुति कर दी । उसके बाद दोनों की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में पुर्नविचार याचिका दाखिल की गयी, जिसे 23 जुलाई, 80 को रद्द कर फांसी पर लटकाये जाने का आदेश दिया गया ।

यह आदेश किन्हीं कारणों से जेल विभाग में ही दबा पड़ा रहा । बाद में 28 सितम्बर, 1981 का दिन दोनों को फांसी पर लटकाने के लिए निश्चित हुआ । जब यह आदेश बरेली केन्द्रीय कारागार, जहां दोनों बंद थे, पहुंचा, तो जेल अधीक्षक ने नियमानुसार फांसी की सजा देने वाली अदालत से वारंट भेजने को कहा । कहते हैं, हरवंश सिंह के परिवार वालों ने अदालत के कर्मचारियों को मिला लिया वहां से केवल जीत सिंह का ही वारंट आया और 28 सितम्बर, 1981 की सुबह जीत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया ।

अदालत से हरवंश का वारंट एक सप्ताह बाद 6 अक्तूबर, 1981 को जब बरेली जेल पहुंचा, तो जेल अधिकारियों ने सरकार से फांसी की नई तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया ।

जब तक सरकार नयी तिथि सूचित करती, इस बीच हरवंश सिंह के परिवार वालों ने एक बार पुन : सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी । इस बार उसकी याचिका का आधार फेडरल कोर्ट का एक निर्णय था, जिसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड के अंतिम आदेश के एक वर्ष के भीतर फांसी पर लटकाया नहीं जाता है, तो फिर उस व्यक्ति को फांसी नहीं दी जा सकती ।

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वाई० वी० चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय पीठ ने 21 अक्तूबर,' 81 को इस याचिका पर प्रारम्भिक सुनवाई की और उत्तर प्रदेश सरकार, सेशन न्यायाधीश पीलीभीत तथा सैंट्रल जेल, बरेली का नोटिस जारी कर फैसला होने तक उसकी फांसी स्थगित कर दी।

यह जीत सिंह का दुर्भाग्य था कि वह और उसके परिवार वाले गरीब थे, नहीं तो क्या कारण था कि हरवंश का सहअभियुक्त होते हुए वह तो फांसी पर चढ़ गया और मुख्य अभियुक्त की फांसी टल गई।"

पैसे और न्याय का एक दूसरे के साथ कितना मेल है, यह हम भलीभांति जानते हैं। इस मामले का एक पहलू तो यह है कि लोग कैसे जेल के भीतर जाते हैं और दूसरा यह कि जेल के अन्दर भी डिसक्रिमिनेशन है। हर जेल में दस पांच दलाल लोग होते हैं, जो पैसा लेकर कोई भी काम कर देते हैं। मुझे बताया गया कि मुजफ्फरपुर जेल में एक कैदी ने दो महीने में दो ट्रक खरीद लिए।

विचाराधीन कैदी को हम उसे बेचारा-अधीन कैदी कहते हैं, हैल्पलेस कैदी हर एक चीज के लिए घूस देनी पड़ती है। मैं जेल में कैदियों के सोने की व्यवस्था का उदाहरण देना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में अंडरट्रायल प्रिजनर्ज की संख्या बताई है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वहां पर जेलों में केदियों को रखने के लिए कैपेसिटी कितनी है। स्थिति यह है कि जहां 500 कैदियों की कैपेसिटी है, वहां 1500 कैदी रखे जाते हैं। जब मैंने पूछा कि आप लोग कैसे सोते हो, तो मुझे बताया गया कि शिफ्ट-वाइज सोते हैं: 12 बजे रात से 1 बजे रात तक एक शिफ्ट है और 1 बजे से 2 बजे तक दूसरी शिफ्ट है, कुछ लोग सोते हैं, तो दूसरे बैठे रहते हैं। सोने की सुविधा पाने के लिए घूस देनी पड़ती है। अगर कोई पैसा देगा, तो उसे सोने की जगह मिलेगी।

नहीं तो बैठने की भी जगह नही है। सोने की बात तो छोड़ दीजिए उसको बैठने की भी जगह नहीं है। जेल के अंदर सब से बड़े दुर्भाग्य की चीज है जहां किसी भी इंसान का रोयां कांप जाता है, जहां आप रोने लगेंगे, वह यह कि कैसे बेचारा जेल गया, कैसे उस को यातना दी गई, कैसे उस के हाथ पांव तोड़े गए। इन लोगों ने एक नया मेथड शुरू किया है। गोली मारने का या उत्तर प्रदेश में फेंक एनकाउन्टर के नाम पर गोली मारने का वह ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इस के क्यों कि उस में तो आप निर्दोष आदमी को सीधे गोली मार देते हैं लेकिन यहां बेचारे को बन्द कर के सोने नहीं दिया जाता है, खाने के नाम पर कंकड़ पत्थर दिया जाता है। 21 जूलाई के डा० ए यू आजमी के एक प्रश्न के उत्तर में इन्होंने कहा है तिहाड़ जेल के सम्बन्ध में कि पूरे केन्द्रीय जेल में 1379 विचाराधीन कैदी हैं और कैम्प जेल तिहाड़ में 518 विचाराधीन कैदी हैं। उन के कैद की अवधि 28-2-79 से आगे की है, अर्थात् उस से पहले से वे लोग जेल में रहते आ रहे हैं। इसी में इन्होंने कहा है कि क्या क्या जेल के अंदर फैसिलिटीज दी जाती है। मैं समझता हूं कि यदि कोई इस को देख ले तो यही कहेगा कि जेल स्वर्ग है। इन के अनुसार जेल में क्या है कि कैदियों के लिए अच्छा से अच्छा पानी।

भारतीय प्रशासिनिक सेवा में उप-महानिरीक्षक की नियुक्ति, सभी वार्डों में बिजली पंखे, केन्द्रीय जेल तिहाड़, नई दिल्ली में कैदियों के लिए टेलीविजन सेट, पुस्तकालय, केन्टीन, यह सब हम लोग पढ़ते-पढ़ते थक गए। ऐक्ट अलग होता है, फैक्ट अलग है। सभी जेलों में यही होता है। जेल का जो मैन्युअल है, उसके मैन्युअल को कोई देखे तो फर्स्ट क्लास का जो कैदी होता है उसके लिए नाश्ते में दो आना अभी भी लिखा हुआ है। अंग्रेज के जमाने की जेल, अंग्रेज के जमाने का जेलर और अंग्रेजी जमाने का जेल मैन्युअल और उस की यदि डायट को देखें तो मालूम पड़ेगा कि जैसे सौ बीघे का जोतदार भी उतना बढ़िया खाना नहीं खा सकता, लेकिन जेल में क्या होता है सारा का सारा खाना, सारा का सारा तेल, सारी की सारी चीज बाहर की बाहर ब्लैक में चली जाती है। उस में सब का शेयर बंधा हुआ है। मैं मिनिस्टर का नाम नहीं लूंगा। लेकिन स्टेट की आप जांच करवाइए, मिनिस्टर से लेकर नीचे को जो हैड कांस्टेबल और जमादार है, यहां से वहां तक, सब का शेयर बंधा हुआ है। मैंने मुजफ्फरपुर जेल के बारे में कहा, शंकर सिंह वहां पर एक जमादार है, उसके घर में रेड किया गया, डकैती का सामान वहां पकड़ा गया। वहां जेल के अन्दर हाई स्कूल चलता है। लेकिन हाई स्कूल के नाम पर क्या होता है? वहां पर वह करप्शन का अड्डा बना हुआ है, छोटे-छोटे बच्चों के साथ वहां बलात्कार होता है। वहां एक सत्यनारायण सिंह हैडमास्टर हैं, मैंने लिखा उन के बारे में। दूसरे कर्मचारियों का ट्रांसफर हो गया, लेकिन मैंने वहां जाकर देखा तो पता लगा कि वह दोनों जो मुख्य अभियुक्त हैं वह वहीं के वहीं बने हुए हैं और आज से नहीं बाबा आदम के जमाने से बने हुए हैं और रिटायर भी वहीं से होंगे।

जेल में जो कैदी हैं उन को खाने को नहीं मिलता है। उन्होंने बताया कि कितने लोगों की मृत्यु हुई...(व्यवधान)...मैं खत्म कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि तिहाड़ जेल में जिन कैदियों की मृत्यु हुई है सब की मृत्यु का कारण क्या रहा है। इन्होंने कहा कि किसी को बीमारी थी, किसी को कुछ था। लेकिन यह बात नहीं होती है। मंत्री महोदय जरा मानवता की दृष्टि से देखें वह उस परिवार से आए हैं जो गरीब परिवार है। जेल में सांप छोड़ा जाता है कैदियों को मारने के लिए क्योंकि जेल एथारिटी कहीं फसे नहीं मारने या गोली चलाने के जुर्म में, इसलिए जेल की सेल में सांप को छोड़ दिया जायगा और सवेरे कह दिया जायगा कि जेल में सांप निकला था और सांप ने काट लिया इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। कैदियों को मारते मारते मार दिया जाता है और लिख दिया जाता है कि इसकी नेचुरल डैथ हुई है। जेल का जो डायट है, उस के लिए जो दवा दारू है वह अगर उस को मिल जाय जो कैदी है, तो अस्वाभाविक मौत उस की नहीं हो सकती।...(व्यवधान)...

मैं यह कह रहा हूँ कि जेल में रहने के लिए कोई प्रबन्ध नहीं, सोने के लिए, पानी के लिए, खाने के लिए, किसी चीच के लिए प्रबन्ध नहीं है—ठीक है आप ने उसको बन्द कर दिया है लेकिन आप को यह राइट नहीं है कि जेल में जाकर आप किसी का जीवन ले लें। आप होम मिनिस्टर हैं,

मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस कस्टडी में कैदी क्यों मरते हैं? आपने कैदी पकड़ा, उसको आप कानून के सुपुर्द कीजिए लेकिन पुलिस एथारिटीज उसको थाने पर ही मार देती है हैं। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार से मरने वालों में सभी गरीब-गुरा लोग ही होते हैं। अभी चार

दिन पहले ही मुझे बतलाया गया कि लोग पुलिस को दो सौ रुपये देते हैं और कहते हैं कि इस आदमी के हाथ-पैर तोड़ कर निकम्मा बना दो। पुलिस के पास इतनी पावर्स हैं कि वह किसी भी निर्दोष आदमी को, उसके हाथ पैर तोड़कर निकम्मा बना देती है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में जो कुछ कहा है उससे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट और कुछ कर नहीं सकती है। इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने सबसे बड़ा मानवता का दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने साफ लिखा है कि इस प्रकार की नजरबन्दी अवैध है मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपके पास भी कुछ मानवता का दृष्टिकोण है या नहीं? आपने अपने बयान में कहा है :

"मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार विभिन्न राज्यों में विचारणाधीन कैदियों से संबंधित समस्याओं से पूर्ण रूप से अवगत है और उनके सम्बंध में कार्रवाई करने के लिए सभी संभव उपाय कर रही है"।

मैं समझता हूं मंत्री जी को यहां सदन में कह देना चाहिए कि वे दो-तीन महीने में सभी जगहों की लिस्ट बनवा लेंगे कि कितने लोग किस केस में बंद हैं जो उसकी अधिकतम सजा की अवधि को पार कर गए हैं और उनको छोड़ दिया जायेगा। इससे जेलों पर जो लोड है वह भी कम होगा और अननेसेसरीली किसी को बन्द नहीं रखा जायेगा।

जेलों में जाने के बाद कैदियों को जो यातनाएं दी जाती है उसके सम्बन्ध में मुल्ला कमेटी की रिपोर्ट है। (व्यवधान) मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कम से कम मानवता के नाते आप इतना न्याय कीजिए कि किसी अपराध के लिए जो अधिकतम सजा निर्धारित हो उससे अधिक समय तक किसी को नजरबंद न किया जाए। मैं समझता हूं इस सम्बन्ध में आप यहां पर किसी तिथि की घोषणा कीजिए कब तक आप ऐसी लिस्ट बनवा लेंगे और उनको छोड़ दिया जायेगा। आप गृह मन्त्रालय के सर्वोच्च पद पर हैं, क्या आप इस सदन को विश्वास दिलायेंगे कि निर्दोष लोगों को जेलों में बन्द नहीं किया जायेगा और जेलों में जाने के बाद जो कैदियों को यातनायें देकर बेमौत मारा जाता है उसको रोका जायेगा?

श्री निहाररंजन लास्कर : मेरे विचार से कि मेरे मित्र ने अधिक प्रश्न नहीं किए हैं। अन्य मुद्दों का उत्तर मैं बाद में दूंगा। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो यह है कि क्या विभिन्न राज्य सरकारें सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों को क्रियान्वित कर रही हैं या नहीं।

मैं सभा को पहले ही यह आश्वासन दे चुका हूं कि हमने विभिन्न राज्य सरकारों से कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-2 पर जारी किए गए विभिन्न विदेशों को वह क्रियान्वित करते हैं।

मैं इस माननीय सभा को पहले ही बता चुका हूं कि सरकार के प्रयत्नों और सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के कारण ही तीन वर्ष से अधिक के बन्दी विचाराधीन कैदियों की संख्या में धीरे-धीरे कमी आती जा रही है। उदाहरण के तौर पर :—

वर्ष	तीन वर्ष से अधिकर की अवधि से विचाराधीन कैदियों की संख्या
(1) वर्ष 1979 तक	1,730
(2) 30-6-1980	1,467
(3) 31-12-1980	1,301

हमें राज्य सरकारों से यह सूचना मिली है। विभिन्न राज्य सरकारें ही हमें इस विषय में सूचना देती हैं।

देश के सभी जेलों में तीन वर्ष से अधिक की अवधि से विचाराधीन कैदियों की संख्या 30-6-1981 के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 1264 हैं।

इस प्रकार आप देख सकते हैं कि तीन वर्ष से अधिक के विचाराधीन कैदियों की संख्यां कम होती जा रही है।

भारत सरकार के प्रयत्वों और विभिन्न राज्य सरकारों से हमारे पत्र व्यवहार तथा समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निदेशों के कारण ही ऐसा संभव हो गया है। यह संख्या कम हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : तीन वर्ष तक आरोप क्यों नहीं लगाया जाता है। तीन वर्ष तक उन्हें विभिन्न जेलों में विचाराधीन कैदियों की तरह क्यों रखा जाता है।

श्री निहार रंजन लास्कर : यदि आप मुझे कोई विशेष उदाहरण दें तो में उसके आंकड़े इकट्ठे करके सभा में प्रस्तुत करूं। ऐसे तो संभव नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : आपने कहा है कि तिहाड़ जेल में तीन साल से अधिक अवधि के 518 लोग हैं।

श्री निहार रंजन लास्कर : अपने केवल यही प्रश्न पूछा था यदि आप पूरे ही देश की स्थिति पर गौर करें तो ऐसी बात नहीं है कि देश में जेलों की क्षमता कम है। परन्तु कुछ राज्य एसे हैं जिनका जिक्र मैं यहां अवश्य करना चाहूँगा जहां जेलों की क्षमता से अधिक कैदी हैं ऐसे राज्य हैं बिहार, मध्य प्रदेश, मणिपुर उड़ीसा पंजाब सिक्किम, चंडीगढ़ और दिल्ली। चंडीगढ़ जेल में 31-12-1981 को कैदियों की संख्या 1,090 से घट कर 89 रह गई है। हमारे प्रयासों के कारण भी कुछेक जेलों में यह संख्या कम होती जा रही है। विभिन्न जेलों में स्थिति सुधारने के लिए भी हमने विभिन्न कदम उठाए हैं। अतिरिक्त जेल क्षमता के निर्माण के लिए हमने मध्य प्रदेश और बिहार को वित्तीय सहायता भी दी है। जैसा कि मुख्य प्रश्न के उत्तर में कह चुका हूं कि दिल्ली में 300 अतिरिक्त के कैदियों को रखने के लिए एक योजना स्वीकृत की जा चुकी है। दिल्ली में जेलों की क्षमता और संख्या बढ़ाने के कदम उठाये जा रहे हैं। साथ ही देश की

विभिन्न जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या कम करने के भी प्रयत्न किए जा रहे है । राज्यों को यह परामर्श दिया गया है कि समय समय पर सर्वेच्च न्यायालय द्वारा जारी निदेशों के परिप्रेक्ष्य में विचाराधीन कैदियों के मामलों की जांच की जाए और हमें यह सूचना मिली है कि विभिन्न राज्य सरकारें इन निदेशों को क्रियान्वित कर रही हैं । साथ ही हमने राज्य सरकारों को यह सलाह भी दी है कि वह यह सुनश्चित करें कि विचाराधीन कैदियों पर ज्यादती के तथाकथित विचार किया जाए और मामलों पर भी गंभीरता पूर्वक संबंधी कार्यवही कराई से की जाए । इसके लिए हमने उन्हें विभिन्न कदम उठाने के लिए कहा है और वह इन्हें क्रियान्वित कर रही हैं ।

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : उपाध्यक्ष महोदय, वाद-विवाद यद्यपि काफी जोर शोर से हुआ और मेरे मित्रों ने सुधार संबंधी व अन्य बातें काफी विस्तार से कही हैं । मेरा विचार है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए विशेष निदेशों के कारण ही विचारधीन कैदियों की अवस्था पर सरकार ने गंभीरतापूर्वक विचार किया है । सर्वोच्च न्यायालय से कुछ बातें कहीं हैं जो भारत सरकार के लिए मार्ग निदेश के समान हैं जिनके आधार पर भारत सरकार ने कुछ कदम उठाये हैं जिसका जिक्र अभी एक प्रश्न के उत्तर में किया गया था । मेरे मित्र कई बार इस प्रश्न को उठा चुके हैं और इस पर सभा में विचार विमर्श किया जा कुका है ।

मैं जो मुद्दा उठाना चाह रहा हूं वह उसका एक संवैधानिक पहलू है और विचाराधीन कैदीयों की कैद की अवधि से सम्बद्ध है । इतनी चेतखनियों, निदेशों और मार्गनिदेशों के बावजूद भी इस मुद्दे पर कई वर्षों से ध्यान नहीं दिया गया है और इसके परिणामस्वरूप विचाराधीन कदियों के साथ पक्षपात किया जाता रहा ग्रौर उनके साथ अमाननीय व्यवहार किया जाता रहा जिसके कारण उनकी मृत्यु भी हो गई तथा उन्हें यातनाएं भी दी गयीं । भारत सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में तीन कदम उठाए जाने चाहिए थे । इसमें किसी प्रकार की राजनीति शामिल नहीं है क्योंकि विभिन्न सरकारे बन चुकी हैं । पश्चिम बंगाल में तो विरोधी दल की सरकार सत्ता में है पश्चिम बंगाल में विचाराधीन कैदियों की अवस्था ग्रोर अधिक दयनीय है । वहां दूसरी सरकार सत्ता में है । इसलिए किसी भी सरकार के खिलाफ किसी प्रकार का आरोप लगाना ही बेकार है । प्रश्न तो यह है कि हमें वर्तमान व्यवस्था में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करना पड़ेगा तथा हमें यह देखना पड़ेगा कि विचाराधीन कैदियों को पूरा न्याय मिले । इसके लिए ऐसे सुधार करने की आवश्यकता है जिनके कि दूरगामी परिणाम हों । भारत सरकार ने कदम तो उठाए हैं । मुल्ला समिति व अन्य समितियां बनाई गई जिन्होंने अपनी सिफारिशें भी दी हैं । विधि आयोग की रिपोर्ट में भी कई उपाय सुझाए गए थे । इसलिए ऐसा नहीं है कि इसके लिए केवल पुलिस या गृह मंत्रालय ही जिम्मेदार हैं परन्तु न्यायिक प्रणाली और न्यायिक व्यवस्था भी जिम्मेदार हैं । हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस देश में विभिन्न न्यायालय हैं और विचाराधीन कैदी काफी समय तक कारावास में रखे जाते हैं और विचाराधीन कैदियों की व्यवस्था में पुलिस को दोषी ठहराया जाता है और पुलिस यह दोष न्यायालयों के सिरमढ़ देती है...

उपाध्यक्ष महोदय : यह बहुत अच्छा मुद्दा है ।

श्री के० लकप्पा : कभी कभी न्यायिक व्यवस्था में भर्ती भी नहीं की जाती है विभिन्न

राज्यों में कई स्थान खाली पड़े है। यहां तक कि निम्न स्तर के पद भी नही भरे जाते हैं। देश के विभिन्न राज्यों में कितने न्यायिक अधिकारियों की आवश्यकता है इसका न तो मूल्यांकन ही किया गया है न उनकी भर्ती ही की गई है। इसलिए इन सब अधिकारियों की अनुपस्थिति में जब कैदियों की संख्या में वृद्धि के कारण, साक्ष्य एकत्र करने, साक्ष्य लेने, साक्षियों को हाजिर करने में काफी विलम्ब होगा और इस अत्यधिक विलम्ब के लिए न केवल गृह मंत्रालय यही जिम्मेदार है वरन न्यायिक प्रणाली भी जिम्मेदार है।

यह हमारी न्यायिक पद्धति में कमी है जिसमें पूर्णरुपेण से सुधार की आवश्यकता है। अतः यह एक तरफ बात नहीं है क्योंकि हम गृह मंत्रालय को दोष नहीं दे सकते क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है। विभिन्न न्यायालयों तथा विभिन्न जांच न्यायालयों तथा न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश क्या है। यह इसलिए हो सकता है क्योंकि यह मानवीय पहलू है, कुछ सुधार आवश्यक है। न्याय प्रशासन में इस प्रकार के विलम्ब को गृह मंत्रालय द्वारा गम्भीरता पूर्वक नोट करना चाहिए।

पुलिस प्रणाली में निम्न स्तर के बारे में, साक्ष्य तथा गवाहियों और अन्य वस्तुएं प्रस्तुत करने में असाधारण विलम्ब होता है। यह भी भारतीय दंड संहिता की परिधि में आता है। अतः बनायी गयी प्रक्रिया में भी कुछ थोड़े सुधार करने की अत्यन्त आवश्यकता हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने एक बहुत ही अच्छी तथा पर्याप्त पृष्ठ भूमि तैयार की है। कृपया अब प्रश्न पूछिये।

श्री के० लकप्पा : श्रीमन मैं स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं क्योंकि हमें ये शिकायतें मिलती हैं कि पानी उपलब्ध नहीं है, बिजली उपलब्ध नहीं है दवाइयां उपलब्ध नहीं हों खाद्यान पर्याप्त नहीं हैं, खाद्यन घटिया किस्म के हैं इत्यादि इत्यादि। श्रीमन जेल नियमावली ब्रिटिश काल की है। अतः श्रीमन, क्या मैं उसे इस प्रकार दोहराता रहूं मैं इस मामले में श्री पासवान से ज्यादा बता सकता हूं। लेकिन ये सभी समस्याएं वहां है। लेकिन हमें जिस प्रश्न पर पहुंचना है। वह यह है...

उपाध्यक्ष महोदय : आप भी उसी प्रकार दोहरायेंगे यदि आप मेरी जगह हों।

श्री के० लकप्पा : जेल नियमावली के उपबन्धों क्या है। फिर जेल राज्य का निर्णय है और यह राज्य नियमावली में है अतः जेल नियमावलियों विनियमों निदेशों तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों में एक रुपे संहिता के कारण नहीं है। इन तीन विंगों को भी उचित ढंग से कार्य करना पड़ता है। अतः यह केवल इतना ही नही है प्रणाली कि जेल में ही सुधार करना आवश्यक है। लेकिन राज्य की जेल, न्यायपालिका तथा प्रशासन तीनों विंगों में सुधार करना आवश्यक है। अतः इन घटनाओं इन विचाराधीन कैदियों की विघट तथा दुखद घटनाओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए, हम यह जानते हैं कि हर एक सामान्य नागरिक है, अतः बहुत से उपयुक्त सुधार करना आवश्यक है। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन भी बहुत आवश्यक हैं क्योंकि सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों से अपराध घटते हैं। इसलिए सामाजिक-आर्थिक सुधारों को जल्दी

से कार्यान्वित करना भी बहुत आवश्यक है। इसके विचराधीन कैदियों में तथा उन्हें बिना आश्रय के खुली जेलों में रखकर और किसी अन्य प्रकार रखकर वृद्धि नहीं हो रही है। बंगलौर में हमारी एक सबसे अच्छी खुली जेल है। आपने शायद इसे देखा है यदि हमारे माननीय अध्यक्ष चाहते हैं तो मैं उन्हें वहां ले जा सकता हूं जहां कैदियों को खुली जेल में रखा जाता है और युवा मंच आयोजित किए जाते हैं और वे कृषि कार्य करते हैं और इसके अतिरिक्त दूसरे कार्य भी करते हैं क्योंकि कर्नाटक में वे बहुत सभ्य है। आप आकर देख सकते हैं और मैं सोचता हूं कि यह एक आदर्श है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप को भी मेरे साथ चलना चाहिए। तब ही मैं जाऊंगा।

श्री के० लकप्पा : अब श्रीमन, इस बात को ध्यान में रखते हुए, मैं यह कहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर उस निर्णय के लिए पर्याप्त नहीं है जो कि बहुत गम्भीर है।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इन तीनों विगों पर ध्यान केन्द्रित करने कुछ समाधान निकालने तथा कुछ सुधार करने के विचार से अखिल भारतीय आधार पर कुछ मार्गदर्शन देंगे और मैं भी यह जानना चाहता हूं कि क्या वह न्याय देने के खिए सुधार की कुछ एक रुप पद्धतियां लायेंगे उसके द्वारा ऐसा वातावरण पैदा होता है कि विचाराधीन कैदियों सहित देश के प्रत्येक नागरिक को न्याय मिलता है। क्या माननीय सदस्य हमें यह अश्वासन देने की कृपा करेंगे कि वह इन विगों का ढांचा पुन: बनाने के बारे में एक महत्वपूर्ण सुधार लायेंगे जो इस देश में जेलों में रहने वाले विचाराधीन कैदियों को राहत पहुंचाने के लिए बहुत आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, मंत्री महोदय, उन्होंने आप के कार्य को बहुत आसान कर दिया हैं।

श्री निहार रंजन लास्कर : श्रीमन, इस विषय का सम्बन्ध मुख्य रुप से राज्य सरकारों से है। फिर भी हम इस समस्या की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं हमें भी इसकी चिन्ता है। वह राज्यों की जेल नियमावलियों के बारे में बोल रहे थे। समय-समय पर राज्य सरकारें अपनी जेल नियमावलियों में भी संशोधन करती हैं। ऐसा नहीं हैं कि वे इस ओर ध्यान नहीं देती हैं। केन्द्रीय सरकार की भी एक आदर्श जेल नियमावली है जिसे वर्ष 1964 में विभिन्न राज्य सरकारों को भेजा गया था। उन्हें इस आदर्श नियमावली के आधार पर अपनी-अपनी नियमावलियों में संशोधन करने की सलाह दी गई है।

वस्तुत: तीन चार राज्यों ने आदर्श नियमावली में दिए गए मार्शदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अपनी अपनी नियमावलियों में संशोधन कर लिए हैं। विभिन्न राज्य सरकारें ऐसा करने जा रही है। इन तरीकों से हम यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि नियमावलियों को पूरा कर लिया गया है। नजरवन्दी की अवधि को कम करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के संबंध में वह हमें कुछ मुद्दे वता रहे थे।

भारत सरकार ने भी विभिन्न कदम उठाए हैं। मुझसे पूछे गए प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में

मैंने वहां कहा है। मैं दो या तीन मुद्दे और बढ़ाना चाहता हूँ यह सुनिश्चित करने के लिए कि विचाराधीन कैदियों को अनिश्चित काल तक जेलों में कैद नहीं रखा जाता हैं। इस संबंध में एक या दो उदाहरण दे सकता हूं। सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों को समय-समय यह उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए विचाराधीन कैदियों के मामलों की जांच करने तथा निम्नलिखित बातों की सुनिश्चित करने के लिए सलाह दी गई।

(क) जो विचाराधीन कैदी सजा की उस अवधि से भी ज्यादा अवधि से कैद है जो उन्हें दोष सिद्ध होने पर भी दी जा सकती है उन्हें तत्काल रिहा कर दिया जाए क्योंकि इस प्रकार की कैद अवैध है और इसके संविधान अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता हैं।

(ख) उन सभी विचाराधीन कैदियों को जिन पर जमानती अभियोग लगाए गए हैं लेकिन वे शायद इस कारण से अभी तक जेल में है कि उनकी ओर से जमानत के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है अथवा वे इतने निर्धन है कि वे अपनी जमानत कराने में असमर्थ है उनके मामलों पर उनकी रिहाई के लिए व्यक्तिगत वार्ड पर विचार किया जाना चाहिए ; और

(ग) जिन विचाराधीन कैदियों को उस सजा की आधी से भी ज्यादा सजा मिल चुकी है जो न्यायालय द्वारा दी जा सकती थी, उनके मामलों पर उनकी रिहाई के लिए व्यक्तिगत वांडों के उन पर विचार किया जाए और उनके किए वकील भी उपलब्ध कराए जाये।

(दो) दंड प्रक्रिया संहिता के विभिन्न उपबंधों में निर्धारित अन्वेषण तथा जांच के लिए समय सीमा का सख्ती से अनुपालन करने के लिए सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों को कई बार "कहा गया है।"

हमारे विधि आयोग को भी भेजा है और उन्होंने अपनी 78 वी रिपोर्ट में कुछ सुझाव दिये हैं जिनकी हम जांच कर रहे हैं और जांच के पश्चात हम उन्हें कार्यान्वित करने की कोशिश करेंगे। वह देश के न्यायालयों की कमी के बारे में भी कह रहे थे। यह भी सच है। इसलिए केन्द्र सरकार सातवे वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए गए लगभग 24 करोड़ रुपये के अनुदान में से आंध्र प्रदेश असम बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल आदि 15 राज्यों को पांच वर्षों अर्थात 1979-84 की अवधि में 538 अतिरिक्त दंड तथा सिविल न्यायालयों की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता दे रही हैं।

केन्द्रीय सरकार ये विभिन्न कदम उठा रही है। मैं विभिन्न राज्य सरकारों से केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गए मार्ग दर्शी सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने के लिए कहा रह हूं। अत: श्रीमन, हम उन समस्याओं से पूरी तरह आवगत हैं। हम सभी प्रकार की सावधानियां करते रहे हैं जिससे इन कैदियों की संख्या कम हो सके।

———

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1982-83

उपाध्यक्ष महोदय : अब, अनुदानों की पूरक (सामान्य) मांगों पर चर्चा होगी। श्री मुखर्जी।

वित्त मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं 1982-83 के बजट (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी रुपांतर) प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन 14.20 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होता है।

(तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.20 म० प० तक के लिए स्थगित हुई)

(मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.25 बजे म० प० पुनः समवेत हुई)

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बैंकों द्वारा जवाहरात और स्वर्ण आभूषणों पर उधार देने की प्रथा

श्री एन० डेनिस (नागरकोइल) : नियम 377 के अन्तर्गत मैं निम्मलिखित वक्तव्य देना चाहता हूँ ;

राष्ट्रीय कृत बक और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा आभूषणों और सोने के गहनों की प्रतिभूति पर ऋण देना बन्द करने के कारण से गरीब लोगों के बहुमुखी आर्थिक और सामाजिक कार्यों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। जो लोग अपनी दैनिक आजीविका कमाने के लिए छोटे धन्धों और व्यापार में, लगे हुए है उन लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है, और उनको आपने दैनिक छोटे-मोटे कार्य करने में बहुत कठिनाई होती है। खेतीहरों और समाज के अन्य गरीब वर्गों का भी यही हाल है। अब उनके पास शोसक महानता के चगुंल पड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है जो उनसे अत्यधिक ब्याज वसूल करते हैं। ऋण देने का यह मार्ग वटुकले से उनकी कठिनाई और तकलीफ बढ़ी है। अब तक, अपनी तुरन्त और बहुत जरूरी वित्तीय आवश्यकताओं के समय, यह व्यवस्था उनकी वित्तीय समस्याओं के समाधान के लिए संरक्षण और सहत का आसान साधन थी। अब वे बहुत दुःखी और हतोत्सहित हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि कई आम लोगों को कठिनाइयों पर गम्भीरता से विचार करना और आभूषणों और सोने के गहनों के एवज में ऋण देने के लिए फिर से उपयुक्त आदेश शीघ्र पारित करे।

(दो) लद्दाख के लोगों की मांग स्वीकार करने की आवश्यकता

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत, लद्दाख की परिस्थिति पर मैं निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूं :—

लद्दाख के लोग जिसमें प्ररुष महिलाएं और युवक हैं शामिल अपनी उचित मांगों को मनवाने के लिए पिछले छः महीनों से अधिक समय से 48 घंटे के क्रमिक धरने पर बैठे हैं। उनकी मांगों में लद्दाख के निवासियों को अनुसूचित जनजाति घोषित जम्मू तथा कश्मीर राज्य संविधान के ढांचे के भीतर वित्तीय मामलों के संबंध में क्षेत्रीय स्वायन्तता प्रदान करना, क्षेत्र की व्यापकता को ध्यान में रखकर दो विधान सभाई निर्वाचन क्षेत्र की सीमा को बढ़ाकर 7 निर्वाचन क्षेत्र बनाना और 24 जनवरी, 1982 को हुए पुलिस के अत्याचारों और निर्दोश लद्दाखी लोगों की हत्याओं के लिए न्यायिक जांच करवाना शामिल हैं।

हाल ही में लद्दाख के साधारण, शांतिप्रिय और स्वाभिमानी लोग भी अत्यन्त निराश हो गए हैं क्योंकि लद्दाख एकशन कमेटी को किए गए वायदों को पूरा नहीं किया गया हे।

मैं एक बात पूनः दृढ़ता से कहता हूँ कि लद्दाख के लोग जम्मू और कश्मीर राज्य का अभिन्न अंग बना रहना चाहते है और निस्संदेह उसकी एकता और अखण्डता को सम्मान, स्वाभिमान और प्रतिष्ठा के साथ समान हिस्सेदार के रूप में मजबूत करना चाहते हैं, न कि द्वितीय श्रेणी के नागरिक के रूप में।

तथापि मानव की सहनशक्ति की सीमा होती है। लद्दाख के लोगों की सहनशक्ति अब चरमसीमा तक पहुंच गई है।

प्राधिकारियों पर इस छः मास के शांतिपूर्ण आन्दोलन और क्रमिक धरने का कोई असर नहीं पड़ा है। लद्दाख एक्शन कमेटी ने अपने "जुलाई, 1982 को पारित प्रस्ताव में प्रधिकारियो से उनकी पिछली मांगें पूरी करने और पेय जल आपूर्ति जैसी न्यूतनम सुविधाओं और लेह नगर की न्यूतनम स्वास्थ्य और सफाई संबंधी आवश्यकताओं को 7 दिन के भीतर पूरा करने की पुनः मांग की है इन मांगों के पूरा न करने पर लद्दाख एक्शन कमेटी को मजबूर होकर अपने आंदोलन और धरानों को बढ़ाना पड़ेगा और मूख हड़ताल करेनी पड़ेगी।

मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह इस मामले में हस्तरोप और प्रधिकारियों को दो वर्ष पूर्व किये गये वायदों को पूरा करने के निदेश जारी करें और अतिसंवेदन शील सीमावर्ती जिले में उपद्रव न होने दें। इसके दूरगामी परिणाम हो सकते है जो राष्ट्र के हित में नहीं हैं।

धन्यवाद।

(तीन) उत्तर प्रदेश के सूखा पीडित 8 पर्वतीय जिलों को सहायता देने की आवश्यकता

श्री हरीश रावत (अलमोड़ा) : मान्यवर, मानसून के समय पर न आने के कारण देश के कई भाग सूखे की भयंकर चपेट में हैं। उत्तर प्रदेश के 8 पर्वतीय जनपद विगत 3 वर्षों से भयंकर रूप से सूखे से प्रभावित हैं। एक तो इस क्षेत्र में फसल यूं ही कम होती है, सूखे

के कारण मात्र 25 प्रतिशत फसल ही हो पा रही है, फलों की फसल भी ओलों से लगातार नष्ट होती जा रही हैं खेतों में कुर्सुला नामक फसल नाशक कीट का भयंकर प्रकोप फैला हुआ है। इस सब का कारण लगभग तीन वर्षों से समय पर वर्षा का न होना है। यहां 95 प्रतिशत खेती वर्षा पर आधारित है। ढालदार सीढ़ीनुमा खेत वर्षा का अभाव फसल नाशक कीटों का प्रकोप तथा सिंचाई साधनों का प्रायः न होने के कारण किसान भुखमरी की चपेट में है।

इस स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने स्थानीय प्रशासन की सिफारिश पर केन्द्र सरकार से इस क्षेत्र के विकास खंडों को सूखा पीडित क्षेत्र प्रोग्राम के अंतर्गत इनका चयन करने का अनुरोध किया है। इस संदर्भ में आवश्यक अनुशंसा हेतु जो कार्यदल गठित किया गया है उसकी बैठक में कार्यदल के एक सदस्य द्वारा इस क्षेत्र में विद्यमान परिस्थितियों को देखते हुए यहां के विकास खंडों का भी सूखा पिडित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत लिए जाने की सिफारिश की। लेकिन कार्यदल के सचिव, जिनका रुख उत्तर प्रदेश के प्रति हमेशा उपेक्षापूर्ण रहा है, उनके इस कथन पर कि इस क्षेत्र के लिए कोई अन्य व्यवस्था हो जायेगी, इस क्षेत्र को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित करने की अनुशंसा नहीं की गई है जब कि कोई अन्य वैकल्पिक कार्यक्रम इस क्षेत्र के लिये कृषि मंत्रालय के पास नहीं है। नया कार्यक्रम बनाने में कई वर्षों का समय लगने की संभावना है। इस क्षेत्र को तत्काल राहत की अवश्यकता है।

अतः मेरा माननीय कृषि मंत्री जी से प्रबल आग्रह है कि उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़, अलमोड़ा, चमेली, पोडी, उत्तर काशी तथा टिहरी जनपदों के विकास खंडों को तत्काल डी० पी० ए० पी० के अन्तर्गत सम्मिलित किए जाए।

धन्यवाद।

(चार) छात्रों द्वारा नशीली औषधों के सेवन को रोकने की आवश्यकता

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मान्यवर, देश के भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों में नशे के तरन्नुम में जूझती जिन्दगी आज समाज में नजर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की एक समित का गठन सन् 1980 में किया गया था जिसकी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय विश्वविद्यालयों में 39.9 प्रतिशत नशीले पदार्थ के सेवन में संलग्न हैं। इसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत 20.9 प्रतिशत "पैन किलर" (दर्द दूर करने वाली गोलियां) खाने वालों का था। उसमें 12.2 प्रतिशत शराब पीने वालों का और सबसे कम प्रतिशत पेथेड्रिन एवं एल० एस० डी० लेने वालों का था। गत दसवर्षों में यह नशाखोरी 5 प्रतिशत बढ़ गई है। वैसे हमारे विश्वविद्यालय और खासतौर से वाराणसी विश्वविद्यालय के 35 प्रतिशत छात्र और 15.35 क्षात्रायें एक से अधिक बार नशीली वस्तुओं का स्वाद ले चुकी हैं। क्षात्राओं में दर्द नाशक दवाओं का प्रचलन अधिक है। पब्लिक स्कूलों में लड़कियों की संख्या नशा लेने की ज्यादा है। पादक द्रव्यों का सेवन करने वाले छात्रों में लड़कों का 31.3 प्रतिशत जब कि लड़कियों का 50.3 प्रतिशत है। यही दशा देश के तकनीकी शिक्षा केन्द्रों और मेडिकल कालेजों, इंजीनियरिंग कालेजों व अन्य प्रकार की शिक्षा संस्थाओं की भी है। सरकार को और खासतौर से शिक्षाविभाग का ऐसे कारगर कदम उठाने चाहियें ताकि नशीली और मादक दवाओं का प्रचालन छात्रा और छात्राओं में रोका जा सके।

(पाँच) सूखा, देर से वर्षा आदि को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को केन्द्रीय सहायता

श्री सत्य गोपाल मिश्र (तामलुक) : मानसून के आने में देरीं होने के कारण सारे देश पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है और इसमें पश्चिम बंगाल राज्य भी शामिल है।

गत वर्ष पश्चिम बंगाल के खेती हरों की फसलें, सूखे 'टंगरो वाइरस' और कई वार अन्धड़ और तूफान आने के कारण बिल्कुल नहीं हुई। इस वर्ष पश्चिम बंगाल के लोग ग्रीष्म ऋतु के दौरान पहले से ही सूखे से पीड़ित हैं। अब राज्य में एक और सूखा पड़ने वाला है। पश्चिम बंगाल के 16 जिलों में से 12 जिलों में वर्षा की कमी के कारण राज्य की प्रमुख फसल धान को काफी खतरा हो गया है। अन्य जिले भी भयानक बाढ़ से पीड़ित हैं।

आमतौर पर पश्चिम बंगाल में खरीफ की बुआई जुताई के अन्त तक और अगस्त के शुरू-2 तक चलती है। परन्तु यह देखने में आया है कि बहुत से इलाकों में धान के खेत बुवाई या पौध लगाने के लिए अभी तैयार नहीं है और अधिक घबराने वाली बात यह है कि बंगाल के ग्रामीण इलाकों में खरीफ की बुवाई किए गए खेत पहले से ही वेकार हो गये हैं और यदि इस सप्ताह में भी बारिस नहीं आई तो अन्य इलाकों में भी खेतों को बचाया नहीं जा सकेगा। पहले जिसे 'अमन' कहते थे, जिससे यहां 'औस' धान कहा जाता है, और पटसन पर पहले ही बहुत बुरा प्रभाव पड़ा हैं।

इस समय राज्य के कृषि मजदूर के पास काम नहीं है और पश्चिम बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न होने वाली है।

वाम पंथी सरकार के अपने सीमित साधनों से स्थिति का सामना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। परन्तु कोई भी राज्य सरकार अकेली इस भयानक समस्या को हल नहीं कर सकती।

अत:एव् मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूं कि वह राज्य सरकार की सहायता के लिए आगे आए ताकि स्थिति पर काबू पाया जा सके।

मैं सुझाव देता हूँ कि इस भयानक परिस्थिति में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम तत्काल उठाए जाने चाहिए :—

एक) जन वितरण प्रणाली को कारगर बनानें के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त मात्रा में भेजा जाए ;

(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय हिस्से के अनाज तत्काल दिया जाए ;

(तीन) राज्य सरकार को उसकी आवश्यकता के अनुरूप आर्थिक तथा अन्य प्रकार की सहायया दी जाये ;

(चार) खेतीहरों से बैंक ऋणों की वसूली अस्थाई तौर पर बंद कर दी जानी चाहिए और उक्त ऋणों का ब्याज मांफ किया जाना चाहिए ;

(पांच) आपातकालीन आधार पर काम के बदले अनाज कार्यक्रम फिर से चालू किया जाना चाहिए ।

(छः) पटना में गुलजार बाग के निकट गंगा नदी पर पुल बनाने के लिए बिहार सरकार को सहायता

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, पटना में गुलजार बाग के निकट गंगा नदी पर गांधी सेतु के निर्माण के फलस्वरूप बिहार की जनता को भारी लाभ पहुंचा है । बस यात्री दो और तीन घंटों के अन्दर पटना से मुजफ्फरपुर, छपरा, मोतीहारी तथा दूसरे शहरों की यात्रा कर लेते हैं ।

जब एक ओर पुल के निर्माण से बिहार के और खासकर उत्तर बिहार के विकास का मार्ग खुल गया है, तो दूसरी ओर पटना नगर में यातायात की भीषण समस्या उत्पन्न हो गई है । ट्रंकों, बसों, रिक्शों तथा दूसरी सवारियों के रेलपेल के चलते पटना शहर की सकरी सड़कों पर आम नागरिकों का चलना मुश्किल हो गया है । बहुधा रास्ता भी जाम हो जाता है, जिसे साफ करने में काफी समय लग जाता है । कहने का अर्थ कि पटने की सड़कों की जो क्षमता है, उससे कई गुना अधिक यातायात बढ़ गया है । इस समस्या पर पुल-निर्माण के समय ही विचार कर कोई योजना बनाने की आवश्यकता थी । पर इस महत्वपूर्ण सवाल पर विचार नहीं किया गया, वरना आज जैसी भयावह स्थिति उत्पन्न नहीं होती ।

अभी भी इस समस्या का निदान निकालने की आवश्यता है । ऐसा किए वगैर पटने में यातायाय की अराजकता को रोकना संभव नहीं होगा । इस लिए सरकार को नई सड़कों को निर्माण, पुरानी सड़कों को चौड़ा करने, ओवर प्लाई बनाने, रेल की गुमटियों पर ऊपरी पक्का पुल बनाने, यातायात को सुचारू रूप से चलाने आदि की व्यवस्था सम्बन्धी कदम यथाशीघ्र उठाना होगा ।

परन्तु इतना बड़ा काम केवल राज्य सरकार से पूरा नहीं हो सकेगा । इसके लिए भारत सरकार को पूरी मदद करनी होगी, क्योंकि इन कामों को पूरा करने के लिए करोड़ों रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी । इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध होगा कि राज्य सरकार को पर्याप्त आर्थिक सहायता देकर पटना नगर में उपस्थित यातायात समस्या का समाधान निकाले ।

(सात) रामेश्वरम और कोलम्बो के बीच अतिरिक्त स्टीमरों तथा तूतीकोरिन और कोलम्बो के बीच नई स्टीमर सेवा की आवश्यकता

श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम (तिरुनेलवेली)* : आज, भारत में रामेश्वरम और श्री लंका में तलैमान्नार के बीच केवल एक स्टीमर 'एस० एस० रामानुजम' चल रहा है । गत 50

*तमिल में दिये गये अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी में स्थान्तरण

वर्षों के दौरान, दोनों देशों के बीच सप्ताह में केवल एक स्टीमर आता जाता रहा है। लोग और दोनों देशों के अधिकारी महसूस करते हैं कि यह परिवहन सुविधा अपर्याप्त है; और वह भी ठीक तरह से नहीं चल रही है। हर वर्ष, दोनों देशों के बीच पर्यटक यातायात बढ़ रहा है। मुझे जो आंकड़े प्राप्त हैं उनके अनुसार, 1979 में 10000 पर्यटक थे 1980 में यह संख्या 18,000 हो गई और 1981 में पर्यटकों की संख्या बढ़कर 30,000 तक हो गई इस वर्ष,30 जून तक वीसा के लिए आवेदकों की संख्या 40000 तक हो गई है। चूंकि पर्यटक यातायात 200' तक बढ़ गया है इसलिए केवल एस० एस० रामान्नजम स्टीमर इसकी व्यवस्था नहीं कर सकता। हवाई जहाज से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या बहुत कम है।

भारत में तूतीकोरिन से सीधा कोलम्बो जाना आसान है। इसलिए, लोगों को रामेश्वरम से तूतीकोरिन जाना पड़ता है और वहां से गाडी द्वारा कोलम्बो जाना पड़ता है। भारत से 90% पर्यटक सीधा कोलम्बो जाना चाहते हैं। तूतीकोरिन और कोलम्बो के बीच सीधी सेवा होनी चाहिए, और सरकार को तत्काल इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। यदि कोई प्राइवेट नौवहन का मालिक इस सेवा को चलाने के लिए आगे आता है, तो सरकार द्वारा उसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

श्रीभाओ-शास्त्री समझौते के अनुसार, आजकल स्टीमर एस० एस० रामानुजम पर्यटकों की अपेक्षा कोलम्बो से रामेश्वर तक राज्यविहीन लोगों को अधिक संख्या में ले जाता है। श्री लंका में आने वाले विदेशी पर्यटक भारत आने के बहुत उत्सुक होते हैं, और उनको सुविधा देने के लिए, तूतीकोरिन से कोलम्बो तक सीधी सेवा होनी चाहिये।

(आठ) जौनपुर में केन्द्र द्वारा उद्योग स्थापित किये जाने की मांग

डा० ए यू आजमी (जौनपुर) मिस्टर स्पीकर, सर, रूल 377 के तहत में सरकार की तवज्जुह अपने क्षेत्र जौनपुर की गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन की तरफ दिलना चाहता हूँ।

विशाल भारत के कई पिछड़े प्रदेशों में उत्तर प्रदेश एक पिछड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश और भी पिछड़ा हुआ है। इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए जिलों में मेरा क्षेत्र जौनपुर अपनी बदकिस्मती को रो रहा है। जौनपुर का पिछड़ापन, गरीबी, बेकारी और बेरोजगारी तो अपनी आखिरी सरहदों को छू रहे हैं।

यह गरीब और बेरोजगारी जनता जब सरकार बनाने के लिए अपने नुमाइंदे चुनती है, तो यह सोच कर चुनती है कि सरकार हमारी गरीबी और बेरोजगारी दूर करने के लिए कोशिश करेगी। लेकिन आजादी के बाद से आज तक सरकार ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, जिससे उत्तर प्रदेश के इन पिछड़े जिलों खास तौर पर जौनपुर की जनता की गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ापन दूर हो सके या दूर होने में मदद मिल सके।

मैं सरकार से पुरजोर मुतालिबा करता हूं कि जौनपुर में कोई सेन्ट्रल इंडस्ट्री कायम की जाए, जिससे जौनपुर के लोगों को काम मिल सके। इस तरह जौनपुर के लोगों की गरीबी बेरोजगारी और पिछड़ापन दूर होने में किसी हद तक मदद मिले सकेगी।

(नौ) मध्य प्रदेश में नारू रोग को रोकने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

डा० वसंत कुमार पंडित (राजगढ़) : मैं सरकार का ध्यान जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा मध्यप्रदेश में किए गए हाल के सर्वेक्षणों की ओर दिलाना चाहता हूं जिनसे घातक ट्रोमिकल मुनिया वोर्म (नहरुआ) के महामारी के रूप में फैलाने का पता चलता है। बहुत वर्षों से, यह रोग मध्यप्रदेश में फैला हुआ है, विशेषकर पिछड़े हुए ग्रामीण इलाकों में, इस खतरे को निर्मल करने के लिए राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। इसके विपरीत ग्रामीण स्वस्थ्य की अवहेलना की गई है। इस के परिणामस्वरूप गुनिया कीड़ा का संक्रमण तेजी से फैला है। यह देखा गया है कि, विगन में, मध्यप्रदेश में 'नारु' या 'नाहरआ' के महामारी के रुप में फैलाने पर भी इस महामारी को रोकने के लिए जन स्वास्थ्य प्राधिकारियों की आंखें नहीं खुलीं।

नारु मनुष्य और पशुओं की त्वाचा में संक्रमण करता है, और अंत में रोगी और पशु को अपंग बना देता है। यह संस्पर्शी है और गुनिया-प्रभावित कुए के पानी से पैदा होता है, इस प्रकार इससे सारा गांव पीड़ित हो जाता है। विशेष रूप से, सीढ़ी वाले कुओं की तत्काल सुरक्षा की जानी चाहिए।

नारु महामारी के फैलने से मध्यप्रदेश के गूना जिले के एक हजार से भी अधिक गांवों पर बुरा असर पड़ा है। प्रारम्भिक सर्वेक्षणों से भी इस बात का पता चला है कि बीनागंज, चचोडा, कुम्भराज, अरों, रघोंगढ़, जामनेर, मकसूदनगढ़, बहादुरपुरे और गूना की अन्य तहसीलों के अधिकतर गांव नारु से पीड़ित है। राज्य के प्राधिकारियों ने 'वित्तीय अड़चनों' का आम बहाना बनाकर इस संबंध में नगण्य काम किया है। नारु पर महामारी के स्तर पर काबू पाने के लिए जन स्वास्थ्य केन्द्रों में उचित व्यवस्था नहीं है।

मैं केन्द्र से अपील करता हूं कि वह मध्य प्रदेश राज्य सरकार को इस 'गूनिया कृमि पर युद्धस्तर पर हमला करने के लिए हर प्रकार की सहायत दे। इसके अलावा' केन्द्र को गूनिया पीड़ित गांवों का पता लगाना चाहिए और मध्य प्रदेश तथा बहुत से अन्य राज्यों से उनकी उष्ण-कटिबन्धि गोब्रक्रमि का उन्मूलन करने के लिए विशेष केन्द्रीय आधार पर प्रायोजित स्कीमें शुरू की जानी चाहिए। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे नहरुआ के खतरे तथा यह रोग किस सीमा तक फैला हुआ है का मूल्लांकन करने के लिए तत्काल एक विशेष दल गूना भेजें और सभी अनिवार्य उपचारात्मक और निरोधात्मक कदम तत्काल उठाए। गूना जिले की इस महामारी से सरकार की आखें खुलनी चाहिए और सरकार को लोक हित में व्यापक प्रचार और जन साधनों के माध्यम लोगों को इस खतरे से अवगत कराना चाहिए।

(दस) भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की खरीद न करना

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) : उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कुछ जिलों के अपने दौरे के दौरान मैंने, पाया कि किसानों को अपने उत्पादों, विशेषकर गेहूं को जबरदस्ती

बेचनी पड़ी, क्योंकि भारतीय खाद्य निगम उनका गेहूं नहीं खरीद रहा था। इस प्रकार किसानों को तीसरी एजेंसी के पास जाना पड़ा। इस प्रक्रिया में गरीब किसानों को अपने उत्पादों की उचित कीमत नहीं मिल पाई। देश के विभिन्न भागों से सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि गेहूं 120 रु० से 130 रु० प्रति क्विटल बिक रहा है जो कि कृषि मूल्य आयोग द्वारा सिफारिश किए गए मूल्य से काफी कम है। महोदय, यदि मैं गलत नहीं हूं, तो मुझे याद आ रहा है कि कृषि मंत्री ने सदन में यह अश्वासन दिया था कि भारतीय खाद्य निगम देश भर में गेहूं की खरीद का कार्य करेगा और किसानों को कोई कठिनाई नहीं होगी। अब जबकि वर्षा शुरू हो गई है, कुछ किसानों, जिनके उत्पादों पर वर्षा का प्रभाव पड़ा है, के उत्पाद भारतीय खाद्य निगम स्वीकार नहीं कर रहा है।

मेरा केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध है कि वह तत्काल जरूरी कार्यवाही करे तथा भारतीय खाद्य निगम के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुदेश जारी करे कि वह शेष स्टाक तत्काल खरीद लें ताकि गरीब किसानों को और मुसीबत का सामना न करना पड़े।

———

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम 26 जुलाई, 1982 को श्री स्वाई सिंह सिसोदिया द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित विधेयक पर आगे विचार करेंगे, नामतः

"सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 को और संशोधित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री मूल चन्द डागा : माननीय सदस्य, इस विधेयक के लिए एक घन्टे का समय निर्धारित किया गया था। 25 मिनट बीत चुके हैं। हमारे पास अब केवल 35 मिनट शेष रह गए हैं और आज के लिए दो और विधेयक हैं। (व्यवधान) यह अति महत्वपूर्ण विधेयक है। तब कार्यवाही मंत्रणा समिति द्वारा सरकार को अथवा किसी अन्य को, जो अधिक समय की मांग करें, बाध्य करना चाहिए। यह मेरे प्रश्न पर है कि एक घण्टा आबंटित किया गया है। में एक घंटे से अधिक समय कैसे आवंटित कर सकता हूँ। इसलिए, यदि आप विधेयक विशेष पर उचित रुप से समय दें, तो आपको अधिक समय की जरूरत नहीं होगी। अति दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक विधेयक पर आम बहस होती है। मैं सभी सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि वे सदन के समक्ष अपने विचार 5 मिनट में रखें। तब भी 1½ से दो घंटे लगेंगे। किंतु मैं यह समय दे रहा हूँ। श्री डागा आपने दो मिनट पहले ही ले लिए हैं। अतः आपको तीन मिनट और दिए जाते हैं। मैं प्रत्येक वक्ता को पांच मिनट का समय जरुर दूंगा। बहस आवश्य होनी चाहिए किन्तु प्रत्येक बात पर आम बहस नहीं होनी चाहिए। मेरे प्रिय दोस्त श्री परुलेकर इसे जानते हैं।

श्री बापूसाहेब परुलेकर (रत्नगिरि) : आप भी इन विधेयक से सम्बन्धित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक व्यक्ति इससे संबंधित है। राष्ट्र इससे संबंधित हैं।

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : कल, श्री चक्रवर्ती मान गए थे जो आपने कहा है। इसलिए हमारे लिए उन पहलू पर कुछ कहने का अवसर है।

उपाध्यक्ष महोदय : उस समय मैं पीठासीन नहीं था।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल बता रहा था कि कितने मुकदमे आज भी पेंडिंग हैं असेसमेंट के लिए और मैं यह बताना चाहता था कि 1976-77 के अन्दर जहां 15 करोड़ 56 लाख रुपया बकाया था, 1977-78 के अन्दर 17 करोड़ 52 लाख रुपए हो गया और 1980-81 के अन्दर वह 27 करोड़ 66 लाख रुपए बकाया हो गया। एस्टेट ड्यूटी के इस तरह इतने रुपये बकाया हैं। 15 करोड़ से आज वह 27 करोड़ रुपये हो गया है। यह रिपोर्ट आफ दि कम्पट्रोलर एण्ड आडिटर जनरल आफ, इण्डिया की है। एस्टेट ड्यूटी का जितना रुपया हमारा बकाया है, उसमें ज्यादा रुपया राजा-महाराजाओं के पास है। इस बारे में मैं आपके सामने 1980-82 तक के फीगर्स बताना चाहता हूं। 1979-80 में हमको 21,15,52,000 रुपए की रिकवरी करनी थी, लेकिन 4,64,64,000 रुपए रिकवरी हुआ, इस प्रकार हमारा 78 प्रतिशत रुपया बकाया रह गया। 1980-81 में 61 प्रतिशत बकाया है और 1981-82 में यह रुपया बढ़ कर 18 करोड़ के करीब है। एस्टेट ड्यूटी के केसेज किस प्रकार पैंडिंग रहते हैं और किस प्रकार इसमें काम होता है और सबसे बड़ा सवाल वैल्युएशन का है। इस फाइनेंस डिपार्टमेंट में सिफ्ट टैक्स, इनकम टैक्स और एस्टेट ड्यूटी टैक्स का अलग-अलग वैल्युएशन होता है। अगर इस डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स का सवाल आता है तो मकान की कीमत और आंकी जाती है। यह क्या तरीका है। एक दफा एक कमेटी मुकर्रर की गई थी और उसने इस संबंध में कुछ निर्णय लिए थे। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आपने कौन सा तरीका निकाला है, जिससे कि एक विभाग में एक चीज का मूल्य ठीक से आका जा सके। इस लिए इसके अन्दर कहा गया है कि सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 के अधीन 1 अप्रैल; 1980 से 31 मार्च, 1981 तक की अवधि के दौरान कर निर्धारणों की परीक्षण लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित प्रकार की गलतियां पाई गई जिसके परिणामस्वरूप शुल्क कम आंका गया :—

(एक) परिसम्पत्तियों का गलत मूल्यांकन।

(दो) अनुद्धृत इक्वीटी शेयरों का गलत मूल्यांकन।

(तीन) सम्पदा के मूल मूल्य का गलत मूल्यांकन।

(चार) अनियमित राहत देना।

(पांच) अपीलीय आदेशों को लागू करने में गलतियां।

(छः) अन्य गलतियों के कारण राजस्व की हानि।

ये मुद्दे हैं। मैं सभी सम्बन्धिय तथ्य दे रहा हूँ।

"एक मृत व्यक्ति की 24 अगस्त, 1977 को प्राप्त हुई विवरणी में दो हिन्दू अविभाजित परिवारों की अचल सम्पत्तियों का हिस्सा शामिल किया गया था जिनका मूल्य उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा 62,500 रु० और 1,03,150 रु० आंका गया था। कर निर्धारण अधिकारी ने फरवरी; 1978 में सम्पत्तियों के मूल्यांकन का मामला विभागीय मूल्यांकन अधिकारी के पास भेजा था। फिर भी मूल्यांकन रिपोर्ट की प्राप्ति से पहले (उत्तरदायी व्यक्ति के अनुरोध पर मार्च 1979 में निर्धारण पूरा हो गया था। निरीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर उक्त हिस्सों का मूल्य क्रमशः 75,035 और 1,17,002 रु० इस शर्त पर आंका गया कि विभागीय मूल्यांकन की रिपोर्ट प्राप्त होने पर इसमें सुधार किया जायेगा। दोनों सम्पत्तियों में मृत व्यक्ति का हिस्सा विभागीय मूल्यांकन अधिकारी द्वारा उसकी अप्रैल और सितम्बर, 1979 में प्राप्त हुई रिपोर्टों में क्रमशः 1,26,900 रु० और 2,36,71,72 आंका गया। फिर भी पहले किए गए निर्धारण में सुधार नहीं किया गया जब तक कि दिसम्बर, 1979 में लेखा परीक्षा विभाग ने इसका उल्लेख नहीं किया।

फिर भी पहले से किये गए निर्धारण में कोई सुधार नहीं किया गया जब तक कि दिसम्बर; 1979 में लेखा परीक्षा विभाग ने इसका उल्लेख नहीं किया और 27,870 रु० के देय अतिरिक्त सम्पदा शुल्क की मांग नहीं की गई।"

उपाध्यक्ष महोदय : आज के लिए यही काफी है।

श्री मूल चन्द डागा : एक व्यक्ति डिक्लेरेशन कुछ देता है, डिपार्टमेंट वैल्यूएशन कुछ देता है और इन्सपैक्टर ने वैल्यूएशन कुछ कर दिया। इन्सपेक्टर के वैल्यूएशन पर उन्होंने रिकवरी कर ली और जो डिपार्टमेंट वैल्यूएशन हुआ, उस पर रिकवरी नहीं हुई। यह मैंने एक इंस्टांस आप को दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आजके लिए इतना ही काफी है।

श्री मूल चन्द डागा : कभी-कभी सत्र न्यायालयों में वे जल्दी करते हैं क्योंकि उनके पास दिन के लिए। कोटा होता है। कृपया वह रुख यहां मत अपनाइये। यदि मुद्दा सही है तो कृपया और समय दें।

मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का सभापति रहा हूं। मैं बार-बार यह उल्लेख करता रहा कि सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 में इस प्रकार संशोधन करें कि उस अधिनियम के अन्तर्गत बनने वाले अधिनियमों को सभा पटल पर रखने के स्टेंडर्ड फार्मूले का उपबन्ध किया जाये। मूल अधिनियम की धारा 20(1) और धारा 85 के अन्तर्गत सरकार को नियम बनाने की शक्तियां प्राप्त हैं। तथापि इसमें उन नियमों को संसद के दोनों सदनों में रखने के 'स्टेंडर्ड' फार्मूले का प्रावधान नहीं है। वह फार्मूला क्या है ? यह इस प्रकार है :—

"इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गए प्रत्येक नियम को इसके बनाये जाने के तत्काल बाद, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जबकि वह तीस दिन कुल अवधि के लिए सत्र में हो जिसमें एक सत्र अथवा दो अथवा अधिक क्रमिक सत्र हो सकते हैं, रखा जायेगा और यदि सत्र की समाप्ति से पहले अथवा तत्काल बाद आने वाले सत्र अथवा उक्त क्रमिक सत्रों

में दोनों सदन नियम में परिशोधन का समर्थन करते हैं अथवा दोनों सदन यह मान लेते हैं कि नियम नहीं बनाये जाने चाहिए तो उसके बाद वे नियम यथा परिशोधित ढंग से प्रभावी होंगे अथवा वे प्रभावी नहीं होंगे, जैसा भी मामला हो; अतः, तथापि ऐसा कोई परिशोधन अथवा विलोपन इस नियम के अन्तर्गत पहले से किए गए किसी भी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होनी चाहिए।"

यह शिफारिश, 1971 में की गई थी। अब सम्पदा शुल्क अधिनियम का संशोधन किया जा रहा है। हमने मंत्रालय को अधिनियम में उक्त लाइन पर संशोधन करने के लिए लिखा था। किन्तु उन्होंने क्या उत्तर दिया? वे कहते हैं;—

"हम उक्त विधेयक में लोक सभा सचिवालय के कार्यालय ज्ञापन में बताये गए अनुसार सम्पदा शुल्क अधिनियम की धारा 85(3) का संशोधन करने के लिए एक उपबन्ध शामिल नहीं कर सकते। क्योंकि वह संविधान के अनुच्छेद 252 के अन्तर्गत राज्यों द्वारा पारित संकलपों के अधीन नहीं आता। फिर भी, यह निर्णय लिया गया है कि आगे जब कभी हम राज्यों से सम्पदा शुल्क अधिनियम में अन्य संशोधनों के बारे में संकल्प पारित करने के बारे में सम्पर्क करेंगे, तो हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वे इस व्यापक ढंग से संकल्प पारित करें जिससे सम्पदा शुल्क अधिनियम की धारा 85(3) का संशोधन भी इसके अन्तर्गत आ जाये।"

यह उत्तर है जो हमें प्राप्त हो रहा है। यदि कोई संविधान का अध्ययन करे तो वह पायेगा कि अनुच्छेद 252 का उद्देश्य यह है ही नहीं। फिर भी वित्त विभाग ऐसे उत्तर दे रहा है। पिछले 10 से 15 वर्षों से हम बार-बार यह सिफारिश कर रहे हैं। संसदीय कार्य मन्त्री ने सभी विभागों को पत्र लिखे है। विधि मंत्रालय ने भी सभी विभागों को पत्र लिखे हैं। तथापि विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहे है। अधिनियम में कोई संशोधन नहीं किया गया कि नियमों को सभा पटल पर रखा जायेगा। महोदय, सदन के उपाध्यक्ष के रूप में आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें। जब किसी समिति की सिफारिश स्वीकृत कर ली जाती है केवल एक सदन द्वारा नहीं बल्कि दोनों ही सदनों द्वारा, जब दोनों सदनों द्वारा सर्वसम्मत निर्णय लिया जाता है, और यदि इसे अधिनियम में शामिल नहीं किया जाता, जबकि वे बार-बार संशोधन प्रस्तावित कर रहे हैं, तो हमारे लिए इसे समझना कठिन हो जाता है। मैं समझता हूं कि हमें इस विधेयक पर आगे चर्चा बन्द कर देनी चाहिए और इसे वापिस भेज देना चाहिए तथा इसे आवश्यक संशोधनों सहित फिर से लायें। ऐसा करना आवश्यक है। अन्यथा, कोई भी हमारी सिफारिशों पर ध्यान नहीं देगा। संसद को शक्तियां प्रदत्त की गई है उसके द्वारा पारित अधिनियमों के अनुसरण में बनाये गए नियमों को सभापटल पर रखा जायेगा ताकि हम कानून और संविधान के अनुसार हम उनकी जांच कर सकें। यदि हमें इस अवसर से वंचित रखा जायेगा, तो हमारे पास क्या उपचार है?

इस एकट में संशोधन आप क्या ला रहे हैं? इस तरह से क्या आप लोगों को खुश कर रहे हैं। इस संशोधन को आप पढ़ें। अगर कोई पढ़ने वाला हो तो वह पाएगा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट

अगर ठीक तरह से काम करता हो तो देश के अन्दर इस प्रकार की हालत न हो। यह सारा फाइनेंस डिपार्टमेंट रिच आदमियों की ज्यादा मदद करता है, गरीबों की कम मदद करता है।

(व्यवधान)

सही को सही कहने की हिम्मत होनी चाहिए। संविधान यह कहता है। हम संविधान में दी गयी अपनी स्वतंत्रता को न बेचें।

अगर कोई ला डिपार्टमेंट का जानने काला है, और मुझे यह बताये कि उस इन सेक्संस को पढ़ने के बाद वह किस नतीजे पर पहुँचा है। यह मामूली सा केस है लेकिन चूंकि आप टाइम करटेल कर रहे हैं इसलिए मैं ज्याना तो नहीं कह पाऊँगा।

धारा 73-क में उल्लेख है कि निर्धारण के मामले में 5 वर्षों की अवधि समाप्त होने के बाद सम्पदा शुल्क हेतु कोई अभियोजन शुरू नहीं किया जायेगा। मानलों कि कोई व्यक्ति विदेश में है और वह 5 वर्षों के बाद आता है और वह उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की मांग करता है। आप इसे शुल्क को इसी उपबन्ध के कारण मांग नहीं सकते। ऐसी सीमा क्यों बांधी गई?

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : हम संशोधन विधेयक ला सकते हैं तकि हम समस्त अधिनियम के बारे में चर्चा कर सकें। अभी हमें संशोधन के क्षेत्र तक सीमित रहना है।

श्री मूल चन्द डागा : यह सच है। अगली बार मैं एक संशोधन विधेयक पेश करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : ज्यादा से ज्यादा मैं यह कर सकता हूं कि उनसे संशोधन के रूप में एक गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक भरने के लिए कहूँ।

मूल चन्द डागा : इसमें एक बात आपने कही कि पचास हजार रुपये से एक लाख पचास हजार रु० तक एग्जम्प्ट कर दिये। हमारे मंत्री जी जानते हैं कि दिल्ली में जमीन के क्या दाम हैं और इतनी पूंजी में कितना मकान बन सकता है? दिल्ली में एक एक जमीन की कीमत तीन हजार रुपये प्रति स्क्वायर मीटर है। दिल्ली में इतनी पूंजी से क्या मकान बन सकता है?

आजकल तो एक प्लाट की कीमत ही 75 हजार के करीब है। उस पर आप मकान कैसे बनवाएंगे? आपने तो एक लाख पचास हजार कर दिया। एक विधवा अपने मकान में रह रही है और उसके किराए से आपना जीवन बसर कर रही है, लेकिन उसके पास भी एस्टेट ड्यूटी वाले पहुंच जाएंगे। इससे कभी-कभी बड़ी तकलीफ हो जाती है। इसमें कई सुधारों की आवश्यकता हैं। बहुत से क्लाजेज में अमेंडमेंट होना चाहिए। एक लाख पचास हजार आपने कर दिया, लेकिन दिल्ली, कानपुर आदि बड़े-बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं, उन पर एक लाख पचास हजार के ऊपर एस्टेट ड्यूटी लागू हो जाएगी। मेरे ख्याल से मकान के लिए यह वेल्यूएशन ठीक नहीं हैं। इसको लाने से पहले वर्क्स एण्ड हाउसिंग डिपार्टमेंट से कंसल्ट नहीं किया गया। को आर्डिशन नहीं है, ऐसा मालूम होता है। अगर को आर्डिनेशन होता तो आप बताते कि मकान कितने का बनता है। एक साधारण मकान भी दो, सवा दो लाख से कम में नहीं बन सकता। इसमें अमेंडमेंट की आवश्यकता है।

जो अमेंडमेंट मैंने दिया है, जब मूव करेंगे तो उपाध्यक्ष जी मुझे बोलने की इजाजत देंगे उस समय मैं इस पर बोलूंगा।

*श्री सी० पलानीअप्पन (सेलम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी, डी० एम० के० की ओर से सम्पदा शुल्क संशोधन विधेयक पर कुछ शब्द कहने के लिए खड़ा हुआ हूं।

इस विधेयक के माध्यम से सम्पदा शुल्क में छूट की सीमा 50,000 रु० से बढ़ाकर 1,50,000 रु० की जा रही है और मैं इस कदम का पूर्ण समर्थन करता हूं। यहां मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि 1,50,000 रु० की छूट सीमा बढ़ती हुई मुद्रा स्फीति के कारण स्वयं ही अपर्याप्त है। मैं यहा वही बात कहना चाहूंगा जो माननीय कानून मंत्री महोदय ने हाल में 94 बड़े व्यापारिक घरानों की परिसम्पत्तियों की कीमत के बारे में इस सदन में कही थी। उन्होंने कहा था कि यद्यपि इन 94 बड़े व्यापारिक घरानों की परिसम्पत्तियों की वर्तमान कीमत मुद्रा स्फीति को ध्यान में रखते हुए 14,500 करोड़ रु. हैं, इन परिसम्पत्तियों की वास्ततिक कीमत केवल 10,700 करोड़ रुपये ही होगी। यही दलील सम्पदा शुल्क के लिए भी दी जानी चाहिए। इस विधेयक के माध्यम से दी जाने वाली 1,50,000 रुपये की छूट सीमा को बढ़ाकर 3,00,000 रुपए कर दिया जाना चाहिए।

सामान्यतः मृत्यु करके नाम का ही लोगों द्वारा मजाक उड़ाया जाता है क्योंकि वे वास्तव में उन्हें सम्पदा शुल्क के अस्तित्व का ही पता नहीं है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पन्न परिवार भी इसके बारे में नहीं जानते। सरकार के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों - मेरा तात्पर्य 7 लाख गांवों से हैं—में सम्पदा शुल्क तथा इसके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में व्यापक प्रचार करें।

मैं समझता हूं कि वर्ष 1980-81 में सम्पदा शुल्क के लगभग 38,800 मामले निलम्बित पड़े थे तथा 1981-82 में सम्पदा शुल्क के निलम्बित मामलों की संख्या और भी बढ़ गई होगी। इसका केवल यही अर्थ है कि मृतकों के आश्रितों को तंग किए जाने का कोई अंत नहीं है। उदाहरण के तौर पर केन्द्र तथा राज्य सरकार के उन कर्मचारियों को ही लीजिए जो जिनके पास अवासीय मकान हैं। उनके आश्रितों को ग्रेजुएटी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक वे सम्पदा शुल्क चुकता करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करें। हो सकता है कि मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रित बिना ग्रेचुएटी मिले सम्पदा शुल्क की अदायगी करने की स्थिति में न हों। यह कुछ इस तरह है कि पागलपन का इलाज शादी होने के बाद होगा और शादी केवल तभी होगी जब पागलपन का इलाज का इलाज हो जाएगा। यह मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के लिए अनावश्यक परेशानी है। इस प्रक्रिका में शीघ्र परिवर्तन किया जाना चाहिए। मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को सम्पदा शुल्क की अदायगी के लिए ग्रेचुएटी अवश्य दी जानी चाहिए और यह शर्त लगाई जा सकती है कि यदि वे निर्धारित समय के भीतर सम्पदा शुल्क चुकता प्रमाण-पत्र नहीं दे पाते हैं तो उनकी पारिवारिक पेन्शन रोक दी जाएगी। इससे मृतक सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को बहुत सहायता मिलेगी।

*तमिल में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं केवल इतना ही कहूंगा कि इस बात की जांच करना अधिक अच्छा होगा कि कोई आदमी किन परिस्थितियों में जिन्दा रहता आया है बजाए इसके कि वह कैसे मरा है। इन शब्दों के साथ मैं सम्पदा शुल्क संशोधन विधेयक का समर्थन करने के बाद अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री जगन्नाथ राव (बरहामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का आशय 1981-82 के बजट प्रस्तावों को कार्यान्वित करना है।

प्रस्ताव यह है कि छूट सीमा को 50,000 रु० से बढ़ाकर 1,50,000 रुपये कर दिया जाए। जो सम्पत्ति 1953 में कुल 30 साल पहले 150,000 रुपये कीमत की थी वह अब अर्थ व्यवस्था और मुद्रा स्फीति की प्रवृत्ति में वृद्धि के कारण 10 लाख रु० से कम कीमत की नहीं है। इसलिए इस विधेयक में लोगों को जो 1,50,000 रुपये की छूट दी जा रही है उससे अधिक लाभ नहीं मिलता है। इससे केवल मध्यम आय तथा निम्न आय वाले समूह को ही मदद मिल रही है। मेरे मित्र, श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती ने कल कहा था कि हम धनी व्यक्तियों की सहायता कर रहे हैं। मैं गरीब व्यक्तियों तथा निम्न आय वाले वर्ग के लिए और मध्यम आय वाले वर्ग के लिए वकालत कर रहा हूं जब एक व्यक्ति जो अपनी सम्पत्ति का भोगकर रहा है मर जाता है तो उसके उत्तराधिकारी को शुल्क, भारी सम्पदा शुल्क अदा करने के कारण मरना पड़ता है। इसलिए, इस रियायत का स्वागत है। यह बिल केवल 1981-82 के बजट प्रस्तावों को ही कार्यान्वित करता है।

दूसरा प्रस्ताव जिसके कार्यान्वियन के लिए अनुमति मांगी गई है। आवासीय गृहों की परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन के बारे में है। मुझे खुशी है कि मूल्यांकन सिद्धांत के बारे में धनकर में निर्धारित किए गए मार्गदर्शी द्धिान्तों को ध्यान में रखा गया है। अर्थात आवासीय भवनों का मूल्यांकन करने के लिए किराए की कीमत को आधार माना गया है। लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आई इस मामले में यह अप्रसंगिकता क्यों है, अर्थात धनकर अधिनियम के अन्तर्गत चाहें कोई मकान मालिक रहने के लिए सारे घर का उपयोग करता है अथवा घर के थोड़े से भाग का उपयोग करता है वह 1 लाख रुपए की छूट पाने का हकदार है और यदि कीमत 1 लाख रुपये से बढ़ जाए तभी वह उसके धनकर का 'एक भाग' मानी जाएगी जाएगी। मैं नहीं जानता कि यह रियायत इस संशोधन में भी लागू होती है या नहीं।

दूसरे, धनकर अधिनियम के अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा धारित 25,000 मूल्य की इकाईयों को छूठ दी गई है। ऐसी छूट सम्पदा शुल्क में भी दी जानी चाहिए क्योंकि किसी व्यक्ति के जीवन काल में जो उसका धन होता है उसके मरने के बाद वही सम्पत्ति बन जाता है। यद्यपि उसके जीवन काल में इसे धन के रूप में नहीं माना गया, लेकिन उसके मरने के बाद वह धन बन जाएगा। इस अप्रासंगिकता तथा तर्कहीनता को समाप्त करना होगा वर्ष 1982-83 को बजट में वित्त मंत्री ने छूट सीमा को 1,50,000 रु० से बढ़ाकर 1,65,000 रू० तथा ईकाईयों की कीमत 25,00 रु० से बढ़ाकर 35,000 रुपए कर दी है। शायद ये दोनों संशोधन वर्ष 1983-84 से, संगत वित्तीय वर्ष होने की वजह से, लागू होंगे। मुझे विश्वास है कि सरकार को

वर्ष 1982-83 के बजट में अन्तर्निहित प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए एक और विधेयक लाना पड़ेगा । अतएव, बनकर अधिनियम के अन्तर्गत दी गई छूट सम्पदा शुल्क अधिनियम भी दी जानी चाहिए ताकि एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी को किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े सम्भवतः इस विधेयक में ऐसा नहीं किया जा सकता है ।

दूसरे इसमें धारा 33 है जिसमें छूट दी गई मदों का समुच्चयन करने की व्यवस्था है । इस अधिनियम के अतर्गत समस्त सम्पत्ति पर विचार किया जाता है और कुल छूट की कीमत का सम्मुच्चयन किया जाता है और इस छूट की राशि पर लगने वाला शुल्क कम कर दिया है । ऐसा नहीं किया जाना चाहिए । धनकर अधिनियम के अन्तर्गत छूट को अलग कर दिया जाता है और शुद्ध धन का पता लगाया जाता है और कर शुद्ध धन पर दिया जाता है । यही सिद्धांत। इस अधिनियम के अन्तर्गत भी यही सिद्धान्त लागू किया जाना चाहिए । सम्भवतः यह वित्त मंत्री महोदय के द्वारा विचार करने की बात है जब वह सम्पदा शुल्क अधिनियम, जो 30 वर्ष पुराना है और जिस पर सरकार का ध्यान दिलाना चाहिए था, में संशोधन करने के लिए एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करेंगे । अब वह समय आ गया है जब इस अधिनियम के कार्यकरण की सभी पहलुओं से संवीज्ञा की जानी चाहिए है और एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाना चहिए ।

यही नहीं, महोदय, आवासीय भवनों के लिए इस विधेयक में कोई छूट नहीं दी गई है । जो घर 1953 में 50,00 रुपये मूल्य का था अब उसकी कीमत लगभग 2 लाख रूपए होगी और अनुजीवियों, आश्रितों अथवा कानूनी उत्तराधिकारियों के पास रहने के लिए एक मकान होना चाहिए । अतएव आवासीय गृहों की छूट सीमा कम से कम उस नगर अथवा शहर जिसमें वह गृह स्थित है की जनसंख्या के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए ।

दिल्ली में, आपको एक फ्लैट भी 2 लाख रु० से कम का नहीं मिलेगा । अतएव, 1,50,000 रुपये कुछ भी नहीं है । अतएव मेरे विचार में आवासीय मकानों के लिए इस विधेयक में निर्धारित छूट के अलावा अलग छूट दी जानी चाहिए । अतएव 1 लाख की आबादी वाले एक नगर में न्यूनतम छूट 2 लाख रुपये होनी चाहिए । दिल्ली अथवा बम्बई जैसे महानगरों में यह छूट 5 लाख रुपए तक पहुंच सकती है । इस पर विचार किया जाना चाहिए । सम्भवतः इस पर वित्त मंत्री महोदय द्वारा विचार किया जाएगा । वह इस विधेयक के अन्तर्गत ऐसा नहीं कर सकते । भविष्य में उन उन कठिनाइयों, जो लोग अनुभव कर रहे हैं, पर विचार कर सकते हैं ।

यह एक कारण है जिसकी वजह से करों की उगाही हो रही हैं ; बकाया धनराशि बढ़ती जा रही है और लोग उसका भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं । कोई भी कर, जो सरकार द्वारा लगाया जा रहा है, कर निर्धारिनी अथवा उसके उत्तराधिकारियों से वसूल रिया जाना चाहिए अन्यथा, यदि कर के भार से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जो जाती है तो कर बिल्कुल भी वसूल नहीं किया जा सकता । यह एक कारण है जिसकी वजह से न केवल इस अधिनियम के अन्तर्गत बल्कि धन कर अधिनियम तथा आयकर अधिनियम के अन्तर्गत भी करों की बकाया राशि में वृद्धि हो रही है । व्याहक विधेयक पेश करते समय वित्त मंत्री मसोदय को इसका ध्यान रखना होगा ।

कुछ ऐसे अन्य मामले भी हैं जो इस विधेवक के संबंध में संगत नहीं है । मैं आपके द्वारा

निर्धारित की गई समत सीमा को अतिक्रमण करना नहीं चाहता। अतएव, इन टिप्पणियों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष जी, मैं इस बिल के उद्देश्य और कारणों को देख रहा था कि क्या कारण है कि आपने 50,000 से बढ़ाकर डेढ़ लाख किया। इसमें तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन मन्त्री जी और विरोध पक्ष के लोगों की बात से पता चला कि सरकार ने बजट के समय वायदा किया था कि हम रिलेक्सेशन देंगे, उसी का यह परिणाम है। छूट किसकों देने जा रहे हैं ? यह अर्बन प्रोपर्टी से सम्बन्धित नहीं है, बल्कि रूरल प्रोपर्टी से सम्बन्धित है। गांव में जिसकी 50,000 की सम्पत्ति है वह तो बहुत बड़ा आदमी होता है। गांव में तो जिसका मिट्टी का मकान बन जाय वह भी खुशहाल माना जाता है, और जिसके पास 50,000 की प्रोपर्टी हो वह तो ऐवरेज आदमी से बड़ा माना जाता है।

यह सम्पत्ति किसको मिलने जा रही है ? जो किसी का वारिस होगा मरणोपरान्त। जो उत्तराधिकारी को सम्पत्ति मिलती है वह तों मुफ्त की सम्पत्ति हुई। मां के पेट से कोई खाकपति बनकर आता है, कोई लखपति बन कर आता है। तो वह तो लखपति बनने जा रहा है, फिर क्यों उसको छूट ? किसी का बाप कर्जा छोड़कर मर जाता है तो उसके बेटे को कर्ज चुकाना पड़ता है, जबकि उसने कर्ज नहीं लिया। बंधुआ मजदूर उसी के प्रोडक्ट हैं। तो क्या सरकार के दिमाग में ऐसी बात भी है कि जिसके बाप ने कर्जा लिया और मर गया तो सरकार उसके कर्ज को चुका दे। सरकार इस तरह का कोई विधेयक नहीं लायेगी। और जब नही लायेगी तो सरकार को क्या हक है कि जिसका बाप लाखों की सम्पत्ति छोड़ कर मर जाता है, उसके लिए तो 50,000 ही काफी है, उसको आप डेढ़ लाख तक क्यों छोड़ रहे हैं ? आप 50,000 से एकाएक डेढ़ लाख तक छूट दे रहे हैं। 75,000 या एक लाख तक ही छूट देते। डेढ़ लाख क्यों ? टेक्सेशन के बारे में हमने हमने पढ़ा है कि जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर हैं उनको जितना आप हटायेंगे उसका भार साधारण लोगों पर ही पड़ेगा। कर का सिद्धांत है कि उसी के कंधों पर भार दिया जाय जो कंधे उसको सहन कर सकें।

आज हिन्दुस्तान में एक परिवार टाटा का है और एक बिड़ला का है। हिन्दुस्तान के 15 करोड़ लोगों की सम्पत्ति को एक तरफ रख दीजिए माल, गाय, घोड़ा, बकरी खेत, जानवर सब एक तरफ और एक तरफ बिड़ला को रख लीजिए तो भी बिड़ला और टाटा का ही पलड़ा भारी होगा। कर उसके माथे पर अधिक से अधिक रखना चाहिए, लेकिन यह नहीं। साधारणत: होता यह है कि सरकार के पास रिसोर्सेज की कमी हुई तो उसको साधन चाहिए और वह है कि टैक्स लगाओं। जो गरीब है, उसको टैक्स लगाओं, कमाने वाले पर तो टैक्स लगेगा नहीं, लेकिन दाम बढ़ेगा दियासलाई का, किरासिन आयल का जिसका आम लोग उपभोग करते हैं। कर लगेगा खुर्पी, कुदला, फलना, चिलना आदि पर इसका दाम बढ़ता है। इसलिए हमको इसमें कोई जस्टिफिकेशन लगता नहीं है। एक जस्टीफिकेशन जरूर है जो हम शुरू से कहते आये हैं इन्होंने बजट के समय जो कहा था, जिसके इशारे पर कहा था इन्टरनेशनल मोनिटरी फंड। जब हम यह कहते हैं तो बहुत लोगों को यह बुरा लगता है। यह सारी की सारी बड़े-बड़े राष्ट्रों को खुश करने की प्रवृत्ति है। बड़े राष्ट्रो की एक ही प्रवृत्ति है कि हिन्दुस्तान में जो बड़े लोग हैं, उनको

सपोर्ट करो और इतनी दूरी तक करो कि वह तमाम एक्सपोर्ट के काबिल हो जायें। हम लोग यहां मरेंगे और बड़े लोग पनपेंगे। शहर में भी बड़ा आगे बढ़ेगा और देहात में भी बड़ा ही आगे बढ़ेगा।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जहां 60 परसेंट लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, जहां लोगों के पेट में अन्य नहीं है, शरीर पर वस्त्र नहीं है, रहने के लिए झोपड़ी नहीं, वहां लोगों को 50 हजार जन्म के साथ मिलता है तो उसको बढाने का क्या कोई तुक है। आप इसे 2,4,5 हजार बढ़ा दीजिए, 75 हजार कर दीजिए, ज्यादा करें 1 लाख तक ले आइये, लेकिन डेढ़ लाख की अनुमति हम नही देंगे, हम इसका विरोध करेंगे।

श्रीमती गुरब्रिन्दर कौर ब्रार (फरीदकोट) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो एस्टेट ड्यूटी (अमैंडमैंट) बिल लोक-सभा में पेश हुआ है, मैं उसका समर्थन करते हुए कुछ बातों पर आपके माध्यम से मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं। यह एक्ट 1953 में पार्लियामेंट में पास हुआ और इसका बेसिस यू० के० के 1894 के एक्ट के ऊपर था। इसके ओवजेक्ट्स 2,3 थे। एक तो यह था—

सम्पदा शुल्क का उद्देश्य कानून के माध्यम से आर्थिक असमानता को समाप्त करना था।

"जो अंशतः राजस्व के रूप में है और अंशतः सामाजिक है" और यह जो एग्जिस्टिंग इन-इक्वैलिटीज हैं, डिस्टिब्यूशन आफ वैल्थ में इनको भी कम किया जाये। स्टेट्स की जो डैवलपमैंट प्लान्स हैं, स्कीम्स हैं, उनको भी फाइनेन्स किया जाये। इस ओबैजक्ट के साथ यह एक्ट लाया गया।

अब जो दो अमैंडमैंट आई हैं, हाउसिंग को-आपरेटिव सोसाइटीज का है कि 50 हजार से डेढ़ लाख कर दिया जाये, जैसा हमारे साथी श्री जगन्नाथ राव कह चुके हैं, उनके साथ मैं सहमत हूं। रामविलास पासवान की बात नहीं सुनती हूं। लेकिन जब यह बिल बना तो उसका मकसद यही था कि इन्हैरीटर्स को इतना पैसा मिल जाता है, वह कोई एग्जहर्शन नहीं करते, उन पर एस्टेट ड्यूटी लगे। एस्टेट ड्यूटी का मतलब यही था। पहले एस्टेट ड्यूटी एक्ट डिफरेन्ट तरीके से देखा जाता था जो उस वक्त की मार्केट प्राइस होता थी उससे लगता था और जो सरकारी तरीके से था, वह भी मंत्री जी ने अपने भाषण में कह दिया। अब 50 हजार वाली बात की जरूरत नहीं है। हम सब समझते हैं कि जो हाउसिंग एजेंसीज हैं, जितनी हमें हाउसिंग की जरूरत है, वह पूरा नहीं कर पाती। खासकर बड़े शहरों, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास दिल्ली वगैरह में कितनी दिक्कत है हाउसिंग की। आपने देखा होगा कि डी० डी० ए० ने भी इतनी मंहगी जमीन कर दी हैं, मैं आज अखबारों में देख रही थी, पता नहीं कहां तक दुरुस्त है, कि 200,300 स्कवेयर गज की जगह के 5,5 और 7,7 लाख रुपये लगते हैं।

सैलेरीड लोग, खास तौर से मिडल इनकम और लोअर इनकम ग्रुप के लोग, सारी लाइफ की सेविंग्ज और प्राविडेंट फंड से लोन ले कर घर बनाते हैं। आदमी के मरने के बाद उसकी विधवा और माइनर बच्चों को बहुत दिक्कत पेश आती है। सरकार को इस बात पर विचार

करना चाहिए कि जो लोगों खुद अपने इस्तेमाल के लिए घर बनाते हैं, उन्हें एस्टेट ड्यूटी से एग्जेम्ट किया जाए या नहीं। 80 परसेंट लोग ऐसे हैं, जो एस्टेट ड्यूटी का पेमेंट करने के लिए सारी प्रापर्टी को बेच देते है, मगर फिर भी पूरा नहीं कर पाते। इस का ध्यान रखना ज़रूरी है। रेजिडेंशल हाउसिज में कम से कम एक घर तो एग्जेम्ट किया जाए, और अगर नहीं कर सकते, तो उसकी कीमत पांच लाख रुपए होनी चाहिए।

एस्टीमेटस कमेटी की 29 वीं रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि चेयरमैन, सैंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्सिज ने इस बारे में क्या कहा है :—

"यह सच है कि सम्पदा शुल्क अधिनियम बड़ा ही जटिल है और यहां तक कि एक विशेषज्ञ के लिए भी इसे समझाना बड़ा ही कठिन है।"

इस तरफ ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने कहा :—

"हमने उस समय अपने सम्पदा शुल्क अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक व्यापक विधेयक लाने का निर्णय लिया था, लेकिन उस समय समस्त मामला श्री झा की अध्यक्षता में कार्य कर रही आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग को हस्तांतरित कर दिया गया था। वे अब इस मामले पर विचार कर रहे हैं और ज्यों ही उनकी सिफारिशें प्राप्त हो जायेंगी हम वह सब करेंगे जो अधिनियम को सरल बनाने के लिए आवश्यक है।"

मैं आपने माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि आया वह इसकी तरफ भी ध्यान देंगे और एक काम्प्रिहैंसिब बिल कब तक लोक सभा के सामने आएगा।

एस्टेट डयूटी के बारे में मैजिस्ट्रेट और ओथ कमिश्नर के सामने जो एफिडेविट देना पड़ता है, उसको बन्द करना चाहिए और इनकम टैक्स और दूसरे टैक्सों के लिए रिटर्न के वैरिफिकेशन के बारे जो कारंवाई होती है, वही करनी चाहिए।

जो आदमी छ: महीने के अन्दर अन्दर रिटर्न नहीं देता और असिस्टेंट कंट्रोलर और टाइम नहीं देता, तो उस पर पेनल्टी लगती है। इन बातों को ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए जरूरी सुधार करने चाहिए।

एस्टेट ड्यूटी एक्ट के मुताबिक अगर आरिजिनल रिटन डिफेक्टिव हो, तो रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने का प्राविजन नहीं है। ऐसा प्राविजन करना चाहिए कि रिवाइज्ड रिटर्न दी जा सके। इस एक्ट के मुताबिक फाइनल आर्डर्ज के खिलाफ कोई राइट आफ अपील नहीं है। मैं समझती हूं कि राइट आफ अपील रखना चाहिए।

अगर कोई एस्टेट ड्यूटी देने के लिए अपनी जायजाद को बेचता है, तो उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। या तो ऐसे केस में कैपिटल गेन्ज टैक्स नहीं लगना चाहिए या उसमें से एस्टेट ड्यूटी कम करनी चाहिए।

अभी मेरे कलीग ने कहा है कि डिसीस्ड के वक्त जो कुछ होता है, वह एस्टेट बन जाता

है। उसकी कीमत वही होनी चाहिए, जो मरने वाले के वक्त थी। वह उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह विरीव्ड फैमिली, खास तौर से विडो और बच्चों, के लिए बड़ी हार्डशिप होगी।

कुछ एग्जेम्प्शन्ज बहुत पहले फिक्स हुई थीं, जैसे 2500 रुपये हाउसहोल्ड गुड्ज के लिए 1000 रुपए फयुनरल एक्सपेंसिज के लिए, 10,000 रुपए अनमैरिड डाटर्ज वगैरह के लिए। ये बिल्कुल एनएडी वेट हैं और बिल्कुल अनरीयलस्टिक बन चुके हैं। जब मंत्री महोदय एक काम्प्रिहैंसिव बिल लायें—वह अभी आ जाना चाहिए था, क्योंकि काफी देर हो चुकी है—, तो इसकी तरफ भी तवज्जुह दें।

जो डिसवएल्ड चिल्डर्न डिपेंडेंट हों, उनका भी खास ध्यान रखना चाहिए।

मैंने न्यूजपेपर्ज में पढ़ा है कि आर्मी पर्सोनेल को टोटल एग्जेम्प्शन दिया जा रहा है, अगर एक्शन में उनकी डेथ हो जाये।

यह कितना सही है, भगवान जानें लेकिन मैं ने 9 मई 1982 को अखबार में यह पढ़ा था। अगर उन के लिए एग्जम्प्शन किया गया है तो जो पीस टाइम पर ऐक्शन में मरते हैं उन के लिए भी यह होना चाहिए। ऐसे ही पुलिस फोर्स के लिए और वार्डर सेक्योरिटी फोर्स के लिए भी है कि अगर नेशन की बोर्डर को प्रोटेक्ट करते वक्त उन की डेथ हो जाय तो उन को भी इस से एग्जम्प्ट किया गया है। मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत से पुलिस वाले जो आज कल कई किस्म की डैक्वायटीज को डील करते हैं, लेबर स्ट्रगल को या मोब वायलेंस को डील करते हैं; उन को भी इस के अंडर लाना चाहिए। ऐसे ही कास्टम्स वाले हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लोग हैं उन को भी बहुत कठित अवस्था में काम करना पड़ता है, उन को इस के अंदर लाना चाहिए। इतना थोड़ा टाइम आप देते हैं तो और क्या बोलें?

उपाध्यक्ष महोदय : महोदय, जब व्यापक विधेयक पेश किया जाएगा मैं आपको और अधिक समय दूंगा।

अब श्री बाबूराव परांजये...

मैं समझता हूं कि यह आपका प्रथम भाषण है....मैं घंटी नहीं बजाऊंगा।

श्री बाबूराव परांजये (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सम्पदा शुल्क अधिनियम 1953 में जो बना था उस में वित्त मंत्री जी संशोधन लाए हैं उस का मैं विरोध करता हूं। परन्तु साथ ही मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि 29-30 वर्ष के बाद क्यों न हो, इस प्रकार का एक अमेंडमेंट वह लाए हैं।

प्राइस इन्डेक्स की बात दिमाग में आती है। 29 वर्ष पहले सन् 1953 में जमीन जायदाद मकानों की जो कीमतें थी और आज जो कीमत हैं उस के बारे में विशेष कहने को आवश्यकता नहीं है। सन् 1970 में काश्मीर विधान सभा में एक बिल लाया गया था। उस बिल में यह

कहा गया था,...(व्यवधान)... उस बिल में जो 2 लाख के ऊपर की जायदादें थी उन के लिए विशेष कर लगाने का प्रावधान किया गया था। बहुत साफ बात हो जाती है सन् 53 और सन् 70 के बीच की इस अवधि में, 17 साल में, काश्मीर शासन ने कम से कम बात मानी थी कि मकानों और जायदादों की कीमत चौगुनी हो गई है। मैं काश्मीर का उल्लेख करता हूं तो एक बात ध्यान में रहनी चाहिए कि धारा 370 के तहत भारत का कोई भी नागरिक जम्मू काश्मीर में कोई जायदाद नहीं खरीद सकता है। इस का बहुत सीधा सा मतलब यह होता है कि जम्मू काश्मीर में जो जायदादें हैं उन की कीमतें भारत के दूसरे प्रदेशों के अनुपात में बहुत कम बढ़ी थीं। कहने का तात्पर्य यह है कि आज 30 वर्ष के बाद वह एक रुपये की कीमत जो 1953 में थी वह आज दस पैसे से कम हो गई है। इस का मतलब यह है कि उस समय का पचास हजार रुपया आज पांच लाख रुपये के बराबर या उस से भी ज्यादा होगा और इसलिए मैं चाहूंगा कि जब इस प्रकार से एक संशोधन पेश करने जा रहे हैं तो हम को इस बात पर विचार करना चाहिए कि प्राइस इन्डेक्स को दिमाग में रखते हुए हम उस डेढ़ लाख रुपये की रकम में परिवर्तन लाए जिस से लोग ऐसा लगे कि छोटी जायदाद वालों के साथ न्याय हुआ है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जब आर्थिक मामलों में कोई बिल हम लाते हैं तो एक बात और विचार करनी पड़ती है कि आजकल रोज चाहे सदन में हो चाहे सदन के बाहर हो, सारे भारतवर्ष में भ्रष्टाचार की बात की जाती है जो कि सदाचार के रूप में आजकल जाना जाता है जब इस प्रकार का कोई आर्थिक विधेयक ला रहे हैं तो हम प्रयास यह करें कि उस में इस प्रकार का परिवर्तन लाएं जिस में भ्रष्टाचार का मौका कम मिले। यह आवश्यक होता है। मध्य प्रदेश का एक उदाहरण है, मध्य प्रदेश में चुंगी कर कुछ वर्ष पहले समाप्त कर दिया गया। जब यह चुंगी कर था तो यह स्थिति थी मध्य प्रदेश में कि बहुत मामूली अदना सा चुंगी विभाग का कर्मचारी चाहे वह मुदद्म होता था चाहे मुहरिर होता था, साल भर के अंदर पांच सात लाख की जायदाद बना लेता था।

मैं जब भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूं तो आप को इस पहलू पर भी विचार करना होगा जब आप एमेंडमेंट ला रहे हैं। इस में आप को इस पर भी विचार करना होगा कि आखिर यह जो एस्टेट ड्यूटी आप को इकट्ठा करनी पड़ती है, तो इस को इकट्ठा करने पर शासकीय मशीनरी पर आप का क्या खर्च होता है और उस के रिटर्न में हम को क्या मिलता है। जैसा हमारे अभी एक मित्र ने कहा कि कई करोड़ रुपया कर का बकाया रह जाता है और इस से भी भ्रष्टाचार बहुत अधिक बढ़ता है।

तो मैं मंत्री जी से पुनः निवेदन करूंगा कि सन 1953 के भावों और सन 1982 के भावों के बीच में जो फासला है, उस सब पर विचार कर के यह जो डेढ़ लाख रुपये तक इस को बढ़ाने की बात है, उसी हिसाब से लिमिट को बढ़ाया जाये और भ्रष्टाचार अगर पूरा आप समाप्त नहीं कर सकते हैं तो को कम से कम करने के लिए सरकार विचार करे और कोई एमेंडमेंट इस संबंध में लाये।

इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं और मुझे विश्वास है कि उपाध्यक्ष महोदय को मुझे से कोई शिकायत नहीं होगी कि मैं ने ज्यादा समय लिया है।

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नगिरि) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक संपत्ति के मूल्यों में वृद्धि को ध्यान में रखकर लाया गया है। अतः सरकार का विचार है कि सम्पदा शुल्क अधिनियम से सम्पत्ति की पूरी छूट की राशि 50,000/- रुपये से बढ़ाकर 1,50,000/- रुपये कर दी जानी चाहिए।

महोदय, इसका औचित्य तर्कसंगत प्रतीत होता है। परन्तु मैं इस प्रश्न पर जोर देना चाहता हूँ कि मन्त्री महोदय इस देश के निर्धनतम लोगों के लिए यही नियम क्यों नहीं अपनाते हैं, जब हम मूल्य वृद्धि की बात करते हैं तो सभी लोगों के वेतन व मजदूरी में उचित अनुपात में वृद्धि की जानी चाहिए। मेरे विचार से इस दलील के पीछे यह उद्देश्य होना चाहिए। यह कहा गया है कि कर से छूट के लिए मूल्य-वृद्धि के इस नियम को केवल सम्पत्ति धारियों पर लागू कर रहे हैं। आप इसे अन्य वर्गों पर लागू नहीं करते हैं जो कानून-निर्माताओं से अधिक सहायता की अपेक्षा रखते हैं, अतःएव मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस विधेयक में प्रस्तुत नियम के प्रति आपत्ति पर विचार करेंगे और सरकार इस देश के निर्धन लोगों को राहत पहुंचाने के सभी उपाय करेगी। उसे यह देखना चाहिए कि मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर इन लोगों को समानुपातिक लाभ मिल रहा है या नहीं।

इस विधेयक के प्रति मेरी एकमात्र आपत्ति यह है कि इसमें छोटे-छोटे कानून बनाकर कार्यवाही की जा रही है, इसका कई बार सुझाव दिया जा चुका है—माननीय भूतपूर्व वित्त मन्त्री श्री वेंकटरमण ने भी इस सदन में कहा है कि कर सम्बन्धी सभी कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाना आवश्यक है। 1971 से कई समितियों द्वारा बहुत सी सिफारिशें। सुझाव दिए जा चुके हैं। इस सम्बन्ध में वांचू समिति, झा समिति चोकसी समिति बनी थी और उन्होंने विभिन्न सिफारिशें की थी। परन्तु दुर्भाग्यवश उन्हें क्रियान्वित करने के लिए कानूनी कार्यवाई नहीं की गई।

यह बताया गया है कि 1981 में सरकार ने सभी करों को सरल बनाने और संशोधनों का सुझाव देने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन की अध्यक्षता में एक सरकारी समिति नियुक्त करने का निर्णय किया। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि इस समिति का क्या हुआ। यदि वस्तुतः वह समिति कार्य कर रही है और उसने सिफारिशें करनी है, तो मन्त्री जी को इतनी जल्दबाजी करने और इस कानून को लाने की क्या जरूरत है? महोदय; लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन दि० 31-3-82 को सदन के पटल पर रखा गया था। समिति ने यह सिफारिश की कि सभी कर कानूनों विशेषकर प्रत्यक्ष कर कानूनों को सरल किया जाए या युक्तियुक्त बनाया जाय।

अब जैसा कि श्री डागा ने कहा है कि सरकार विभिन्न समितियों द्वारा की गई सिफारिशों की कोई परवाह नहीं करती है। तो इससे मैं क्या यही समझूं कि आपने लोकलेखा समिति की इस सिफारिश की कि प्रत्यक्ष करों को सरल या युक्तियुक्त किया जाए, की उपेक्षा कर दी है? यदि नहीं तो सरकार लोक लेखा समिति की उन सिफारिशों को लागू करने के लिए किन-किन उपायों का प्रस्ताव कर रही है। मैं श्री जगन्नाथ राव के इस कथन की भी पुष्टि करता करता हूं

कि चौकसी समिति ने सर्वसम्मति से यह सिफारिश की थी कि स्वयं रहने वाले मकानों का मूल्य स्थिर कर दिया जाना चाहिए, यदि हम चौकसी समिति की इस सिफारिश का पालन करें तो इस सीमा को 50,000/-रुपये से बढ़ाकर 1,00,000/- रुपये या 1,50,000/- रुपये करना जरूरी हो जाएगा जिस पर कि विवाद है, इस सुझाव को स्वीकार कर लिया गया और तदनुसार धन कर की धारा 7(3) को संशोधित किया गया और मूल कीमत 1972-73 के मूल्य पर निश्चित कर दी गई, यदि इस सिफारिश को धन कर के मामले में स्वीकार कर लिया गया है तो इसे सम्पदा शुल्क के मामले में स्वीकार क्यों नहीं किया जाता ? यह सुझाव भी दिया गया है कि 1972-73 के पश्चात अधिग्रहीत संपत्तियों पर प्रथम अधिग्रहण पर किया गया मूल्य निर्धारण धन कर के मामले में स्थायी मूल्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए । क्या मैं माननीय वित्त राज्य मन्त्री से यह पूछ सकता हूं कि वे इसे सम्पदा शुल्क के मामले में क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं और इस तरह धन कर तथा सम्पदा शुल्क में भेदभाव किया जा रहा है ? दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यदि मैं अपना मार्च में धन कर निर्धारण करूं तो मूल्य निर्धारण संपत्ति के 1972-73 के मूल्य के आधार पर किया जाएगा परन्तु यदि मैं अगले महीने मर जाऊं तो संपत्ति का मूल्य निर्धारण मृत्यु की तारीख के बाजार मूल्य पर होगा मैं इन दो कानूनों में इस असमानता का कोई औचित्य नहीं समझता । अतः मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह इन दो अधिनियमों में असमानता को दूर करने का प्रयत्न करें ।

दूसरी बात यह है कि आप इन करों में वृद्धि कर रहे हैं पर क्या आपने कभी यह विचार किया है, कि हम कर वसूल करने में कितनी धन राशि खर्च कर रहे हैं । हमारे पास बड़े दिलचस्प आंकड़े हैं । वर्ष 1977-78 में हमने कर वसूली में 45 करोड़ रु० खर्च किया जो कि 5.73% है; 1978-79 में हमने 49.50 करोड़ रु० खर्च किया जो कि 9.81% है। 1981-82 में हमने 59.10 करोड़ रुपया ख़र्च किया जो कि 14.52% था परन्तु साथ ही सरकार ने इनके साथ इन करों की वसूली के अनुपात को लिया जो कि क्रमशः 3.32, 5,11 और 12.22 था। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछता हूं कि कर-वसूली पर व्यय को कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं; या नहीं और यदि नहीं तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या उपाय करने का प्रस्ताव है । यदि उचित कदम उठाए जायें तो कर की दरें बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

तीसरा मुद्दा, जिसका हवाला मैं यहां देना चाहता हूं वह श्री डागा के सुझाव से संबंधित है । इसके हजारों मामले लम्बित पड़े हुए हैं । विचारार्थ मामलों की संख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है । इसका समाधान क्या है ? सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवा निवृत्त न्यायाधीश ने बहुत पहले इसका हल सुझाया था । यह सुझाव पूर्णतः कर कानूनों के अधीन विवादों को निपटाने के लिए एक केन्द्रीय कर न्यायालय की स्थापना" करने का था । सरकार से यह शिफारिश बहुत पहले की जा चुकी थी । मुझे यह पता नहीं है कि ऐसे केन्द्रीय कर न्यायालय स्थापित करने के लिए सरकार ने क्या-कदम उठाए हैं । यदि यह न्यायालय स्थापित हो जाय तो सामान्य न्यायालयों का बोझ कम हो जाएगा तथा मामलें शीघ्र निबटाए जा सकेंगे । ऐसे न्यायालयों से निर्णयों में एकरूपता भी बनी रहेगी । इस समय ऐसे न्यायालयों के बारे में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग निर्णय किए गए हैं । अन्तिम निर्णय के लिए अन्ततः सर्वोच्च न्यायालय के पास जाना पड़ता है ।

अतः मैं यह महसूस करता हूँ कि इस कदम से इस समय हमारे न्यायालयों में विचारार्थ पड़े हजारों मामलों को शीघ्र निबटाने में मदद मिलेगी, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह एक ऐसे अनुभवी व्यक्ति के इस सुझाव को स्वीकार करने को तैयार है जो कि न केवल उच्च न्यायालय बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा कर चुके हैं और जिनके निर्णय प्रख्याति हैं।

मेरा चौथा मुद्दा इस प्रकार है। संपति के मूल्य में वृद्धि केस के सम्बन्ध में अन्य सहयोगियों ने जिक्र किया है। संपदा में मूल्यवृद्धि और रुपये के अवमूल्यन को ध्यान में रखते हुए इस सीमा को बढ़ाना जरूरी हो गया है। 1.5 लाख रुपये की यह सीमा भी पर्याप्त नहीं है। यदि हम दिल्ली की कीमतों पर विचार करें, तो स्थिति इस प्रकार है; मैंने यह जानकारी संदर्भ अनुभाग से प्राप्त की है। वर्ष 1964 में 10 ग्राम सोने का मूल्य 108 रु. था। आज यह 1400 रुपये है। 1964 में दिल्ली में प्रति वर्ग गज भूमि का मूल्य 50 रु० था और इस समय यह 1,000 रुपये है। मामले के इस पहलू को ध्यान में रखते हुए मैं यह महसूस करता हूं कि आम आदमी पर ही इसका सबसे प्रतिकूल असर पड़ेगा। उदाहरणार्थ, बम्बई में एक कमरे का मकान 2 लाख रुपये का है। एक सामान्य कर्मचारी या कनिष्ट अधिकारी या लिपिक ऐसे मकानों के मालिक हैं। यदि दुर्भाग्यवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित को धनार्जन करना पड़ता है और मृतक की आय की क्षतिपूर्ति करनी पड़ती है, यदि सरकार यह चाहती है कि किसी व्यक्ति की सम्पत्ति को उसकी तीन पीढ़ियों में समाप्त कर दिया जाए और बचे हुए लोग भिखारी बनकर सड़कों पर जा पड़ें तो मुझे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है।

मैं अपने सहयोगी श्री रामविलास पासवान द्वारा व्यक्त विचारों से सहमत नहीं हूं। इस कानून का गरीब वर्ग पर बुरा असर नहीं पड़ता, इस कानून से अमीरों को सहायता नहीं मिलती परन्तु इस कानून का आम आदमी और मध्यमवर्गी लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ता है।

अतः मेरी राय में सरकार को इस पर शीघ्र विचार करना चाहिए और इन सीमाओं को बढ़ाने के उपाय करने चाहिए। इसके साथ ही मैं मन्त्री जी से आग्रह करता हूं कि मेरे संशोधनों पर विचार करें और उन्हें स्वीकार करें मैंने दो संशोधन प्रस्तुत किए हैं। मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि ऐसे कुछ मामले और हैं जिन पर सम्पदा शुल्क से पूरी छूट दिए जाने की जरूरत है। यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्पूर्ण सम्पदा कमजोर वर्गों के लाभ, शिक्षा के प्रगति या चिकित्सा विज्ञान के विकास आदि उद्देश्यों को लेकर ट्रस्ट बनाने के लिए दान दे देता है तो एसे दान पर सम्पदा शुल्क से पूरी छूट दी जानी चाहिए. उदाहरणार्थ, ऐसा एक मामला मेरे पास है। एक निःसंतान व्यक्ति किसी अनजान व्यक्ति के नाम वसीयतनामे के माध्यम से करोड़ों रुपए कर गया। वह अनजान व्यक्ति उस सम्पत्ति को अपने पास नहीं रखना चाहता; वह सारी सम्पत्ति को शिक्षा, चिकित्सा, गरीबों और कमजोर वर्गों के उत्थान के उद्देश्य से एक ट्रस्ट का निर्माण करने के लिए दान करना चाहता है। इस समय एक करोड़ रुपए पर 86 लाख रुपये सम्पदा शुल्क है। सरकार के कुल राजस्व की तुलना में 86 लाख रुपये का संपदा शुल्क नगण्य है। परन्तु यदि वह धन जनहित कमजोर वर्गों आदि के उत्थान के लिए उपलब्ध करवाई जाती है तो सरकार को ऐसे मामलों में सम्पदा शुल्क से छूट दे देनी चाहिए। इस मुद्दे पर मेरा यह विनम्र निवेदन है, मैंने एक दूसरा संशोधन प्रस्तुत किया है।

महोदय, पता नहीं क्या उस समय आप मुझे बोलने के लिए पर्याप्त समय देंगे। मैंने एक संशोधन दिया है जिसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति की, जिसके परिवार में दो या तीन बच्चे हों, मृत्यु हो जाती है तो परिवार नियोजन को प्रोत्साहन देने के लिए, ऐसे व्यक्ति की सम्पदा को सम्पदा शुल्क की छूट दी जानी चाहिए। इससे परिवार नियोजन को बढ़ावा मिलेगा। और यह प्रधान मन्त्री के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के पक्ष में है। मुझे आशा है कि मेरे मित्र इस कदम का स्वागत करेंगे।

इन सुझावों के साथ ही, मैं आमतौर से इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। जो कुछ मैंने प्रारम्भ में कहा है उस पर मैं बल देना चाहूंगा अर्थात् कीमतों में वृद्धि के कारण, सम्पत्ति रखने वाले इन वर्गों को लाभ देने के इस सिद्धांत को गरीब व्यक्ति पर भी लागू किया जाना चाहिए और मूल्य सूचकांक में वृद्धि के अनुपात में उसके वेतन में वृद्धि की जानी चाहिए। धन्यवाद।

श्री रामेश्वर नीखरा (होशंगाबाद) : एस्टेट ड्यूटी एमैंडमैंट बिल जो रखा गया है इसका मैं समर्थन करता हूं। इस में इस ड्यूटी की सीमा को पचास हजार से बढ़ा कर ड़ेढ़ लाख करने की बात कही गई है। इस बिल को लाने के लिए मंत्री महोदय और सरकार बधाई की पात्र है।

पिछले कई दिनों से हमारी सरकार निम्न मध्य वर्ग के लोगों को राहत पहुँचाने का कार्य कर रही है। उसी की यह एक और कड़ी है। एस्टीमेट्स कमेटी ने 19 फरवारी 1982 को पेश की गई अपनी रिपोर्ट में इस सीमा को ढाई लाख करने का सुझाव दिया था। 1953 में जो कीमतें थी और आज जो हैं उनको देखते हुए निम्न मध्य वर्ग के लोगों को जो राहत पहुँचाने का काम इस में किया गया है वह पूरी तरह से पूरा नहीं होता है। कम से कम एस्टीमेट्स कमेटी ने जिस में सभी दलों के सदस्य रहते हैं जो यह सुझाव दिया था कि इस सीमा को बढ़ा कर ढाई लाख कर दिया जाना चाहिए, उसको तो आपको मान लेना चाहिए था। मैं आशा करता हूं कि उसके सुझाव को मान कर इस सीमा को ढाई लाख करने का आप कष्ट करेंगे।

विरोधी दल के जो माननीय सदस्य हैं चाहे वे मार्क्सीवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हो, कम्युनिस्ट पार्टी के हो या लोक दल के हो उनका कार्य तो केवल विरोध करना है। बिना सोचे समझे वे हर चीज का विरोध करने लग जाते हैं। प्रजातंत्र के सब सुख और सुविधायें वे भोग रहे हैं। प्रजातंत्र के माध्यम से वे जीत कर आते है और यहां बैठ कर रूस और चीनी की बातें करते हैं। उनके विरोध का कोई मतलब नहीं होता, है। श्री राम विलास पासवान ने कहा है कि इससे गरीब लोगों को कोई लाभ नहीं होगा, उनको नुकसान होगा और गरीबों की बात यह सरकार नहीं सोच रही हैं। क्या वह भूल गए है कि उनके नेता चौधरी चरण सिंह ने लैंड सीलिन्ग एक्ट का विरोध किया था, वह जब वित्त मंत्री थे तो वह टैक्स पर टैक्स लगाते चले गए थे ? क्या वह भूल गए है कि जब लोक दल की सरकार थी।

तब उन्होंने क्या किया था जिस को आज भी यह सरकार भुगत रही है। पूरा देश भुगत रहा है। सत्ता में हां तो एक बात और जब बाहर हां तो दूसरी बात करना ठीक नहीं है। इस वास्ते उनकी बात का कोई महत्व नहीं है। किसान जिस के पास दस एकड़ भूमि है वह भी एक ड़ेढ़ लाख की हो जाती है, छोटा सा मकान होता है वह भी एक लाख का हो जाता है, चौराहे पर पान की

दुकान की कीमत भी लाख ड़ेड़ लाख हो जाती है, कस्बे या छोटे शहर में मकान तो वह भी इतानी कीमत का हो जाता है। इस बिल के माध्यम से सरकार ने निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया है ग्रोर में चाहता हूं कि इसकी सीमा बढ़ा कर ढाई लाख करने की भी वह कृपा करे और किसान की जमीन और मकान को एस्टेट ड्यूटी से एग्जैम्प्ट करें।

श्री रामावतार शास्त्री : (पटना) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि विरोधी दल के कुछ मित्रों ने इसका समर्थन किया है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी धारण. रही हैं कि भारत में एक बड़ी संख्या में लोग यह मानते हैं कि यह सरकार पूंजीपतियों, जमी दारों और धनी लोगों के हित में काम करती है। इस विधेयक के जरिये यह साबित होता है कि सचमुच में इस सरकार का उद्देश्य यह है कि नाम तो लो गरीब लोगों का, बात तो गरीबी मिटाने की करों. बेकारी मिटाने की करो लेकिन काम करो जो धनी तबके के लोग हैं उनके हित में यही इस बिल का मूल मंशा है।

इस बिल में आप सीमा को बढ़ाकर पचास हजार से डेढ़ लाख कर रहे हैं और उसको सम्पदा शुल्क मुक्त करना चाहते हैं। पहले आप ने पचास हजार की सम्पदा को इससे मुक्त रखा हुआ था लेकिन अब अवमूल्यन के नाम पर उसको आप डेढ़ लाख रुपया करना चाहते हैं।

रुपये की कीमत घट गई है, मुद्रा प्रसार हो गया है इसलिये इसमें बढ़ती होनीं चाहिए, यही आपकी मंशा है। और इस नाम पर उनको जो मर गये उनके वारिसों के लिए इतनी आपको चिन्ता है। लेकिन रोज लाखों करोड़ों जो जिन्दा हैं. और मर रहे हैं उनके लिए आपको चिन्ता नहीं है, या बहुत कम है। इस बिल से मैं इसी नतीजे पर पहुंचता हूं। अगर आपकी नीति यह होती कि इतनी आमदनी वाले को ऐस्टेट ड्यूटी से छोड़ते हैं तो जो नौकरी पेशा लोग हैं उन पर भी टैक्स कम करें। तब मैं समझता कि आपकी मंशा ठीक है। लेकिन उनके लिए तो कुछ नहीं करते हैं। उल्टे रोज टैक्स बढ़ा रहे हैं जिसकी चोट गरीब और निम्न मध्यम वर्ग पर पड़ती है, किसानों और मजदूरों पर पड़ती है। मंहगाई बढ़ गई।

अभी एक तारांकित सवाल नं० 246 का जवाब लिया जो औषधियों के मूल्यों में वृद्धि के बारे में है। जिसमें कहा गया कि दवाओं पर 1979-80 में 135,2 प्रतिशत कीमत बढ़ी थी। तमाम चीजों पर, उपभोग की सामग्रियों पर 217.6 प्रतिशत कीमत बढ़ी। 1980-81 में दवाओं पर 137.5 प्रतिशत और अन्य सामग्रियों पर 257.1 प्रतिशत कीमत बढ़ी। फिर 1981-82 में 151.1 प्रतिशत और अन्य सामग्रियों पर 280.4 प्रतिशत। यह आपकी फिगर तो जो आज आपने दी है। इनका क्या अर्थ निकलता है ? जिन लोगों की ऐस्टेट ड्यूटी से छूट मिली है उनकी तादात कम है आम जनता की तुलना में किसानों, मजदूरों तादाद की ज्यादा है।

इसलिए उनके लिए दवाओं और अन्य चीजों में इतनी कीमत बढ़ी है। तो इसकी चोट किस पर पड़ती है ? गरीबों पर। मैंने नहीं सुना कि आपने उनके करों में कमी की हो। धनी लोगों का तो टैक्स कम कर दिया, चाहे वह डैथ ड्यूटी हो, वैल्थ टैक्स हो या ऐस्टेट ड्यूटी हो। कहा गया कीमत बढ़ गयी इसलिए राहत दे रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो विशाल जनता को क्यों नहीं राहत देते ?

अभी पूरे देश में स्टील के मजदूर, कोयला खानों, बिजली कम्पनियों के म सारे लोग मांग कर रहें हैं कि मंहगाई बढ़ गई है हमारे वेज में रिवीजन होना उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है। बातें होती हैं और टूट जाती हैं। मजदूरों मैनेजमेंट के बीच में बात होती है, लेकिन मामला खत्म हो जाता है। तो उनव ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उनके लिए कोई ध्यान नहीं है। जो पैसे वाले भरें का ध्यान रखकर आपने इस बिल को प्रस्तुत किया है। जनता पार्टी भले ही इ लेकिन हम नहीं कर सकते इसलिए कि यह धनी लोगों को प्रश्रय देने वाला विधे मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री जेवियर अराकल (अर्णाकुलम) : इस विधेयक पर चर्चा बहुत ही ला चर्चा में श्री पारूलेकर, श्री जगन्नाथ राव और श्रीमती बराड़ जैसे माननीय बहुत अच्छे थे। इसलिए मैं इस सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक से संबंधित ि स्याओं के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा।

जब 1952 का मूल विधेयक पेश किया गया था, तो इसके दो उद्देश्य के केन्द्रीयकरण को रोकना, और दूसरा धन के वितरण में असमानताओं इसलिए यह प्रश्न करना स्वभाविक है कि कहां तक उन उद्देश्यों को प्राप्त कि के समाजवादी ढांचे संबंधी नीति के अन्तर्गत उठाए गए कदमों से पिछले अधि लाभ पहुंचा था।

एक समस्या जिस पर इस चर्चा के दौरान मुख्य रूप से उल्लेख किया के अनुच्छेद 352 के संबंध में है। यह अनुच्छेद इस प्रकार है। "सहमति अधिक राज्यों में विधान बनाने और ऐसे विधान को अन्य राज्यों द्वारा अनुमो में संपदा की शक्ति..."

और फिर, संघ सूची की प्रविष्टि 87 "कृषि भूमि के अलावा अन्य सम्पद शुल्क के सम्बन्ध में है। राज्य सूची की प्रविष्टि 49 "भूमि और भ बारे में है इसलिए मैंने अर्थात उस राज्य में कृषि को इस अधिनियम के दायरे में श्री चक्रवर्ती जी से कल एक प्रश्न पूछा था कि पश्चिम बंगाल ने इस अ न्वयन कहां तक किया है।" दुर्भाग्यवश, उन लोगों ने जो उत्तर दिया वह उन्होंने जो कहा था—मैं वही उद्धृत करता हूँ। "जहां तक इसशुल्क का संबं में हमने सीमान्त किसानों, मध्यम वर्गीय किसानों को रियायतें दी हैं सम्पन्न

(श्री चन्द्रजीत यादव पीठासीन हुए)

माननीय सदस्य द्वारा दिया गया यह उत्तर बहुत ही आश्चर्यजनक मुझे आज कुछ कहने के लिए प्रेरित किया है। प्रथम अनुसूची में मूल रूप नए खण्ड 2 ख में केवल कुछ राज्यों का जिक्र किया है महत्वपूर्ण प्रश्न अब राज्यों में इस अधिनियम का क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा?

दूसरी बात यह है कि दूसरी अनुसूची में, अब उल्लिखित दरें बहुत ही हास्यास्पद हैं। मूलरूप में, यह शुल्क 50.000 रु० पर केवल 4%था; अब यह बढ़कर 10 प्रतिशत हो गया है। इसके बाद अगला चरण 5000 रु० और 15 % का है इसके बाद अगला चरण 27,500 रु. जमा 25% होगा। इसलिए प्रश्न यह पैदा होता है कि इस विधेयक से कितने लोगों को लाभ होगा ?

हम सभी को मरना है, परन्तु हमारी मृत्यु के बाद हम आपने उत्तराधिकारियों को यह समस्या वसीयत में दे रहे होंगे। उनके पास कुछ नहीं बचेगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण): अब उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा।

श्री जेवियर अराकल: मैं चाहता हूँ कि आप इसे पश्चिम बंगाल पर लागू कीजिए। मैंने कल आपसे एक प्रश्न पूछा था ? और मैंने आपका उत्तर भी पढ़कर सुनाया है। आप इसे लागू क्यों नही करते ? आप सरकार की नीति की हर प्रकार से आलोचना कर रहे थे। मैं इस संबंध में और अधिक कुछ नहीं कहना चाहता।

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूँगा कि "क्या वह एक व्यापक विधेयक पेश कर रहे हैं ?" माननीय सदस्यों द्वारा बहुत से सुझाव दिये गये हैं; उनमें से बहुत से सुझावों को अन्तर्विष्त करने के लिए, क्या आप एक व्यापक विधेयक ला रहे हैं हैं ?

मेरे दो सुझाव ये हैं। (1) यह अनिवार्य है कि हम एक व्यापक विधेयक रखें, और (2) ये स्लैब जो आपने यहां दिये हैं इससे बहुत साधन निकल जाएगा एक युक्त भुगतान के अलावा यह शुल्क 10% से बढ़कर 25% और 30% तक हो गया है। इन दरों को कम किया जाना चाहिए।

एक और बात यह है कि धारा 33 में 17 छूटें दी गई हैं क्या आपने धारा 33 में इस बढ़े हुए मूल्यांकन पर भी विचार किया है ? आपने ये काम धारा 33 में नहीं दिये हैं, उदाहरण के रूप में, दान आदि में दिया गया गया चंदा इसलिए मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा 'क्या आप उसी सिद्धांत को धारा 33 में अंतर्बिष्ट करने जा रहे हैं जिनमें आपने छूटें दी हैं, यदि ऐसा है तो कितनी छूटें दी जाएंगी और किस क्षेत्र में दी जाएंगी ?

इस सम्बन्ध में मेरे कुछ सुझाव हैं। इस विधेयक का, जिसके पांच पहलू हैं का स्वागत है और यह सही दिशा और अच्छी प्रक्रिया की ओर एक कदम है। मैं इसका स्वागत करता हूं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया): सभापति महोदय, इस चर्चा में "माननीय सदस्यों ने भाग लिया, यहां व्यवहारिक सुझाव और अधिनियम के अन्य पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए मैं इन सभी सदस्यों का आभारी हूं। यह विधेयक जो सभा के समक्ष है बहुत ही सरल और छोटा है। प्रारम्भ में, मेरा यह अनुमान था कि इस विधेयक का दोनों पक्षों द्वारा स्वागत किया जाएगा। परन्तु मुझे हैरानी हुई—यह असामान्य बात नहीं थीं, मेरे मित्र, श्री चक्रवर्ती की ओर से यह सामान्य बात थी कि चर्चा शुरू करते समय, उन्होंने मुख्य

आधार पर इस विधेयक का विरोध किया, और यह कहते हुए अपनी आवाज उठाई कि सरकार ऐसे कदम उठा रही है जो इसकी सामाजवादी समाज की प्रतिबद्धता के प्रतिकूल हैं और सरकार जो कहती है वह करती नहीं। यह बात बिल्कुल गलत है। सरकार समाजवादी समाज के उद्देश्य प्राप्त करने में विश्वास रखती है। और इसने राष्ट्र को जो वचन दिया है उसका ईमानदारी से पालन करना चाहती है, और मैं ईमानदारी से कहूंगा कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो हमारे देश के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए है, वह राष्ट्र के साथ क्रांतिकारी वचनबद्धता है, और मैं नहीं समझता कि विश्व के इतिहास में कोई अन्य ऐसा प्रजातंत्र देश होगा जिसने राष्ट्र को इस प्रकार का कार्यक्रम पूरा करने का कभी वचन दिया हो।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : लगता है इतिहास का बहुत कम ज्ञान है।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : आप जो जी में आए कह सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : इतिहास का बहुत कम ज्ञान—विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : भारत के सिवाए संसार में एक भी प्रजातन्त्र देश ऐसा नहीं है। मुझे इस बात पर हैरानी हुई कि मेरे मित्र, श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती यह बात भूल गए हैं कि सरकार ने सभा में, उपाय बताए हैं इन उपायों का प्राक्कलन समिति ने अनुमोदन किया था और उनकी सिफारिश की थी, जिसमें दो माननीय सदस्य श्री एम०एम० लोंरस और श्री अजीत कुमार साहा थे। मैं समझता हूं कि अब उनको याद आ जाएगा कि श्री चित्त बसु जैसे उनके ही दल के सदस्यों ने सर्व सर्वसम्मत सिफारिश की कि 50,000/-रु० से 1,50,000/-रु० तक ही नहीं बल्कि 50,000/-रु० से इसे बढ़ाकर 2½ लाख रुपये कर दिया जाना चाहिये। उनकी पार्टी के अन्य सदस्य सिफारिश कर रहे हैं और सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। और सरकार को अपने सुझाव दे रहे हैं। परन्तु जब सरकार इन सुझावों और सिफारिशों के क्रियान्वियन को सदन के समक्ष रखती है। माननीय सदस्य इसका विरोध करते हैं। मैं नहीं समझता कि मुझे इस विषय पर कुछ और कहना चाहिए। प्रतिपक्ष की क्या महत्ता है और उसके पास कितना ज्ञान और शक्ति है, इसका निर्णय उन्हें खुद करना है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : देख लो हम कैसे लोकतान्त्रिक ढंग से कार्य कर रहे हैं।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : यह चर्चा संशोधन किये जाने वाले विधेयक जो कि सदन के समक्ष है की सीमा से आगे बढ़ गई है और माननीय उपाध्यक्ष, जब वे पीठासीन हुये थे, ने यह सही टिप्पणी की थी कि हम आम चर्चा की ओर बढ़ रहे हैं। आपने यह भी सुना होगा कि सम्पूर्ण अधिनियम, और सम्पदा शुल्क और विभिन्न शुल्कों से संबंधित अन्य उपायों की आलोचना की गई है और सुझाव दिए गए हैं, परन्तु मैं यह याद दिलाना चाहूंगा कि संविधान के अनुच्छेद 252 के अनुसार हम अन्य सिफारिशों, अन्य उन संशोधन संबंधी उपायों पर इस स्तर पर विचार नहीं कर सकते जिनकी हमारे देश के कम से कम दो विभिन्न राज्यों ने अपने विधान मंडलों के माध्यम से सिफारिश न की हो इसलिए, मैं अनुरोध करूंगा कि यह चर्चा और मेरा उत्तर भी

उस छोटे और सरल उपाय तक सीमित होगा जो सदन के समक्ष है और जिसे हमने प्रस्तुत किया है और वित्त मंत्री जीं द्वारा 1981-81 के अपने बजट भाषण के दौरान सदन के समक्ष यही एक वचन दिया गया था कि 50,000/-रु० से 1,50,000/-रु० तक सीमा बढ़ाने और अन्य संगत संशोधन करने, जिन पर सदन द्वारा विचार किया जा रहा है, के लिए एक विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

लेकिन माननीय सदस्यों ने उठाए गए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं तथा प्रश्न उठाये हैं। मैं बहुत ही संक्षेप में कहूंगा लेकिन स्थिति को स्पष्ट करना आवश्यक है और मैं सरकार के दृष्टिकोण को सभा के समक्ष रखता हूं।

श्री डागा, पुल्लेकर तथा मेरे अन्य दोस्तों ने कुछ आंकड़े उद्धृत किये हैं और वे यह जानना चाहते हैं कि इतने अधिक मामले लंबित क्यों थे। उन्होंने कहा था कि निपटान संतोषजनक नहीं था और इस को इकट्ठा करने के लिए किया गया व्यय बहुत अधिक तथा आपत्तिजनक था यह सही स्थिति नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं कि मामले लंबित हैं और लंबित मामलों की संख्या बहुत ज्यादा है। लेकिन आपको मामलों निपटाये जाने की स्थिति भी देखनी चाहिये और इसका एक तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए वर्ष 1977-78 में लगभग 40,000 मामलों के निर्णय किए गए थे। वर्ष 1978-79 में भी 37000 से अधिक मामलों के निर्णय किये गये। वर्ष, 1979-80 में 32,000 मामले, वर्ष, 1980-81 में भी 32,000 मामले तथा वर्ष 1981-82 में 36,000 मामलों के निर्णय किये गये। यह एक नियमित प्रक्रिया है। मामले निपटाये जाते हैं और नये मामले पैदा ले लिये जाते हैं। और यदि आप निपटाये गये मामलों की संख्या को ही देखते हैं तो आपको यह भी महसूस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मामले केवल फाइल ही किए जाते हों, मामले आरम्भ किए जाते हैं लेकिन यह एक निर्यात प्रक्रिया है, नये मामले आगे आते हैं, उनका निपटान होता है और लंबित मामले भी रहते हैं। लेकिन विभाग बिल्कुल सतर्क रहता है और हम उनकी देखभाल करते हैं हम निपटान का लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं और हम बहुत ही उत्सुक तथा सतर्क भी हैं कि इतने मामलों को लंबित नहीं रखा जाये।

लेकिन कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। लोग स्थगन की मांग करते हैं, मामलों के निपटाने के लिये जो कागजात आवश्यक होते हैं पार्टियों उन्हें प्रस्तुत नहीं करती हैं और इसलिए हमें लंबित मामलों के आंकड़े मिलते हैं। मैं सभा का समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन लंबित की मामलों की संख्या बढ़ रही है। अत: यदि वादी मामलों के बारे में चिन्तत हैं और यदि वे इनका तेजी से निपटान के लिए चाहते हैं, जल्दी निपटान कराना चाहते है तो उन्हें मामलों के निपटान के लिये आवश्यक सूचना साक्ष्य, दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे -और मेरा विचार है कि हम पूर्ण कोशिश करेंगे कि इन अनिर्णित मामलों का यथा शीघ्र निपटान किया जाये।

सम्पदा शुल्क इकट्ठा करने के लिए व्यय के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

	कुल संग्रह	व्यय
1978-79	13.08 करोड़ रुपये	1.01 करोड़ रुपये
1979-80	14 05 करोड ,,	1.05 करोड़ रुपये
1980-81	16.31 करोड़ ,,	1.21 करोड़ रुपये

अत: यह कहना ठीक नहीं है कि व्यय कर प्रतिशत बढ़ रहा है और सरकार व्यय को कम करने की ओर ध्यान नहीं दे रही है चाहे यह कर हो अथवा अन्य प्रकार के कर हों, सरकार इस ओर पूर्ण तरह सचेत है कि व्यय में वृद्धि न हो।

बहुत से माननीय सदस्यों ने मूल अधिनियम अन्य अध्यायों तथा खण्डों मूल्यांकन की प्रक्रिया सीमा तथा साक्ष्त प्रस्तुत करने आदि के बारे में सुधार करने के सुझाव दिए हैं। इस सम्बन्ध में मैं सभा को यह बताना चाहूँगी कि सरकार सभा के समक्ष एक विधेयक लाने पर विचार कर रही है जिसमें झा समिति द्वारा की गयीं सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सम्पदा शुल्क की सरल प्रक्रिया तथा भौक्तिकीकरण विभिन्न छूटों की सीमा को बढ़ाने के लिए माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव, वित्त मन्त्रालय द्वारा नियुक्त की गई विभिन्न समितियों तथा आयोगों द्वारा दिए गए सुझाव शामिल होंगे। इस समय विचारार्थ प्रश्न बहुत ही छोटा तथा साधारण है। जिसके बारे में मैं पहले कह चुका हूं।

एक महत्वपूर्ण प्रश्न श्री जगन्नाथ राव द्वारा उठाया गया था। उन्होंने यह पूछा था कि क्या वही नियम मकान मूल्यांकन के लिए भी लागू होगा जो धन कर के लिए लागू होता है। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह सिद्धांत केवल एक मकान के सम्बन्ध में ही लागू होगा। जहां किसी निर्धारिती के पास एक से अधिक मकान है तो अन्य मकानों का मूल्यांकन सम्पदा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत मृत्यु के दिन बाजार दर के अनुसार किया जायेगा। तथापि धन कर अधिनियम के अन्तर्गत इस प्रकार के अन्य मकानों का मूल्यांकन एक विशेष नियम के अन्तर्गत किया जाता है जो रियायती मूल्य देता है। जैसाकि मैं कह चुका हूं कर्मचारियों की कोई समिति नहीं है। इस कार्य को झा आयोग को सौंपा गया है। वे प्रत्यक्ष कर अधिनियमों में संशोधन करने के लिए दिए गए सुझावों की जांच कर रहे हैं।

श्री डागा की इस आपत्ति के बारे में कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष नियमों को नहीं रखा गया था और अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने कुछ आपत्तियां उठायी हैं मैं यहां कह सकता हूं कि सम्पदा शुल्क अधिनियम की धारा 85 (3) के अन्तर्गत अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये सभी नियमों को समक्ष उनके बनने के साथ ही संसद के दोनों सदनों के रखे जाने की आवश्यकता है। अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने यह सिफारिश की थी कि ऐसे सभी उपबन्धों की व्यवस्था उनके द्वारा सुझाए गए खण्ड के अनुरूप की जानी चाहिए। हमने यह आश्वासन दिया है कि जब अगली बार सम्पदा शुल्क अधिनियम में संशोधन किया जायेगा। तब यह उपबन्ध सुझाव दिये गये खण्ड के अनुसार तैयार किया जायेगा।

एक महत्पूर्ण प्रश्न उठाया गया था कि क्या यह गांव के छोटे-छोटे घरों पर भी लागू होगा। इस बारे में मैं यह कह सकता हूं कि सम्पदा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध विभिन्न छूटों के अतिरिक्त रिहायसी उद्देश्य के लिए प्रयोग किये जाने वाले एक मकान एक लाख रुपये तक के मूल्य पर छूट है यदि वह मकान ऐसे स्थान पर स्थिति है जहां की जनसंख्या 10,000 से अधिक है। यदि मकान ऐसे स्थान पर स्थिति है जहां की जनसंख्या 10,000 अथवा इससे कम है तो मकान का मूल्य पूरी तरह मुक्त है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यदि जनसंख्या अधिक है तो भी छूट होगी।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : यदि जनसंख्या 10,000 से कम है मकान पर कर लगाने का कोई प्रश्न नहीं है। उस पर पूर्ण छूट होती है।

श्री सी टी दंड पाणी (पोल्लाची) अब बड़ी पंचायत में भी जनसंख्या 50,000 है।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : मेरा विचार है कि कि मैं पूछे गये सभी सभी प्रश्नों का उत्तर दे चुका हूं। अन्य सुझावों तथा सिफारिशों पर उस समय विचार किया जायेगा जब व्यापक विधेयक सभा के सामने लाया जायेगा।

एक माननीय सदस्य : कब ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : यथा शीघ्र।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:— "कि सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 का आगे और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब हम खण्ड वार विचार आरम्भ करेंगे। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 तथा 3 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 तथा 3 विधेयक में जोड़ दिये गये खण्ड 4 (धारा 33 का संशोधन)

श्री बापू साहिब पुरु लेकर (रत्नगिरि) मैं प्रस्ताव रखता हूं : पृष्ठ 2 पंक्ति 31

उप धारा (1) के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये।

(1) खंड (क) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अन्तस्थापित किया जायेगा, अर्थात:—

(क क") शैक्षिक प्रयोजनों के लिए अथवा चिकित्सा प्रयोजनों के लिए अथवा कमजोर वर्गों के उत्थान के लिये एक सार्वजनिक न्यास का का निर्माण करके मृतक द्वारा दान दी गयी सम्पत्ति (ii)।'

पृष्ठ 2 (1)

पंक्ति 38 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाये:—

(ii) खण्ड़ के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात :—

(भ म) "यदि मृतक तीन बच्चों से कम का छोटा परिवार छोड़ जाता है।"(2)

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 1 और 2 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय (श्री चन्द्रजीत यादव) प्रश्न यह है :—

कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ा गया

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ा गया

खंड 6 (दूसरी अनुसूची का संशोधन)

श्री टी० आर० रामन्ना (बंगलौर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 4 पंक्ति 13 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाये—

"परन्तु यदि मृतक की अविवाहित पुत्रियां और पुत्र विद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ते हैं, तो प्रत्येक पुत्री के लिए जिसका विवाह होना है, 2,000 रुपये, और विद्यालयों या महाविद्यालयों में पढ़ रहे प्रत्येक पुत्र और पुत्री के लिए 1,500 रू० की कटौती की अनुमति होगी, किन्तु कुल कटौती, कुल देय सम्पदा शुल्क से अधिक नहीं होगी।" (13)

सम्पदा शुल्क (संशोधन) विधेयक से कुल राहत मिलती है और इसलिए केवल उस सीमा तक विधेयक का स्वागत है। यद्यपि जो संशोधन मैंने दिया है वह सांकेतिक है, इसका कुछ महत्व है। अतः मैं इसके बारे कुछ शब्द कहना चाहता हूँ।

विश्व के विकसित तथा विकासशील देशों की तुलना में हमारे देश में कर कधिक लगाये जाते हैं। हमें इस समस्या को बहुत ही सावधानी पूर्वक लेना है हम चरम सीमा पर पहुँच गये हैं। अतः सरकार को यह सोचना चाहिए कि सभी उपलब्ध करों को ठीक प्रकार से कैसे प्रभावी ढंग से इकट्ठा किया जा सकता है। कर की जो भी धनराशि वसूल की गयी हो उसे उपयोगी कार्यों के लिए खर्च किया जाना चाहि।

मैं सरकार से जोरदार शब्दों में अनुरोध करता हूँ कि तब अधिक कर लगाने के लिए उपयुक्त समय नहीं है। 20 लाख रुपए की सम्पति पर 8,40,000 रूपए कर के रूप में देने पड़ते हैं। चूंकि कर बहुत ज्यादा है अतः कर वंचन के रास्ते ढूंढे जाने स्वभाविक है। कुछ चालाक व्यक्ति कानून का उलंघन किए बिना ही ऐसा करेंगे। कुछ बेईमान व्यक्ति अथवा सामाजिक तत्व भी ऐसा करते हैं।

उदाहरण के लिए मेरा ही मामला लीजिए। मेरे सात बच्चे हैं। देय शुल्क को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी सम्पत्ति को अपने पुत्रों तथा पुत्रियों को उपहार में दे दिया है। अब मुझे धन कर देने की आवश्यकता नहीं हैं मेरी मृत्यु के पश्चात् उन्हें सम्पदा शूल्क भी देने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार कर से बचने के और रास्ते भी है।

कर अधिक न लगाएं बल्कि कर को कारगर ढंग से इकट्ठा करें जिससे कानूनी तौर पर जो कुल देय बनता है, प्राप्त हो सके। दूसरी ओर उन वस्तुओं पर धनराशि खर्च करें जो बिलकुल आवश्यक है बिना सोचे समझे धन राशि खर्च न करें।

मैं आपके ध्यान में एक मामला लाना चाहता हूं। एक महिला के पति को विवाह के तुरंत बाद मृत्यु हो गयी। उसने कुछ धन कमाया और दूसरा विवाह किया। दूसरे पति की भी मृत्यु हो गयी। उसकी दो लड़कियां थीं। वे बड़ी हुई। उस महिला को पहली लड़की का विवाह करना था और साथ ही दूसरी लड़की को मेडिकल कालेज में प्रवेश दिलाने के लिए 1,60,000 रु. का भुगतान करना था। पहली लड़की के विवाह के लिए उसे दूल्हे के माता-पिता द्वारा मांगा गया बहुत अधिक दहेज देना पड़ा। उस महिला के पास एक प्लाट था जिसे उसने एक लाख रुपये में खरीदा था। उसने उस प्लाट को वस्तुतः 11'50,000रु. में बेचा किन्तु बिक्री संबंधी कागजात में पांच लाख रुपये की राशि दिखायी। छः लाख रुपए की राशि पर पंजीकरण शुल्क आदि सरकार को खोना पड़ा। मेरे कहने का अर्थ यह है कि हमें परिवार की दयनीय स्थिति को देखना है। यह जानते हुए भी कि यह सरकार के साथ धोखा था, परिवार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए मुझे चुप रहना पड़ा।

सबसे अच्छा तरीका यह है कि करों को प्रभावी ढंग से वसूल किया जाये। यदि ऐसा किया जाता है तो सरकार काफी अधिक धन वसूल कर सकती है। अभी हाल ही में जब हम जर्मनी गए थे तो हमें बताया गया कि वहां बहुत अधिक कर नहीं लगाये जाते हैं। वे स्रोत पर ही कर वसूल कर लेते हैं। ऐसा करने से वे निर्धारितियों को तंग किए बिना काफी अधिक राशि वसूल कर लेते हैं। किन्तु हम राज्य स्तर पर, स्वायत्तशासीन स्तर पर और केन्द्रीय स्तर पर भारी कर लगाते हैं। गरीब लोग इसे सहन नहीं कर पाते हैं। इस कराधान से मध्यम वर्ग के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इस संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। प्रति वर्ष सरकार अपने कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देती है। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी मंहगाई भत्ता मिलता है। संगठित क्षेत्र के श्रमिक और सरकारी कर्मचारी जनसंख्या के 20 या 25% से अधिक नहीं होंगे। जबकि किसान और अन्य लोग जो कि जनसंख्या का 80% हैं और गांव में रहते हैं और जिनकी स्थिर आय होती है उन्हें किसी प्रकार का कोई मंहगाई भत्ता नहीं मिलता हैं और इसके साथ ही उन्हें अधिक मूल्य भी देने पड़ते है। अतः मंहगाई भत्ता देने के स्थान पर मूल्यों को कम किया जाना चाहिए ताकि न केवल सरकारी कर्मचारी और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ही लाभ पहुंचे बल्कि' हरेक व्यक्ति को लाभ पहुंचे। जब तक हम मूल्यों में कमी नही लाते हम लोगों को शांति या प्रसन्नता नहीं दे सकते। अतः सरकार का सर्वप्रथम कर्तव्य यह है कि वह यह सुनिश्चित करे कि मूल्यों में कमी हो।

मैं कुछ शब्द विधवाओं के बारे में भी बोलना चाहता हूं। कानून उद्धृत करने के स्थान पर मैं दो-एक मामले आपके सामने रखूंगा। पुणे-बंगलोर मार्ग पर एक दुर्घटना हुई जिसमें कार में एक परिवार के चार सदस्य थे। पिता और एक पुत्र की मृत्यु हो गयी। दूसरे पुत्र के दिमाग पर चोट लगी। वह लड़का चार वर्ष तक बेहोश रहा। वह बेचारी महिल चार वर्ष तक क्या कर सकती थी? लड़का खाना नहीं खा रहा था, उसे होश नहीं आ रहा था। चार वर्ष तक लड़के की देखभाल करनी पड़ी उनकी आय कम थी। परिवार बहुत मुश्किल में था। हमारे हिन्दू समाज में बच्चों का विवाह करना होता है और उन्हें शिक्षा देनी होती है। वह बेचारी महिला बहुत कठिनाई में रही। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह बेचारी विधवाओं की सहायता

करे। बच्चों को शिक्षा देने और उनका विवाह करने की चिन्ता के अलावा इन्हें तंग किया जाता है और अनेक प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। सरकार इस समय इस बारे में कोई वचन न दे सके किन्तु यह बहुत आवश्यक है, विशेषकर हमारे भारतीय समाज में ऐसा करना बहुत आवश्यक है। सरकार को उन विधवाओं की सहायता करनी चाहिए जो मुश्किल में हैं। ऐसे मामलों में धन कर की बहुत अधिक छूट दी जानी चाहिए जो मुश्किल में हैं। ऐसे मामलों में धन कर की बहुत अधिक छूट दी जानी चाहिए ताकि परिवार बच्चों को शिक्षा दे सके और उनका विवाह कर सके। अपंग बच्चों के मामले में तो किसी महिला के लिए ऐसा करना और भी मुश्किल होता है। अतः ऐसे मामलों में सरकार को उन लोगों की जरूर सहायता करनी चाहिए।

मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं कहना यह चहता हूं कि कोई ऐसे तर्कसंगत तरीका निकाला जाना चाहिए जिससे कि कर लगाने के हमारे तरीके आसान हों और साथ ही कर की वसूली भी बड़ी दक्षता से की जाये।

मूल्य निर्धारण के संबंध में कुछ कालम दिये गए हैं। में अपना उदाहृण देता हूं। 1944 में मैंने 60 फट+40 फुट का एक मकान 25रु० की दर से 4500रू० में खरीदा था। अब उसी मकान का मूल्य 2लाख रूपये से अधिक है। उसमें में रहता हूं मेरे बच्चे रहते हैं। यदि अब धनकर की गणना के लिए उसकी वर्तमान बाजार मूल्य, जो कि अब 2 लाख रू० है, लिया जाता है तो ऐसा करना अनुचित होगा। यह न्यायासंगत नहीं होगा। मकान में न तो कुछ जोड़ा गया है और न ही उसमें कुछ सुधार किया गया है। हमें नगरपालिका से वही सुविधाएं मिल रही हैं। किसी ऐसे मकान को विशेषकर जिसमें मकान मालिक स्वयं बैठा हो उसके मूल्य से 40 गुना अधिक आंका जाना एक बहुत कठोर कदम है। अतः ऐसे मामलों में जहां मकान को बेचा नहीं जा रहा और उससे लाभ नहीं कमाया रहा और जहां मकान मालिक स्वयं मकान में रह रहा है ऐसा सम्मति पर कर नही लगाया जाना चाहिए।

इन उपायों को एक-एक करके लाना ठीक नहीं नहीं होगा। जब कभी भी इस प्रकार का कोई उपाय सदन के सामने रखा जाता है तो आततौर पर यही उत्तर होता है कि हम एक व्लापक विधेयक बाद में लाएंगे।;, इन संशोधनों को इस तरह से एक-एक करके इतनी जल्दी जल्दी लाया जा रहा है कि मुझे नहीं पता कि क्या कानून बनाने वाले को भी यह पता है कि विभिन्न संशोधन, विशेष कर धनकर अधिनियम और आयकर अधिनियम में किये गये संशोधन क्या हैं। प्रत्येक वर्ष सरकार एक संशोधन ले आती है। को इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करके बदलना ठीक नहीं होगा। अतः अधिनियम में जो भी संशोधनीय परिवंतन किया जाना हो वह सुविचारित होना चाहिए और एक बार में ही उसे लाया जाना चाहिए।

जैसाकि मैने बताया है मेरे इस संशोधन में विधवाओं को सहायता देने और साथ ही लोगों पर अनावश्यक भार न डालने की व्यवस्था है। जानता हूं कि सरकार इस समय इसके लिए वचन-बद्ध नहीं हो सकती। अत यह एक सांकेतिक संशोधन है और मैं इस मामले की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। मैं संशोधन के लिए आग्रह नहीं करता।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : यह संशोधन स्वीकार्य नहीं है। मैं अपना उत्तर माननीय

सदस्य द्वारा रखे गये संशोधन तक ही सीमित रखूंगा। लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्यवाही संबंधी नियमों के नियम 80(1) में व्यवस्था है कि :

"संशोधन विधेयक की व्यप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो उसके विषय से संगत होगा।

प्रस्तावित संशोधन वर्तमान विधेयक की व्याप्ति से बाहर है और इस प्रकार यह उक्त नियम का उल्लंघन करता है। प्रस्तावित संशोधन लोकसभा द्वारा तब तक पारित भी नही किया जा सकता जब तक कि कम दो राज्यों के विधान मंडल इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए संकल्प पारित नही करते।

सभापति महोदय : मैं अब श्री शमन्नना द्वारा खंड 6 पर प्रस्तुत किए गए संशोधन संख्या -13 को मतदान के लिए सभा में रखता हूं।

संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड-6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड-6 विधेयक में जोड़ दिया गया

सभापति महोदय : श्री शमन्ना के नाम से एक संशोधन संख्या-14, खंड-7 (नया) है। क्या वह उस संशोधन को पेश करना चाहते हैं।

श्री टी. आर. शमन्ना. : मैं अपने संशोधन का प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय : सशोधन को पेश नहीं किया जा रहा है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और शीर्षक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड-1, अधिनियम सूत्र और शीर्षक विधेयक में जोड़ दिए गये

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय (चन्द्रजीत यादव) : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) विधेयक

सभापति महोदय : अब हम अगला विषय—राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) विधेयक लेंगे। श्री निहार रंजन लास्कर।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राज्यपालों की उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार निर्धारित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह विधेयक बहुत सरल है और प्रयोजन भी बहुत सीमित है। अतः मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्यों को इस विधेयक पर कुछ अधिक कहना होगा। संक्षेप में, मैं यह कहना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 1583 में व्यवस्था है कि :

"राज्यपाल को, बिना किराया दिए अपने पदावासों के उपयोग का हक्क होगा तथा उसको उन उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का जो संसद निर्मित विधि द्वारा निर्धारित किए जायें, तथा जब तक इस विषय में इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जैसेकि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं, हक्क होगा।"

अब तक संसद द्वारा किसी प्रकार का कानून न बनाये जाने के कारण राज्यपालों के भत्ते और विशेषाधिकार विभिन्न राज्यों के संबंध में जारी भारत सरकार (राज्यपालों के भत्ते और विशेषाधिकार) आदेश के आधीन पहले नियमित किये जाते थे।

राज्यपालों के भत्तों और विशेषाधिकारों से संबंधित विद्यमान राज्यपालों के भत्ते और विशेषाधिकार आदेश, कुछ सीमाएं निर्धारित करता है जिसके अंदर राज्यपालों को अपने पदावासों और कर्मचारियों पर खर्च करने का हक है।

यह सीमायें काफी पहले निर्धारित की गयी थी। इन वर्षों में अनेक मामलों में मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण यह असंभव हो गया था कि राज्यपालों के भत्ते और विशेषाधिकार आदेशों, के विशेषकर 1950 और 1957 के आदेशों, के अधीन खर्च को निर्धारित सीमाओं के भीतर सीमित रखा जा सके और इस प्रकार राज भवनों पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ा है।

राज्यपाल (उपलब्धियों भत्ते और विशेषाधिकार) आदेशों में राज्यपालों डाक्टरी चिकित्सा पर होने वाले व्यय की भी व्यवस्था नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : राज्यपालों की डाक्टरी चिकित्सा के लिए पहले ही बहुत सी सुविधायें उपलब्ध हैं।

श्री निहार रंजन लास्कर : संविधानिक अपेक्षाओं को पूरा करने के साथ-साथ इस

विधेयक का उद्देश्य राज भवनों पर होने वाले व्यय को युक्तियुक्त बनाना और राज्यपालों के वेतन, भत्तों एवं विशेषाधिकारों के लिए कुछ आवश्यक उपलब्ध करना है।

संक्षिप्त इस विधेयक के विभिन्न उपबन्धों में यही अंतर्विष्ठ है।

मैं माननीय सदन से प्रस्तुत विधायी प्रस्ताव को स्वीकार करने का अनुरोध करता हूँ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : यह विधेयक बहुत ही साधारणसा प्रतीत होता है। परन्तु राज्यपाल का पद एवं भूमिका साधारण नहीं है।

प्रारम्भ में मैं इस तथ्य पर बोलना चाहूंगा कि स्वतंत्रता पूर्व के दिनों में कांग्रेसी नेता साधारण जीवन व्यतीत करने की बात करते थे और वे सभी महात्मा गांधी के शिष्य थे जो अपने साधारण एवं आडम्बर रहित जीवन के लिए प्रसिद्ध हैं। लोगों का विश्वास था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन सभी कार्यक्रमों एवं घोषणाओं सिद्धांतों को ईमानदारी से कार्यान्वित किया जायेगा।

परन्तु, स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त हम क्या देखते हैं ? साधारण जीवन व्यतीत करने वाले उन सभी व्यक्तियों ने अपने पूर्ववर्ती वचनों एवं वादों को ताक पर रख कर एक भिन्न प्रकार का जीवन अपना लिया है।

यही कांग्रेसी जो ब्रिटिश अधिकारियों के राजसी जीवन एवं शानदार कार्यालयों की आलोचना करते थे, अब उन्हीं लोगों की नकल करने लगे हैं और आज हम देखते हैं कि कुछेक राज्यों को छोड़ कर सभी राज्यों में—मैं राज्यपालों का जिक्र कर रहा हूं—राज्यपालों को वे सभी सुविधायें प्राप्त हैं जो ब्रिटिश अधिकारियों को प्राप्त थी वही बंगले वही विशेषाधिकार।

यद्यपि मूल्यवृद्धि के कारण, लोगों की वास्तविक आय कम हो गई है, तथापि राज्यपालों के जीवन को देखिए।

सोवियत संघ और चीन में, क्रांति के बाद सभी बंलगों को संग्रहालयों, स्कूलों और अस्पतालों में बदल दिया गया था। परन्तु आप राज्यपालों के लिए उनके रख-रखाव पर बहुत धन व्यय कर रहे हैं।

आपके कथानुनासार राज्यपाल के पद की प्रष्तिठा बनाये रखने के लिए इतनी भारी राशि व्यय की जाती है।

परन्तु किसी व्यक्यि या पद की प्रतिष्ठा इस पर निर्भर नहीं करती कि आप उन पर कितना धन व्यय करते हैं बल्कि यह निर्भर करती है उस व्यक्ति की ईमानदारी, वचनोंए वं जनता की सेवा पर।

गांधी जी के साथ हमारे बहुत भारी मतभेद थे। परन्तु वह एक अत्यन्त सादा जीवन व्यतीत करते थे, ब्रिटेन वासी उन्हें 'आधा नंगा फकीर' कह कर उनका उपहास उडाते थे। परन्तु भारतीय जनता उनका सम्मान करती थीं, यहां तक कि उसके प्रतिरोधी भी कम से कम उनके सादे जीवन के कारण उनका सम्मान करते थे।

अब मैं अगली बात पर आता हूं । मैं विस्तार में नहीं जाता क्योंकि ये सुविधायें हैं, वे इलाज तथा दूसरी सुविधाएं प्राप्त करने के हकदार हैं । परन्तु अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि एक संघीय राज्य में राज्यपाल को क्या भूमिका निभानी चाहिए । जब ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया था तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया था । उन्होंने किस बात का विरोध किया था ? जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस प्रान्तीय मंत्रिमंडल में इसी शर्त पर शामिल हुई थी कि गवर्नर, चाहे वह केन्द्रीय हो या प्रान्तीय, जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेंगे । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मंत्रिमंडय, प्रान्तीय सरकार में शामिल न होने के आशय का प्रस्ताव पारित कर दिया । और केवल "लार्ड लिंलिथिग" द्वारा यह वचन देने पर कि हस्तक्षेप कम से कम होगा, ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल हुई । भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सदैव ही प्रान्तीय स्वायत्ता की मांग की और कहा कि वास्तव में संघीय राष्ट्र की स्थापना के लिए राज्यों पर केन्द्र का अनावश्यक नियंत्रणा न हो । परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब, इस संविधान की रचना की गई...

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : किसके द्वारा ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आपके द्वारा । यदि आप उस बात को देखें तो मैं कहूंगा कि जनता के प्रतिनिधियों द्वारा संविधान का निर्माण नहीं किया गया क्योंकि उस समय केवल 18 से 20 प्रतिशत व्यक्ति ही मतदान कर सकते थे, 80 प्रतिशत को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं था ।

एक माननीय सदस्य : केवल 14 प्रतिशत

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : केवल 14 प्रतिशत ही मतदान में भाग ले सकते थे । मैं अब उस बारे में कुछ नहीं कहूंगा । हम इस पर बहस कर सकते थे । अब, क्या किया गया ? भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 93 को हमारे नये संविधान में लगभग शामिल कर लिया गया उस समय बहस के दौरान कुछ सदस्यों ने मांग की कि राज्यपालों का चुनाव किया जाना चाहिए, राज्य के लोगों को अपना राज्यपाल स्वयं निर्वाचित करना चाहिए । संयुक्ति राज्य अमरीका में ऐसी ही प्रणाली है । परन्तु इस सम्बन्ध में यह तर्क दिया गया कि दो निर्वाचन निकाय नहीं होने चाहिए—जनता द्वारा राज्यपाल चुना जाये और जनता द्वारा ही मंत्रिपरिषद चुनी जाये । परन्तु प्रश्न है कि : सामान्य परिस्थितियों में संवैधानिक प्रमुख का क्या कर्तव्य है ? क्या उन्हें कोई विवेकाधिकार प्राप्त है ? क्या वह मंत्रिपरिषद् की सलाह की अवमानना सकता है ? नहीं, कभी नहीं । संसदीय प्रणाली की सरकार में, कार्यपालिका सदैव ही विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी होता है और राज्यपाल और राष्ट्रपति तो मात्र संवैधानिक प्रमुख में । भारत में विशेष प्रकार का संघ है । और कांग्रेस दल का इतिहास क्या है, जिस दल ने संविधान सभा में बहस के दौरान यह वचन दिया था कि ये संवैधानिक प्रमुख सरकार के कामकाज में कम से कम हस्तक्षेप करेंगे ? मैं इस बात के विस्तार में नहीं जा रहा कि भारतीय संघ वास्तव में संघ क्यों नहीं है । वास्तव में यह एक एकात्मक राज्य है जिसमें कुछ संघीय सिद्धांतों को अपनाया गया है । परन्तु फिर भी यह कहा गया था—डा० अम्बेडकर ने भी कहा था—कि राज्य

अपने क्षेत्रों में पूर्णतया स्वतन्त्र होंगे। केन्द्र का उन पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। और यही संघीय प्रणाली का सिद्धांत है। संघ में सरकार की दो प्रकार की शक्तियां होती हैं जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है और संविधान को एकात्मक शासन प्रणाली के अनुरूप नहीं बदला जा सकता। संघीय प्रणाली की यह बुनियादी विशेषता है—जहां दो बल संतुलित होते हैं, अपकेन्द्रीय और अभिकेन्द्रीय जिसका अर्थ हैं कि भारत में अनेकता में एकता हैं तथा संघीय संविधान देश की सामाजिक एवं राजनीति का स्थिति के अनुरूप है और इस बात को कुछ नेताओं ने महसूस किया था।

परन्तु 1952 के चुनाव से ही, केन्द्रीय सरकार ने राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। पेप्सू और ट्रावनकोर—कोचीन में केन्द्र ने जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को बरखास्त कर दिया। उसकेबाद, केरल में जब जनता ने साम्यवादी सरकार बनाई, और संविधान के अनुसार, उस सरकार को भी बरखास्त कर दिया गया। और इन सभी मामलों में दुर्भाग्यवश राज्यपालों को केन्द्रीय सरकार द्वारा हथियार के रुप में इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की सलाह का अनुसरण करने के लिए बाध्य है। इसका अर्थ क्या है? सरझने का प्रयास कीजिए? केन्द्र में जो दल शासन कर रहा है, वह दल राष्ट्रपति के माध्यम से राज्यपाल का इस्तेमाल करके राज्य की जनता की इच्छा के विरुद्ध काम कर सकता है। क्या आपके विचार में ऐसा करना लोक तन्त्र के अनुरुप है? क्या आपके विचार में संविधान के अंतर्गत ऐसा करना स्वीकार्य है? मेरे विचार में ऐसा नहीं है। संयुक्त राज्य अमरीका में भी राज्यों को न केवल अविशिष्ट शत्तियां प्राप्त हैं बल्कि केन्द्र सरकार की शत्तियां सीमित हैं और वहां राज्य मजबूत है। आप कहते हैं कि मजबूत देश के लिए केंद्र का मजबूत होना आवश्यक है। निसन्देह, लेकिन शत्ति केन्द्र को दिए गए विषयों से सम्बन्धित होनी चाहिए। परन्तु अमरीका में क्या हो रहा है? राज्य अधिक स्वतंत्र है। आपके विचार से क्या इससे अमरीका में राजनैतिक व्यवस्था कमजोर हुई है? मैं ऐसा नहीं सोचता या स्विटजरलेंड को लीजिए। वहां प्रान्तों को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। क्या आपके विचार में इससे राजनैतिक व्यवस्था कमजोर हो गई है। नहीं। परन्तु यहां हम देखते हैं कि दुर्भाग्यवश धीरे-धीरे राज्यपालों को ही अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं यह नहीं कहता कि सभी राज्यपाल कठपुतली बन चुके हैं। वे कह भी क्या सकते हैं? वे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं और वे राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं जा सकते। इसका अभिप्राय यह है कि वे प्रधान मंत्री के विरुद्ध नहीं जा सकते। अतः प्रधान मंत्री ही यह निर्धारित करता है कि अमुक राज्य में किस प्रकार की सरकार होनी चाहिए। जिस प्रकार की राजनीति हमारे देश में है—उससे क्या आप यह कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे यहां बहुत से राजनीतिक दल है तो यहां विभिन्न प्रकार की सरकारें भी हो सकती हैं। वर्तमान संविधान के आधीन कोई भी राज्य संविधान के बुनियादी ढांचे के विरूद्ध कार्य नही कर सकता क्योंकि पहले ही उनकी प्रशासनिक, विधायी एवं वित्तीय शत्तियों सीमित हैं। सीमित शत्तियां होते हुए भी केन्द्र सरकार राज्य सरकार पर विश्वास नहीं करती। दल की कोई समस्या नहीं है, समस्या किसी दूसरे दल द्वारा सरकार बनाये जाने की है।

यहां तक कि सत्ताधारी दल में भी परस्पर-विरोध है। राज्यपाल कैसे, न केवल, अपने

पद का दुरुपयोग कर सकता है बल्कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों को भी नष्ट कर सकता है, इसका नवीनत्तम उदाहरण हरियाणा में देखा जा सकता है।

मैं इसे अद्वितीय अवश्य कहूंगा। हमने श्री धर्मवीर को देखा जो विधानमण्डल की अवहेलना करना चाहते थे। हम श्री धर्मवीर के विरुद्ध लड़े। अन्ततः पश्चिमी बंगाल में हमारी जीत हुई। लोगों के विरुद्ध केन्द्र द्वारा हस्तक्षेप किया जाता था क्योंकि वे उस प्रकार की सरकार नहीं चाहते जैसी कि पश्चिमी बंगाल में है। मैं वर्तमान राज्यपाल के बारे में कुछ नहीं कहता। मैं नहीं जानता कि क्या होगा। किन्तु हम अपने पहले राज्यपाल श्री टी० एन० सिंह से खुश थे क्योंकि उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। हमारे संविधान में राज्यपाल को कोई विवेकाधिकार नहीं दिए गए हैं। इस सम्बन्ध में निर्णय इंग्लैंड में किया गया था। जहां महारानी भी विवेकाधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकती। संविधानी अध्यक्ष—राजा अथवा रानी—कहते हैं कि उनके पास केवल परामर्श का अधिकार है और इससे ज्यादा अधिकार नहीं हैं। किन्तु, हरियाणा में, हमने क्या पाया? सभापति महोदय, यह आश्चर्यजनक बात है।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी (आदिलाबाद) : महोदय, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है।

सभापति महोदय : श्री चक्रवर्ती आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। उनका व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी (आदिलाबाद) : महोदय, यह संशोधन राज्यपालों की उपलब्धियों के बारे में है। किन्तु माननीय सदस्य विदेशों की बात कर रहे हैं और वह राज्यों में राज्यपालों के कार्यों की बात कर रहे हैं कि क्या वे राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री के अधीन काम कर रहे हैं। मैं माननीय सभापति से केवल यह अनुरोध करूंगा कि क्या वह इस बारे में अपना विनिर्णय देंगे कि क्या किसी सदस्य जो कुछ भी बोलने का अधिकार है अथवा वह उसी विषय पर बोल सकता है जिस पर चर्चा चल रही हो।

सभापति महोदय : सदस्यों से हमेशा विषय पर ही बोलने की आशा की जाती है और मैं समझता हूं कि पृष्ठभूमि के रूप में वे इन बातों पर भी बोल सकते हैं। जब राज्यपालों की उपलब्धियों, विशेषाधिकारों और अन्य बातों पर विचार हो रहा है तब इस सम्बन्ध में, यद्यपि यह तत्संगत नहीं है। इसे अनुचित नहीं ठहराया जा सकता। मैं समझता हूं कि सदस्य अब विधेयक पर ही बोलेंगे।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : मुझे खेद है कि मैं माननीय सदस्य को जैसा वह चाहते हैं वैसा बोल कर अनुगृहीत नहीं कर सकता।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : चर्चा में भाग लेते समय हमें व्यवस्था के प्रश्न पर बोलने की अनुमति दी जायेगी।

सभापति महोदय : मैंने व्यवस्था के प्रश्न पर अपना विनिर्णय दे दिया है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : सभापति महोदय, हरियाणा के राज्यपाल ने क्या किया?

हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस (ई) के विरुद्ध मत दिया। यह अल्पमत में थी। फिर भी कांग्रेस (ई) सरकार वहां जबरदस्त बना दी गई।

श्री मूल चन्द डागा (पाली): महोदय, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है। वह हरियाणा के राज्यपाल के बारे में कुछ बोल रहे हैं। कृपया नियम 352 देखें। व्याख्या इस प्रकार दी गई है :—

"शब्द 'उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों' का तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जिनके आचरण की चर्चा संविधान के अन्तर्गत केवल उचित रूप में रखे गए मूल प्रस्ताव पर की जा सकती है या ऐसे अन्य व्यक्तियों से है जिनके आचरण की चर्चा अध्यक्ष की राय में, उसके द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले रूप में रखे गए मूल प्रस्ताव पर की जानी चाहिए।

वह हरियाणा के राज्यपाल के आचरण के बारे में बोल रहे है। यह नियम 352 की व्याख्या में निर्धारित किया गया है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने इस व्याख्या को पढ़ा होगा।

आपको उन्हें हरियाणा के राज्यपाल के बारे में चर्चा की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

सभापति महोदय: कोई नयी व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती: सभापति महोदय, लोकतांत्रिक सिद्धांत यह है कि जनमत की आवाज ही परमात्मा की आवाज है। अब हरियाणा में लोग पीड़ित हो रहे हैं। अधिकतर लोगों ने गैर-कांग्रेस (ई) सरकार के लिए अपना मत दिया, किन्तु राज्यपाल की भूमिका के फलस्वरूप कांग्रेस (ई) सरकार बना दी गई तथा कांग्रेस (ई) के नेता को राज्यपाल द्वारा दलबदल का काफी अवसर दे दिया गया। अब असम के राज्यपाल की भूमिका से इसकी तुलना करें...

(व्यवधान)

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं किन्तु विस्तार में नहीं जा सकते। हम यहां हरियाणा के राज्यपाल की भूमिका के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको पहले नहीं रोका किन्तु आपने अपने 15 मिनट के पूरे भाषण में विधेयक के बारे में तो एक भी शब्द नहीं कहा। मैं समझता हूं कि पृष्ठभूमि के तौर पर कह सकते हैं किन्तु इस विधेयक पर बोलते समय आप हरियाणा के राज्यपाल की भूमिका को यहां नहीं ला सकते। कृप्या विचाराधीन विधेयक तक ही सीमित रहें।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती: यदि आप कहते हैं कि मैं केवल इसी पर केन्द्रित रहूं तो आपके तत्काल संदर्भ के लिए मैं यह उल्लेख करूंगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सम्पूर्ण बहस पश्चिम बंगाल पर ही की गई थी। मैंने इस पर आपत्ति की थी और सभापति का विनिर्णय यह था कि ऐसा किया जा सकता है। (व्यवधान)

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : आप अब अपना भाषण समाप्त करें। केवल एक घण्टे का समय आवंटित किया गया है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : असम में राज्यपाल ने कैसे कार्य किया। जब बहुमत वाले सदस्यों की सूची प्रस्तुत की गई तो उन्होंने जानना चाहा कि मन्त्रिमण्डल में कौन होगा और कभी कभी वे स्वयं उन व्यक्तियों को उपस्थित होने को बाध्य करते हैं। हरियाणा में क्या किया गया था। उन्हें अपना बहुमत एक महीने बाद साबित करने को कहा गया था। विधायकों को खरीदने के लिए एक महीने का समय दे दिया गया। क्या यह लोकतंत्र है ? (व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। नियम 352 का हवाला दिया जा चुका है और पिछले आधे घण्टे से अधिक समय से श्री चक्रवर्ती के भाषण को मजबूरन सुन रहा है। उन्होंने अपने समस्त भाषण में राज्यपाल की भारी आलोचना की है।

महोदय, आप भी जानते हैं कि बिना किसी पूर्व सूचना के कोई सदस्य राज्यपालों पर कोई आरोप नहीं लगा सकता। अतः मेरा आप से अनुरोध है कि आप सभा की कार्यवाही देखें जांच कर ऐसी सभी टिप्पणियों को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दें। देखें तथा ऐसे सभी अंशों को काट दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड देखूंगा। कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें। यदि आप और समय लेने के लिए दबाव डालेंगे तो मैं इसके बाद यह करूंगा कि आवंटित समय समाप्त होने के साथ ही मैं मंत्री महोदय को तत्काल उत्तर देने के लिए कह दूंगा। यदि एक सदस्य 20 मिनट लेने के लिए दबाव डालेगा तो मैं अन्य सदस्यों को उतना ही समय देने के लिए कैसे मना कर सकता हूं ?

प्रो० मधु दण्डवते :—उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपालों के भत्तों पर बोलते समय माननीय सदस्य को दिया गया समय राज्यपाल की मर्यादा को देखकर ही दिया होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : अतः मैं समझता हूं कि अब वह समय आ गया है कि जब सदन इस बात पर चर्चा करें कि राज्यपाल की वास्तव में क्या भूमिका होनी चाहिए। सत्तारूढ़ दल कांग्रेस (ई) स्वयं के राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए राज्यपालों पर अधिक से अधिक निर्भर रहने लगा है।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन के बारे में एक वाक्य। (व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : यह क्या है ? यह काफी गम्भीर चर्चा है। मैं यह पसंद नहीं करता। उन्हें (व्यवधान) नहीं डालना चाहिए। अन्यथा में भी यही करूंगा। सत्तारूढ़ दल कांग्रेस (आई) अपने राजनीतिक स्वर्थों के लिए राज्यपाल का सहयोग ले रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय :—क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कितना समय लेंगे ?

प्रो० सत्य साधन चक्रवर्ती :—बस, मैं समाप्त ही कर रहा हूं ।

प्रो० के० के० तिवारी :—मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय :—तिवारी जी, वह अपना भाषण समाप्त कर रहे हैं । कृपया अपने स्थान पर बैठें ।

प्रो० के० के० तिवारी :—मैं नियम 380 के अन्तर्गत अपना व्यवस्था का प्रश्न करने के लिए खड़ा हुआ हूं । जैसा कि मैंने पहले कहा है, प्रोफेसर सत्यसाधन चक्रवर्ती के भाषण में ऐसे अंश हैं जो मानहानिकारक हैं जो कि राज्यपाल के पद की मर्यादा के विरुद्ध है । इसलिए नियम 380 के अधीन उनके भाषण के उस अंश को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए । नियम 380 इस प्रकार है :—

"380-यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि वाद-विवाद में कोई ऐसा शब्द या ऐसे शब्द प्रयुक्त किए गए हैं जो मानहानिकारक या अविष्ट, या असंसदीय या अभद्र हैं तो वह, स्वविवेक से आदेश दे सकेगा कि ऐसा शब्द या ऐसे शब्द सभी की कार्यवाही से निकाल दिये जायें ।"

मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि प्रो चक्रवर्ती ने राज्यपालों के विरुद्ध, राज्यपालों के संस्थानों के विरुद्ध शब्दों का प्रयोग किया है । सदन के हित में, राजनीतिक प्रणाली के हित में कार्यवाही वृतान्त सम्मिलित नहीं किये जाने चाहिए, मैं ऐसे शब्दों को सभा के कार्यवाही वृतान्त से निकल दिया जाना चाहिए । मैं केवल यही कहना चाहता हूं । सदस्यों को इस सदन को कलकत्ता में गली के नुक्कड़ पर होने वाली जिनमें वे कांग्रेस (ई) के विरुद्ध प्रचार करके लाभ उठा रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव :—गली के नुक्कड़ पर होने वाली सभाएं शब्द भी मानहानिकारक हैं ।

प्रो० मधु दंडवते :—'गली के नुक्कड़ पर होने वाली सभाएं' शब्द भी आपत्तिजनक है ।

उपाध्यक्ष महोदय :—मैं जानता हूं वह हमेशा कलकत्ते की याद करते हैं ।

प्रो० सत्य साधन चक्रवर्ती :—महोदय, मैं माननीय सदस्यों से भाषण नहीं सुनना चाहता, क्योंकि वे स्वयं लोकतांत्रिक प्रणाली को समाप्त करने पर तुले हुए हैं । उनका दल ऐसा करने का भरसक प्रयत्न कर रहा है और उन्होंने आपातकाल के दौरान भी ऐसा ही किया ।

प्रो० के० के० तिवारी :—यह आपका दल है जो यह कर रहा है और वह पहले ही कर चुका है । हम नहीं । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :—प्रो० तिवारी, कृपया बैठ जाये । वह भाषण समाप्त कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :—शांत रहे, शांत रहे। प्रोफेसर साहब भाषण समाप्त कर रहे हैं। आप सब तालियां बजाने के लिए तैयार रहें। वह समाप्त कर रहे हैं। कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

प्रो० सत्य साधन चक्रवर्ती :—राज्यपालों की राजनीतिक भूमिका को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि, शासक दल अपने हितों की पूर्ति हेतु राज्यपालों का प्रयोग कर रहा है। इससे लोकतांत्रिक प्रणाली पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ; बल्कि लोगों के मत को भी बदल दिया जाता है। इसलिए मेरा यह कहना है कि राज्यपालों के पद समाप्त कर दिए जाने चाहिए। राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मंत्री के नियंत्रण में रहने वाले राज्यपालों की नियुक्ति का कोई कारण नहीं है। उन्हें राज्य के लोगों की इच्छानुसार राज्य में काम करने दिया जाना चाहिए। मैं यह भी चाहता हूं कि राज्यपालों वह सुविधाएं नहीं दी जानी चाहिए। बहुत सी बातें इसमें स्पष्ट नहीं हैं। स्पष्ट नियम बनाये जाने चाहिए चाहे वे शासक दल के स्वीकृत सिद्धांतों के प्रतिकूल ही क्यों न हों। मेरा यही कहना है। हमारे देश में अधिकतर लोग गरीब हैं। इन पदों पर कोई पैसा बरबाद नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं उपाध्यक्ष महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि सम्पूर्ण सदन को इस संविधानिक उपबन्ध पर विचार करना चाहिए। मैं यह महसूस करता हूं कि राज्यपाल का पद समाप्त कर दिया जाना चाहिए। महोदय, विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है।

इन शब्दों के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :—कृपया शांत रहें।

श्री मूलचन्द डागा।

प्रो० के० के० तिवारी :— मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

उपाध्यक्ष महोदय : — मैंने कहा, मैं कार्यवाही देखूंगा। मैंने पहले ही कहा है। श्री मूल चन्द डागा।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जब यह बिल पढ़ा तो मुझे मालूम हुआ कि इस बिल में आपने सारी बातें डेलीगेटिड लेजिस्लेशन की कही हैं। आप कोई सी क्लाज भी इस बिल को लेकर देख लीजिए। सभी में यह है।

खंड 8 (1) : "राज्यपाल किराए या भाड़े का संदाय किए बिना, उतने मोटर यानों का, जितने राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, अवधारित करें, उपयोग करने का हकदार होगा।"

इसके बाद देखिए :—

(3) "राज्यपाल के कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा उन मोटर यानों का उपयोग, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट हैं; इस निमित बनाएगा नियमों द्वारा विनियमित किया जाएगा।"

प्रत्येक धारा में यह कहा गया है कि यह नियमों द्वारा विनियमित किया जाएगा।

धारा 11 "राज्यपाल को अपने पद के कर्तव्यों का सुविधापूर्वक और गरिमा के साथ निर्वहन करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए वह······" इन-इन चीजों का हकदार होगा।

उसके बाद यह कहा गया है "जो नियमों उपबन्धित किये जायें।"

मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि इतने अधिकार क्यों देने जा रहे हैं। इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। कृपया धारा 12 पर ध्यान दें :—

"जहां किसी राज्यपाल के मामले में राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाये कि भत्तों के रूप में या किसी मामले की बाबत किन्हीं व्ययों को पूरा करने के लिए, इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत रकम में वृद्धि की जाने की आवश्यकता है अथवा ऐसे किसी मामले की बाबत, जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में उपबन्ध, यद्यपि वह अनुज्ञेय है, नहीं किया गया है, वहां वह विशेष आदेश द्वारा, ऐसी रकम में उस मात्रा तक, जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, वृद्धि कर सकेगा। या ऐसे व्ययों को उस मात्रा तक मंजूर कर सकेगा।"

और हमारे राष्ट्रपति जी हुक्म जारी कर देंगे। हम इसके जरिए नहीं समझ पाए कि इतने लम्बे-चौड़े पावर्स क्यों दे रहे हैं। प्रोसीजर मैथड पर अधिकार देने चाहिए, बेसिक चीजें आप डेलीगेट नहीं कर सकते सभी स्थान पर प्रदत्त शक्तियां हैं संसद कभी भी अपने अधिकारों का निरसन नहीं करती।

इसको देखने के बाद मालूम होता है कि पार्लियामेंट बेसिक चीजों को डेलीगेट करने जा रही है। आप केवल प्रोसीजर डेलीगेट कर सकते हैं कि क्या प्रोसीजर होगा। उपाध्यक्ष महोदय आपके चेयर पर होते हुए यह बिल इस रूप में पारित नहीं होना चाहिए।

"जहां राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा छुट्टी मंजूर की जाती है, वहां उसे ऐसी छुट्टी की अवधि के दौरान ऐसी दर से छुट्टी भत्ते का संदाय किया जायेगा जो राष्ट्रपति, आदेश द्वारा अवधारित करें।"

मतलब क्या है? यह तो आज भी सब जगह है, इतनी देर से यह बिल क्यों लाये हैं। इसमें कोई अधिकार पार्लियामेंट को नहीं है। सारे अधिकार डेलीगेट लेजिसलेशन को दे दिए हैं। यह जो है—

"···वह ऐसे अन्य विशेषाधिकारों का हकदार होगा जो इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित किये जायें···सरकार भत्ता, आतिथ्य अनुदान···जो नियमों द्वारा उपबन्धित किये जायें।"

हम क्या कर रहे हैं। इससे तो अच्छा है कि हम चुपचाप कह दें कि सारे पावर्स डेलीगेट लेजिसलेशन को दे दिए हैं। पार्लियामेंट को क्या करना है। हमने सारे अधिकार दे दिए हैं गवर्नर साहब को जो चाहे दे दें, नहीं दे सकते हैं तो प्रेसीडेंट साहब दे देंगे। किसने यह बनाया है?

श्रीमन्, इस तरह का लेजिसलेशन सदन में आजाए और सारा सदन एक राय से कह दे कि—यस, वी डेलीगेट आल पावर्स, तो मेरे खयाल से पार्लियामेंट के पावर्स पर आपका एन्क्रोचमेंट है।

आपने किया हुआ है कि गवर्नर की तनख्वाह 5550 होगी। इसके अलावा आलीशान मकान भी मिलेगा—और उस मकान की मरम्मत पर लाखों—रुपया सालाना खर्च भी हो सकेगा। गवर्नर पर जो खर्च होता है या जो बजट में उसके लिए प्रोवाइड किया जाता है उस पर डिसकशन नहीं हो सकती है, वह डिबार्ड है, बस चार्ज्ड एक्सपेंडीचर है। मुझे मालूम है एक गवर्नर के मकान की मरम्मत पर 12 या 15 या 16 लाख सालाना खर्च आता है। पानी केबिल पर दो तीन लाख आता है। सत्तर लाख रुपया जो सर्वेंट्स होते हैं उन पर आता है। बहुत बड़ा खर्चा होता है। उस पर असेम्बली में या यहां बहस नहीं हो सकती है। उसका आप नाम भी नहीं ले सकते हैं। गवर्नर जो बनता है वह क्योंवृद्ध होता है। एक अच्छी जिन्दगी बिताने का यह एक अच्छा तरीका है। जिसकी जिन्दगी सो साल होती है यहां आकर उसकी जिन्दगी डेढ़ सो साल की हो जाती है। सुन्दर मकान, अच्छी मुरम्मत, सुन्दर और सुहावने लांज, फूलों के गुलदस्ते, गवर्नर के बैठने के लिए लम्बी चौड़ी कुर्सी सब तरह की सुविधायें उनको मिलती हैं। भगवान जाने कितनी शान से वह रहता है। हम मानते हैं कि उनकी डिगनिटी रहनी चाहिए। कारें कितनी होगी इसके बारे में रूल बनेंगे, एंटरटेनमेंट क्या होगा, इसके बारे में रूल बनेंगे, यह कह दिया गया है। सब कुछ आर रूल्ज से ही करना है तो हमारी क्या जरूरत है। इस प्रकार का लेजिलेशन मैंने नहीं देखा है। होम मिनिस्ट्री ने यो कमाल ही कर दिया है इस तरह का बिल ला कर। इस पर वह हमारी मुहर लगवाना चाहते हैं। गवर्नर के जो फैमिली मैम्बर होते हैं उनको भी फ्री कारें मिल जाती हैं। एक गवर्नर ऐसे भी हैं जिनके बारह लड़के हैं, नौ लड़कियां हैं। लड़कियों के दमाद आते हैं। सब कारों का इस्तेमाल करते हैं। पहली क्लाज़ से ले कर आखिरी क्लाज तक मैं समझता हूं कि रीथिंकिंग की जरूरत है। सभी तरह की पावर्ज डेलीगेट इस में कर दी गई है। कानूनन पार्लिमेंट को उसकी जो पावर्ज है उनको डेलीगेट करना नहीं चाहिए। ऐसा करके पार्लिमेंट अपने अधिकारों को खोएगी। गवर्नर्ज के एमालुमेंट्स; उनकी सुविधाओं को अगर आप लीगलाइज करना चाहते हैं, उनको आप कानूनी रूप देना चाहते हैं तो इस काम को आप पार्लिमेंट को करने दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी मैटर्ज को ब्यूरोक्रेट्स को सौंप दिया जाए। आप ब्यूरोक्रेट्स को अनलिमिटेड पावर्ज दे रहे हैं। एक-एक गवर्नर का एक साल का एक साल का—जो बजट बनता है वह डेढ़ करोड़ बनता है। देखने में आता है कि गवर्नर साहब नैना देवी के दर्शन करने जा रहे होते हैं तो सारे फैमिली मैम्बर्ज उनके साथ जाते हैं और सभी को अलग अलग कारें मिलती हैं। कोई मुसलमान गवर्नर हुआ और उसकी तीन बेगमें हुई तो तीनों जाएंगी और एक एक बेगम एक एक कार में जाएंगी। मान लो बहनें हैं या लड़कियां हैं तो सारे दामाद जाएंगे।

और कौन मांग करता है? यह बिल किसने बना कर दिया है। और दे भी दिया होम मिनिस्टर की जगह स्टेट मिनिस्टर को कि तुम सम्हालो। इसमें हमको कुछ पावर्स नहीं दी हैं, और उल्टे हमसे मोहर लगवाना चाहते हैं कि गवर्नर को पूरा अधिकार दे दो वह अपने जिस घर में रहे उसको इन्द्रपुरी बना ले और जो चाहे करे। इस इंद्रपुरी में रहने के लिए कौन सा बिल

है और इसमें क्या पावर्स हैं ? मैं समझता हूं यह कानून गलत है। इसलिए इस बिल को आप कल के लिए रखें और फिर सरकार की तरफ से कुछ संशोधन आना चाहिए। रात में आ जाय तो बड़ा अच्छा होगा। नहीं तो हम समझेंगे जो पावर्स लिए हैं वह हमारी पावर्स नहीं हैं।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, समय देने के लिने आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। गवर्नर की प्रिवलेज के बारे में जो बिल लाया गया है उसके पहले हमें यह विचार कर लेना चाहिए कि राज्यपाल के पद की वर्तमान संदर्भ में कोई आवश्यकता है क्या ? आवश्यकता होगी तभी न उसका वेतन आदि निर्धारित करेंगे। अगर आवश्यकता ही न हो तो फिर इस विधेयक की कोई जरूरत नहीं है।

संविधान के निर्माताओं ने जो राज्यपाल की परिकल्पना जो की थी उसमें उन्होंने यह सोचा था कि राज्यपाल को बिखराव को रोकने के लिए तथा केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच एक सम्पर्क सुत्र का काम करना होगा। किन्तु हुआ क्या ? इस सम्बन्ध में मैं याद दिलाना चाहता हूं संविधान सभा में जब सबसे पहले राज्यपाल के पद की परिकल्पना की गई थी उस समय में यह सोचा गया था कि राज्यपाल भी निर्वाचन होगा। किन्तु दो महीने के बाद जब तत्कालीन विधि सदस्य, स्वर्गीय भीमराव अम्बेडकर ने, खुद उसमें एक संशोधन पेश किया कि राज्यपाल का पद निर्वाचन से न हो कर नोमीनेशन के द्वारा भरा जायगा। तो उस समय में संविधान सभा के दो सदस्यों—प्रो० के० टी० शाह और श्री शिब्बन लाल सक्सेना—ने इसका तीव्र विरोध किया था और उन्होंने कुछ संशोधन पेश किये थे। मैं उन्हीं को उद्धत करूंगा :

"ऐसे राज्यपाल को जरा भी स्वतन्त्रता नहीं होगी और केन्द्र एसे व्यक्ति से फायदा उठा सकती है। यदि राज्यपाल का चुनाव हो तभी वह स्वतन्त्र रह सकता है। चुनाव के बाद उसे हटाया नहीं जा सकता।"

उस समय में डा० अम्बेडकर ने एक तरह से इस संशोधन की भावना को स्वीकार भी किया। किन्तु स्वीकार करने के साथ उन्होंने यह कहा कि चूंकि राज्यपाल की नियुक्ति प्रेसीडेंट के द्वारा होगी और प्रेसीडेंट के द्वारा होने पर केवल दो ही कारणों से नियुक्ति रद्द की जा सकेगी। एक तो जब वह शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाय अथवा उन पर कोई करप्शन का चार्ज लगे। साधारणतयां इन्हीं दो कारणों से नियुक्ति रद्द की जाती है। यह कहते हुए उन्होंने संशोधन की भावना को स्वीकार किया। किन्तु क्या हुआ ? अभी जो स्थिति है वह देख रहे हैं। उस समय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी कहा था...

राज्यपाल सत्ता की राजनीति से ऊपर रहेंगे और यह एपौंइटमेंट पोलिटिकल एपौइन्टमेंट नहीं होगा।

मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं; आप 22 मार्च, 1980 का इण्डियन एक्सप्रेस देखिए, उसके एडीटोरियल में लिखा है कि तत्कालीन गृह-मंत्री ज्ञानी जेल सिंह ने अपने प्रेस इन्टरव्यू में कहा है—

"सभी राजनैतिक नियुक्तियों जिसमें राज्यपाल भी शामिल हैं, के लिए यह उपयुक्त हैं कि वह केन्द्र की सरकार में परिवर्तन के बाद अपना इस्तीफा दे दें।"

यह तो संविधान की मूल भावना का सरासर हनन हैं। जब स्वीकार कर लिया गया था कि गवर्नर की नियुक्ति पोलिटिकल नहीं है, यह पोलिटिकल नियुक्ति से ऊपर की चीज है, गवर्नर, राज्यपाल सत्ता की राजनीति से ऊपर रहेंगे, फिर भी हमारे गृह-मंत्री यह कहेंगे कि यह पोलिटिकल एपोइन्टमेंट है, तो फिर यह पोलिटिकल एपोइन्टमेंट है। कोई गवर्नर इसको स्वीकार नहीं करेगा तो उसकी क्या हालत होगी। उसकी हालत वही होगी जो तमिलनाडु के गवर्नर श्री प्रभुदास पटवारी की हुई, यानी उनको बर्खास्त कर दिया गया। अगर कोई राज्यपाल इस स्थिति से बचना चाहे तो वह अपने को उसी तरह बना ले जैसा कि हरियाणा के राज्यपाल ने अपने को बना लिया, वह सब निकृष्ट कर्म करने को तयार हो गए सिर्फ अपने पद की सुरक्षा के लिए। यही स्थिति सभी राज्यपालों के लिए होगी, यदि वह स्वतन्त्र विचार रखने वाला हुआ तो उसकी बर्खास्तगी निश्चित है, अगर उसने केन्द्रीय सरकार की आज्ञा मानी, निर्देश माना तो उसके पद की सुरक्षा है। मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि प्रो० के० टी० शाह और प्रो० सिब्बन लाल सक्सेना की आशंकाएं कितनी सही थीं।

गृह मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुबया) : क्या हम छः बजे के बाद बैठ सकते हैं।

कई माननीय सदस्य : नहीं

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा सदस्यों से निवेदन है कि वह अपना वक्तव्य संक्षिप्त ही रखें।

श्री चित्त बसु (बारसार) : समय नहीं बढ़ाया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी तो मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। आपको छः बजे तक इन्तजार करना होगा।

प्रो० अजीत कुमार मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, यह सोचा गया था कि राज्यपाल का कर्त्तव्य है कि सत्ता की राजनीति से ऊपर रहेंगे, लेकिन क्या यह संभव है जब एक्टिव पोलिटिक्स में रहने वाले लोग राज्यपाल के पद पर नियुक्त होंगे। मैं तो नहीं समझता कि किसी आदमी के दिमाग के दो कम्पर्टमेंट होते हैं कि एक्टिव पोलिटिक्स में रहे तो यह रास्ता और राज्यपाल हो जाये तो निष्पक्ष भाव से सोचने लगे :

असम में जो हुआ? वह क्यों हुआ? वहां के राज्यपाल ऐक्टिव पोलिटिक्स में थे, वह राज्य-सभा के सदस्य थे, एक पार्टी के सदस्य थे। असम में जब वह गवर्नर हुए तो उन्होंने वही किया जो उस पार्टी का कर्त्तव्य था कि उसी पार्टी की सरकार कायम हो। उसी तरह का निर्देश हरियाणा में हुआ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि गवर्नर का पद आज एक एक प्रधान मंत्री के हुकमी बन्दे से अधिक नहीं रह गया है। ऐसी स्थिति में क्या इतना खर्च करके गवर्नर का पद बरकरार रखने की आवश्यका है?

हिन्दुओं के वहां सत्यनारायण कीं पूजा होती है। यहां पर एक गोबर का गणेश बना कर रखा जाता हैं। अगर प्रतिष्ठा के लिए गवर्नर पद की आवश्यकता है, तो हर राज्य में गवर्नर के बदले एक गोमर गणेश बना कर रख दिया जाए। गोबर का बना हुआ रहने के कारण उसमें पवित्रता भी रहेगी, और आज के गवर्नर जो गर्हित कर्म कर रहे हैं, वह उन्हें नहीं करेगा और इसके साथ ही उस पर खर्च भी नहीं होगा। अगर गवर्नर का पद रखना ही है, तो गोबर का गवर्नर बनाकर रखना चाहिए। आज गवर्नर का पद रखना ही है, तो गोबर का गवर्नर बनाकर रखना चाहिये। आज गवर्नर का पद ब्रितानी परम्परा को कायम रखने के लिए जारी रखा जा रहा है, मैं समझता हूं कि उस पर अत्यधिक खर्च करने की जो व्यवस्था की जा रही है, वह अनुचित है।

अब मैं इस विधेयक पर आता हूं। इस विधेयक में कहा गया है कि गवर्नर के परिवार के लिए जो उचित खर्चा होगा, वह विभिन्न भत्तों के रूप में दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब औरों के लिए परिवार की सीमा नियत की गई है, तो क्या गवर्नर के लिए भी नियत की गई है। जैसा कि आज व्यवहार में देखा जा रहा है, राज भवन में गवर्नर के वयस्क पुत्र और पुत्रियां भी रहते हैं और गवर्नर को जो सुविधाएं मिलती हैं, वे उनका उपभोग धड़ल्ले से करते हैं। क्या यह उचित है कि उन लोगों को भी गवर्नर को दी जाने वाली सुविधाओं का का उपभोग करने दिया जाए?

समझ में नहीं आता है कि इस विधेयक का उद्देश्य क्या है। हम सारे विधेयक में खोज कर के भी यह नहीं जान पाये कि साल भर में गवर्नर पर खर्चा कितना होगा। उसको जितनी सुविधाएं दी जा रही है, उनका मूल्य कितना होगा। हर मद के बारे कहा गया है कि पावर डेलीगेट की जा रही है और रूल्ज बनाए जाएंगे. जिनके मुताबिक इस बारे में निश्चय किया जाएगा। इस तरह से सदन को अंधकार में रखने से सरकार का क्या लाभ होगा? जब हम इस विधेयक को कनसिडर कर रहे हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे राष्ट्र पर कितना खर्चा पड़ने जा रहा है, मगर सरकार ने वह तो बताया नहीं।

कुछ देर पहले मैं परिवार की सीमा की बात कह रहा था। इस विधेयक की धारा 9 में कहा गया है :—

"इस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन राज्यपाल अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए तथा अपने, तथा अपने परिवार के सामान के लाने ले जाने के लिए यात्रा भत्ते का हकदार होगा।"

इस बारे में मैं एक उदाहदरण देना चाहता हूं। अभी हाल में एक गवर्नर ने शपथ-ग्रहण किया है। जब शपथ-ग्रहण करने के लिए यह गवर्नर महाशय अपने घर से चले और उस राज्य में पहुंचे, तो उनके साथ 150 लोगों की बरात थी। जाहिर है कि यह सारे का सारा खर्चा किसी न किसी रूप में सरकार को ही वहन करना पड़ा होगा। यह तो नहीं है कि राज्यपाल महोदय ने अपनी जेब से वह खर्चा दिया है मैं जानना चाहता हूँ कि शपथ ग्रहण के लिए पंजाब

के राज्यपाल के साथ जो 150 लोगों की बरात गई, उसका खर्चा किसने वहन किया। अन्ततोगत्वा वह खर्चा राष्ट्र पर ही पड़ा है। इसी लिए परिवार की सीमा निर्धारित करना आवश्यक है।

अच्छा तो यह होगा कि जब इस विधेयक में सब बातों को गोल-मोल रखा गया है और कोई भी बात स्पष्ट रूप से सदन के सामने नहीं रखी गई है, तो मन्त्री महोदय इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस ले लें और इसको संपूर्ण रूप में सदन में रखें, जिससे राष्ट्र को हानि न हो।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के पद के औचित्य एवं कार्य-प्रणाली के सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों ने गंभीर आपत्तियां की हैं और इस पद को समाप्त करने के लिए भी अपने सुझाव दिए हैं। मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र एक बहुत डेलिकेट सिस्टम है पालिटिक्स का और उस में पदाधिकारी और दूसरे लोगों के व्यवहार में जब तक संयम नहीं होगा तब तक उस पद से वह अपेक्षाएं और आशाएं आप नहीं कर सकते जिनका प्रावधान संविधान में किया गया है। वेस्ट बंगाल से आने वाले माननीय सदस्य ने जो एक बहुत ही अच्छे विद्वान भी हैं। कुछ शंकाएं प्रकट कीं और कुछ बातें कहीं। मैं उन से पूछना चाहता हूं कि धर्मवीर जो वहां के गवर्नर थे, उन के बारे में और उन की कार्य-प्रणाली के औचित्य के बारे में आप ने प्रश्न किया, किन्तु क्या यह उपयुक्त होगा यदि आप भी किसी स्थान पर गवर्नर हो, आप ने तीन साल पहले उसी प्रदेश में किसी विशेष दल की सरकार के साथ गवर्नर की हैसियत से काम किया है और जो काम किया है उस को औचित्यपूर्ण तरीके से किया है, इस के बाद दूसरी गवर्नमेंट के आने के बाद उसी गवर्नर के मुंह से वह सरकार यह कहलाना चाहे कि मैं ने जो किया था या मेरी सरकार ने जो कुछ किया था वह अनुचित था तो आपकी सरकार के लिए और आप के लिए डैमोक्रैसी में क्या इस की प्रोप्राइटी है ? क्या आपकी सरकार ने जो अभिभाषण तैयार किया राज्यपाव महोदय के लिए उस में कोई डैमोक्रेटिक प्रोप्राइटी थी ? क्या आप महसूस करते हैं कि किस तरह की डैमोक्रेटिक परम्परा आप कायम करना चाहते हैं यदि आप ऐसा गवर्नर पैदा करना चाहते हैं जो आज यह कहता है कि जिस सरकार के साथ या जिस दल की सरकार के साथ वह काम कर रहा था वह तो गलत काम था और दूसरी सरकार के आने के बाद वह यह कहे कि जो कुछ मैं ने किया है वह गलत काम था और आज मैं सही काम करने लगा हूं ? क्या आप इस तरह की परम्पराओं को कायम करना चाहते हैं ? क्या आप गवर्नर के पद की गरिमा को इस तरह से गिराना चाहते हैं ? मैं समझता हूं कि संविधान के निर्माताओं का यह उद्देश्य कभी नहीं था।

डेमोक्रेसी आप की एक पोलिटिकल बाडी नहीं है, केवल आप का एक राजनैतिक ढांचा नहीं है। डैमोक्रेसी का मतलब यह है कि सामाजिक और आर्थिक जो कुछ भी आप की विचारधारा है, आप की वे आफ लिविंग है, सब में डैमोक्रैसी की एक झलक होनी चाहिए, उस का प्रतिबिम्ब होना चाहिए, वह आप के आचरण में आचरित होनी चाहिए। तभी वह डैमोक्रैसी सकसैसफुल हो सकती है। आप यह चाहे कि गवर्नर तो डैमोक्रैसी के अनुकूल काम करे लेकिन

वह दल और उस दल की सरकार जिस का एक उत्तरदायित्व है कि संविधान के अनुकूल चले वह उस पर न चले। संविधान यह नहीं कहता है।

पिछली सरकार ने यदि कोई गलत काम किया है तो आप के पास कमीशन आफ एन्क्वायरी एक्ट है आप के पास सी आर पी सी, आई पी सी और दूसरे एक्ट्स के प्रावधान हैं उन के अन्तर्गत उन के खिलाफ एक्शन ले सकते थे, मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन ले सकते थे। गवर्नर की तो उस में कहीं जिम्मेदारी नहीं आती है। आप स्वयं ही कहते है कि वह एक कांस्टीच्यूशनल हैड है। कांस्टीच्यूशनल हैड के ऊपर क्या जिम्मेदारी हैं? चीफ मिनिस्टर जो पहले थे कांग्रेस पार्टी के उन की जिम्मेदारी थी।

यदि उन्होंने कोई गलत काम किया था तो उन के खिलाफ आप चार्जेज लगाते, अदालत में उन को ले जाते और दूसरे काम आप कर सकते थे। लेकिन मैं यह कहता हूं कि सब से पहले एक अजातात्रिक काम यदि किसी ने किया है तो वह वैस्ट बंगाल की सरकार ने किया है, गवर्नर धर्मवीर को मजबूर किया है। आप उन से गलत स्टेटमेंट दिलाना चाहते थे। इस तरह की जो आप की परम्परा हैं, इस से आप प्रजातंत्र की परम्पराओं को तोड़ना चाहते हैं। प्रजातंत्र की परम्पराओं को आप मजबूत नहीं करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि आज भी आपनी गलतियों को आप नहीं मानते हैं। आप की यह बहुत बड़ी गलती थी, प्रजातांत्रिक गलती थी, सवेधानिक गलती थी। अगर कोई भी इस तरह की गलती करता है तो उस से प्रजातंत्र मजबूत नहीं होता।

आप ने हरियाणा के राज्यपाल की कार्य प्रणाली के बारें में कुछ कह। लेकिन मैं आप से कहना चाहता हूं कि जिन को आप फर्स्ट सिटिजेन आफ इंडिया समझते हैं और वह व्यक्ति जो अपने पद भार से विमुक्त हो कर जा रहा है, क्या आप ने उस के भाषण को पढ़ा हैं? माननीय राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने जाते समय यह कहा है कि मेरी यह विचारधारा थी, मैं ऐसा महसूस करता था कि हरयाना के गवर्नर ने यह जो एक विशेष पार्टी के नेता को बुला कर सरकार बनाने का निमंत्रण दिया, वह उचित नहीं है। मैं ने ऐसा महसूस किया। महसूस करने के बाद उन्होंने जो कुछ कार्यवाही की, केबिनेट को लिखा या कहां कहां लिखा वह अलग बात थी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मेरी वह धारणा गलत साबित हुई। आप के राष्ट्र का राष्ट्रपति यह अनुभव करता है कि हरियाणा के राज्यपाल ने सही काम किया है, उस ने जिस पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है वह काम सही है। तो क्या फिर आप यह महसूस नहीं करते...(व्यवधान)

तो यह जो आपके राष्ट्रपति थे उनका कथन है। आखिर जिस संस्था को यह जिस व्यक्ति को आपने विवेक दिया है, डिस्क्रीशन दिया है उसके डिस्क्रीशन को इवैलुएट करने के लिए चैक्स एण्ड बैलेन्सेज भी है। हरियाणा के गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर को सदन में अपनी मैजारिटी सिद्ध करने के लिए टाइम भी दिया था। क्या यहां पर चरण सिंह की सरकार को राष्ट्रपति की ओर से सदन में मैजारिटी प्रो करने के लिए टाइम नहीं दिया गया था?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : प्रो० तिवारी द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न का क्या हुआ? जब मैं बोल रहा था तो आपने इस पर आपत्ति उठाई थी।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपका अन्तः करण सो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अपना निर्णय दे चुका हूं।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : श्री यादव ने किसी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग नहीं किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० तिवारी का लगा कि आप कुछ अपमानजनक शब्द कह रहे हैं। इसलिए उन्होंने आपत्ति की थी।

श्री राम सिंह यादव : उस समय हमारा दल उधर विपक्ष में बैठा हुआ था और हमारे दल ने उस दिन का इन्तजार किया था जब इस सदन में आकर यह तय होगा कि जिस नेता को राष्ट्रपति ने प्रधान मंत्री बनाया है वह अपना बहुमत सिद्ध कर सकता है या नहीं। लेकिन आपने देखा कि वे अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए इस सदन में प्रवेश भी नहीं कर सके।

इसलिए मैं समझता हूं जो कुछ भी हमारी संवैधानिक परम्परायें हैं उनका निर्माण करना, उनका सृजन करना, और उनको सुदृढ़ करना यह केवल किसी एक दल विशेष का नहीं, सभी दलों का उत्तरदायित्व है और इन स्वस्थ परम्पराओं को कायम करने में सभी दलों के सहयोग की आवश्यकता हैं।

अभी हमारे दल के एक माननीय सदस्य ने गवर्नर्स के इमालुमेन्ट्स, सैलरी और पेंशन के बारे में आपत्ति करते हुए कहा कि जो लेजिस्लेशन यहां पर लाया गया है वह इनकंप्लीट है। उन्होंने कहा कि इसमें यह प्रावधान नहीं किया गया है, इस सदन को यह अधिकार नहीं मिला है कि वह उनकी तनख्वाह को तय कर सके। मैं यह बात की मुमानियत की है। मंत्री जी को यहां पर गवर्नर की तनख्वाह के बारे में मेन्शन करने का अधिकार नहीं है। जो हमारा संविधान है उसने ऐसा करने से मना किया है। कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल (158) में यह दिया हुआ है कि आप गवर्नर के इमालुमेन्टस को कम नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल (158) के क्लाज (3) में दिया हुआ है :

अनुच्छेद 158 (3) के अनुसार :—

"राज्यपाल को, बिना किराया दिए, अपने पदावासों के उपयोग का हक होगा तथा उसको उन उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जो संसद निर्मित विधि द्वारा निर्धारित किए जायें, तथा जब तक इस विषय में इस प्रकार उपबन्ध नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का, जैसाकि द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित हैं, हक होगा।"

सेकेन्ड्र शेडयूल में उनकी तनख्वाह और सारी चीजें दी हुई हैं।

दूसरी अनुसूची के अनुसार :—

"1. राष्ट्रपति तथा राज्यों के राज्यपालों को निम्नलिखित उपलब्धियां प्रतिमास दी जाएगी, अर्थात :—

राष्ट्रपति को	...	10,000 रुपए
राज्य के राज्यपाल को	...	5,500 रुपए

2. राष्ट्रपति तथा इस प्रकार उल्लिखित राज्यों के राज्यपालों को ऐसे भत्ते भी दिए जायेंगे जैसे कि क्रमश: भारत डोमीनियन के गवर्नर जरनल को तथा तत्स्थानी प्रांतों के गवर्नरों को इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले देय थे।"

इसका अर्थ यह है कि संविधान मैं सभी उपबंध किए गए हैं। जब तब संविधान में संशोधन नहीं किया जाता तब तक सन्सद के पास इसमें कुछ करने की शक्ति नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं एक आपत्ति उठाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री यादव क्या आप इसे मानेंगे।

श्री राम सिंह यादव : जी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह नहीं मान रहे हैं। व्यवस्था का प्रश्न नहीं हैं।

श्री राम सिंह यादव : इस सम्मानीय सभा को संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। परन्तु सरकार के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिससे कि वह इस विधेयक द्वारा अथवा किसी अन्य विधान द्वारा इसमें संशोधन कर सके।

संविधान के अनुच्छेद 112 में यह भी व्यवस्था है कि वहां तक राज्यपाल की परिलब्धियों आदि का सम्बन्ध है उसकी स्वीकृति इस सभा से नहीं ली जाती। वार्षिक वित्तीय विवरण में व्यय का अनुमान अलग से दिखाया जाएगा। और आगे यह भी बताया गया है कि :—

"निम्नवर्ती व्यय भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होगा :—

(क) राष्ट्रपति की परिलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से सम्बद्ध अन्य व्यय ;

(ख) "...सभापति आदि के वेतन और भत्ते..."

राज्यपाल को देय परिलब्धियां और वेतन तथा पेंशन आदि पर इस सभा में विचार नहीं किया जाएगा। यह व्यय विधान सभा तथा संघ पर प्रभारित्त व्यय के रूप में माना जाता है। इसलिए यह तर्क कि इसका उल्लेख किया जाये तथा इस सदन द्वारा इन सब चीजों पर विचार किया जाये उचित नहीं है क्योंकि संविधान के अनुसार ऐसा करने की अनुमति नहीं है। इसलिए इन सब पर विचार विमर्श नहीं किया जा सकता।

इस के अलावा मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि वे इस तरह का

बिल लाए हैं। इस से पहले वास्तव में हमारे पास गवर्नर्स के बारे में केवल एक आदेश "दि गवर्नमेंट आफ इन्डिया (गवर्नमेंट एलाउसेज एन्ड प्रिविलैजेज) आर्डर, 1950", था और उस में कुछ मुद्दे ऐसे थे, जिन के बारे में स्पष्ट प्रावधान नहीं था। अब इस बिल के माध्यम से मंत्री जी उन मुद्दों के बारे में स्पष्ट प्रावधान लाए हैं और इन से मैं समझता हूं कि आप की जो धारणायें हैं और मान्यताय हैं, उन को आप पूरा कर सकेंगे।

इन शब्दों के साथ, जो यह विधेयक पेश किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : वर्तमान दशंक हमारी लोकतंत्रीय प्रणाली के लिए परीक्षा का समय है और राज्यपाल का पद भी हमारे संविधान द्वारा बनाया गया लोकतंत्रीय व्यवस्था का ही एक हिस्सा है। तथापि राज्यपाल का पद भी उपनिवेशबाद से पैदा हुआ है गणतांत्रिक प्रणाली और अफसर शाही इसकी पृष्ठ भूमि हैं। इसलिए राज्यपाल का पद विवादस्पद तो रहेगा ही। इन परिस्थितियों के भीतर इसकी आशा की जा सकती हैं। इसलिए ऐसी अभिव्यक्तिय के भी होती है जो कि यद्यपि संविधान के अनुसार तो उपयुक्त नहीं है परन्तु राज्यपालों को फेवरिट ब्याज या फालना हारसेज भी कहा जाता है। तथापि यही स्थिति आजकल चल रही है। जैसा कि मैंने कहा कि यह पद बिवादास्पद है। बहुत व्यक्ति तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि यह पद समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने जब महाराष्ट्र के राज्यपाल के पद से त्याग पत्र दिया था तो उन्होंने यह विचार व्यक्त किए थे कि यह पद बेकार है और इस समाप्त कर दिया जाना चाहिए परन्तु यह अभिव्यक्ति उन्होंने राज्यपाल के पद से त्यागपत्र देने के बाद ही कही थी पहले नहीं।

परन्तु उपाध्यक्ष महोदय मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करना चाहता हूं। कोई भी राजनैतिक प्रणाली एक साथ एकात्मक भी हो सकती है और संघीय भी। हमारे संविधान की यह विशेषता ही राज्यपाल के पद को एक राजनैतिक आवश्यकता बना देती है। तथापि, मैं कम से कम शब्दों में यह कह सकता हूं कि राज्यपाल का पद सत्ता और महत्व के महत्वपूर्ण अवशेषों का कानूनी उत्तरजीवी है। यदि मैं इस मुद्दे को और अधिक स्पष्ट करूं तो मुझे यह भी देखना पड़ेगा कि राज्यपाल के पास किसी प्रकार के विवेकाधिकार हैं या नहीं। परन्तु इन सब बातों की ओर ध्यान न देते हुए राज्यपाल के पद की प्रभावोत्पादकता के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा।

मैं यह अवश्य कहूंगा कि जो यह सब उस पदासीन व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय यह भी कहा जाता है कि इंग्लैंड के महाराज यदि प्रतिभासम्पन्न हो तो वह सरकार भी काफी प्रभाव डाल सकते हैं। यह बात राज्यपाल पर भी लागू होती है। यह भी कहा जाता है कि तर्क की भाषा यदि मजबूर के स्थान पर कायम करदें तो अधिक सुनी जाती है।

प्रो० मधु दन्डवते (राजापुर):—इसलिए ही हमारी बात आराम से सुनी जाती है।

श्री जी एम बनातवाला :—यही बात राज्यपाल पर भी लागू होती है। हमारे यहां

कई राज्यपाल हुए और उन्हें असाधारण परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ा। संविधान को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा।

मुख्यमंत्री श्री गुरनाम सिंह ने राज्यपाल बी०सी० पावते को बाध्य किया कि वह विधान सभा में राज्यपाल का भाषण देते समय अपनी आलोचना करें। परन्तु ऐसा ही एक उदाहरण पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री धर्मवीर का है जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री की परवाह न करके अपनी आलोचना के कुछ अंश नहीं पढ़े। इसलिए मैंने कहा कि राज्यपाल का यह पद राज्यपाल के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है।

बिहार में राज्यपाल भंडारे ने कुछेक मंत्रियों की सार्वजनिक रूप से आलोचना की। पद और गोपनीयता की शपथ देने से पहले कुछेक मंत्रियों को उनसे क्षमायाचना करनी पड़ी। उत्तर प्रदेश का एक और उदाहरण है जब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री होमीमोदी ने रेडियो खोला तो उन्हें पता चला कि उन्होंने एक और मंत्री की नियुक्ति कर दी है। उन्हें यह सूचना रेडियो से मिली। इसलिए ही मैं इन सब बातों की ओर ध्यान दिला रहा हूँ।

एक मामला मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री पट्टाभि सीतारमय्या का है उन्होंने बताया कि बहुत बार तो उन्हें यह भी नहीं मालूम होता था कि उनके नाम से अध्यादेश जारी कर दिए गए हैं। ऐसे असंख्य उदाहरण हैं।

हमारे मित्र बंगाल के बारे में बातें करते हैं जब बी० सी० राय मुख्यमंत्री थे तब स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू किसी गैर बंगाली को राज्यपाल नहीं बना सके। परन्तु बाद में ऐसा नहीं हुआ।

वास्तव में 1967 के बाद स्थिति काफी बदल गई है और जहां तक महत्ता का संम्बंन्ध है राज्यपाल के पद ने काफी बड़े आयाम हासिल कर लिए हैं। हमारे अपने-अपने अलग-अलग विचार हो सकते हैं। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि हम संविधान की महत्ता को या राज्यपाल के पद की राजनैतिक आवश्यकता को नकार सकते हैं।

महोदय, इन शब्दों के साथ अब मैं विधेयक पर विचार करूंगा। हमें यह बताया गया है कि यह विधेयक बहुत साधारण है। परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि जैसा बताया गया है वैसा साधारण यह विधेयक नहीं है। आपने देखा नाक्या होता है। संविधान के अनुच्छेद 158 (3) में यह उपबंध है कि:—

"राज्यपाल को......उन उपलब्धियों भत्तों और विशेषाधिकारों का, जो संसद निर्मित विधि द्वारा निर्धारित किए जांए......हक होगा।"

यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। संविधान के अनुसार संसद निर्मित विधि द्वारा राज्यपाल की उपलब्धियों भत्तों और विशेषाधिकारों का निर्धारण किया जाना चाहिए। विधेयक में कहा गहा गया है कि खंड 4 के अन्तर्गत राज्यपाल को दी जाने वाली भत्ते की मात्रा का निर्धारण राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया जाएगा। बस सारी बात यहीं खत्म हो जाती है। आज, यदि हम इस विधेयक को पारित कर देते हैं तो इस सदन की सारी शक्तियां

राष्ट्रपति के पास पहुंच जाती है। राष्ट्रपति स्व: विवेक से कितना भी भत्ता आदेश द्वारा निर्धारित कर सकता है और यह आदेश भी सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता।

प्रो० एन० जी० रंगा :—क्यों

श्री जी० एम० बनातवाला :—ऐसा कोई उपबंध नहीं है। मैंने विधेयक में कई संशोधन पेश किए हैं। मुझे खुशी हैं कि प्रो० रंगा जैसे वरिष्ठ राजनेता को भी सदमा लगा। विधेयक की वास्तविकता अब हमारे सामने हैं। राष्ट्रपति स्व:विवेक से कितना भी भत्ता निर्धारित कर सकते हैं। उपलब्धियों और भत्ते की मात्रा पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जितना भी जरूरी हो वह आप अवश्य दें।

परन्तु मैं कहता हूं कि "आप लोकतांत्रिक तरीका अपनाए।" विधेयक में यह भी कहा जा सकता था कि भत्ते की मात्रा उसकी दर नियमों द्वारा निर्धारित की जाएगी। यदि उन्होंने ऐसा कहा होता तो मुझे कोई-आपत्ति नहीं होती क्योंकि नियम सभापटल पर रखे जाऐंगे और तब यदि वह उचित होंगे तो उन नियमों में उपयुक्त प्रस्ताव का संशोधन किया जा सकता है या उन्हें रद्द भी किया जा सकता है। परन्तु खंड 4 के अन्तर्गत ऐसा कोई उपबंध नहीं है।

नियमों में तो यही बताया जाता है कि भत्ता किस प्रकार दिया जाएगा आदि-आदि और यही सब विवरण सभा पटल पर रखा जाएगा। परन्तु राज्यपाल को दिए जाने वाले भत्ते की दर तो खंड चार के अंतर्गत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही की जाएंगी। इस विधेयक में ऐसा कोई उपबंध नहीं है यह आदेश सभापटल पर रखा जाएगा। इसलिए यह सभा राष्ट्रपति को शक्तियां देने के बाद एक असहाय खामोश दर्शक भर रह जाएगा। मेरे विचार से यह तरीका लोकतांत्रिक नहीं है।

मेरे संशोधन सभा में प्रस्तुत हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप अभी उनकी दर और मात्रा नियत करें। मैं व्यवहारिक परेशानियों को समझ सकता हूं। मेरा संशोधन यह है कि नियमों द्वारा दर और मात्रा नियत कर दी जाए और इन नियमों को सभा पटल पर रखा जाए और कार्यवाही चलाने के नियमों को सभापटल पर रखा जाए और कार्यवाही चलाने के नियमों के अनुसार उनपर विचार किया जाए।

ज्ञापन के विहित कानूनों (डेलिगेटड लेजिसलेशन) का भी जिक्र है और यह भी कहा गया है यह विहित कानून असाधारण है.......एक जगह यह भी बताया गया है पूरे मामले का स्पष्टीकरण कह कर किया गया है कि यद्यपि यह असाधारण है परन्तु ऐसा होना स्वभाविक ही था, ऐसा होना स्वभाविक ही था क्या तात्पर्य है। इस विधेयक में मुझे इस बात पर भी आपत्ति है। खंड चार अवकाश भत्ते से सम्बद्ध है।

फिर मात्रा भत्ता तथा राज्यपाल द्वारा प्रयोग की जाने वाली मोटर गाड़ियों की संख्या आदि का भी खंड में जिक्र है। राज्यपाल द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली गाड़ियों की संख्या का निर्धारण भी आदेश द्वारा ही किया जाएगा। वह चाहे तो हजारों गाड़ियां भी प्रयोग कर सकते हैं, मैं उस पर बहस नहीं कर रहा हूं। परन्तु उसका निर्धारण भी आदेश द्वारा किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय :—क्या आप समाप्त कर रहे हैं।

श्री जी एम बनातवाला :—अभी मुझे कई संशोधन स्पष्ट करने हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :—आप अपना वक्तव्य कल पूरा कर सकते हैं।

कार्यमंत्रणा समिति

तेतीसवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री(श्री भीष्म नारायण सिंह) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं कार्य मंत्रणा समिति का तेतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

समय 18.01 बजे तत्पश्चात् लोक सभा की बैठक बुधवार, 28 जुलाई, 1982/श्रावण 6, 1904 (शक) को ग्यारह बजे समवेत होने तक के लिए स्थगित हुई।